छत्तीसगढ़ विधान सभा
की
सभापतीय व्यवस्थाएं

(प्रथम से चतुर्थ विधान सभा तक)

छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रतिवेदन शाखा द्वारा प्रकाशित

विधान सभा के पदाधिकारी

श्री गौरीशंकर अग्रवाल	-	अध्यक्ष
श्री बद्रीधर दीवान	-	उपाध्यक्ष
श्री चन्द्र शेखर गंगराड़े	-	सचिव

प्राक्कथन

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के उपरांत छत्तीसगढ़ की चतुर्थ विधान सभा की अवधि पूर्ण हो रही है । प्रदेश की इस सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था में सभा की कार्यवाही की प्रक्रिया एवं संचालन के लिये छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम विद्यमान है, जिनके अनुरूप आसंदी से सभा की कार्यवाही का संचालन एवं विनियमन किया जाता है। सभा में अनेक अवसरों पर नियमों के निर्वचन के परिप्रेक्ष्य में अथवा अन्यथा भी माननीय सदस्यों द्वारा कार्यवाही के दौरान ऐसे अनेक प्रश्न आसंदी के समक्ष रखे जाते हैं जिनके समाधान के पश्चात् ही सभा की कार्यवाही आगे चल सकती है, ऐसे अवसरों पर आसंदी के द्वारा सभा में व्यवस्थायें (निर्णय) दिये जाते हैं और दी गई व्यवस्था के अनुरूप ही सभा की कार्यवाही, पक्ष एवं प्रतिपक्ष के समन्वय से सुचारू रूप से संचालित होती है ।

संसदीय प्रणाली में आसंदी के द्वारा दी गई व्यवस्थायें महत्वपूर्ण होती हैं और भविष्य में नज़ीर के रूप में हमेशा संदर्भित की जाती हैं । प्रस्तुत संकलन में छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रथम से चतुर्थ विधान सभा तक सभा में आसंदी द्वारा दी गई व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया गया है ताकि भविष्य में संदर्भ ग्रंथ के रूप में इसका उपयोग किया जा सके ।

मुझे विश्वास है कि यह प्रकाशन माननीय सदस्यों, पूर्व सदस्यों एवं संसदीय प्रणाली में रूचि रखने वाले शोधार्थियों के लिये एक महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ साबित होगा ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

विषय सूची

पृ.क्र.

<u>अविश्वास प्रस्ताव</u>

1. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पर अविश्वास संबंधी संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जायेगा, जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। 1
2. अविश्वास प्रस्ताव संबंधी पूर्व में दिया गया आरोप पत्र, चर्चा प्रारंभ होने के पूर्व पटल पर रखा जा सकता है । 3
3. अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद सदन के अन्य कार्य निपटाए जा सकते हैं. 4
4. अविश्वास प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् प्रस्तुत आरोप पत्र अविश्वास प्रस्ताव की सूचना का भाग नहीं होता। 5
5. आरोप पत्र में किन विषयों को सम्मिलित करना है, यह विपक्ष का अधिकार है। 8

<u>असंसदीय</u>

1. जो हिन्दी में असंसदीय है, वह छत्तीसगढ़ी में संसदीय नहीं हो सकता । 9

<u>अनुपस्थिति</u>

1. नक्सली वारदात स्थल पर जाने की वजह से प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा अनुदान मांगों की चर्चा में भाग न ले सकने के कारण बैठक का स्थगन । 10
2. मंत्रियों को अत्यावश्यक होने पर ही सदन से अनुपस्थिति की अनुमति लेनी चाहिए। 11

<u>आरोप</u>

1. जाति सूचक शब्द या किसी रिश्तेदार का नाम बोलने से पहले प्रमाण पेश कर नियमानुसार उसकी अनुमति ली जानी चाहिए । 12
2. सदन में किसी भी व्यक्ति को अपमानित करना, लांछित करना नियमों के अंतर्गत नहीं आता । 13
3. सदन में किसी व्यक्ति का नाम आना आपत्तिजनक नहीं है किंतु ऐसी बात कही जाए, जिसका प्रतिवाद करने के लिए वह उपस्थित न हो, वह आपत्तिजनक है । 14
4. जो व्यक्ति इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनके नामों का आरोपात्मक रूप से उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए. 15

आश्वासन

1.	सदन में दिये गये आश्वासन का क्रियान्वयन तत्परता से होना चाहिए ।	16
2.	सरकार को, की गई घोषणाओं को निश्चित समयावधि में पूरा करने का प्रयास करना चाहिए ।	17

अशासकीय संकल्प

1.	अशासकीय संकल्प ग्राह्य किया गया है तो इस पर चर्चा की जा सकती है ।	20

आसंदी

1.	विनियोग विधेयक 5.00 बजे के बाद पारित होने में कोई दिक्कत नहीं है एवं आसंदी/अध्यक्ष को नियमों को शिथिल करने का अधिकार है ।	21
2.	अध्यक्ष, सदन की ओर से सारी कार्यवाहियां कर सकता है ।	22
3.	सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकार कुछ निर्बन्धों के अंतर्गत प्राप्त है ।	23
4.	पीठासीन अधिकारी (आसंदी) निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होता है ।	24
5.	आसंदी का कार्य, प्राप्त सूचनाओं पर चर्चा कराना है ।	25
6.	अतिथियों की उपस्थिति का उल्लेख आसंदी से ही होना चाहिए ।	26
7.	आसंदी से आदेशात्मक भाषा में बात करना उचित नहीं ।	27
8.	प्रश्नों/सूचनाओं/प्रस्तावों की ग्राहयता/अग्राहयता के संबंध में आसंदी पर आक्षेपात्मक टिप्पणी उचित नहीं है।	28
9.	आसंदी की व्यवस्था निर्णय स्वरूप होती है, जिसे विलोपित नहीं किया जा सकता ।	30

आपत्ति

1.	आपत्ति विधेयक के पुर:स्थापन के समय की जानी चाहिए ।	32

आसन

1.	सदस्यों के आसन क्रम के निर्धारण का अधिकार अध्यक्ष का है ।	33
2.	दलों के लिए निर्धारित ब्लॉक में दल के नेता की सलाह से सदस्यों के आसन का निर्धारण किया जाता है।	35

इस्तीफा

1.	इस्तीफा मांगना सभा का विषय नहीं है ।	36

उपाध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन

1. उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुमति से भाषण दे सकते हैं । 37
2. उपाध्यक्ष को बोलने से रोका नहीं जा सकता । 38
3. यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो पीठासीन व्यक्ति बाद के प्रस्तावों को रखे बिना घोषित करेगा कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रतिस्थापित सदस्य सभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया है । 39

कार्यसूची

1. कार्यसूची के पदक्रम में आसंदी परिवर्तन कर सकती है । 42
2. कार्यसूची में कोई विषय छूट जाने पर उसे अनुपूरक कार्यसूची के माध्यम से शामिल किया जा सकता है। 43
3. समयाभाव के कारण नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा को अगले दिन की कार्यसूची में शामिल किया जा सकता है । 44

कार्यवाही का संदर्भ

1. सदन की कार्यवाही संदर्भित करने के पूर्व उसकी पुष्टि कार्यवाही की शोधित प्रति से की जानी चाहिए। 47

चर्चा

1. परम्पराओं के निवर्हन हेतु सदस्यों को चर्चा के लिए पुन: अवसर । 48

ध्यानाकर्षण

1. ध्यानाकर्षण का उत्तर (वक्तव्य) लम्बा होने पर, पूर्व सूचना देकर उसे पटल पर रखा जा सकता है । 49
2. ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर पूर्ण तथ्यात्मक उत्तर आना चाहिए । 50
3. ध्यानाकर्षण सूचनाओं के महत्व, समय/कार्य की स्थिति को देखकर 2 से अधिक सूचनाओं पर चर्चा की अनुमति आसंदी द्वारा दी जाती है । 51

न्यायालय में विचाराधीन विषय पर चर्चा

1. न्यायालय में विचाराधीन विषय पर सदस्यों को विषय वस्तु में रहकर ही अपनी बात कहनी चाहिए । 53

2. प्रशासनिक दृष्टि से प्रतिबंधित विषय पर सदन में विषय वस्तु की परिधि में चर्चा की जा सकती है। 55
3. न्यायालय अथवा न्यायिक आयोग के विचाराधीन विषयों पर प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था में सदस्यों एवं शासन पक्ष को अपनी बात रखने के लिए निषेध नहीं किया जा सकता । 56
4. न्यायालय में विचाराधीन मामलों की जानकारी प्रथम अवसर पर ही विधान सभा को दी जानी चाहिए । न्यायालयीन कार्यवाही प्रभावित न हो, उस सीमा को ध्यान में रखते हुए प्रश्न किये जा सकते हैं । 59
5. जब तक किसी मामले में कानूनी कार्यवाही वस्तुत: प्रारंभ नहीं हो गई हो, मामला न्यायाधीन नहीं माना जाता । 61
6. न्यायालय में लंबित मामले पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती । 62
7. न्यायालय में लंबित मामलों पर चर्चा नहीं की जाती, किंतु राजस्व न्यायालय के विषय में यह लागू नहीं है। 63

<u>निंदा प्रस्ताव</u>

1. निंदा प्रस्ताव एक निश्चित विषय (जिस पर पूर्व में चर्चा न हुई हो) एवं हाल की किसी घटना से संबंधित होना चाहिए । 64
2. मंत्रि मंडल के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव एवं कतिपय मंत्रियों के विरूद्ध निंदा प्रस्ताव पर एक साथ चर्चा की जा सकती है । 68
3. निंदा से बढ़कर कोई सज़ा नहीं होती । 69

<u>निष्कासित सदस्य की दलीय सम्बद्धता</u>

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से निष्कासित सदस्य की दलीय सम्बद्धता के संबंध में माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश (दिनांक 15 मार्च, 2016). 71

<u>परिचय</u>

1. मंत्रि-परिषद् के सदस्यों का सदन में परिचय अनिवार्य नहीं है । 75

परिचय पत्र एवं कार पास

1. माननीय सदस्यों को भी परिचय पत्र एवं कार पास यथास्थान लगाना चाहिए ताकि विधान सभा की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और उन्हें भी परेशानी न हो । 76

पटल

1. पटल पर रखी गयी अधिसूचनाओं का परीक्षण प्रत्यायुक्त विधान समिति करती है । 77

पारित प्रस्ताव पर पुनर्विचार

1. सभा द्वारा पारित किसी प्रस्ताव पर, इस सभा को पुनर्विचार करने का अधिकार प्राप्त है । 78

पार्टी व्हिप

1. कांग्रेस पार्टी के दो सदस्यों द्वारा व्हिप के उल्लंघन के संबंध में . 79

प्रतिवेदन पर चर्चा

1. समिति के प्रतिवेदन पर सदन में चर्चा हो सकती है । 80
2. समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त होने के बाद ही प्रतिवेदन पर चर्चा प्रासंगिक है । 82

प्रश्न/प्रश्नकाल का स्थगन

1. प्रश्नों के उत्तर शासन को समय सीमा में देना चाहिए । 84
2. प्रश्नकाल में न तो व्यवस्था का प्रश्न उठता है और न ही प्रश्नकाल को स्थगित किया जाना चाहिए । 85
3. यदि एक ही प्रश्न दो विभागों से संबंधित हो, तो जिस विभाग से प्रश्न पूछा गया है, वह उसका उत्तर दे। 86
4. यदि किसी विशिष्ट परिस्थिति में प्रश्नकाल को स्थगित किया गया है, तो उसे नजीर (उदाहरण) नहीं बनाया जाना चाहिए । 87
5. प्रश्न का कोई हिस्सा सब-ज्यूडिश हो तो उसकी जानकारी विधान सभा को देनी चाहिए, किंतु स्वीकृत प्रश्न का जवाब तो देना ही होगा । 88
6. मंत्रियों को विषय से संबंधित पूरक प्रश्नों की तैयारी करनी चाहिए एवं सभा में अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने पर मंत्रियों की ओर से उनका उत्तर आना चाहिए । 89
7. दलों के सचेतकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रश्नकर्ता सदस्य प्रश्नकाल में उपस्थित रहे । 90
8. प्रश्न की ग्राह्यता के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है । 91
9. स्थगन की सूचना विचाराधीन होने पर प्रश्नकाल स्थगित नहीं किया जाता । 93
10. प्रश्न की ग्राह्यता/अग्राह्यता के विषय में सदन में उल्लेख करना उचित नहीं । 94

<u>प्रशासकीय प्रतिवेदन</u>

1. विभागों की मांगों पर चर्चा प्रारंभ होने के पूर्व सदस्यों को प्रशासकीय प्रतिवेदन आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये जाएं । 95

<u>प्रेस</u>

1. शासन के किसी परिपत्र से भ्रम की स्थिति निर्मित हो तो उसे वापस लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। 96
2. सभा से संबंधित समाचार का प्रकाशन विधान सभा की गरिमा के विपरीत न हो । 97

<u>प्वाइंट ऑफ इम्फर्मेशन</u>

1. प्वाइंट ऑफ इम्फर्मेशन की अनुमति पहले से ली जानी चाहिए । 98

<u>बहिष्कार</u>

1. सदस्यों को अपने विधायी और राजनैतिक कार्यों में फर्क करना होगा । 99
2. अध्यक्षीय व्यवस्था पर सभा का बहिष्कार करना, संसदीय परम्पराओं के विपरीत है । 102
3. सदन की कार्यवाही का बहिष्कार सदस्यों का अधिकार है, किंतु इसका प्रयोग केवल जनहित में होना चाहिए । 103
4. माननीय सदस्यों का दायित्व है कि उनके द्वारा प्रस्तुत जनहित के मुद्दों पर चर्चा में भाग लें । 104
5. संसदीय प्रजातंत्र का मूलाधार संवाद के द्वारा समस्याओं का हल निकालना है, विरोध करने के उद्देश्य से प्रदेश के विकास पर विचार-विमर्श नहीं करना, उचित नहीं है । 106
6. सदन में उपस्थिति के बावजूद चर्चा में भाग नहीं लेना लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। 108
7. प्रश्नोत्तर सूची में तारांकित प्रश्नों के रूप में प्रश्न मुद्रित होने के पश्चात्, सदन में उपस्थित रहकर भी प्रश्न न पूछना, उचित संसदीय परिपाटी नहीं है । 109

<u>बजट</u>

1. परंपरा रही है कि बजट पर चर्चा पक्ष एवं प्रतिपक्ष की उपस्थिति में ही कराई जाती है। 110
2. सदस्य जिन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, उन माननीय सदस्यों को उनके दल के सचेतक द्वारा दी गई सूची अनुसार बोलने की अनुमति प्रदान की जाती है व समय उपलब्धता अनुसार अन्य सदस्यों को। 111

भाषण

1. मुख्यमंत्री/मंत्री को सदन का सदस्य न होने पर भी उन्हें सदन में भाषण देने का अधिकार है । 113

मत विभाजन

1. नामांकित सदस्य को मत देने का अधिकार है । 114

राज्यपाल का अभिभाषण

1. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव को स्थगन प्रस्ताव से भी ऊपर वरीयता दी गई है । 115
2. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में चर्चा हो, यह परंपरा के लिए उचित नहीं। 117

राजनीतिक दल की बैठक

1. किसी सदस्य को पार्टी की बैठक में बुलाना या न बुलाना, पार्टी का आंतरिक मामला है। 118

वक्तव्य

1. मंत्रिगण अपने विभाग से संबंधित विषय पर वक्तव्य दे सकते हैं । 120
2. किसी मंत्री द्वारा दिये गए गलत वक्तव्यों के आधार पर कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। 121

वित्तीय कार्य

1. शासन पर यदि वित्तीय भार न हो तो विधेयक में वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है । 122
2. यदि विधेयक में व्यय प्रावधानित नहीं है तो उसका विवरण देने की भी आवश्यकता नहीं है । 124
3. यदि लोक निधि में से व्यय अंतर्ग्रस्त नहीं हो, तो विधेयक में वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है। 125
4. प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में वित्तीय कार्य सम्पादित करना उचित नहीं । 126
5. संसदीय सचिव भी अनुदान मांग प्रस्तुत कर सकते हैं । 128
6. बजट भाषण के दौरान बीच-बीच में प्रश्न कर, उनका उत्तर देने के लिए मान. मंत्रियों को बाध्य किया जाना उचित नहीं है । 129

विधान सभा/विधान सभा का परिसर

1. विधान सभा का तात्पर्य ही सभा है । 132
2. विधान सभा परिसर में माननीय सदस्यों द्वारा बाहरी व्यक्तियों को धरने में सम्मिलित किया जाना नितान्त अनुचित है । 133

विधेयक

1. जब भी कोई नई विधि परिष्कृत रूप से नये प्रावधानों के साथ लाई जाती है, तब प्रक्रिया के अनुरूप निरसन का प्रावधान नये विधेयक में रहता है । 134
2. अनुपूरक मांग एवं विनियोग विधेयक अलग-अलग विषय हैं । 135
3. विधेयक को पटल पर रखते समय नहीं, अपितु पुनर्विचार के समय सदस्य अपनी बात कह सकते हैं। 136

विशेषाधिकार

1. संसदीय विशेषाधिकार संसदीय कर्तव्यों के निवर्हन तक ही सीमित है । 138

विलोपन

1. कार्यवाही से विलोपित अंशों को उद्धृत करना या उस पर अपना मत व्यक्त करना अनुचित एवं सदन की गरिमा के विपरीत है । 144
2. किसी भी माननीय सदस्य द्वारा अभिव्यक्त विचारों को, किसी अन्य माननीय सदस्य के आग्रह, निवेदन अथवा मांग पर विलोपित करना, माननीय सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों के सर्वथा प्रतिकूल है, जब तक कि वह असंसदीय, सर्वथा वर्जनीय न हो । 146
3. सभी सदस्यों को सदन में चर्चा करते समय शालीन भाषा का प्रयोग करना चाहिए एवं ऐसी किसी भी प्रकार की टिप्पणियों से बचना चाहिए जो कि एक-दूसरे की भावनाओं को आहत करे । 148

शून्यकाल

1. शून्यकाल में चर्चा की परम्परा नहीं है । 149
2. प्रश्नकाल के बाद महत्वपूर्ण विषय को उठाने के लिए बिना नियम प्रक्रिया के अनुमति देना उचित नहीं है। 150
3. शून्यकाल के दौरान किसी भी विषय की संक्षिप्त जानकारी दी जाती है । 152

<u>स्थगन प्रस्ताव</u>

1.	यदि किसी विषय पर ध्यानाकर्षण या नियम 139 के तहत् चर्चा कराना स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर उस विषय पर स्थगन नहीं आता ।	153
2.	स्थगन प्रस्ताव तब आता है जब अन्य अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं ।	155
3.	जो विषय कार्यसूची में नहीं है उनमें पहले स्थगन प्रस्ताव और उसके बाद विशेषाधिकार प्रस्ताव लिया जाता है ।	157
4.	स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में मंत्रिगण भाग ले सकते हैं ।	159
5.	स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अन्य किसी विषय पर चर्चा नहीं होती ।	160
6.	दोहरे लाभ के पद पर कार्यरत् होने से किसी सदस्य के निर्हर होना, स्थगन का विषय नहीं ।	161
7.	जिस विषय पर चर्चा हो चुकी हो, उसी विषय पर पुन: चर्चा नहीं की जा सकती ।	162
8.	स्थगन प्रस्ताव प्रथम अवसर पर देना चाहिए ।	163
9.	स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा पश्चात् उस विषय में जो भी निर्णय करना है, सरकार करती है ।	164
10.	स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर, विभाग को यथासमय उत्तर प्रेषित करना चाहिए ।	165
11.	स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराना तथा स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता/अग्राह्यता के संबंध में शासन तथा सदस्यों के विचार जानना दोनों अलग-अलग स्थिति है ।	166
12.	स्थगन प्रस्ताव अंत: सत्रकाल की अवधि में सरकार की कोई चूक, नीतिगत् विफलता आदि के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं ।	170
13.	स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के लिए शर्तों का पूरा होना आवश्यक है ।	173
14.	स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता की चर्चा पर सत्ता पक्ष के सदस्य भी विचार रख सकते हैं।	174
15.	स्थगन प्रस्ताव की सूचना किसी विषय विशेष से संबंधित होना चाहिए ।	175
16.	स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य हो जाने के बाद पुन: दूसरी सूचना प्राप्त हुए बिना उस पर पुनर्विचार करना संभव नहीं है ।	176
17.	महालेखाकार के प्रतिवेदन पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा नहीं होती ।	177
18.	स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान न्यायिक आयोग की कार्यवाही प्रभावित न हो ।	178
19.	नया तथ्य नहीं होने के कारण स्थगन प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं ।	179
20.	सरकार की नीति एवं घोषणा पत्र को आधार बनाकर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की सूचना ग्राह्य योग्य नहीं।	180
21.	दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों को आधार बनाकर स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं है।	181
22.	न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण पर स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं ।	182

23.	जिस विषय पर ध्यानाकर्षण स्वीकृत हो चुका हो, उस पर स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं किया जा सकता ।	185
24.	स्थगन प्रस्ताव की विषयवस्तु पर नियम 139 के अंतर्गत चर्चा कराए जाने के संबंध में ।	186
25.	स्थगन प्रस्ताव प्रथम अवसर पर दिया जाना चाहिए ।	188
26.	स्थगन प्रस्ताव हाल के विषय पर दिया जाना चाहिए ।	189
27.	केन्द्र सरकार के निर्णय के विरूद्ध स्थगन प्रस्ताव लाना नियमानुकूल नहीं है, किंतु केन्द्र सरकार के नीतिगत निर्णय के समर्थन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है।	190
28.	शासन के किसी निर्णय के विरूद्ध स्थगन प्रस्ताव केवल इसलिए नहीं लाया जा सकता क्योंकि वह विधान सभा सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद लिया गया है ।	192
29.	पूर्व के मुद्दों पर आधारित होने एवं बजट सत्र में अन्य अवसर उपलब्ध होने के कारण स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं ।	193
30.	अन्य माध्यमों से भी सूचना प्राप्त होने एवं बजट सत्र में अन्य अवसर उपलब्ध होने के कारण स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं ।	194
31.	बजट सत्र में अन्य अवसर उपलब्ध होने के कारण स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं।	195
32.	सी.बी.आई. केन्द्र सरकार की एजेंसी है, इसकी कार्यप्रणाली के संबंध में स्थगन ग्राह्य नहीं.	196
33.	किसी विषय पर विरोध स्वरूप गर्भगृह में आकर निलंबित हो जाने पर, स्थगन का विषय स्वमेव समाप्त हो जाता है।	197

<u>संकल्प</u>

1.	राज्य शासन संकल्प के माध्यम से अपनी मंशा से केन्द्र सरकार को अवगत करा सकता है ।	198
2	स्वीकृत संकल्प की विषय वस्तु पर आपत्ति करना उचित नहीं है ।	199
3.	संकल्प में प्रस्तुत शब्दावली मानहानिकारक न होने से आपत्ति अमान्य ।	200
4.	संकल्प नियमों के अंर्तगत ग्राह्य किये जाते हैं, कार्यमंत्रणा समिति केवल समय निर्धारण करती है ।	201
5.	केन्द्र शासन के विषयों पर इस सदन को सिफारिश, अनुरोध करने का अधिकार है।	202

<u>संशोधन</u>

1.	नियमानुसार संशोधन की सूचना विधेयक पर विचार के एक दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए।	203

2. प्रश्नों के उत्तर में संशोधन एक दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए । 205
3. प्रश्नों के उत्तर में संशोधन एक दिन पूर्व दिया जाना चाहिए । 206
4. संकल्प में संशोधन नियमों के अंतर्गत पूर्व में ही दिया जाना चाहिए । 207

<u>सदन</u>

1. सदन में जब मुख्यमंत्री अथवा मंत्री उत्तर दें तो सदस्यों को उसे संयमित होकर सुनना चाहिए । 208
2. सदन की गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी सदस्यों की ही है । 209
3. सभा में सदस्यों को अपना आचरण संयमित रखना चाहिए । 210
4. सदन में पर्चे लहराना सदन की गरिमा के प्रतिकूल है । 211
5. सदस्यों को अपनी बात कहते समय सम्मानजनक शब्दों का चयन करते हुए अपनी भाव-भंगिमा भी शालीन रखनी चाहिए । 212
6. सदन में जानकारी देने के पूर्व उसकी पुष्टि आवश्यक है । 214
7. सदन में चर्चा के दौरान सदस्यों को पालनीय नियमों का ध्यान रखना चाहिए। 215
8. सभा का कोई सदस्य यदि संवैधानिक प्रावधानों, नियम, प्रक्रियाओं एवं परम्पराओं के विपरीत आसंदी पर अपमानजनक टिप्पणी करता है तो वह केवल आसंदी नहीं अपितु पूरे सदन का अपमान करता है। 216
9. माननीय सदस्य भावनाओं को नियंत्रित रखने का प्रयास करते हुये सभा में विरोध के मान्य तरीकों का ही प्रयोग करें । 219
10. संसदीय प्रजातंत्र में संसदीय संस्कृति, सभा एवं स्वयं की गरिमा को बनाए रखना सभी सदस्यों का दायित्व है । 221
11. सभा में माननीय सदस्यों का आचरण एवं व्यवहार संसदीय संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए । 222
12. निलंबित होने व आसन्दी के सभा से बाहर जाने के निर्देश के बावजूद सभा के गर्भगृह में बैठ कर नारेबाजी करना उचित नहीं है । 225
13. सउद्देश्य, योजनाबद्ध तरीके से जानबूझकर नियमों का उल्लंघन नितांत अनुचित है । 226
14. सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष के सहयोग से ही सदन चलता है । 227
15. आसंदी से निलंबन की घोषणा के बाद सदस्यों को सदन से बाहर चले जाना चाहिए । 228

<u>सभा की अधिकारिता</u>

1. सभा की कार्यवाही के प्रकाशन पर नियंत्रण एवं प्रकाशन को निषिद्ध करने का अधिकार सभा के पास है । 229

2. विधान मंडल में कार्य संचालन, व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति आसंदी/सभा में निहित है, यह न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं है । 231

<u>सभा की कार्यवाही का उल्लेख</u>

1. सभा में बहस के दौरान वे जो कुछ भी तथ्य सभा में उद्धृत करें वे पुष्ट जानकारी के आधार पर अभिलेखों को संदर्भित करके रखें । 233

<u>समिति</u>

1. सत्ता पक्ष की सहमति के बिना सदन की समिति नहीं बनाई जा सकती है । 236

<u>सूचना</u>

1. किसी भी सूचना का, जब तक कि वह अध्यक्ष को प्रस्तुत न कर दी जाय और उसके ऊपर कोई निर्णय न हो जाये, तब तक उसका प्रचार-प्रसार नहीं करना चाहिये। 238
2. सभा में मोबाईल फोन नहीं ले जाने और सूचना को प्रचारित/प्रकाशित किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति द्‌वारा नहीं किया जाना । 240

<u>सूचनाओं में सदस्य के नाम का क्रम</u>

1. ध्यानाकर्षण सूचना, स्थगन प्रस्ताव सूचना से पहले प्रस्तुत की गई है ऐसे सदस्यों के नाम पहले क्रम में दिये जायेंगे। 242

<u>श्रद्धांजलि</u>

1. श्रद्धांजलि के अवसर पर आरोप-प्रात्यारोप न लगाकर, केवल दिवंगतों के व्यक्तित्व एवं कृतित्वों का उल्लेख होना चाहिए । 243

<u>सदन की कार्यवाही के दौरान मान. अध्यक्ष/आसंदी द्‌वारा दी गई अन्य व्यवस्थाएं</u> । 244

1. सभा की कार्यवाही के दौरान झंडे/पोस्टर्स का प्रदर्शन संसदीय नियमों एवं परंपराओं के विपरीत है। 244
2. प्रश्न पूछते समय माननीय सदस्य अपना आचरण संयमित रखें। 244
3. आसंदी के प्रति किये गये अशोभनीय आचरण को बार-बार दोहराना आपत्तिजनक है। 244

4.	सदन में प्रदर्शन हेतु परिधान का प्रयोग उचित नहीं।	244
5.	अनेक सूचनाओं का विषय समान होने पर उन्हें एक ही प्रस्ताव में शामिल किया जा सकता है।	245
6.	मंत्रीगण ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब देते समय इस बात को न पढ़े कि यह अग्राह्रय होने योग्य है।	245
7.	अधिकारी दीर्घा के संबंध में सदन में चर्चा नहीं की जाती।	245
8.	राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन, बजट अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। अत: सभी सदस्य, मंत्रीगण उपस्थित रहें।	245-246
9.	प्रश्नकाल के दौरान प्रश्नकर्ता सदस्यों को अनुपस्थित नहीं होना चाहिए।	246
10.	सदन में उपस्थित रहते हुए आसंदी से नाम पुकारे जाने पर अपने सूचना नहीं पढ़ना संसदीय परिपाटी के अनुरूप नहीं है।	246
11.	जिस दिन संकल्प सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत हो, उससे 3 दिन पूर्व संशोधन आना चाहिए।	247
12.	जिस विषय पर पूर्व में प्रश्न/ध्यानाकर्षण/ अन्य माध्यमों से चर्चा हो चुकी है, उसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव ग्राह्रय नहीं किया जा सकता।	247-248
13.	सभा में प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट आने चाहिए।	248
14.	प्रश्न का उत्तर विरोधाभासी होने पर आसंदी जांच हेतु समिति को संदर्भित कर सकती है।	249
15.	कोई सदस्य अन्य सदस्यों को किसी सदस्य पर आरोप लगाने के पूर्व उसकी लिखित सूचना देनी चाहिए।	249
16.	स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्रयता हेतु आवश्यक है कि वे ग्राह्रयता की शर्तों को पूर्ण करते हों।	250
17.	वित्तमंत्री की अनुपस्थिति में संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत संसदीय कार्यमंत्री अनुपूरक अनुदान मांग प्रस्तुत कर सकते हैं।	250-251
18.	अध्यक्षीय व्यवस्था के पश्चात सदस्य द्वारा पुन: उन्हीं शब्दों को दोहराना नितांत अनुचित है।	251
19.	आसंदी द्वारा विलोपित किये गये अंशों/वाक्यांशों को प्रकाशित करना निषिद्ध है।	251-252
20.	सदन में लिखित भाषण की अनुमति नहीं है। सामान्यत: माननीय सदस्य, मंत्री तैयारी करके आयें और पाइण्ट देखकर भाषण कर सकते हैं।	252

अविश्वास प्रस्ताव

1. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पर अविश्वास संबंधी संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जायेगा, जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो।

प्रश्नकाल समाप्ति के पश्चात् श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने प्रतिपक्ष के द्वारा दी गई नियम 145(1) (अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए संकल्प की सूचना) के तहत सूचना पर व्यवस्था दिये जाने की मांग की ।

व्यवस्था

दिनांक 21 जुलाई, 2014 को मेरे सचिवालय में छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 145 (1) के तहत अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा का पद से हटाने के संबंध में माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री टी.एस.सिंहदेव एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निम्नांकित संकल्प प्राप्त हुआ है :-

"यह सदन छत्तीसगढ़ विधान सभा के अध्यक्ष के प्रति अविश्वास व्यक्त करता है।"

पश्चात् दिनांक 21 जुलाई, 2014 को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने प्रश्नकाल के पश्चात् संकल्प दिये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया था और मैंने यह व्यवस्था दी थी संकल्प संवैधानिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षणाधीन है।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाये जाने के संबंध में संविधान के अनुच्छेद-179 के खंड (ग) में यह प्रावधानित है कि-

विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष के पद धारित सदस्य को अपने पद से हटाया जा सकेगा ।

इसके साथ ही इसके परंतुक में यह प्रावधानित किया गया है कि-

खंड(ग) के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जायेगा, जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो।

विधानसभा का वर्तमान सत्र दिनांक 21 जुलाई से 25 जुलाई, 2014 तक की अवधि के लिए आहूत किया गया है। अध्यक्ष को पद से हटाये जाने के संबंध में संकल्प संविधान के अनुच्छेद-179 के खंड (ग) की पूर्ति नहीं करता, अत: छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 145 (2) के अंतर्गत, प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए वर्तमान सत्र में कार्य सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता।

अत: संविधान के प्रावधानों एवं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम के परिप्रेक्ष्य में माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल एवं अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संकल्प सत्र हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 25 जुलाई, 2014 को स्वमेव ही व्यपगत होने योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत संकल्प विचार के योग्य नहीं।

(दिनांक 22 जुलाई, 2014)

2. अविश्वास प्रस्ताव संबंधी पूर्व में दिया गया आरोप पत्र, चर्चा प्रारंभ होने के पूर्व पटल पर रखा जा सकता है.

(अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के पूर्व माननीय नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) द्वारा आरोप पत्र की प्रति सदन के पटल पर रखने पर)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि आरोप पत्र की प्रति बंट जाये उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ हो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने उल्लेख किया कि परंपरा है कि जो आरोप लगाये जाते हैं उसकी सूचना एक दिन पूर्व संबंधित सदस्यों को दी जानी चाहिए। आरोप पत्र अभी पटल पर रख रहे हैं तो आरोपों पर बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि पूरा सदन इस बात को जानता है कि ये पटल पर रखने की एक प्रक्रिया है, जो पहले आरोप पत्र प्रस्तुत किया है वही आरोप पत्र है, लेकिन एक प्रक्रिया के अंतर्गत अभी रखा गया है।

(दिनांक 24 जुलाई, 2015)

3. अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद सदन के अन्य कार्य निपटाए जा सकते हैं.

श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पुस्तक के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव के पश्चात किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं हो सकती, परंतु आज की कार्य सूची में समस्त कार्य दर्ज हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री एवं श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने उल्लेख किया कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ हो गई है। अविश्वास प्रस्ताव के पूर्ण होने के बाद ही अन्य कार्य लिये जा सकते हैं।

माननीय सभापति ने उल्लेख किया कि वे इस पर पश्चात व्यवस्था देंगे।

व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान श्री अमित अजीत जोगी ने मेरा ध्यान कौल-शकधर पार्लियामेन्ट्री प्रोसीजर पुस्तक के पृष्ठ 384 के इस अंश की ओर दिलाया था कि जब किसी प्रस्ताव को पास करने के लिये सभा की अनुमति मिल जाती है, तो अविश्वास प्रस्ताव निपटाये जाने तक सभा के समक्ष नीति संबंधी मामलों का कोई मूल प्रस्ताव नहीं लाया जाता। इस आधार पर उन्होंने आज की कार्यसूची में अविश्वास प्रस्ताव के पश्चात के मदों को सम्मिलित करने पर आपत्ति की है।

वस्तुत: उन्होंने जो उदहरण दिया है, वह अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा जारी रहने के दौरान का है, न कि अविश्वास प्रस्ताव के निपटाये जाने के पश्चात्। अत: मैं उनकी आपत्ति को अस्वीकृत करता हूं।

(दिनांक 25 जुलाई, 2015)

4. अविश्वास प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् प्रस्तुत आरोप पत्र अविश्वास प्रस्ताव की सूचना का भाग नहीं होता।

दिनांक 24 जुलाई, 2015 को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ होने के पूर्व जल संसाधन मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) ने आग्रह किया कि चूंकि आरोप पत्र गोपनीय होता है और जब तक विधान सभा में उसका प्रकटीकरण न हो जाए, नेता प्रतिपक्ष ने सदन के पटल पर रखने के पूर्व ही उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दिया । यह सदन की अवमानना है । माननीय अध्यक्ष इस मामले पर स्वयं संज्ञान लेकर विशेषाधिकार भंग के मामले पर पहले चर्चा करवाएं और उसके बाद ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) ने इसका समर्थन किया ।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में विपक्ष द्वारा जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है, वे सब विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत ही है । यदि किसी नियमों का उल्लंघन हुआ हो तो बता दें ।

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने कहा कि विपक्ष ने विधान सभा में जो आरोप पत्र प्रस्तुत किया और जो आरोप पत्र विधान सभा द्वारा सरकार को भेजा गया है, उसमें भी गोपनीय शब्द प्रयुक्त किया गया है। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने इसे प्रेस में रिलीज किया ।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 25 जुलाई, 2015 को निम्नलिखित व्यवस्था दी -

व्यवस्था

सदन को स्मरण होगा कि कल दिनांक 24 जुलाई, 2015 को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ होने के पूर्व माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा, श्री देवजी भाई पटेल एवं श्री अजय चन्द्राकर द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर सदन में माननीय मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने विशेषाधिकार भंग की सूचना पर आंसदी से निर्णय लेने का आग्रह करते हुए यह उल्लेख किया था कि कोई भी ऐसा विषय, जो सदन में चर्चा के लिए लंबित है, उस विषय का प्रेस में पूर्व

प्रकाशन नहीं होना चाहिए और इस प्रकार समाचार पत्रों में छपना, उसको छपवाना, यह विशेषाधिकार भंग की परिधि में आता है।

इस संबंध में पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने तर्क भी रखे थे। माननीय सदस्यों के तर्कों को सुनने के पश्चात मैंने विशेषाधिकार भंग की सूचना पर अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखी थी ।

मैंने माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं, सदन में हुई चर्चा एवं पूर्व दृष्टांतों पर गंभीरता से मनन किया। विशेषाधिकार भंग की सूचना इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री टी.एस.सिंहदेव द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी गई थी, वह सदन के विचाराधीन है और सदन में विचाराधीन रहते हुए संपूर्ण आरोप पत्र छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रेस को सार्वजनिक कर दिया गया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष श्री टी.एस.सिंहदेव व कांग्रेस मीडिया को इस कार्य के लिए जवाबदेह ठहराया है।

सूचना के साथ कम्प्यूटर से निकला एक प्रिंट आऊट संलग्न किया है, जो एक फार्वर्डेड मैसेज है, जिसमें प्रेषित करने वाला 'कांग्रेस मीडिया' नाम मुद्रित है और समय दिनांक 23 जुलाई, 2015 को दोपहर 3.41 अंकित है, इसका विषय 'कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए 121 बिन्दुओं का आरोप पत्र सौंपा', 24 जुलाई को 12 बजे से होगी चर्चा- सीजीपीसीसी प्रेस विज्ञप्ति 23.7.2015 ।

यह संदेश किसे प्रेषित किया गया है, सूचनादाता सदस्यों ने स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया है तथा नियमों के अंतर्गत इसे अभिप्रमाणित भी नहीं किया है।

सूचना में यह स्पष्ट नहीं है कि इलेक्ट्रानिक मीडिया कांग्रेस द्वारा जारी आरोप पत्र के लिये माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री टी.एस.सिंहदेव किस प्रकार से जिम्मेदार हैं, सभा में चर्चा के दौरान भी इस संबंध में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये। अपने कथन के समर्थन में आरोप पत्र के समाचार पत्र में प्रकाशन की पुष्टि के समर्थन में भी किसी प्रकार का कोई दस्तावेज सूचना के साथ संलग्न नहीं किया है और न ही चर्चा के दौरान मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से पूछने के बावजूद माननीय सदस्यों ने आरोप पत्र किस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव का हिस्सा माना जा सकता है? किसी भी सदस्य ने समाधानकारक तर्क प्रस्तुत नहीं किये।

छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 236 (क) में यह उल्लेख है कि किसी सूचना का प्रयोग किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत न कर ली गई हो या सदस्यों में परिचालित न कर दी गई हो। अविश्वास प्रस्ताव दिनांक 22 जुलाई, 2015 को सभा में लिया जाकर सदस्यों में परिचालित कर दिया गया है।

मेरा यह निश्चित मत है और पूर्व की व्यवस्थायें भी हैं कि अविश्वास प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् प्रस्तुत आरोप पत्र अविश्वास प्रस्ताव की सूचना का भाग नहीं होता। आरोप पत्र सदन की चर्चा को सार्थक बनाने के उद्देश्य से इस सचिवालय में शासन को उपलब्ध कराये जाने के लिये प्रस्तुत किया जाता है ताकि मंत्रिमंडल के विरूद्ध लगे आरोपों का जवाब सभा में समुचित रूप से आ जाये।

ऐसे भी पूर्वोदाहरण हैं, जब आरोप पत्र को सभा पटल पर प्रस्तुत ही नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि आरोप पत्र तकनीकी रूप से नियमों के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव की सूचना की परिधि में सम्मिलित नहीं किया जा सकता।

एकाधिक अवसरों पर जब लोक सभा व अन्य विधान सभाओं में यह ठहराया गया है कि सूचनाओं को प्रचारित करना विशेषाधिकार की परिधि में नहीं आता अपितु ऐसे मामले औचित्य के प्रश्न हो सकते हैं।

उपरोक्त विवेचना के तारतम्य में विशेषाधिकार भंग की सूचना नियमानुकूल नहीं होने व तथ्यों की उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया विशेषाधिकार भंग का मामला गठित नहीं होता। मैं सूचना को अग्राहय करता हूं।

(दिनांक 25 जुलाई, 2015)

5. आरोप पत्र में किन विषयों को सम्मिलित करना है, यह विपक्ष का अधिकार है।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार के जिस कार्यकाल का है, अमूमन उसी कार्यावधि पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। आरोप पत्र अविश्वास प्रस्ताव के अंग माने जाते है तो यह चर्चा के योग्य नहीं है, इसमें चर्चा कतई नहीं कराई जानी चाहिए।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने कथन किया कि मान्य परंपरा रही है कि जिन विषयों में चर्चा हो चुकी रहती है, उन विषयों को पुन: नहीं उठाते हैं।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि अविश्वास प्रस्ताव पर आरोप पत्र सचिवालय में प्रस्तुत किया गया है, वह शासन को परिवहित किया गया है। अभी अविश्वास प्रस्ताव पर प्रस्तुत आरोप पत्र सदन के पटल पर नहीं रखा गया है। आरोप पत्र में जो भी तथ्य हैं, उनके संबंध में आप अपने भाषण में व्यक्त कर सकते हैं।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने पुन: व्यवस्था देने का आग्रह किया। माननीय अध्यक्ष ने निम्न लिखित व्यवस्था दी -

व्यवस्था

आरोप पत्र में किन विषयों को सम्मिलित करना है, यह विपक्ष का अधिकार है। इसलिये मैं चर्चा प्रारंभ करता हूं।

(दिनांक 22 दिसम्बर, 2018)

असंसदीय

1. जो हिन्दी में असंसदीय है, वह छत्तीसगढ़ी में संसदीय नहीं हो सकता।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने श्री इंदर चोपड़ा, सदस्य के छत्तीसगढ़ी में दिए भाषण में प्रयुक्त कुछ शब्दों पर आपत्ति की कि उन शब्दों का हिन्दी रूपान्तरण भी असंसदीय होगा, अत: माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यों को असंसदीय शब्द प्रयोग करने की अनुमति न दें । इस पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

जहां तक अभी छत्तीसगढ़ी के विलोपन योग्य शब्दों का सवाल है वह शब्दकोष तो है नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ी और हिन्दी में जो भी अपमानजनक बातें हैं, जो हिन्दी में असंसदीय है, वह छत्तीसगढ़ी में संसदीय नहीं हो सकता। मैं ऐसा मानता हूं कि वह किसी भी भाषा में संसदीय नहीं हो सकता, चूंकि छत्तीसगढ़ी में अभी प्रतिवेदन कार्य तत्काल शार्टहैण्ड में तो उतना नहीं हो रहा है, लेकिन रिकॉर्ड हो कर जब उसका प्रिंटआउट होगा, जो भी ऐसी असंसदीय चीजें होंगी, वह स्वमेव निकाल दी जायेंगी और कभी-कभी हँसी मजाक तो सदन का एक रूटिन है, लेकिन हँसी मजाक इतना भी न हो कि वह बाद में सीमा तोड़ जाए और मैं ऐसा समझता हूं कि सारे सदस्य उस भाव से बोल रहे हैं ।

(दिनांक 27 नवम्बर, 2007)

अनुपस्थिति

1. नक्सली वारदात स्थल पर जाने की वजह से प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा अनुदान मांगों की चर्चा में भाग न ले सकने के कारण बैठक का स्थगन।

जिला दंतेवाड़ा में नक्सलियों द्वारा लैंडमाइन्स ब्लास्ट से सलवा जुडूम में भाग लेने वाले आदिवासियों की मौत होने के बाद, प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा घटनास्थल के दौरे पर जाने के कारण, दिनांक 2 मार्च, 2006 को सदन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की मांगों पर चर्चा के समय प्रतिपक्ष के सदस्य सदन में अनुपस्थित थे। जिस पर मान. अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

आज की दैनिक कार्यसूची के पदक्रम 6 से वित्तीय कार्यों के अंतर्गत अनुदान मांगों पर चर्चा मांग संख्यावार आरंभ किया जाना सम्मिलित है। तदनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की मांगों पर चर्चा होनी है। वित्तीय कार्य सभा का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है । यह सभा, कार्यपालिका को वर्ष के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं गतिविधियों को संचालित करने के लिए समीक्षा एवं समालोचना करते हुए धनराशि उपलब्ध कराती है। मांगों पर चर्चा के दौरान सभा व्यय की विवेचना भी करती है और सदस्य अपने विचारों से कार्यपालिका को योजनाओं के क्रियान्वयन एवं नई योजनाओं के संबंध में मार्गदर्शन देते हैं और यह सभा कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण सुनिश्चित करती है ।

आज सभा में प्रतिपक्ष के सदस्य उपस्थित नहीं हैं । उन्होंने मुझे सूचना दी है कि वे नक्सली वारदात में सलवा जुडूम में सम्मिलित आदिवासियों की हत्या के घटना स्थल पर जा रहे हैं । मेरे मत में ऐसी स्थिति में यदि हम अनुदान मांगों पर चर्चा आरंभ करते हैं तो यह सभा प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के विचारों और सुझावों से वंचित रह जाएगी । संसदीय प्रजातंत्र में, मैं यह स्थिति उचित नहीं समझता, अत: मेरे मत से ज्यादा उचित यह होगा कि आज अनुदान मांगों पर चर्चा आरंभ न करते हुए सभा की बैठक स्थगित की जाए । परन्तु यह घटना के परिप्रेक्ष्य में विचार करने के उपरांत मेरा मत है । ऐसी न तो पूर्व परम्परा है और न ही यह परम्परा होगी ।

(दिनांक 02 मार्च, 2006)

2. मंत्रियों को अत्यावश्यक होने पर ही सदन से अनुपस्थिति की अनुमति लेनी चाहिए ।

माननीय मंत्रियों द्वारा सदन से अनुपस्थित रहने की सूचना देने तथा अनुपस्थिति की सूचना देने के पश्चात् भी सदन में उपस्थिति पर मान. अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

आज सदन में, वे मंत्री भी विराजमान हैं जिन्होंने पूर्व में आज के लिए अनुपस्थिति की सूचना दी है। जब कोई मंत्री अनुपस्थिति की सूचना देकर और अनुमति लेकर जाते हैं तो प्रयास यह रहता है कि सदन में माननीय सदस्यों की उन मंत्रियों से संबंधित सूचनाएं नहीं ली जाएं ।

माननीय मंत्रियों से अनुरोध है कि वे भविष्य में अत्यावश्यक होने पर ही सदन से अनुपस्थिति की अनुमति लें ।

(दिनांक, 09 मार्च, 2007)

आरोप

1. जाति सूचक शब्द या किसी रिश्तेदार का नाम बोलने से पहले प्रमाण पेश कर नियमानुसार उसकी अनुमति ली जानी चाहिए।

प्रश्न संख्या 11 (क्रमांक 131) जांजगीर-चांपा नगरपालिका परिषद् में अनियमितताओं संबंधी प्रश्न पर चर्चा के दौरान श्री बनवारी लाल अग्रवाल, सदस्य द्वारा लोक निर्माण मंत्री श्री रविन्द्र चौबे के लिए प्रयुक्त जाति सूचक शब्दों को अध्यक्ष महोदय द्वारा विलोपित किये जाने के पश्चात् श्री रविन्द्र चौबे, लोक निर्माण मंत्री ने आसंदी से अनुरोध किया कि श्री बनवारी लाल अग्रवाल सदस्य को इन शब्दों के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए । सदन में इस तरह की भाषा का उपयोग उचित नहीं है । इस पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

सदन की एक संसदीय भाषा है । इस नये प्रदेश के दो करोड़ लोग सदन की कार्यवाही को ध्यान से देखते हैं । वे देखते हैं कि उनके जनप्रतिनिधि सदन में कैसा तथा किस प्रकार का व्यवहार करते हैं । पहले भी कहा गया है कि सदन में किसी प्रकार के जाति सूचक शब्द का कहना, किसी रिश्तेदार का नाम बोलना गलत है इसलिए उन शब्दों को विलोपित कर दिया गया है । भविष्य में इस तरह की बात करने के पहले प्रमाण पेश कर नियमानुसार उसकी अनुमति ली जाए अन्यथा इस प्रकार की बात सदन में नहीं की जानी चाहिए ।

(दिनांक 9 मार्च, 2001)

2. सदन में किसी भी व्यक्ति को अपमानित करना, लांछित करना नियमों के अंतर्गत नहीं आता।

छत्तीसगढ़ में धान की अपार फसल होने के बावजूद शासन द्वारा धान खरीदी पर अचानक रोक लगाये जाने संबंधी ग्राह्य स्थगन प्रस्ताव पर जैसे ही डॉ.हरिदास भारद्वाज ने चर्चा प्रारंभ की, कई सदस्य एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने लगे तथा व्यवधान होने से कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित हुई। कार्यवाही पुन: प्रारंभ होते ही माननीय अध्यक्ष द्वारा डॉ.हरिदास भारद्वाज का नाम पुकारे जाने के बाद से लेकर उनकी व्यवस्था देने के पहले तक की सम्पूर्ण चर्चा कार्यवाही से विलोपित करते हुए निम्नलिखित व्यवस्था दी गई :-

व्यवस्था

सदन में किसी भी सदस्य को, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, बोलने के समय या किसी और रूप में अपमानित करना, लांछित करना नियमों के अंतर्गत नहीं आता, साथ ही उसमें अपनी भावनाओं को जोड़कर उसको किसी और वर्ग के साथ जोड़ना बिल्कुल भी उचित नहीं है । यह उनका निर्णय और व्यवस्था है कि जहां से डॉ.हरिदास भारद्वाज का नाम पुकारा गया है, उसके बाद से लेकर अभी व्यवस्था देने के पहले तक की सम्पूर्ण कार्यवाही को, जो कि बहुत शोभनीय कार्यवाही नहीं है, विलोपित किया जाता है ।

(दिनांक, 19 फरवरी, 2002)

3. सदन में किसी व्यक्ति का नाम आना आपत्तिजनक नहीं है, किंतु ऐसी बात कही जाए जिसका प्रतिवाद करने के लिये वह उपस्थित न हो, वह आपत्तिजनक है।

वर्ष 2003-2004 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर चर्चा के दौरान श्री परेश बागबाहरा, सदस्य द्वारा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की रायपुर में आयोजित बैठक

के समय शहर में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी के होर्डिंग्स लगाये जाने का उल्लेख करने पर श्री रामविचार नेताम, सदस्य द्वारा यह कहकर आपत्ति प्रकट की गई कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, उसके बारे में सदन में चर्चा नहीं की जानी चाहिए । इस पर निम्नलिखित व्यवस्था दी गई :-

व्यवस्था

सदन में किसी व्यक्ति का नाम आना आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के संबंध में कोई बात कही गई हो, जिसका प्रतिवाद करने के लिए वह उपस्थित नहीं है और उसके कथन को सदन में उद्धृत किया गया हो या उसे लेकर विवाद किया जा रहा हो तो वह आपत्तिजनक है इसलिए अगर सदन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो लगी है, श्रीमती इंदिरा गांधी की फोटो लगी है या श्री अटलबिहारी की फोटो लगी है तो यह आपत्तिजनक है।

(दिनांक 30 जुलाई, 2003)

4. जो व्यक्ति इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनके नामों का आरोपात्मक रूप से उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए.

नक्सली हमले में सी.आर.पी.एफ. के 25 जवानों के शहीद होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य द्वारा आरोपात्मक कथन किये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि जब स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य चले गये हैं तो स्थगन पर चर्चा किस बात की ?

व्यवस्था

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि- मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया आरोपात्मक कथन नहीं करें और जो व्यक्ति इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके नामों का आरोपात्मक रूप से उल्लेख नहीं करें।

मेरा प्रतिपक्ष के सदस्यों से अनुरोध है कि कार्यवाही में हिस्सा लें और मेरी अनुमति से ही सभा में बोलें।

(दिनांक 28 अप्रैल, 2017)

आश्वासन

1. सदन में दिए गए आश्वासन का क्रियान्वयन तत्परता से होना चाहिए।

प्रश्न क्रमांक 12 पर चर्चा के दौरान श्री देवलाल दुग्गा, सदस्य ने व्यवस्था चाही कि माननीय वन मंत्री जी द्वारा विधान सभा में दिनांक 30.11.2004 को ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा के दौरान आश्वासन दिया गया था कि वन मण्डलाधिकारी को हटाकर जांच की जाएगी, किन्तु फिर भी कार्यवाही लंबित है। मान. वन मंत्री ने इस पर आसंदी का ध्यान आकर्षित करते हुए, की गई घोषणा में संशोधन की अनुमति चाही । इस पर मान. अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

मैं तमाम माननीय मंत्रियों से इस बात की अपेक्षा करता हूं कि वे माननीय सदस्यों के प्रश्नों में जो सदन में उत्तर/आश्वासन दें, उसका क्रियान्वयन भी उसी तत्परता के साथ होना चाहिए ।

(दिनांक 02 दिसम्बर, 2004)

2. सरकार को, की गई घोषणाओं को निश्चित समयावधि में पूरा करने का प्रयास करना चाहिए.

नेता प्रतिपक्ष (श्री महेन्द्र कर्मा) ने औचित्य का प्रश्न उठाते हुए अनुरोध किया कि दिनांक 15.03.2005 को सदन में जिला रायपुर के ग्राम मोवा में स्थित सहकारी समिति द्वारा बिना अनुमति के हजारों टन धान खरीदी संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा के दौरान खाद्य मंत्री ने आश्वस्त किया था कि 22.03.2005 तक सम्पूर्ण जानकारी पटल पर रख दी जाएगी, लेकिन उन्हें उक्ताशय की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, अत: सरकार तत्काल जानकारी दे ।

मान.अध्यक्ष ने सूचित किया कि मान0 मंत्री जी की ओर से समय वृद्धि का अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है, जो विचाराधीन है ।

डॉ.रामचन्द्र सिंहदेव, सर्वश्री धर्मजीत सिंह, नंदकुमार पटेल, चन्द्रभान बारमते, भूपेश बघेल सदस्य ने भी जानकारी तत्काल दिए जाने पर बल दिया।

मान.अध्यक्ष ने व्यवस्था दी-अगर सरकार के द्‌वारा सदन में कोई घोषणा निश्चित समयावधि के संबंध में की जाती है तो उसको पूरा करने का प्रयास भी करना चाहिए । चूंकि मंत्री जी का अनुरोध पत्र आया है और वह मेरे विचारण में है इसलिए इस पर मैं अपराहन में व्यवस्था दूंगा ।

मुख्यमंत्री (डॉ0 रमन सिंह) ने आग्रह किया कि-धान खरीदी में यदि भ्रष्टाचार में कोई आरोपी होगा तो उसे नहीं बख्शा जाएगा तथा जानकारी प्रस्तुत करने में आसंदी के निर्देश का पालन किया जाएगा तथा पिछले चार वर्षों में हुई धान खरीदी पर श्वेत पत्र जारी करने का उल्लेख किया ।

(अपराहन लगभग 3.45 बजे मान. अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी)

व्यवस्था

सदन को स्मरण होगा आज सभा में प्रश्नकाल के पश्चात् माननीय नेता प्रतिपक्ष ने माननीय खाद्‌य मंत्री एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्‌वारा दिनांक 15 मार्च, 2005 को सदन में राजधानी रायपुर, ग्राम मोवा में तथाकथित सहकारी समिति द्‌वारा बिना अनुमति के 3933 मैट्रिक टन धान खरीदी संबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ध्यानाकर्षण की सूचना के संबंध में समस्त जानकारी एक सप्ताह की अवधि में सभा पटल पर रखने के कथन की ओर ध्यानाकर्षित किया था । उन्होंने इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया कि संसदीय कार्य मंत्री श्री अजय चन्द्राकर ने भी एक सप्ताह के अंदर जानकारी सभा पटल पर रखने का कथन कहा था । मैंने तत्समय सदन का ध्यान प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 263 (ख) के परन्तुक की ओर आकर्षित किया था परंतु मंत्री द्‌वारा सदन के पटल पर रखे जाने वाला दस्तावेज यदि निर्धारित अवधि के पश्चात प्रस्तुत किया है तो मंत्री ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने के साथ ही विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी प्रस्तुत करेगा ।

मैंने सभा को यह भी जानकारी दी थी कि मुझे माननीय खाद्‌य मंत्री जी की ओर से एक अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है, जो मेरे विचाराधीन है और मुझे उस पर अभी निर्णय

लेना है । चर्चा के दौरान माननीय नेता प्रतिपक्ष ने मुझसे यह अनुरोध किया था कि आसंदी मंत्री जी को निर्देशित करे कि आज शाम तक इसकी जानकारी दे दें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी चर्चा में अपने विचार व्यक्त करते हुए सदन को यह आश्वासन दिया कि मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी इस सदन में कह रहा हूं कि धान खरीदी छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है । यदि इसमें कहीं पर भी कोई व्यक्ति लिप्त है, कोई सोसायटी लिप्त है तो उस पर कोताही बरतने का कोई प्रश्न नहीं उठता। मैं सदन को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आप जो निर्देश जारी करेंगे, सरकार उसका पालन करेगी । मान.मुख्यमंत्री जी ने मान.नेता प्रतिपक्ष के श्वेत पत्र के अनुरोध को भी सभा में स्वीकार किया।

माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात मैंने यह व्यवस्था दी थी कि मैं अपराहन में इस विषय पर अपनी व्यवस्था दूंगा । मैंने दिनांक 15 मार्च, 2005 को ध्यानाकर्षण पर हुई चर्चा, माननीय मंत्री से प्राप्त अनुरोध पत्र एवं आज दिनांक 23 मार्च, 2005 को सदन में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया ।

मैंने आज सदन में पूर्वाहन में भी अपना यह मत व्यक्त किया था कि अगर सरकार के द्वारा सदन में घोषणा किसी निश्चित समयावधि के लिए की जाती है तो सरकार को उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।

दिनांक 15 मार्च, 2005 को सभा में चर्चा के दौरान प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण सूचना में उल्लेखित सोसायटी द्वारा धान खरीदी में सदन की जांच समिति बनाने का अनुरोध किया था इस पर माननीय मंत्री जी ने यह कथन किया था कि मैं उसकी पूरी जानकारी एक सप्ताह के भीतर रख दूंगा, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है । माननीय मंत्री जी से मुझे आज जो पत्र प्राप्त हुआ है, उसमें उन्होंने यह प्रकट किया है कि - उपरोक्त समिति द्वारा खरीदी गई धान की कृषकवार जानकारी, जो कलेक्टर के द्वारा उन्हें प्राप्त हुई है, वह पूर्ण एवं स्पष्ट नहीं है और आश्वासन के अनुरूप भी नहीं है तथा कृषकवार परीक्षण करने एवं तद्उपरांत संकलित जानकारी प्रस्तुत करने में एक माह का समय लग सकता है, अत: एक माह की अतिरिक्त समयावधि प्रदान करने का कष्ट करें।

आज सभा में पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के इस सबसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचारों में भी यह व्यक्त किया कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की कोताही या भ्रष्टाचार को प्रश्रय नहीं दिया जाएगा । प्रदेश की जनता

का भी इस सदन पर विश्वास अक्षुण्ण है और यही कारण है कि सदस्यों ने सदन की समिति से जांच कराने का अनुरोध किया था।

पूर्व पैरा में उल्लेखित तथ्यों एवं सभा में दिनांक 15 मार्च, 2005 को माननीय खाद्य मंत्री जी द्वारा यह कथन कि पूरी जानकारी एक सप्ताह के भीतर रख दूंगा, इसलिए सदन की जांच समिति की आवश्यकता नहीं है, जिसकी कि वे पूर्ति नहीं कर सके, के आधार पर, मैं, छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विकास एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, प्रगति नगर, मोवा, के द्वारा धान खरीदी के प्रकरण की जांच 3 सदस्यीय सदन की जांच समिति से कराने की घोषणा करता हूं । समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा मैं सदन के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष से चर्चा कर पश्चात्, घोषित करूंगा।

(दिनांक 23 मार्च 2005)

अशासकीय संकल्प

1. अशासकीय संकल्प ग्राह्य किया गया है तो इस पर चर्चा की जा सकती है।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा प्रदेश की राजधानी रायपुर से बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर तक रेल लाईन का विस्तार कर रेल सेवा परिचालित किए जाने संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किए जाने पर, श्री अजय चन्द्राकर संसदीय कार्यमंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि राज्य का विषय नहीं होने और किसी विषय पर एक बार सदन में चर्चा हो चुकी हो उस पर दोबारा चर्चा नहीं हो सकती है । श्री शिवरतन शर्मा ने भी तर्क दिया कि प्रकरण न्यायालय में होने के कारण संकल्प पर चर्चा नहीं हो सकती।

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि अशासकीय संकल्प ग्राह्य किया गया है तो इस पर चर्चा की जा सकती है।

व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अशासकीय संकल्प की ग्राह्यता पर पाईंट ऑफ आर्डर के माध्यम से व्यवस्था चाही है, लेकिन किसी नियम को संदर्भित नहीं किया है। मैं उनकी आपत्ति अस्वीकार करता हूं। जहां तक न्यायाधीन होने संबंधी माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा जी की आपत्ति है, पूर्व में भी यह विषय सदन में चर्चा हेतु आ चुका है, अत: अब ये आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

(दिनांक 18 मार्च, 2016)

आसंदी

1. विनियोग विधेयक 5.00 बजे के बाद पारित होने में कोई दिक्कत नहीं है एवं अध्यक्ष/आसंदी को नियमों को शिथिल करने का अधिकार है।

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2002 पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने आपत्ति की कि विधेयक पर पांच बजे के पूर्व चर्चा समाप्त होनी आवश्यक है इसलिए इसे अगले दिन लिया जाए। इस पर आसंदी ने सदन को सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति में सदन का समय सायं 6.30 बजे तक निर्धारित किया गया है इसलिए विनियोग विधेयक पांच बजे के बाद पारित किया जा सकता है ।

इस पर श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि अतिरिक्त समय में विनियोग विधेयक को पारित नहीं किया जा सकता और न ही विनियोग विधेयक को 5.00 बजे के बाद पारित करने के लिए नियम शिथिल करने का प्रावधान है । तदुपरांत आसंदी ने सदन से नियम 158 को शिथिल किये जाने की अनुमति प्राप्त की । इस पर पुन: माननीय सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल ने आपत्ति की कि विनियोग विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयक के लिए इस प्रकार से नियमों को शिथिल करना उचित नहीं है । इस पर मान.अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

कार्य मंत्रणा समिति की अनुशंसा पर सदन ने यदि सभा के आरंभ होने का समय 10.30 बजे के स्थान पर 12.00 बजे या 2.30 बजे निर्धारित किया है तो विनियोग विधेयक पर 5.00 बजे वाला सिद्धान्त स्वमेव शिथिल हो जाता है तथा अध्यक्ष/आसंदी को नियम शिथिल करने का अधिकार है, उसके आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती। माननीय उपाध्यक्ष द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर सदन ने अपना अभिमत दे दिया है और नियम शिथिल करने की अनुमति दी है और अब उस प्रस्ताव को न मानना सदन की अवमानना होगी ।

(दिनांक 21 मार्च, 2002)

2. अध्यक्ष सदन की ओर से सारी कार्यवाहियां कर सकता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने औचित्य का प्रश्न उठाया कि आज की कार्यसूची में अनुपूरक मांगों पर मतदान, विनियोग विधेयक तथा आय-व्ययक 2001-2002 का उपस्थापन ये तीनों कार्य रखे गये हैं, जो उचित नहीं है क्योंकि अनुपूरक अनुमान और विनियोग विधेयक पारित होने के बाद जब तक राज्यपाल महोदय से अनुमोदित नहीं हो जाते हैं, तब तक सदन में आय-व्ययक प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए । यदि राज्यपाल महोदय ने उसके खर्च की अनुमति नहीं दी और उसका उल्लेख आय-व्ययक में होगा तो आगे जाकर पूरी कार्यवाही की वैधानिकता को चैलेंज किया जा सकता है । इस पर संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि मध्यप्रदेश विधान सभा में भी ऐसे कई अवसर आये थे, जब एक ही दिन में इस प्रकार से वित्तीय कार्य निपटाये गये थे । इस पर निम्नलिखित व्यवस्था दी गई :-

व्यवस्था

सदन के सामने अभी जो विषय है, वह सर्वथा नियमान्तर्गत एवं नियमानुकूल है। अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किया जा चुका है, उस पर चर्चा होगी एवं विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही अगले वर्ष का आय-व्ययक आएगा। आय-व्ययक के बारे में काल्पनिक शंकाएं की गई हैं । सदन सर्वोपरि है, सदन कार्य नियम को निर्धारित भी करता है और शिथिल भी कर सकता है । अध्यक्ष सदन की ओर से भी सारी कार्यवाही कर सकता है और कोई ऐसी बात नहीं है कि उसी दिन बजट पर राज्यपाल महोदय के दस्तखत होते हैं, वह सारी कार्यवाही बाद में होती रहती है ।

(दिनांक 22 मार्च, 2003)

3. सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकार कुछ निर्बन्धों के अंतर्गत प्राप्त है ।

श्री इंदर चोपड़ा, सदस्य द्वारा आसंदी को संदर्भित करते हुए कथन किया गया, जिसे कार्यवाही से विलोपित किया गया, इस पर मान.अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

यह मान्य प्रक्रिया है कि सदन में आसंदी को संदर्भित करते हुए किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए । सदन में माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकार कुछ निर्बन्धों के अंतर्गत प्राप्त है, जिसका पालन करने की अपेक्षा सदस्यों की जाती है ।

(दिनांक 23 मार्च, 2006)

4. पीठासीन अधिकारी (आसंदी) निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होता है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदस्य, श्री नोवेल कुमार वर्मा ने आसंदी से अनुरोध किया कि पीठासीन अधिकारी एवं सदस्य के रूप में आपकी भूमिका भिन्न-भिन्न है । इस पर मान.सभापति महोदय ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं जब नीचे बैठकर कोई बात कहूं और इस आसंदी में, तो दोनों में बहुत अंतर होगा क्योंकि प्रजातंत्र के इस सर्वोच्च मंदिर की यह सर्वोच्च आसंदी है और इस पर मैं नहीं, मेरी जगह पर जो कोई भी बैठेगा, वह इस आसंदी के प्रति उत्तरदायी होता है और उसी के हिसाब से वह अपनी बात कहेगा। अगर आप मुझसे यह अपेक्षा करें कि मैं जो बात वहां बैठ करके कहता हूं, वही बात मैं इस आसंदी से कहूंगा तो वह इस आसंदी का अपमान होगा । इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपको जो

भी कहना है आप स्वतंत्र होकर कहिए, लेकिन आप कृपा करके किसी के ऊपर बिना प्रमाण आक्षेप वगैरह न लगाएं ।

(दिनांक 26 फरवरी, 2007)

5. आसंदी का कार्य प्राप्त सूचनाओं पर चर्चा कराना है।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा दुर्ग जिले में धान खरीदी में हुई गड़बड़ी के संबंध में जांच समिति गठित करने हेतु आसंदी से अनुरोध किया गया । इस पर मान.अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी:-

व्यवस्था

आसंदी कोई भी जांच की घोषणा नहीं करती । आसंदी प्राप्त सूचनाओं पर यहां चर्चा कराती है, उस चर्चा के पश्चात् जो विषय सामने आता है, उस पर जरूर अपना कोई निर्णय सुनाती है । सिवाय आधे घण्टे की चर्चा के अभी आसंदी के सामने कोई विषय चर्चा के लिए नहीं है और उसको हमने स्वीकार किया है । वह चर्चा किसी भी दिन समयानुसार ले ली जाएगी । आसंदी का जो कार्य है, वह केवल इतना ही है।

(दिनांक 16 जुलाई, 2007)

6. अतिथियों की उपस्थिति का उल्लेख आसंदी से ही होना चाहिए।

श्री देवलाल दुग्गा (संसदीय सचिव) द्वारा अध्यक्षीय दीर्घा में कांकेर लोक सभा क्षेत्र के सांसद की उपस्थिति का उल्लेख किया गया । जिस पर श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि माननीय सदस्य इस प्रकार से उल्लेख कर रहे हैं इसके पहले श्री अघन सिंह जी ने उल्लेख किया था । परम्परा यह रही है कि अध्यक्षीय दीर्घा में जब भी कोई हमारे मेहमान आये, जनप्रतिनिधि आये, आसंदी से ही इसका उल्लेख होता है । इस मान्य परम्परा का पालन नहीं हो पा रहा है । आसंदी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस प्रकार से सदस्यों के द्वारा बार-बार उल्लेख न होकर इसे आसंदी से किया जाना चाहिए । इस पर निम्नलिखित व्यवस्था दी गई :-

व्यवस्था

अतिथियों की उपस्थिति का उल्लेख आसंदी से ही होना चाहिए । कृपया, सभी माननीय सदस्य इसका ध्यान रखें ।

(दिनांक 18 मार्च, 2008)

7. आसंदी से आदेशात्मक भाषा में बात करना उचित नहीं ।

नागरिक आपूर्ति निगम (नान) घोटाले के संबंध में दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर, श्री भूपेश बघेल, सदस्य एवं अन्य सदस्यों द्वारा आदेशात्मक लहजे में, आसंदी से चर्चा कराए जाने की मांग करने पर, माननीय अध्यक्ष ने निम्न लिखित व्यवस्था दी -

व्यवस्था

सदन किसी व्यक्ति के निर्देश पर नहीं चलता। सदन नियम-प्रक्रियाओं के अनुसार चलता है। आप और मैं क्या चाहते हैं, इसके आधार पर सदन को चलाने का दायित्व मुझ पर नहीं है। सदन चलाने या नहीं चलाने का दायित्व आप दोनों पक्षों का है, मेरा काम संचालन करने का है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप मुझे आदेशित करें कि आप ये

कराइए। आसंदी को आदेश की भाषा में यदि बात न रखें तो ज्यादा उचित होगा। प्रश्नकाल आपके लिये है, प्रबोधन कार्यक्रम में भी इस बात पर चर्चा हुई थी कि प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस मामले में आपको लगता है कि किसी प्रकार की चर्चा करनी है तो आप उसकी सूचना दे दीजिए उसके आधार पर चर्चा करा लेंगे। प्रश्नकाल के पश्चात आप चर्चा कर लीजिए।

(दिनांक 21 जुलाई, 2015)

8. प्रश्नों/सूचनाओं/प्रस्तावों की ग्राह्यता/अग्राह्यता के संबंध में आसंदी पर आक्षेपात्मक टिप्पणी उचित नहीं है.

प्रश्नकाल की समाप्ति के पश्चात् श्री मोहन मरकाम, सदस्य ने खड़े होकर निंदा प्रस्ताव पढ़ना प्रारंभ किया । जिस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि मैंने निंदा प्रस्ताव अग्राह्य कर दिया है, इसके संबंध में आप मेरे कक्ष में आकर चर्चा कर लें ।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने कहा कि विधान सभा में हम प्रश्न लगाते हैं, सदन के दो दिन पहले हमें जानकारी मिलती है कि आपका प्रश्न अग्राह्य कर दिया गया है । आजकल कोई संशोधन देते हैं, तो पता चलता है कि अग्राह्य कर दिया गया है । मतलब यह है कि यहां कोई ठीक नहीं चल रहा है । एकतरफा चल रहा है, तो चलने दीजिए, कोई बात नहीं ।

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने इस पर आपत्ति करते हुए इसे आसंदी पर आरोप निरूपित किया ।

व्यवस्था

आज सदन में प्रश्नकाल के पश्चात् माननीय सदस्य श्री मोहन मरकाम द्वारा, उनके द्वारा दिए गए एक निंदा प्रस्ताव की ओर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने निंदा प्रस्ताव का वाचन आरंभ किया, जिस पर आसंदी द्वारा यह सूचित किया गया कि निंदा प्रस्ताव को कक्ष में अग्राह्य कर दिया है और यदि वे चाहे तो आकर मुझसे चर्चा कर लें ।

इस कार्यवाही के पश्चात् माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने आरोपात्मक शब्दों में अपना कथन निम्नानुसार किया :-

"'विधान सभा में हम लोग प्रश्न लगाते हैं, सदन के दो दिन पहले हमें जानकारी मिलती है कि आपका प्रश्न अग्राह्य कर दिया गया है । आजकल कोई संशोधन देते हैं, तो वो पता चलता है अग्राह्य कर दिया गया है । मतलब यह है कि यहां कोई ठीक नही चल रहा है । एकतरफा ही चल रहा है, तो चलने दीजिए, कोई बात नहीं।"

पश्चात् माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा ने आसंदी पर आरोप लगाने की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया ।

माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने पुन: आक्षेपजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि-

"यदि इसी प्रकार चलता रहा अध्यक्ष महोदय, तो चलाइए, हम बहिष्कार करते हैं। (माननीय सदस्य द्वारा अपने आसन से हटकर सदन के बाहर जाते हुए) यदि इसी प्रकार से रवैया रहा तो हम सदन में भाग नहीं ले सकते । चलाते रहिए, सदन ।"

भोजन अवकाश के पश्चात् माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने भी माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल द्वारा की गई आसंदी पर आक्षेपजनक टिप्पणी की ओर आसंदी का ध्यान आकृष्ट किया, तब मैंने सदन को यह सूचित किया कि मैं कार्यवाही देखकर यथोचित निर्णय लूंगा ।

यह सदन पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का है । इसकी कार्यवाही के संचालन का दायित्व आसंदी पर है । मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2011 को प्रश्न की अग्राहयता पर प्रश्न चिह्न लगाते हुए आरोपात्मक शब्दावली का प्रयोग किया गया था, तब आसंदी द्वारा विस्तार से दी गई व्यवस्था के कुछ अंशों को ही यहां उद्धृत करना चाहूंगा -

"मैं यह भी चाहूंगा कि भविष्य में इस प्रकार नियमों के अंतर्गत अग्राह्य किये गये प्रश्नों, विभिन्न सूचनाओं के संबंध में सदन में उल्लेख नहीं किया जाए और आसंदी द्वारा दिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में सदस्यगण अपना आचरण संयमित और शालीन रखें ।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि प्रश्नों की ग्राह्यता के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और उनके निर्णय के विरूद्ध अपील नहीं होती और अध्यक्ष का निर्णय मंत्रिगण और सदस्यों के ऊपर समान रूप से बंधनकारी होता है ।"

मैं उक्त पूर्व में दी गई व्यवस्था एवं आज सदन में हुई कार्यवाही के संदर्भ में समस्त माननीय सदस्यों, विशेषकर इस सदन के वरिष्ठ सदस्य माननीय श्री भूपेश बघेल जी से आग्रह करता हूं कि अपनी सूचनाओं, प्रश्नों आदि के संबंध में कुछ भी कहना हो तो अध्यक्ष के कक्ष में आकर चर्चा कर लें । बारम्बार सभा में आसंदी पर आक्षेपजनक टिप्पणी से इस सभा की गरिमा का ह्रास होता है, जिसके माननीय सदस्य अविभाज्य अंग हैं ।

सभा में उत्कृष्ट परम्पराओं को बनाए रखें और ऐसी कोई बात न कहें, जिससे इस सभा एवं इसकी आसंदी की गरिमा को आघात पहुंचे ।

(दिनांक 22 दिसम्बर, 2015)

9. आसंदी की व्यवस्था निर्णय स्वरूप होती है, जिसे विलोपित नहीं किया जा सकता.

दिनांक 17 मार्च, 2016 को ध्यानाकर्षण सूचना पढ़े जाने हेतु श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य का नाम पुकारे जाने के बावजूद माननीय सदस्य द्वारा सूचना नहीं पढ़े जाने एवं सदन में व्यवधान होने पर, माननीय अध्यक्ष ने कहा कि **सदन में उपस्थित रहते हुए आसंदी से नाम पुकारे जाने पर अपनी सूचना नहीं पढ़ना संसदीय परिपाटी के अनुरूप नहीं है। यदि कोई सदस्य उनकी सूचना सदन में आने पर नहीं पढ़ना चाहता है तो उचित यह होगा कि वह तत्समय सभा से अनुपस्थित हो जाये।**

जिस पर श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य द्वारा टिप्पणी की गई कि - जरूरत पड़े तो मार्शल बुलवा लीजिए ।

जिस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि **माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा के द्वारा आसंदी के प्रति किया गया आचरण उचित नहीं है और बार-बार वही**

आचरण दोहराना अत्यंत आपत्तिजनक है। मैं माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा के असंसदीय आचरण एवं व्यवहार की निंदा करता हूं।

दिनांक 18 मार्च, 2016 को श्री भूपेश बघेल, सदस्य एवं भा.रा.कां. के सदस्यों द्वारा, अध्यक्षीय व्यवस्था में से निंदा शब्द विलोपित किए जाने का अनुरोध किया ।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने कहा कि वे अपने शब्द वापस लेने के लिए तैयार हैं।

व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय :- सदन को स्मरण होगा कि दिनांक 18 मार्च, 2016 को माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा ने सभा में उनके द्वारा दिनांक 17 मार्च को आसंदी के प्रति उनके द्वारा कहे गए शब्दों के संबंध में यह कथन किया गया था कि **मुझे अपनी बात को भी वापस लेने में कोई एतराज नहीं है, मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं......मैं आदेश का पालन कर रहा हूं, मैं अपनी बात वापस लेता हूं ।**

मैंने तत्समय आसंदी के निर्णय दिनांक 17 मार्च के संबंध में यह कथन किया था कि **माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी के अपने द्वारा कहे गए शब्दों को वापस लेने और माननीय सभी वरिष्ठ सदस्यों द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त की गई हैं । निश्चित रूप से उनकी मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके प्रति जो टिप्पणी की गई है, उसमें जो भी शब्द होगा, कार्यवाही से अलग करने के बारे में विचार करूंगा ।**

मैं इस अवसर पर यह व्यक्त करना चाहता हूं कि इस सभा ने सर्वानुमति से मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त करते हुए इस सभा के संचालन का दायित्व सौंपा है । सभा का संचालन नियमों एवं परंपराओं के अनुरूप ही हो सकता है । ऐसे अनेक अवसर कार्यवाही के दौरान आते हैं, जब कोई सदस्य मेरे निर्णय से सहमत न हो, किंतु ऐसे अवसरों पर भी माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा रहती है कि वे आसंदी के प्रति सम्मान का भाव बनाए रखें और ऐसी शब्दावली का प्रयोग न करें, जो आसंदी की अधिकारिता को चुनौती स्वरूप हो ।

मैं यहां यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि आसंदी सभा से प्राप्त शक्तियों से ही कार्यवाही का संचालन करती है और यह शक्ति आसंदी को आप सबके आसंदी के प्रति समादर की भावना से प्राप्त होती है ।

मैंने सभा में दिनांक 18 मार्च, 2016 को प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा एवं माननीय मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा व्यक्त भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 17 मार्च, 2016 को हुई कार्यवाही एवं मेरे निर्णय पर विचार किया । आसंदी की व्यवस्था निर्णय स्वरूप होती है, जिसे विलोपित नहीं किया जा सकता और न ही उसके किसी अंश या किन्हीं शब्दों को विलोपित किया जा सकता, किंतु माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा व्यक्त भावना एवं तत्समय पक्ष एवं प्रतिपक्ष के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं पर विचार करते हुए मैं **निन्दा** के स्थान पर **अप्रसन्नता** व्यक्त करता हूं ।

(दिनांक 31 मार्च, 2016)

आपत्ति

1. आपत्ति विधेयक के पुर:स्थापन के समय की जानी चाहिए।

आसंदी द्वारा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री को छत्तीसगढ़ राजिम कुम्भ मेला विधेयक, 2006 पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पुकारे जाने पर श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने आपत्ति की, कि इस विधेयक के वित्तीय ज्ञापन में 25 लाख रूपए के व्यय का प्रावधान है जबकि इसी मेले के पिछले वर्ष के व्यय की जानकारी विधान सभा प्रश्न के उत्तर में 2 करोड़, 15 लाख, 83 हजार, 942 रूपए दी है, जो कि विसंगतिपूर्ण है तथा इस विधेयक को व्यापारिक उद्देश्य से लाया जा रहा है, जो कि आपत्तिजनक है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ने उल्लेख किया कि आपत्ति पुर:स्थापन के समय की जानी थी तथा धर्मस्व विभाग का इस हेतु बजट 25 लाख ही है। प्रश्न के उत्तर में धर्मस्व, पर्यटन और संस्कृति तीनों विभाग के खर्च की जानकारी है । अत: जानकारी में कोई विसंगति नहीं है ।

इस पर निम्नलिखित व्यवस्था दी गई :-

व्यवस्था

विधेयक दिनांक 01 अगस्त को वितरित कर दिया गया था और 02 अगस्त को पुर:स्थापित भी कर दिया गया था । आपत्ति का समय विधेयक के पुर:स्थापन के समय था।

पुर:स्थापन के समय कोई आपत्ति नहीं आई । अब विचार के प्रस्ताव के समय आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है । अब आप जिन भी बिन्दुओं पर आपत्ति उठाना चाहते हैं तो विचार के समय अपनी बातें रखिएगा और सभा निर्णय लेगी ।

(दिनांक 03 अगस्त, 2006)

आसन

1. सदस्यों के आसन क्रम के निर्धारण का अधिकार अध्यक्ष का है.

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि कांग्रेस पार्टी के दो सदस्यों को दल से निलंबित कर दिया है एवं उन्हें विधायक दल की बैठक में आमंत्रित भी नहीं कर रहे हैं। दोनों सदस्यों को असंबद्ध सदस्य के रूप में अलग बैठने की मान्यता दी जावे। श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने कहा कि माननीय सदस्य कांग्रेस विधायक दल के सदस्य हैं या नहीं, यह जानकारी होनी चाहिए।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दोनों सदस्यों को पार्टी से हटा देने की सूचना विधान सभा सचिवालय को नहीं मिली है तो वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने भी आसंदी से आग्रह किया कि दोनों सदस्यों को विधायक दल में नहीं बुलाया जाना सदन की चिंता का विषय है अत: इस विषय पर आसंदी से निर्णय आना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि दोनों सदस्य विधायक दल के सदस्य हैं या नहीं इस संबंध में नियमों के अंतर्गत कोई शिकायत आएगी तब वे परीक्षण कर उस पर व्यवस्था देंगे। अभी वे संसदीय कार्य मंत्री जी के प्राप्त पत्र पर व्यवस्था देंगे।

व्यवस्था

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपने आवेदन दिनांक 19.02.2015 में यह उल्लेख करते हुए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो सदस्यों को पार्टी ने निलंबित कर दिया है, फलस्वरूप अब वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं और अस्थायी तौर पर उस दल से असम्बद्ध हैं। ऐसी स्थिति में सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? पृच्छा करते हुए निलंबित सदस्यों को पृथक से स्थान आवंटित करने के संबंध में आवेदन दिया है।

सभा में कौन सदस्य कौन-से आसन पर बैठेगा ? नियमों के अंतर्गत यह मेरे क्षेत्राधिकार का प्रश्न है और मैं सदस्यों के आसनों का निर्धारण सामान्यत: संबंधित दल के नेता से सलाह-मशविरा कर निर्धारित करता हूं। इसी परिप्रेक्ष्य में सत्र आरंभ होने के पूर्व मैंने दोनों ही दलों से आसन क्रम परिवर्तन करने के संबंध में पृच्छा की थी और दलों के नेताओं से प्राप्त सुझाव को विचार में लेते हुए अंतिम रूप से आसनों का निर्धारण किया है।

जहां तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों के निलंबन का प्रश्न है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, जिसका विधान सभा से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने भी मुझे विधायक दल में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना नहीं दी है। ऐसी स्थिति में विधान सभा सचिवालय को पूर्व में प्राप्त जानकारी अनुसार सभा में राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों की संख्या 39 है।

(दिनांक 03 मार्च, 2015)

2. दलों के लिए निर्धारित ब्लाक में दल के नेता की सलाह से सदस्यों के आसन का निर्धारण किया जाता है ।

(श्री अमित जोगी, सदस्य द्वारा उनके स्थान परिवर्तन का कारण पूछे जाने पर)

श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य सदन में उनके स्थान परिवर्तन के संबंध में जानना चाहा कि वे कांग्रेस विधायक दल के सदस्य हैं या नहीं ?

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आसन आवंटन के संबंध में जारी पत्रक भाग 2 के परिप्रेक्ष्य में श्री अमित अजीत जोगी कांग्रेस से संबद्ध सदस्य हैं या असंबद्ध सदस्य, इस संबंध में आसंदी से व्यवस्था की मांग की गई।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री, श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष तथा श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य ने विचार व्यक्त किए।

व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । काफी विस्तार से सदस्यों के द्वारा बातें कही गईं । चूंकि सदस्य ने स्वयं इस मामले को

उठाया है, अन्य सदस्यों ने भी इस पर अपनी बातें रखी हैं । नेता प्रतिपक्ष जी ने भी विस्तार से अपनी बातें रखी । जहां तक सदन में आसन के निर्धारण का प्रश्न है । नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार प्राप्त है, किन्तु परम्परा यह है कि दलों के लिए निर्धारित ब्लाक में दल के नेता की सलाह से सदस्यों के आसन का निर्धारण किया जाता है । दल के नेता अपने दल के सदस्य को कहां बिठायें, दल के नेता के इस विशेषाधिकार पर यहां अब कोई चर्चा नहीं होगी। यह सम्पूर्ण प्रकरण आसंदी के विचाराधीन है। इसमें मैं यथासमय व्यवस्था दूंगा।

(दिनांक 2 मार्च, 2016)

इस्तीफा

1. इस्तीफा मांगना सभा का विषय नहीं.

बिलासपुर में आयोजित नसबंदी शिविर में ऑपरेशन के बाद अनेक महिलाओं की मौत की घटना पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नारेबाजी करते हुए माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग करने पर, माननीय अध्यक्ष ने निम्न लिखित व्यवस्था दी -

व्यवस्था

कोई दल शासन के किसी मंत्री का इस्तीफा मांगे यह सदन का विषय नहीं है । सदन में स्थगन प्रस्ताव के बिंदुओं पर ही चर्चा होगी । इस्तीफा मांगना राजनैतिक मांग हो सकती है, जो सभा का विषय नहीं है । प्रतिपक्ष के सदस्य स्थगन प्रस्ताव के बिंदुओं पर चर्चा करें ।

(दिनांक 15 दिसम्बर, 2014)

उपाध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन

1. उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुमति से भाषण दे सकते हैं ।

श्री बनवारी लाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष द्वारा वाद-विवाद में भाग लेने पर श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि क्या उपाध्यक्ष, जो माननीय अध्यक्ष की अनुपस्थिति में आसंदी पर बैठते हैं। सदन में चल रही इस प्रक्रिया में भाग लेकर किसी विषय पर विचार व्यक्त कर सकते हैं ? इस पर मान. अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

विधान सभा अध्यक्ष नीचे नहीं बैठ सकते क्योंकि अध्यक्ष की आसंदी केवल यही है, लेकिन उपाध्यक्ष की आसंदी यहां भी है और नीचे भी । सामान्य तौर पर उपाध्यक्ष प्रश्न, ध्यानाकर्षण या इस प्रकार के मुद्दे नहीं उठाते, परन्तु ऐसे कई अवसर आते हैं जब वे अध्यक्ष महोदय की अनुमति से भाषण देते हैं।

(दिनांक 24 जुलाई, 2001)

2. उपाध्यक्ष को बोलने से रोका नहीं जा सकता ।

अविश्वास प्रस्ताव पर उपाध्यक्ष श्री बनवारीलाल अग्रवाल द्वारा चर्चा प्रारंभ करने पर श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने कौल एण्ड शकधर की पुस्तक संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया के पृष्ठ 129 का उल्लेख करते हुए आपत्ति की कि माननीय उपाध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं बोलना चाहिए । इस पर मान.अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

माननीय उपाध्यक्ष की एक सीट यह (आसंदी) है और वह भी तब जब अध्यक्ष न रहे और दूसरी सीट नीचे है और इसलिए माननीय उपाध्यक्ष को इस बात की मुमानियत है कि वे प्रश्न नहीं करेंगे, ध्यानाकर्षण नहीं उठायेंगे, स्थगन प्रस्ताव नहीं लाएंगे किंतु उनको वाद-विवाद में किसी विषय पर बोलने से रोका नहीं जा सकता ।

(दिनांक 30 सितम्बर, 2002)

3. यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो पीठासीन व्यक्ति बाद के प्रस्तावों को रखे बिना घोषित करेगा कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रतिस्थापित सदस्य सभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया है।

माननीय अध्यक्ष ने श्री बद्रीधर दीवान एवं श्री धर्मजीत सिंह को उपाध्यक्ष निर्वाचित करने हेतु प्राप्त क्रमश: 3 एवं 4 प्रस्ताव की जानकारी देते हुए प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 7 (4) के अंतर्गत सबसे प्रथम प्राप्त प्रस्ताव की प्रस्तावक सुश्री रेणुका सिंह, सदस्य को प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारा ।

सुश्री रेणुका सिंह, सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि श्री बद्रीधर दीवान, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने उक्त प्रस्ताव का समर्थन किया ।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

प्रस्ताव पर मत विभाजन के पश्चात् ध्वनिमत से मान.अध्यक्ष ने श्री बद्रीधर दीवान, सदस्य को छत्तीसगढ़ विधान सभा के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने की घोषणा की तथा सदन की ओर से बधाई दी।

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पर आपत्ति की एवं कहा कि उपाध्यक्ष पद हेतु प्रस्तुत सभी प्रस्तावों को प्रस्तुत नहीं किया गया और परम्परा के विपरीत उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया गया है।

सर्वश्री नंदकुमार पटेल, धर्मजीत सिंह, ने भी निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में आपत्ति की।

मान. अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर मत लिए जाने के समय मतदान की मांग नहीं किए जाने की ओर ध्यान दिलाया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने सदन की परम्पराओं का हवाला देते हुए कहा कि प्रतिपक्ष के सदस्यों को प्रस्ताव के मध्य डिवीजन की मांग रखनी चाहिए थी। उनके द्वारा डिवीजन की मांग नहीं की गई इसलिए अब आपत्ति करना उचित नहीं है।

(शोर शराबे के मध्य कार्यवाही स्थगित की गई एवं कार्यवाही पुन: प्रारंभ होने पर)

नेता प्रतिपक्ष, श्री महेन्द्र कर्मा ने उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में अपने दल के असंतोष से अवगत कराते हुए संसदीय परम्पराओं को तोड़ने की बात कही तथा आसंदी से निवेदन किया कि निर्वाचन की प्रक्रिया पुन: अपनाई जाए।

संसदीय कार्य मंत्री, श्री अजय चन्द्राकर ने चुनाव प्रक्रिया में विधान सभा सचिवालय से जारी सूचना (पत्रक क्रमांक भाग दो- क्रमांक 58) का उल्लेख करते हुए प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के समय डिवीजन की मांग न किए जाने की चूक की ओर आसंदी का ध्यान आकृष्ट कराया तथा निर्वाचन प्रक्रिया सम्मत होने की बात कही।

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने कौल एवं शकधर का हवाला देते हुए दो उम्मीदवार होने के कारण मतदान कराये जाने की संसदीय आवश्यकता प्रतिपादित की ।

इस पर मान. अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

आज सदन में जब मैंने विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 8 के उप नियम (1) और नियम (2) के अंतर्गत उपाध्यक्ष चुने जाने हेतु माननीय सदस्य श्री बद्रीधर दीवान एवं श्री धर्मजीत सिंह के लिए पृथक-पृथक प्राप्त क्रमश: 3 एवं 4 प्रस्तावों की जानकारी सभा को दी । प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 7 के उप नियम 4 के अंतर्गत नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ध्वनि मत से प्रस्ताव स्वीकृत होने और फलस्वरूप मान. सदस्य श्री बद्रीधर दीवान के उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने की घोषणा की तब प्रतिपक्ष के अनेक सदस्यों ने अपनाई गई प्रक्रिया पर आपत्ति व्यक्त करते हुए यह दलील प्रस्तुत की कि सभी प्रस्तावों को सभा के समक्ष रखे बिना निर्वाचन की प्रक्रिया सम्पादित नहीं की जा सकती ।

नियम 7 (3) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कार्यसूची में जिस सदस्य के नाम से कोई प्रस्ताव हो वह पुकारे जाने पर प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा । इसी कड़ी में मैंने कार्यसूची में सर्वप्रथम उल्लेखित सुश्री रेणुका सिंह के प्रस्ताव को पढ़ा, जो उन्होंने प्रस्तुत किया और विधिवत अनुमोदित होने के बाद विनिश्चय के लिए रखा गया । नियम 7(4) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि आवश्यक हुआ तो विभाजन द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो पीठासीन व्यक्ति बाद के प्रस्तावों को रखे बिना घोषित करेगा कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रतिस्थापित सदस्य सभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया है ।

सुश्री रेणुका सिंह का प्रस्ताव प्रस्तुत होने एवं विधिवत अनुमोदित होने के बाद मत विभाजन के लिए रखा गया और उस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के बाद कार्यसूची में उल्लेखित अन्य प्रस्तावों को रखे जाने का नियमों में न तो कोई प्रावधान है और न ही इसमें कोई प्रासंगिकता है। मान.सदस्यों को इस संबंध में, मैंने जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया है बता दिया था कि श्री बद्रीधर दीवान, सदस्य के लिए तीन एवं श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य हेतु चार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । नियमावली के नियम 7(4) के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों को एक-एक करके उसी क्रम में लूंगा जिस क्रम में वे प्रस्तुत किए गए हैं ।

मैंने इसी अनुसार जिस क्रम में प्रस्ताव सचिवालय में प्राप्त हुए थे उस क्रम में कार्यसूची में उनका उल्लेख किया और तदनुसार जिस क्रम में वे प्राप्त हुए उनको लेना प्रारंभ किया । मैंने पूर्व में यह भी घोषणा कर दी थी कि किसी प्रस्ताव के स्वीकृत होने के उपरांत शेष प्रस्तावों को नियम 7(4) के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, इसलिए मान.सदस्यों द्वारा यह आपत्ति करना कि निर्वाचन की प्रक्रिया नियमानुसार नहीं हुई है, सही नहीं है ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में निर्वाचन के संबंध में जो प्रकिया निर्धारित की गई है, उसकी सूचना समस्त मान. सदस्यों को विधान सभा पत्रक भाग-2 क्रमांक 58, दिनांक 8 जुलाई 2005 के द्वारा भेज दी गई थी। जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख था कि यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो पीठासीन व्यक्ति बाद के प्रस्तावों को रखे बिना घोषित करेगा कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रतिस्थापित सदस्य सभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया है ।

इसलिए उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह आवश्यक नहीं है कि जितने भी प्रस्ताव प्राप्त हों उन सभी को सदन में प्रस्तुत किया जाए । इसलिए विधान सभा उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत ही सम्पादित हुई है । इस संबंध में समस्त आपत्तियों को मैं अस्वीकार करता हूं ।

(दिनांक 12 जुलाई, 2005)

कार्यसूची

1. कार्य सूची के पदक्रम में आसंदी परिवर्तन कर सकती है।

भोजनावकाश पश्चात् सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने पर सभापति महोदय द्वारा अशासकीय संकल्प पर चर्चा प्रारंभ कराने पर मान. श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य द्वारा आसंदी का ध्यान आकर्षित कराया गया कि पहले उनके द्वारा प्रस्तुत नियम 139 की चर्चा के प्रस्ताव पर विचार किया जाए । इस पर सभापति महोदय ने कहा कि चूंकि सदन के समय में वृद्धि नहीं की गई है, इसलिए अशासकीय संकल्प पर चर्चा कराई जा रही है ।

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि कार्यसूची में दर्ज अनुसार प्रथम अशासकीय संकल्प पर चर्चा न कराकर दूसरे अशासकीय संकल्प पर चर्चा क्यों कराई जा रही है, यह उचित नहीं है ।

इस पर मान. सभापति महोदय ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

कार्य सूची के पदक्रम में आसंदी परिवर्तन कर सकती है।

(दिनांक 03 दिसम्बर, 2004)

2. कार्यसूची में कोई विषय छूट जाने पर उसे अनुपूरक कार्यसूची के माध्यम से शामिल किया जा सकता है ।

दिनांक 25 फरवरी, 2008 को गृह मंत्री से पूछे गए तारांकित प्रश्न प्रश्न संख्या 24 (क्रमांक 879), जिसे कि पृथक से जारी अनुपूरक कार्य सूची में नियम 52 के अधीन आधे घण्टे की चर्चा माध्यम से शामिल किया गया था, पर चर्चा के दौरान माननीय गृहमंत्री द्वारा कथन किया गया कि उन्हें अनुपूरक कार्यसूची 1.30 बजे मिलने के कारण सम्पूर्ण

जानकारी उपलब्ध नहीं है, इस पर मान.अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

यदि कोई विषय वस्तु छूट जाती है तो उसकी यहां पर सप्लीमेंट्री कार्यसूची निकाली जाती है। चूंकि पिछले सदन की समाप्ति पर आसंदी के द्वारा यह बात कही गई थी कि इस विषय को अगले सत्र में लिया जाएगा और वह विषय वस्तु कल के दैनिक कार्यसूची में छूट गई है। माननीय सदस्य द्वारा यह ध्यान दिलाया गया तो सप्लीमेंट्री कार्य सूची जारी की गई। इसलिए आप अपनी जवाबदारी से बचने के लिए सचिवालय पर दोष नहीं लगा सकते । आपके पास विगत् 3 महीने का समय था, आप उसमें भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं ।

(दिनांक 11 जुलाई, 2008)

3. समयाभाव के कारण नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा को अगले दिन कार्यसूची में शामिल किया जा सकता है.

दिनांक 15 नवम्बर, 2016 को नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा विमुद्रीकरण के निर्णय के समर्थन में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को, पूर्व निर्धारित नियम 139 के पूर्व, अनुपूरक कार्यसूची के माध्यम से शामिल किए जाने पर आपत्ति किए जाने पर माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 16 नवम्बर, 2016 को निम्नलिखित व्यवस्था दी -

व्यवस्था

सदन को स्मरण होगा कि कल दिनांक 15.11.2016 को केन्द्र सरकार के द्वारा लागू विमुद्रीकरण के निर्णय से उत्पन्न स्थिति पर प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव एवं शासन की ओर से भी एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के निर्णय के समर्थन स्वरूप प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में मैंने सदन में केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णय से उत्पन्न स्थिति, निर्णय, कार्यान्वयन आदि विषय राज्य शासन से संबंधित नहीं होने के फलस्वरूप मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अग्राह्य कर दिया था । मैंने अपनी व्यवस्था में यह भी उल्लेख किया था कि राज्य शासन की ओर से भी केन्द्र शासन के विमुद्रीकरण के निर्णय के समर्थन हेतु प्राप्त प्रस्ताव को मैंने ग्राह्य किया है ।

मेरी उपरोक्त व्यवस्था के पश्चात प्रतिपक्ष के अनेक सदस्यों ने मुझसे मेरी व्यवस्था पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था । स्थगन प्रस्ताव के संबंध में पुनर्विचार के आग्रह के दौरान ही माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक प्रश्न सभा में रखा था कि जो प्रस्ताव पश्चात् आया उसका क्रम बदलकर क्रमांक 9 के बदले 8 में रखा गया और साथ ही यह भी कथन किया कि यदि यह विषय केन्द्र सरकार का है, इस आधार पर स्थगन प्रस्ताव नहीं आ सकता है तो राज्य शासन की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव भी नहीं आना चाहिये ।

माननीय नेता प्रतिपक्ष के उस कथन पर माननीय मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने भी यह तर्क प्रस्तुत किया था कि प्रतिपक्ष के द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव और राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत केन्द्र सरकार के नीति विषयक कार्यवाही का समर्थन, अलग-अलग विषय है ।

स्थगन प्रस्ताव राज्य शासन की नीतियों में विफलता को आधार बनाकर प्रस्तुत किया जा सकता है, वहीं नियमों के अंतर्गत केन्द्र शासन की किसी नीति का समर्थन पृथक नियमों के अंतर्गत प्रस्ताव के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है ।

इस विषय पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, अन्य बातें रखी थीं और मैंने तत्समय इस विषय पर अपनी व्यवस्था पश्चात् देने का कथन किया था ।

आज प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा ने भी आरोपात्मक लहजे में मिलती-जुलती कुछ बातें रखीं ।

यह सभा राज्य शासन के क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों पर ही प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियमों के अंतर्गत विषयों पर विचार-विमर्श कर सकती है ।

स्थगन प्रस्ताव के संबंध में नियमों में यह उल्लेख है कि वह हाल ही में घटित किसी विषय तक सीमित रहेगा । चूंकि स्थगन प्रस्ताव का विषय राज्य सरकार से संबंधित नहीं अपितु केन्द्र सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय से संबंधित था । अतः स्थगन प्रस्ताव ग्राह्यता की परिधि में नहीं था । इसके साथ ही यह सभा केन्द्र सरकार के किसी निर्णय का समर्थन करने, अनुरोध करने जैसे विषयों पर पूर्व में भी प्रस्ताव अथवा संकल्प के माध्यम से विनिश्चय करती रही है ।

उक्त परिप्रेक्ष्य में जब मुझे शासन की ओर से एक प्रस्ताव की सूचना दिनांक 15.11.2016 को प्रातः 8.00 बजे प्राप्त हुई । मैंने नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत ही अनुपूरक कार्यसूची जारी करने के निर्देश देते हुये उसे सभा में चर्चा हेतु निर्धारित किया ।

मेरे विचार में यह बिन्दु भी था कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भी इस विषय पर सभा में चर्चा करना चाहते हैं किन्तु जिस नियम के अंतर्गत उन्होंने सूचना दी है, वह ग्राह्यता की परिधि में नहीं आती, अतः प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रतिपक्ष के सदस्य भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे ।

जहां तक क्रमांक 9 के पहले प्रस्ताव को लिये जाने का प्रश्न है, यह सदन सहमत होगा कि अनेकों अवसरों पर कार्यसूची में नियम 139 के अंतर्गत जारी अंतिम पद के रूप में सम्मिलित की जाती है और जब समयाभाव के कारण चर्चा आरंभ नहीं हो पाती है, तब उसे निरंतर आगामी कार्य दिवस की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाता रहा है ।

यह सभा, सभा के द्वारा बनाये गये नियमों, प्रक्रियाओं तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत आसंदी के द्वारा संचालित की जाती है । मैं सदस्यों से यह अपेक्षा करता हूं कि सभा में आक्षेपजनक टिप्पणियों से बचें और यह सभा जो माननीय सदस्यों द्वारा ही गठित हुई है, इसकी गरिमा को बनाये रखें ।

(दिनांक 16 नवम्बर, 2016)

कार्यवाही का संदर्भ

1. सदन की कार्यवाही संदर्भित करने के पूर्व उसकी पुष्टि कार्यवाही की शोधित प्रति से की जानी चाहिए।

दिनांक 26.02.2007 को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदस्य, श्री मोहम्मद अकबर ने अपने भाषण के दौरान, मुख्यमंत्री जी द्वारा 22 फरवरी, 2006 को सदन में दी गई जानकारी का बार-बार उल्लेख किया । जिस पर मान. अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

माननीय सदस्य, श्री मोहम्मद अकबर ने अपने भाषण के दौरान दिनांक 22 फरवरी 2006 की कार्यवाही को संदर्भित करके माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कहे गए, लेकिन

पश्चात् विलोपित कर दिए गए एक शब्द को बार-बार कार्यवाही के अंश के रूप में संदर्भित किया। मैंने उन अंशों को कार्यवाही से विलोपित कर दिया है। मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि वे जब भी सदन में कार्यवाही को संदर्भित करें तो उसकी पुष्टि कार्यवाही की शोधित प्रति से कर लें ।

(दिनांक 26 फरवरी, 2007)

चर्चा

1. परम्पराओं के निर्वहन हेतु सदस्यों को चर्चा के लिए पुन: अवसर

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान, श्री रविन्द्र चौबे सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए आसंदी का ध्यान आकर्षित किया कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें अधिकारियों को उपस्थित होना चाहिए, किन्तु कल के निर्देश के बाद आज भी अधिकारियों की अनुपस्थिति, उचित नहीं है ।

(चर्चा के दौरान माननीय मंत्रीगण एवं अधिकारी दीर्घा में आवश्यक अधिकारियों की अनुपस्थिति के विरोध में, श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भा.रा.कां. के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

कुछ समय बाद भा.रा.कां. के सदस्यों के सदन में उपस्थित होने पर, संसदीय कार्यमंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) ने आसंदी से अनुरोध किया कि कुछ देर तक सम्माननीय विपक्ष के साथियों का बहिर्गमन था और इस बीच कार्यवाही में एक-दो नाम आगे बढ़ गए हैं, कल की तरह उदारता का परिचय देकर सदस्यों को कृपया पुन: अनुमति प्रदान करें। इस पर मान.अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

सदन की परम्पराओं के निर्वहन हेतु मैंने भावना के अनुरूप अपनी व्यवस्था देते हुए माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया था कि वे चर्चा में हिस्सा लें, लेकिन माननीय सदस्यों ने मेरे आग्रह के बावजूद बहिर्गमन किया । मैंने क्रम से प्रतिपक्ष के सदस्यों के नाम पुकारे थे लेकिन माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे । तथापि सदन की भावना एवं आग्रह पर विचार कर मैं पुन: माननीय सदस्यों को अवसर दे रहा हूं।

(दिनांक 22 फरवरी, 2008)

ध्यानाकर्षण

1. ध्यानाकर्षण का उत्तर (वक्तव्य) अत्यंत लंबा होने पर, पूर्व सूचना देकर उसे पटल पर रखा जा सकता है।

कोरिया जिले के खड़गवां विकासखण्ड में मलेरिया से अनेक लोगों की मृत्यु होने संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना पर राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का वक्तव्य अत्यंत लम्बा होने पर मान.अध्यक्ष ने निम्नानुसार व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

संसदीय कार्यमंत्री यह सुनिश्चित करें कि विभागीय उत्तर इतना लम्बा होने के बजाय छोटा हो, ताकि उपलब्ध समय का समुचित उपयोग हो सके । यदि ज्यादा लम्बा उत्तर देना अत्यावश्यक हो तो उसकी पूर्व सूचना दी जाए, जिससे उसे पटल पर रखवाया जा सकता है और इससे सदन का समय भी बचेगा ।

(दिनांक 24 फरवरी, 2004)

2. ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर पूर्ण तथ्यात्मक उत्तर आना चाहिए।

प्रदेश में प्राथमिक शालाओं में मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत चूल्हे खरीदी में अनियमितता संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री मेघाराम साहू द्वारा दिए गए वक्तव्य के पश्चात्, सदस्य श्री नोवेल कुमार वर्मा ने शासन की ओर से ध्यानाकर्षण का जवाब स्पष्ट और तथ्यात्मक नहीं आने की ओर आसंदी का ध्यान आकर्षित किया । इस पर मान.अध्यक्ष ने ध्यानाकर्षण सूचना को स्थगित करते हुए निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर शासन की ओर से पूर्ण तथ्यात्मक उत्तर आना चाहिए ताकि सभा सूचना पर शासन के तथ्यों से अवगत हो सके । विभागीय उत्तर में, सूचना में उल्लेखित तथ्यों पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। यह स्थिति अच्छी नहीं है । साथ ही शासन आज ही विधान सभा सचिवालय को तथ्यात्मक उत्तर उपलब्ध कराए ।

(दिनांक 28 फरवरी, 2006)

3. ध्यानाकर्षण सूचनाओं के महत्व एवं समय/कार्य की स्थिति को देखकर 2 से अधिक सूचनाओं पर चर्चा की अनुमति आसंदी द्वारा दी जाती है।

माननीय अध्यक्ष द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना हेतु नाम पुकारे जाने पर श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि पूर्व में यह निर्णय लिया गया था कि नियमों को शिथिल करते हुए शुक्रवार के दिन चार ध्यानाकर्षण लिए जाएंगे, तो नियमों की शिथिलता क्या समाप्त हो गई है? सप्ताह के अंतिम दिवस में जो ध्यानाकर्षण स्वीकृत किए जाते थे, उनके लिखित उत्तर माननीय सदस्यों को मिलते थे। आज की कार्यसूची में सिर्फ दो ही ध्यानाकर्षण हैं। अगर शासन की ओर से माननीय सदस्यों को लिखित उत्तर मिलना बंद हो जायेगा तो विभागों के कार्यों में शिथिलता आ जायेगी। मेरा आग्रह है कि आज चार ध्यानाकर्षण लिए जाने थे एवं 20-25 ध्यानाकर्षण के लिखित उत्तर आने चाहिए थे।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि शुक्रवार को चार ध्यानाकर्षण लिये जाएं। समय, परिस्थिति अनुसार चार ध्यानाकर्षण भी ले लिए जाएंगे, आगे लिये जा सकते हैं। जिन माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण सूचना लगायी है, सत्र के अंतिम शुक्रवार या कार्य दिवस में सारे ग्राह्य ध्यानाकर्षण कार्यसूची में अंकित किये जायेंगे एवं दो या चार ध्यानाकर्षण चर्चा में लिये जाएंगे। उसके बाद सारे लिखित उत्तर माननीय सदस्यों को दिये जायेंगे। वह अभी भी नियम में है, उसको कहीं पर शिथिल नहीं किया गया है।

व्यवस्था

नियमों में दो ध्यानाकर्षण सूचनायें चर्चा में लिये जाने एवं शुक्रवार को समस्त ग्राह्य सूचनायें लिये जाने का उल्लेख है, जिनके लिखित उत्तर सदस्यों को उपलब्ध कराये जाते हैं व सदन की अनुमति से ध्यानाकर्षण सूचनाओं के महत्व एवं समय/कार्य की स्थिति को देखकर 2 से अधिक सूचनाओं पर चर्चा की अनुमति आसंदी द्वारा दी जाती है।

मेरे पास विचाराधीन सूचनाओं एवं उनके महत्व को देखते हुए मैंने ग्राह्य सूचनाओं को कार्यसूची में सूचीबद्ध नहीं करते हुए उन्हें शेष बैठकों में सदन में लेने हेतु विचाराधीन रखा है।

चूंकि आज अनुपूरक अनुमान पर चर्चा भी होनी है, अत: उपलब्ध समय/कार्य की स्थिति को विचार में रखकर आज नियमानुसार दो ही सूचनायें सदन में चर्चा के लिये ली हैं।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ऐसे विषयों पर व्यवस्था का प्रश्न के स्थान पर मुझसे कक्ष में चर्चा करें तो उत्तम होगा।

(दिनांक 14 दिसम्बर, 2012)

न्यायालय में विचाराधीन विषय पर चर्चा

1. न्यायालय में विचाराधीन विषय पर सदस्यों को विषय वस्तु में रहकर ही अपनी बात कहनी चाहिए।

आदिवासी विकास परिषद की बैठक में मारपीट किए जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा विषय से हटकर कथन कहने पर संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने संविधान की धारा-211, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 134 तथा संसदीय प्रक्रिया एवं व्यवहार

पुस्तक के पृष्ठ-475 खंड-7 का उल्लेख करते हुए कहा कि माननीय सदस्यों को स्थगन प्रस्ताव की विषय वस्तु पर सीमित रहकर ही अपनी बात कहनी चाहिए और जो मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर माननीय सदस्यों को बोलने की इजाजत आसंदी से नहीं दी जानी चाहिए ।

श्री महेश तिवारी, सदस्य ने विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के अध्याय 9 के नियम 55 के परंतुक तथा अध्याय 14 के नियम 134 के परंतुक की ओर आसंदी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि जिन कारणों से कोर्ट से स्थगन है, उनको छोड़कर बाकी विषय वस्तु पर सदन में चर्चा हो सकती है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने कहा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में इस मामले पर जांच या अनुसंधान नहीं चल रहा है इसलिए वे आयोग या आयोग की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा कर सकते हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने कहा कि विपक्ष के जिस स्थगन प्रस्ताव को माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार किया है, उसमें मूल रूप से मेकाहारा की घटना को प्रस्तुत किया गया है इसलिए केवल उस विषय वस्तु पर ही चर्चा होनी चाहिए।

इस पर मान. अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

21 माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी, जिसे पढ़कर सुनाया गया। इसकी विषय वस्तु सदन के पटल पर है और सब सदस्यों को मालूम है और उस स्थगन प्रस्ताव को ही आसंदी से चर्चा हेतु ग्राह्य किया गया है । स्वाभाविक है कि इसकी विषय वस्तु इस प्रकार से थी कि यह किसी न्यायालयीन प्रक्रिया को ही स्पष्ट कर सकता है । आसंदी ने जब इसको स्वीकार किया तो आवश्यक रूप से इस प्रकार की छाया मस्तिष्क में थी कि इसको चर्चा में लिया जाए अथवा नहीं लिया जाए और माननीय सदस्यों ने जिन प्रावधानों का उल्लेख किया है कि अध्यान 9 नियम 55 (क) में है कि :-

साधारणत: ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिए हो जो किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लंबित हो।

परंतु अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे विषय को सभा में उठाने की अनुमति दे सकेगा, जो जांच की प्रक्रिया या विषय या प्रक्रम से संबंधित हों, यदि अध्यक्ष को समाधान हो जाए कि इससे संविहित न्यायाधिकरण, संविहित प्राधिकारी या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

इन बातों को ध्यान में रखने के बाद ही स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है और स्थगन प्रस्ताव की विषय वस्तु वही है, जो आपकी सूचना में अंतर्निहित है । मैंने माननीय संसदीय कार्यमंत्री के भी विचार सुने, उन्होंने कौल एंड शकधर को संदर्भित किया है। यह संभव नहीं है कि जो विषय वस्तु है, उससे सदस्य बाहर जाएं । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो सूचना में मेकाहारा की घटना का दिया गया कंटेंट है, अपना भाषण वहीं तक सीमित रखें ।

(दिनांक 21 नवम्बर, 2001)

2. प्रशासनिक दृष्टि से प्रतिबंधित विषय पर सदन में विषय वस्तु की परिधि में चर्चा की जा सकती है।

ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो पुस्तक को प्रतिबंधित किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर प्रस्तुत ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा के दौरान श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के द्वारा पुस्तक के उन अंशों की जानकारी चाही गई, जिसके कारण पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया, इस पर संसदीय कार्यमंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने आपत्ति व्यक्त करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि प्रतिबंधित पुस्तकें ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो के प्रतिबंध के कारणों पर चर्चा करने की अनुमति लोक हित में माननीय सदस्यों को नहीं दी जानी चाहिए ।

इस पर नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय ने कहा कि माननीय अध्यक्ष ने विषय की गंभीरता को देखते हुए ध्यानाकर्षण ग्राहय किया है इसलिए प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य संपूर्ण किताब और उसके प्रतिबंधित अंशों पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उन बातों को सदन में बताया जाना जरूरी है जिनके कारण इस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया।

इस पर निम्नलिखित व्यवस्था दी गई :-

व्यवस्था

पुस्तक के प्रतिबंधित होने का अर्थ यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि यह कुछ सब ज्यूडिश है या न्यायालय में विचाराधीन है या न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया है । प्रशासन ने उस पर प्रतिबंध लगाया है और प्रशासनिक दृष्टि से प्रतिबंध लगाया है इसलिए माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन जब प्रशासन ने इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया है तो माननीय सदस्यों को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से माननीय सदस्यों के प्रश्नों से ऐसी स्थिति न बने जिसके कारण समस्याएं खड़ी हो जाएं। उन्होंने माननीय सदस्यों से आग्रह किया कि माननीय सदस्यों के प्रश्न और आरोप ध्यानाकर्षण की जो विषय वस्तु है, उस पर होने चाहिए ।

(दिनांक 27 नवम्बर, 2001)

3. न्यायालय अथवा न्यायिक आयोग के विचाराधीन विषयों पर प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था में सदस्यों एवं शासन पक्ष को अपनी बात रखने के लिए निषेध नहीं किया जा सकता ।

दिनांक 13 जनवरी, 2010 को प्रश्नकाल समाप्त होते ही श्री धर्मजीत सिंह एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा बाल्को में निर्माणाधीन चिमनी गिरने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत के संबंध में दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि चूंकि इस प्रकरण पर जांच आयोग की कार्रवाई के कारण स्थगन की ग्राहयता पर चर्चा कराया जाना उचित नहीं होगा ।

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने कहा कि सवाल न्यायिक जांच की घोषणा का नहीं है। इस सदन में हम किसी भी दुर्घटना की चर्चा कर सकते हैं और उस चर्चा में अनेक नये तथ्य आएंगे । अभी तक न्यायिक जांच आयोग का न कोई बिन्दु तय हुआ है और न ही इन तीन महीनों में वहां पर कोई काम शुरू हुआ है । इसलिए इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी जा सकती है ।

मुख्यमंत्री (डॉ.रमन सिंह) ने कहा कि जांच आयोग को सौंपे गये बिन्दुओं में जांच की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, आयोग ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है । आज यदि हम इन विषयों से हटकर चर्चा करते हैं तो उस जांच का औचित्य प्रभावित होगा। इसलिए मुझे लगता है कि पहले जांच रिपोर्ट आ जाए उसके बाद ही हम इन बातों पर चर्चा कर सकते हैं ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री रविन्द्र चौबे) ने कहा कि आपने जांच आयोग को केवल तीन बिन्दु को जांच करने के लिए दिया है । इन तीन बिन्दुओं के अतिरिक्त भी इसमें तथ्य हैं, जिन पर चर्चा हो सकती है। हमने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसमें सारे तथ्य शामिल हैं और ये तथ्य आपके द्वारा दिये गये जांच बिन्दुओं में शामिल नहीं है, इसलिए इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है ।

श्री धर्मजीत सिंह ने कहा कि इस प्रकरण पर केवल न्यायिक जांच चल रही है, न्यायालय में प्रकरण नहीं है । यह जांच किसी न्यायालय में नहीं चल रही है ।

मुख्यमंत्री (डॉ.रमन सिंह) ने आसंदी का ध्यान कौल एवं शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 512 के क्रमांक 7 की ओर आकृष्ट किया, जिसमें कहा गया है कि -कोई शिकायत या कोई याचिका भारत सरकार के किसी भाग में अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में दायर कर दी है और वह विषय न्यायालय में विचाराधीन हो जाता है तो सभी प्रकार के विचार नहीं किये जा सकते । चूंकि जांच आयोग का गठन हो गया है, उसको विधिवत् नोटिफाई कर दिया गया है, उसको सारे अधिकार दे दिये गये हैं, उस विषय की यहां चर्चा करना ठीक नहीं है ।

नेता प्रतिपक्ष, श्री रविन्द्र चौबे ने कौल एवं शकधर की पुस्तक का अंश उद्धृत करते हुए कहा कि किसी स्थगन प्रस्ताव के विषय के दो भाग सभा द्वारा उस प्रस्ताव के पेश किये जाने की अनुमति दिये जाने के बाद उसमें एक जो न्यायाधीन विषय है, उसी भाग तक सीमित रखने के लिए चर्चा करनी पड़ती है, जो कि न्यायाधीन न हो। इसमें आगे लिखा है कि जो बातें न्यायाधीन नहीं हैं, न्यायालय के सामने विचाराधीन नहीं हैं, उन पर तो चर्चा की जा सकती है ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) ने स्थगन प्रस्ताव से संबंधित नियम का हवाला देते हुए कहा कि यह स्थगन प्रस्ताव एक विषय से संबंधित नहीं है, इसमें जमीन का अलग मुद्दा है, चिमनी का अलग मुद्दा है, फारेस्ट का अलग मुद्दा है, अलग-अलग विषयों को एक स्थगन प्रस्ताव में नहीं लिया जा सकता है । उन्होंने नियम 55-ग का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें लिखा है कि साधारणत: ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिए हो, जो किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के द्वारा किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लंबित हो ।

व्यवस्था

जांच के मुद्दे क्या हैं, चर्चा में किस सीमा तक हमको जाना चाहिए, किस सीमा तक नहीं जाना चाहिए, ये सम्पूर्ण तथ्य, जांच के बिंदुओं की जानकारी नहीं है, तथापि स्थगन प्रस्ताव निर्माणाधीन चिमनी की अनुमति व श्रम नियमों के उल्लंघन से संबंधित है, मैं जांच आयोग की अधिसूचना आदि पर विचार करूंगा व माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर इसे किस प्रकार लिया जा सकता है या नहीं, इस पर विचार करूंगा ।

दिनांक 15 जनवरी, 2010 को माननीय अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी :-

सभा को स्मरण होगा कि दिनांक 13 जनवरी, 2010 को कोरबा में बाल्को के संयंत्र में निर्माणाधीन चिमनी ढहने को आधार बनाकर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने मामला स्थगन प्रस्ताव के रूप में ग्राह्य करने हेतु आसंदी का ध्यान आकृष्ट किया था और तत्समय माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय श्रम मंत्री तथा कुछ अन्य सदस्यों ने प्रकरण न्यायिक जांच आयोग को सौंपे जाने के आधार पर यह प्रतिपादित किया था कि सभा में चर्चा होने से जांच प्रभावित हो सकती है अत: इसे सभा में नहीं लिया जाए। मैंने सभा को यह आश्वस्त किया था कि मैं जांच आयोग की अधिसूचना आदि पर विचार करूंगा एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर इसे किस प्रकार लिया जा सकता है अथवा नहीं, इस पर विचार करूंगा । न्यायालय अथवा न्यायिक आयोग के विचाराधीन विषयों पर सभा में चर्चा किस सीमा तक हो सकती है अथवा नहीं इस संबंध में प्रत्येक प्रकरण के गुण दोष के आधार पर निर्णय लिये जाते रहे हैं । अनेक अवसरों पर जांच प्रभावित न हो उस सीमा तक चर्चा सीमित करते हुए सभा में मामलों

को उठाने की अनुमति भी दी जाती रही है । इन सबके पीछे मूल भावना यह है कि न्यायाधीन मामलों संबंधी नियम के रूप में नियंत्रण के रूप में लागू करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था में सदस्यों एवं शासन पक्ष को अपनी बात रखने के लिए निषेध नहीं किया जा सकता व सभा में वाक स्वतंत्रता के विशेषाधिकार पर रोक न लगे ।

(दिनांक 15 जनवरी, 2010)

4. न्यायालय में विचाराधीन मामलों की जानकारी प्रथम अवसर पर ही विधान सभा को दी जानी चाहिए। न्यायालयीन कार्यवाही प्रभावित न हो, उस सीमा को ध्यान में रखते हुए प्रश्न किये जा सकते हैं.

जनपद पंचायत खैरागढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की भर्ती में अनियमितता संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री (सुश्री लता उसेंडी) द्वारा यह जानकारी दिये जाने पर कि यह मामला माननीय न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, राजनांदगांव में विचाराधीन है, न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर आगामी कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।

श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य द्वारा आपत्ति की गई कि मैंने जो आरोप लगाए हैं, उनका स्पेसीफिक तौर पर कोई उत्तर नहीं दिया गया है और केवल यह कहा गया है कि प्रकरण माननीय न्यायालय में पारित आदेश के आधार पर आगामी कार्यवाही सम्पादित की जाएगी । श्री अकबर ने आगे कहा कि अतिरिक्त कलेक्टर अर्धन्यायिक शक्ति है । यदि किसी फर्जीवाड़े को लेकर या कोई पीड़ित पक्ष के द्वारा कलेक्टर के पास कोई आवेदन प्रस्तुत हुआ है तो क्या इसका यह मतलब है कि विधान सभा के पास इस प्रकार का अधिकार नहीं है कि वह अनियमितताओं, फर्जीवाड़े, ग़लत नियुक्तियों को यहां पर उठा सकें ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) ने कहा कि क्वासी ज्यूडिशियल मामले को भी विधान सभा में उठाया जा सकता है, परन्तु चूंकि वह मामला जांच में है और यदि उस पर शासन कोई निर्णय लेता है तो उससे निर्णय प्रभावित होंगे इसलिए शासन उस समय का इंतज़ार करता है, जब तक उस न्यायालय से निर्णय न हो जाए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री रविन्द्र चौबे) ने कहा कि अगर मैटर सब-ज्यूडिश होता तो मैं समझता हूं कि आसंदी इसको स्वीकार भी नहीं करती । अगर आपने स्वीकार किया है और सदन में ध्यानाकर्षण आया है तो इसका मतलब यह है कि सदन में उत्तर आना चाहिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि माननीय विभागीय मंत्री ने न्यायालय में प्रकरण होने की जानकारी दी है, इसलिए अभी मामला रूका हुआ है, उन्होंने चर्चा या उत्तर रोकने की कोशिश नहीं की है ।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि :-

व्यवस्था

यदि कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है तो यहां चर्चा करते समय वहां की कार्यवाही प्रभावित न हो, उस सीमा को हम ध्यान रखते हुए प्रश्न कर सकते हैं । दूसरी बात यह है कि जब ध्यानाकर्षण जवाब के लिए दिया गया तो ग्राह्य करने के पहले विभाग को यह बात उसी समय जानकारी में लानी चाहिए थी । माननीय सदस्य श्री मोहम्मद अकबर प्रश्न कर सकते हैं ।

(दिनांक 15 मार्च, 2011)

5. जब तक किसी मामले में कानूनी कार्यवाही वस्तुत: प्रारंभ नहीं हो गई हो, मामला न्यायाधीन नहीं माना जाता ।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर जिले के कोरसागुड़ा एवं कोत्तागुड़ा के ग्रामीणों को नक्सली बताकर गोली मारे जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव की सूचना को आसंदी द्वारा प्रस्तुत किये जाने एवं गृहमंत्री जी द्वारा इस पर वक्तव्य दिये जाने के बाद, श्री बृजमोहन अग्रवाल (संसदीय कार्यमंत्री) ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि यदि कोई मामला न्यायाधीन हो या उस पर कोई जांच आयोग गठित किया गया हो तो ऐसे मामले में सदन में चर्चा नहीं होती । यदि चर्चा होती भी है तो चर्चा में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जांच प्रभावित न हो । इस बारे में आप जो निर्णय करेंगे, वह हमें स्वीकार होगा ।

श्री रविन्द्र चौबे (नेता प्रतिपक्ष) एवं श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने कहा कि जब हमने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी, उस समय हम इस बात से भिज्ञ थे कि इस विषय पर न्यायिक जांच की घोषणा की गई है, किंतु आज दिनांक तक जांच प्रारंभ नहीं हुई है । आज जब माननीय गृहमंत्री जी ने वक्तव्य दिया तो उसमें जांच की टर्म एण्ड कंडीशन्स का भी समावेश करना था ।

श्री ननकीराम कंवर (गृहमंत्री) ने जांच की विषय वस्तु से संबंधित बिंदुओं से सदन को अवगत कराया ।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि :-

व्यवस्था

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के द्वारा कुछ आपत्ति उठाई गई एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा उस आपत्ति के संदर्भ में नियम एवं प्रक्रिया संबंधी बात कही गई है । इसके अतिरिक्त गृहमंत्री द्वारा जांच आयोग के समक्ष जांच के बिंदुओं की भी जानकारी सदन को दे दी गई है । मैं समझता हूं कि सारी बातों का उल्लेख आ गया है । ये निश्चित रूप से किसी मामले के न्यायाधीन अथवा न्यायिक जांच की घोषणा होने मात्र से किसी विषय पर चर्चा नहीं हो सके इस संबंध में आसंदी के द्वारा पूर्व में भी अनेक व्यवस्थायें दी गई हैं । जब तक किसी मामले में कानूनी कार्यवाही वस्तुत: प्रारंभ नहीं हो गई हो, मामला न्यायाधीन नहीं माना जाता । प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर आसंदी द्वारा निर्णय लिया जाता है। मैं इस आपत्ति को निरस्त करता हूं ।

(दिनांक 12 जुलाई, 2012)

6. न्यायालय में लंबित मामले पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती.

माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल द्वारा, प्रदेश में स्थापित एवं निर्माणाधीन किन-किन संयंत्रों के विरूद्ध वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई कार्रवाई संबंधी प्रश्न संख्या 3 (क्र. 630) पर चर्चा के दौरान, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने की जानकारी देने एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली की कंडिका 19 का उल्लेख करते हुए बताया गया कि जो मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, उन पर चर्चा करना नियमों के अंतर्गत नहीं है ।

व्यवस्था

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मामला उच्च न्यायालय में लंबित है । माननीय सदस्य को भी यह जानकारी है । अत: मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं देता।

(दिनांक 10 फरवरी, 2014)

7. न्यायालय में लंबित मामलों पर चर्चा नहीं की जाती, किंतु राजस्व न्यायालय के विषय में यह लागू नहीं है ।

भा.रा.कां. के सदस्यों द्वारा शासकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किए जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की पुन: मांग किए जाने पर, श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने कहा कि हमारे विपक्ष के साथियों द्वारा लगातार एक मुद्दा उठाया जा रहा है । प्रक्रिया तथा कार्य संचालान संबंधी नियम में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के संबंध में नहीं होगा, जो प्रदेश के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय-निर्णयन के अंतर्गत हो और यह विषय राजस्व न्यायालय में लंबित है, इसलिए इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती ।

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने कहा कि राजस्व न्यायालय इस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए चर्चा की जा सकती है ।

व्यवस्था

माननीय शिवरतन शर्मा जी ने जो न्यायालय की बात कही है, कोई विषय न्यायाधीन है यह राजस्व न्यायालय के संबंध में लागू नहीं होता है। वैसे भी कोई मामला न्यायालय में लंबित हो तब भी विषय के गुण-दोष के आधार पर उस सीमा तक अनुमति दी जा सकती है, जो न्यायाधीन निर्णय पर टीका-टिप्पणी न हो।

(दिनांक 2 अगस्त, 2017)

निंदा प्रस्ताव

1. निंदा प्रस्ताव एक निश्चित विषय (जिस पर पूर्व में चर्चा न हुई हो) एवं हाल की किसी घटना से संबंधित होना चाहिए।

दिनांक 10 दिसम्बर, 2001 को माननीय अध्यक्ष ने सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर एवं श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी के विरूद्ध अलग-अलग प्रस्तुत निंदा प्रस्ताव को अग्राह्य किये जाने की जानकारी सदन को दी।

सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल ने निंदा प्रस्ताव की अग्राह्यता पर पुनर्विचार करने का अनुरोध आसंदी से किया था । निंदा प्रस्ताव को ग्राह्य कर सदन में चर्चा कराए जाने के संदर्भ में श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने अपने तर्क भी सदन में दिए थे। सत्ता पक्ष की ओर से मंत्रिगण सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, रविन्द्र चौबे, नंदकुमार पटेल ने तर्क प्रस्तुत कर आसंदी की व्यवस्था को यथावत रखने का अनुरोध किया था ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने तर्को के पक्ष में श्री गंगूराम बघेल, सदस्य ने भी अपने विचार सदन में रखे थे । सभी की बातें सुनने के बाद माननीय अध्यक्ष ने मामले में विस्तृत व्यवस्था बाद में देने की व्यवस्था दी थी।

विचाराधीन मामले में माननीय अध्यक्ष ने निम्नानुसार व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

निंदा प्रस्ताव के संबंध में नियमावली का नियम 130 से 137 लागू होता है और इस प्रस्ताव को ग्राह्य करने के संबंध में जो शर्तें नियम 132 में दी गई हैं, वे इस प्रकार हैं :-

1. उसमें सारत: एक निश्चित मामला उठाया जाना चाहिए।

2. उसमें कोई तर्क, अनुमान, व्यंगात्मक पद, लांछन या मानहानिकारक कथन न हो।

3. व्यक्तियों की सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उनसे आचरण या चरित्र के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया हो।

4. वह हाल ही की किसी घटना से संबंधित विषय तक ही सीमित हो।

5. उसमें विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठाया गया हो।

6. उसमें किसी विषय पर पुन: चर्चा उठाने की बात नहीं की गई हो।

7. प्रस्ताव में किसी ऐसे विषय पर चर्चा करने का प्रयत्न नहीं किया हो जिस पर उसी सत्र में चर्चा होने की आशा हो।

8. वह ऐसे किसी विषय के संबंध में नहीं होना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयन के अधीन हो।

उपरोक्त शर्तों के संदर्भ में यदि विचाराधीन निंदा प्रस्ताव को देखा जाए तो निम्न स्थितियां सामने आती हैं :-

विचाराधीन निंदा प्रस्ताव में एकाधिक विषय उठाए गए हैं और एक निश्चित मामला न हो कर अनेक मामलों का इसमें उल्लेख है। इसमें मुख्यमंत्री के आदिवासी न होने के साथ ही साथ बीमारियों से आदिवासियों की मौत, भूख से मृत्यु और आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार का मामला भी है, राज्योत्सव और जिंदल समूह से विद्युत के अनुबंध का मामला भी प्रस्ताव में शामिल है।

मुख्यमंत्री का आदिवासी न होने की बात कहना वर्तमान में एक अनुमान ही है क्योंकि मामला न्यायलय में चल रहा है अत:आदिवासियों की बीमारियों से मौत होने, भूख से मौत होने, आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार होने का कारण मुख्यमंत्री का आदिवासी न होना बताना नियमावली के नियम 132 (2) की भावनाओं के भी विपरीत है।

जो मामले प्रस्ताव में उठाए गए हैं वे हाल की किसी घटना से संबंधित भी नहीं है, जिंदल समूह के साथ विद्युत समझौता काफी समय पूर्व हुआ है और इस मामले में विगत सत्र में भी प्रश्न एवं अन्य चर्चाएं आई थीं । चिकित्सा के अभाव में आदिवासियों की मौत, भूख से आदिवासियों की मौत और आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले विगत सत्र में भी चर्चा में आए हैं। तात्पर्य यह है कि जिन विषयों पर मामले प्रस्ताव में उठाए गए हैं या जिनको आधार बनाकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, वे सभी मामले पूर्व में ही चर्चा में आ चुके हैं ।

आदिवासी विकास परिषद की आयोजित बैठक का मामला इसी सत्र में दिनांक 21.11.2001 को चर्चा में आ चुका है और इस पर 28.11.2001 को एक तारांकित प्रश्न श्री शिवरतन शर्मा का भी है, जिसके माध्यम से उत्तर दिया जा चुका है।

वाड्रफनगर में चिकित्सा के अभाव मे आदिवासियों की मृत्यु का मामला भी इसी सत्र में 6.12.2001 को चर्चा में आया है और इस पर विस्तृत चर्चा हुई है।

भूख से मौत का मामला इस सत्र में भी चर्चा में आया है और आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार का मामला भी 4 दिसम्बर, 2001 को ही ध्यानाकर्षण के माध्यम से चर्चा में लिया जा चुका है।

प्रस्ताव के बिन्दु क्रमांक-3 में राज्योत्सव का विषय उठाया गया है । इस मामले में भी 26.11.2001 को ध्यानाकर्षण के माध्यम से चर्चा हो चुकी है और राज्योत्सव के व्यापार मेले के आयोजन के संबंध में रोटरी क्लब के साथ किए गए अनुबंध में अनियमितता का मामला भी 28 नवम्बर, 2001 को ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन में लिया जा चुका है । 28.11.2001 को ही तारांकित प्रश्न के उत्तर में राज्य शासन ने इसी विषय पर सदस्य श्री शिवरतन शर्मा द्वारा चाही गई जानकारी दी है।

प्रस्ताव के बिन्दु क्रमांक-4 जिंदल समूह के साथ बिना मंत्रि-परिषद की स्वीकृति के विद्युत समझौता के संबंध में है। इस मामले में इसी सत्र में दिनांक 27.11.2001 को नियम-139 के तहत सदस्यों ने चर्चा की है। यही नहीं विगत सत्र में 23.7.2001 को सर्वश्री अजय चन्द्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्यों के अलग-अलग प्रश्नों और 25.7.2001 को श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य के प्रश्न पर सदस्यों द्वारा चाहा गया उत्तर भी सदन में दिया जा चुका है और इस विषय पर अन्य माध्यमों से भी पूर्व सत्र में चर्चा हो चुकी है।

सारांश यह है कि विचाराधीन प्रस्ताव नियम-132(6) का पालन भी नहीं करता।

मुख्यमंत्री अजीत जोगी के गैर आदिवासी होने का मामला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने इस संबंध में निर्णय भी दिया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग भी एक पक्षकार है। सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर और शिवरतन शर्मा भी, जो इस निंदा प्रस्ताव के प्रस्तावक हैं, ने भी इस न्यायालयीन मामले में पक्षकार होना चाहा है।

इस प्रकार विचाराधीन प्रस्ताव नियम-132(8) की अपेक्षाओं के भी प्रतिकूल है।

विचाराधीन प्रस्ताव में जो प्रमुख बात उठाई गई है, वह मुख्यमंत्री के आदिवासी न होने के बारे में है और आदिवासी विकास परिषद की बैठक के संदर्भ में है वस्तुत: यही प्रस्ताव का प्रथम और प्रमुख बिन्दु है। जैसा कि मैंने बताया कि इस विषय पर दिनांक 21 नवम्बर, 2001 को ही स्थगन के माध्यम से चर्चा हो चुकी है और स्थगन प्रस्ताव स्वयं ही शासन के प्रति निंदा का प्रस्ताव होता है।

इस विषय पर मैंने मध्यप्रदेश विधान सभा में प्रस्तुत हुए निंदा प्रस्तावों का भी अवलोकन किया है। मध्यप्रदेश विधान सभा में पहला मामला दिनांक 9 अप्रैल, 1975 को सदस्य श्री कैलाश जोशी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उन्होंने देश में बढ़ती हुई हिंसा की प्रवृत्ति का निंदा प्रस्ताव दिया था और यह प्रस्ताव एक निश्चित मामले पर होने के कारण ग्राह्य हुआ था और विचारोपरांत स्वीकृत भी हुआ था।

दिनांक 8 सितम्बर, 1978 को तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष श्री अर्जुन सिंह ने एक निंदा प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वीरेन्द्र कुमार सकलेचा के विरूद्ध किया था, जो नर्मदा न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यप्रदेश का पक्ष प्रस्तुत करने में किए गए आचरण से मध्यप्रदेश के हितों की हानि के संबंध में था । यह प्रस्ताव भी नियमानुकूल था। अत: ग्राह्य हुआ और इस प्रस्ताव पर 8 और 9 सितम्बर, 1978 को चर्चा हुई थी और प्रस्ताव विचारोपरांत अस्वीकृत किया गया था।

दिनांक 20 नवम्बर, 1997 को एक निंदा प्रस्ताव श्री कैलाश विजयवर्गीय एवं अन्य सदस्यों द्वारा लिखीराम कावरे(तत्कालीन वन राज्य मंत्री) के विरूद्ध जमीन की रजिस्ट्री धोखाधड़ी से एवं पद का दुरूपयोग कर कराए जाने के संबंध में दिया गया था जिसे माननीय अध्यक्ष ने 20 नवम्बर, 1997 को ही नियमानुकूल न होने से अग्राह्य किया था।

आप पाएंगे कि चर्चा में लिए गए दोनों निंदा प्रस्ताव एक निश्चित विषय पर थे।

मैंने इस मामले में लोकसभा में आए निंदा प्रस्ताव भी देखें, वहां भी इन्हीं नियमों और प्रावधानों के तहत ही प्रस्ताव ग्राहय कर विचार में लिए गए हैं।

आप स्वयं भी सहमत होंगे कि जो विषय किसी न किसी रूप में सदन में चर्चा में आ चुके हैं, उन पर पुन: किसी अन्य माध्यम से चर्चा वैसे भी वर्जित है। मैं ऐसे मामलों पर पुन: चर्चा का औचित्य भी नहीं देखता।

चूंकि सदस्यों द्वारा प्रस्तुत तीनों प्रस्ताव ग्राहयता की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं इसलिए मैंने इन्हें अग्राहय किया है।

(दिनांक 14, दिसम्बर, 2001)

2. मंत्रि-मण्डल के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव एवं कतिपय मंत्रियों के विरूद्ध निंदा प्रस्ताव पर एक साथ चर्चा की जा सकती है।

अविश्वास प्रस्ताव एवं निंदा प्रस्ताव पर एक साथ चर्चा के संबंध में मान.अध्यक्ष द्वारा निम्नानुसार व्यवस्था दी गई :-

व्यवस्था

माननीय सदस्य सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा एवं नारायण प्रसाद चंदेल द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री अमितेष शुक्ल। माननीय सदस्य सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री कृष्णकुमार गुप्ता। सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा द्वारा कृषि मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह । सर्वश्री नारायण प्रसाद चंदेल एवं शिवरतन शर्मा द्वारा वित्तमंत्री डॉ.रामचन्द्र सिंहदेव के विरूद्ध चार पृथक-पृथक निंदा प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उक्त निंदा प्रस्ताव के साथ ही माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य 16 सदस्यों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री एवं उनके मंत्रि परिषद् के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना भी प्राप्त हुई है ।

चूंकि अविश्वास प्रस्ताव नियमानुकूल पाया गया है और कार्य मंत्रणा समिति में उस पर चर्चा हेतु तिथि का निर्धारण भी हो चुका है, अत: अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सरकार के मंत्रियों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के लिए चर्चा का अवसर भी उपलब्ध रहेगा। अत: मैंने निंदा प्रस्तावों पर अलग से चर्चा के लिए सम्मति नहीं दी है, किंतु इस आशय की अनुमति दी है कि जिन सदस्यों ने निंदा प्रस्ताव दिया है, वे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन आरोपों पर भी अपना पक्ष रख सकते हैं।

(दिनांक 29 जुलाई, 2003)

3. निंदा से बढ़कर कोई सजा नहीं होती.

(श्री अमित जोगी सदस्य द्वारा शिक्षकों की आउटसोर्सिंग संबंधी दस्तावेज प्रमुख सचिव विधान सभा की मेज पर रखने के दौरान)

श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य ने शिक्षकों की भर्ती आउटसोर्सिंग से किए जाने के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की । जिस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अग्राहय कर दिया है ।

श्री अमित अजीत जोगी ने, दिनांक 23 जुलाई को स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री केदार कश्यप) द्‌वारा कहे कए वाक्य का उल्लेख किया । जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि स्थानीय उपलब्ध हैं तो उपलब्ध करवाइए, आपमें इतनी ताकत है तो । इसके संबंध में हमने चुनौती को स्वीकार करते हुए स्थानीय लोगों की सूची बनाई और माननीय मंत्री जी को सौंपना चाहते हैं ।

श्री अमित अजीत जोगी सहित प्रतिपक्ष के अनेक सदस्यों ने एक सूची प्रमुख सचिव, विधान सभा की मेज पर रखी।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के व्यवहार की घोर निंदा की। माननीय अध्यक्ष के निर्देश पर प्रतिपक्ष के सदस्यों द्‌वारा पुस्तक वापस ली गई।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि नियम 250 (1) के अंतर्गत गर्भगृह में आना एवं नारे लगाते हुए प्रमुख सचिव की मेज पर पुस्तक रखना अनुचित है। माननीय सदस्यों को निलंबित किया जाना चाहिये।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्‌वारा कथन किया गया कि माननीय सदस्य पटल पर पुस्तक रखने गये थे, उनकी गर्भगृह में जाने की मंशा नहीं थी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्‌वारा नारे लगाये जाने पर माननीय अध्यक्ष व्यवस्था दी कि अगर इस प्रकार से अनुशासनहीनता होगी तो निश्चित रूप से कार्यवाही भी होगी। इस सदन की गरिमा को बनाना हम सबका दायित्व है।

व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - आसंदी सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिए पूर्णत: सजग है। इसलिए इसमें किसी भी सदस्य को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्यगण यहां कुछ कागजात वगैरह रखने के हिसाब से आ गये थे। उनके वेल में आने की, जैसा कि भूपेश बघेल ने कहा, उनकी कोई नीयत इस प्रकार की नहीं थी कि हम वेल में जा रहे हैं और जैसे ही वे वेल में आये और कागज वहां पर रख रहे थे तो मैंने उनके इस कृत्य पर घोर निंदा की। मैंने उनको निंदित किया और निंदा से बढ़कर कोई सजा नहीं होती। इसलिए मैं समझता हूं कि अब ये बात यहीं पर समाप्त हो जाती है।

(दिनांक 23 दिसम्बर, 2015)

निष्कासित सदस्य की दलीय सम्बद्धता

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से निष्कासित सदस्य की दलीय सम्बद्धता के संबंध में माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्‌वारा पारित निर्णय एवं आदेश (दिनांक 15 मार्च, 2016)

(सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी दल से निष्कासित सदस्य को असम्बद्ध कहना संविधन की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत मान्य नहीं है । वह सदस्य स्वतंत्र रूप से कार्यवाही में हिस्सा ले सकेगा)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य को दल से निष्कासित किए जाने के पश्चात् सदन में उनकी दलीय सम्बद्धता के संबंध में माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी -

व्यवस्था

छत्तीसगढ़ विधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधायक दल के नेता (नेता प्रतिपक्ष) ने मुझे दिनांक 25.2.2016 को यह सूचित किया है कि माननीय श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा को दिनांक 6.1.2016 से 6 वर्षों के लिए कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है, फलस्वरूप वे कांग्रेस विधायक दल से असम्बद्ध हो गए हैं तथा छत्तीसगढ़ विधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कुल सदस्यों की संख्या 38 है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधायक दल के नेता माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव ने अपने पत्र के साथ माननीय श्री अमित अजीत जोगी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किए जाने संबंधी महामंत्री (कार्य./प्रशा.), छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित आदेश दिनांक 6.1.2016 एवं निष्कासन के फलस्वरूप कांग्रेस विधायक दल द्वारा विधान सभा की कार्यवाही में पार्टी से असम्बद्ध किए जाने हेतु समुचित निर्देश जारी करने हेतु माननीय नेता प्रतिपक्ष को सम्बोधित पत्र एवं निष्कासन की अधिकारिता के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान के संबंधित अंश को उद्धृत करने वाले प्रावधान की फोटोप्रति भी संलग्न की है ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक दल के नेता के द्वारा दी गई सूचना एवं संलग्न दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि माननीय सदस्य श्री अमित अजीत जोगी को अधिकारिता के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निष्कासन संबंधी कार्यवाही से मुझे अवगत कराया गया है ।

मेरे समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या किसी राजनीतिक दल द्वारा दल से निष्कासित इस सभा के सदस्य को संविधान की दसवीं अनुसूची एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत सभा में असम्बद्ध सदस्य के रूप में मान्यता दी जा सकती है?

मैंने इस संबंध में लोक सभा के उद्धरणों, संविधान की दसवीं अनुसूची व नियमों तथा उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णयों पर भी मनन किया ।

विचारणीय प्रश्न यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने के फलस्वरूप संविधान की दसवीं अनुसूची एवं इसके अंतर्गत बनाये गये **छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1986** के प्रावधानों के तहत:-

(1) क्या सदन में माननीय सदस्य श्री अमित अजीत जोगी की दलीय सम्बद्धता वाली स्थिति में परिवर्तन हुआ है ? और

(2) क्या श्री अमित अजीत जोगी को सभा में कांग्रेस पार्टी से असम्बद्ध किये जाने हेतु निर्णय करने की अधिकारिता विधान सभा अध्यक्ष को है ?

(3) क्या माननीय सदस्य श्री अमित अजीत जोगी का दल से निष्कासन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है ?

भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के क्रमांक-2 दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता में निम्नानुसार प्रावधानित है:-

2. **दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता** - (1) पैरा 4 और पैरा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदन का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का सदस्य होने के लिए उस दशा में निरर्हित होगा जिसमें-

(क) उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है, या

(ख) वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा जिसका वह सदस्य है अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निदेश के विरूद्ध, ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसे सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है और ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है ।

स्पष्टीकरण - इस उप पैरा के प्रयोजनों के लिए -

(क) सदन के **किसी निर्वाचित सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल का, यदि कोई हो, सदस्य है जिसने उसे ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में खड़ा किया था ।"**

उच्चतम न्यायालय ने दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत जी. विश्वनाथन विरूद्ध अध्यक्ष, तमिलनाडु विधान सभा के प्रकरण में यह स्पष्ट किया है कि **"किसी सदस्य को असम्बद्ध कहना, संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत मान्य नहीं है ।"** दसवीं अनुसूची में सदस्यों को सभा में उनके **प्रवेश के आधार** पर ही वर्गीकृत किया जा सकता है अर्थात या तो किसी **राजनीतिक दल** को अथवा राजनीतिक दल से अलग जिसे सामान्यतः **निर्दलीय** कहा जाता है या फिर ऐसे सदस्य जिन्हें **नामांकित** किया गया हो ।

अमर सिंह विरूद्ध भारत सरकार एवं जयाप्रदा विरूद्ध भारत सरकार के एक प्रकरण में उच्चतम न्यायालय की दो सदस्यीय खण्डपीठ ने निष्कासित सदस्यों के निष्कासन के पश्चात् दसवीं अनुसूची के प्रावधानों को उनके ऊपर लागू होने से उन्मुक्ति प्रदान करते हुए निष्कासित सदस्यों की स्थिति एवं ऐसे सदस्य पर संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा दो किस सीमा तक लागू होगा ? तथा राजनीतिक दल से निष्कासित सदस्य की वैधानिक स्थिति क्या होगी ? पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठ पीठ को सौंपने की अनुशंसा की, जो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठ पीठ के समक्ष विचाराधीन है ।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि किसी सदस्य को किसी दल से सम्बद्ध माने जाने के लिए दसवीं अनुसूची एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता और किसी सदस्य को असम्बद्ध माने जाने संबंधी कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है, यह सामान्य बोलचाल का शब्द है, जो विधि के अंतर्गत मान्यता नहीं रखता ।

मैंने सभा में दिनांक 2 मार्च, 2016 को हुई कार्यवाही का भी अवलोकन किया । सभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एकाधिक बार यह स्पष्ट किया है कि माननीय सदस्य श्री अमित अजीत जोगी को निष्कासित कर दिया गया है और वे उनके दल के सदस्य नहीं है । मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान के दल से निष्कासन संबंधी प्रावधानों का मनन किया और मैं इस बात से सहमत हूं कि माननीय सदस्य श्री अमित अजीत जोगी का निष्कासन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के द्वारा किया गया है । वर्तमान में यद्यपि उनकी अपील विचाराधीन है, किन्तु अपील पर किसी प्रकार का कोई स्थगन आदि नहीं है । अतः मैं माननीय सदस्य श्री अमित अजीत

जोगी के निष्कासन को माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन में दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान परिस्थिति में अंतिम स्थिति मानता हूं।

उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचना से यह संदेहरहित है कि स्थापित अद्यतन प्रक्रिया के अनुसार माननीय सदस्य श्री अमित अजीत जोगी को असम्बद्ध सदस्य के रूप में अभिलिखित नहीं किया जा सकता या दल से निष्कासन के फलस्वरूप उनके संवैधानिक स्थिति अर्थात **"जिस दल से वे निर्वाचित हुए हैं, उसका सदस्य समझा जायेगा"** की स्थिति को निष्कासन के फलस्वरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णय के अनुसार क्योंकि निष्कासित सदस्यों को दसवीं अनुसूची के प्रावधान लागू होने से उन्मुक्ति प्रदान की गई है, अतः माननीय सदस्य श्री अमित अजीत जोगी पर दसवीं अनुसूची के प्रावधान लागू नहीं होंगे और सदन में वे **स्वतंत्र** अर्थात **Free (Politically independent)** रूप से कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे।

(दिनांक 15 मार्च, 2016)

परिचय

मंत्रि-परिषद् के सदस्यों का सदन में परिचय अनिवार्य नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान औचित्य का प्रश्न उठाया कि विधान सभा की कार्य संचालन प्रक्रिया तथा नियम में सभा के समक्ष कार्य के क्रम में तीसरे क्रम पर मंत्रियों के परिचय का उल्लेख है । सदन में पहली बार मंत्रियों का परिचय होना चाहिए । किंतु आज की कार्यसूची में मंत्रियों के परिचय वाला विषय नहीं रखा गया है अगर आप

उचित समझें तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रियों का परिचय अभी करवा दें तो ज्यादा उचित होगा । इस पर निम्नलिखित व्यवस्था दी गई :-

व्यवस्था

श्री बृजमोहन अग्रवाल ने दो बिन्दुओं पर आपत्ति प्रकट करते हुए, व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। पहला तो यह कि जो सदन के नेता हैं मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री, वे यदि बैठे हैं, तो मंत्रिमण्डल के सदस्यों का परिचय करवायें । ये जो प्रावधान होते हैं, इसमें से कुछ अनिवार्यमूलक होते हैं, अपरिहार्य होते हैं और कुछ परम्परागत होते हैं, सामान्य होते हैं । इस दृष्टि से हमारी नियमावली में जो प्रावधान हैं, उस प्रावधान को शिथिल करने का अधिकार विधान सभा अध्यक्ष को है । कुछ मौलिक रूप से शिथिल होते हैं, कुछ मान लिये जाते हैं, परिचय करा देना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रतिष्ठा का भी सवाल नहीं है । नहीं हुआ, तो कोई संवैधानिक भूल हो गई, चूक हो गई, ऐसा भी नहीं है, यह कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं । अभी भी सदन यह चाहता है कि विधान सभा में परिचय कराना जरूरी है तो गिरा अरथ जल भिन्न सम, कहियत भिन्न न भिन्न बदउ सीता राम पर जिन्हहि परम प्रिय खिन्न, तो आप सब इतने अभिन्न हैं, एक दूसरे से इतने परिचित हैं कि परिचय कराना औपचारिकता ही रहेगी । सरकार को चलते हुए, मंत्रिमण्डल को कार्य करते हुए भी महीने, डेढ़ महीने का समय बीत चुका है फिर भी मैं एक पत्रक सभी माननीय विधान सभा सदस्यों को जारी करा दूंगा।

(दिनांक 19 दिसम्बर, 2000)

परिचय पत्र एवं कार पास

1. माननीय सदस्यों को भी परिचय पत्र एवं कार पास यथास्थान लगाना चाहिए ताकि विधान सभा की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे एवं उन्हें भी परेशानी न हो ।

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने मान. अध्यक्ष का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि विधान सभा के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मियों ने स्वयं का परिचय देने के बावजूद उनकी गाड़ी में पास न लगे होने के कारण परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया एवं दुर्व्यवहार किया । इस पर मान. अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

यह जानते हुए भी कि कोई विधान सभा का माननीय सदस्य है और उनके आने में रुकावट पैदा करे तो उसके खिलाफ जरूर कार्यवाही करेंगे, लेकिन माननीय सदस्यों से भी आग्रह है कि वे कृपया अपने परिचय पत्र और कार-पास, यथा स्थान लगाएं ताकि सुरक्षा संबंधी व्यवस्था दुरूस्त रहे । इस कार्य में आप सभी का सहयोग अत्यंत आवश्यक है ।

(दिनांक 22 फरवरी, 2005)

पटल

1. पटल पर रखी गई अधिसूचनाओं का परीक्षण प्रत्यायुक्त विधान समिति करती है.

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पटल पर रखी गयी अधिसूचनाओं के संबंध में श्री भूपेश बघेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा आपत्ति ली गई कि विधेयक लागू करने के लिए यदि उसके नियम बन गये हैं तो नियम बनने के बाद जो विधान सभा के प्रथम सत्र में उन नियमों को सभा पटल में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वर्ष 2013 के नियम/अधिसूचनाएं अभी पटल पर रखी जा रही है। इस बीच कितने सत्र हो

गए ? उसके बाद भी आज सदन के पटल पर रखा जाना आपत्तिजनक है, यह सदन की अवमानना है ।

व्यवस्था

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि इन अधिसूचनाओं का परीक्षण प्रत्यायुक्त विधान समिति भी करेगी कि नियम, अधिनियम की मंशा के अनुरूप बने हैं या नहीं और यह भी कि समय पर प्रस्तुत किये या नहीं। यदि विलंब से प्रस्तुत किए हैं तो उसके क्या कारण हैं? इस पर समिति अपना प्रतिवेदन भी देगी।

(दिनांक 13 जुलाई, 2016)

पारित प्रस्ताव पर पुनर्विचार

1. सभा द्वारा पारित किसी प्रस्ताव पर, इस सभा को पुनर्विचार करने का अधिकार प्राप्त है

नियम 139 के अंतर्गत प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति संबंधी नियम 139 के अंतर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा के दौरान श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य द्वारा कांग्रेस पार्टी के शासन काल में सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को पुन: विशेषाधिकार समिति में पुनर्विचार हेतु भेजने का उल्लेख करने पर श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति करते हुए माननीय अध्यक्ष से व्यवस्था चाही।

व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - माननीय नेता प्रतिपक्ष ने प्वाईंट आफ आर्डर उठाया था । सभा में संपादित कार्य नियमों एवं परंपराओं के आधार पर संपादित होते हैं। सभा द्वारा पारित कोई प्रस्ताव पर, इस सभा को पुनर्विचार करने का अधिकार प्राप्त है और पुनर्विचार के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं । कृपया माननीय सदस्य सभा की कार्यवाही पर टीका टिप्पणी न करें।

(दिनांक 11 जुलाई 2016)

पार्टी व्हिप

1. कांग्रेस पार्टी के दो सदस्यों द्वारा व्हिप के उल्लंघन के संबंध में

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य एवं श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा के उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान कांग्रेस दल के द्वारा अपने सदस्यों के लिए जारी व्हिप का, दल के दो सदस्यों द्वारा उल्लंघन किये जाने संबंधी सूचना दिये जाने का उल्लेख किया गया। श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने कांग्रेस दल से स्थिति स्पष्ट न किये जाने पर दोनों सदस्यों की दल से सदस्यता समाप्त करने की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि सूचना 11.45 बजे प्राप्त हुई है। वे इस पर विचार करने के पश्चात् निर्णय देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री एवं श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने उल्लेख किया कि अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा। दोनों सदस्य कांग्रेस के हैं या नहीं अथवा सदन के सदस्य हैं या नहीं यह निर्णय होने के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ होनी चाहिए।

व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि 10 वीं अनुसूची के अंतर्गत निर्णय की एक प्रक्रिया है। इसमें माननीय सदस्यों की इच्छानुसार निर्णय नहीं लिया जा सकता है। सूचना नियमों की पूर्ति नहीं करती इसलिए उन्होंने इसे अग्राह्य कर दिया है।

(दिनांक 24 जुलाई, 2015)

प्रतिवेदन पर चर्चा

1. समिति के प्रतिवेदन पर सदन में चर्चा हो सकती है।

अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग में फर्नीचर क्रय में हुई अनियमितता की जांच हेतु सभा द्वारा गठित जांच समिति के प्रतिवेदन पर श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य द्वारा चर्चा प्रारंभ करने पर श्री महेन्द्र कर्मा, उद्योग मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि इस समिति का जांच प्रतिवेदन 3 अगस्त, 2001 को सदन के पटल पर रखा गया था और 8 अगस्त, 2001 को विधान सभा सचिवालय द्वारा कार्यवाही एवं पालन प्रतिवेदन हेतु शासन और विभाग को भेजा गया। जब माननीय अध्यक्ष की अनुमति से इस सदन में इस प्रतिवेदन पर चर्चा होना है तब वह किस विशेषाधिकार के तहत् विधान सभा सचिवालय द्वारा कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन मांगा गया है । अगर किसी विशेषाधिकार के तहत् मांगा गया था तो फिर सदन में इस प्रतिवेदन पर बहस का औचित्य क्या है ?

इस पर मान.अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

सदन की समिति ने सम्पूर्ण विचार-विमर्श करने के बाद अपना प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा और सदन के पटल पर रखने के पश्चात् वह इस सदन की प्रॉपर्टी हो जाती है और माना जाता है कि समिति ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है वह सदन की मंशा को व्यक्त करता है और इस आधार पर किसी विशेष अधिकार से नहीं बल्कि पूर्ण अधिकार से जो इस विधान सभा सचिवालय को प्राप्त है उसके तहत् वह शासन व विभाग को भेजा गया और शासन इस पर क्या कार्यवाही कर रहा है उसकी भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार इस विधान सभा को है।

संसदीय प्रजातंत्र में सुप्रीमेसी पार्लियामेंट की होती है, विधान सभा की होती है और इसके लिए कार्यपालिका जवाबदार होती है । कार्यपालिका से जवाब लेने का अधिकार विधान सभा को प्राप्त है जो कि पहले भी था, अब भी है, भविष्य में भी रहेगा। रहा सवाल चर्चा का, तो चर्चा का सवाल इसलिए है कि इस सदन की समिति ने फर्नीचर काण्ड, जो कि इतना बड़ा विषय इस विधान सभा में आया, जिस पर सदन की समिति बनाई गई । सदन की समिति के निर्णय को पक्ष और प्रतिपक्ष अमान्य नहीं करेंगे या इसमें मतदान होगा, ऐसा कुछ नहीं है, केवल चर्चा होगी। सदन ही एक ऐसा मंच है जिसके अंतर्गत इस प्रकार की सारी बातों पर चर्चा और विचार-विमर्श किया जा सकता है । इसलिए मैं इस प्वाइंट ऑफ ऑर्डर को निरस्त करता हूं।

(दिनांक 28 नवम्बर, 2001)

2. समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त होने के बाद ही प्रतिवेदन पर चर्चा प्रासंगिक है ।

अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग में फर्नीचर क्रय में हुई अनियमितता की जांच हेतु सभा द्वारा गठित जांच समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा प्रारम्भ होने पर सर्वश्री महेश तिवारी, बृजमोहन अग्रवाल, ननकीराम कंवर तथा नेता प्रतिपक्ष श्री नन्दकुमार साय ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुये कहा कि सदन की जांच समिति की अनुशंसाओं पर शासन की ओर से कार्यन्वयन प्रतिवेदन आने के बाद ही एक साथ प्रतिवेदन पर चर्चा कराई जाये । जब तक शासन की ओर से कार्यान्वयन प्रतिवेदन नहीं दे दिया जाता तब तक इस प्रतिवेदन पर चर्चा को रोका जाए । सदस्यों ने यह भी कहा कि उनकी जानकारी में यह तथ्य आया है कि इस मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से प्रथमत: जांच करवायी जा रही है । जांच समिति के प्रतिवेदन का आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सौंप कर उसकी जांच करवाना सदन की अवमानना है । सदस्यों का कहना था कि मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये ।

संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि जहां तक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की बात है अगर प्रतिवेदन पर चर्चा शुरू होने के पूर्व ये सारी बातें आ जातीं तो उस समय उसका उत्तर दिया जाना अलग बात होती, जब इस पर चर्चा प्रारम्भ हो चुकी है ऐसी स्थिति में केवल पालन प्रतिवेदन के प्रस्तुत न करने के कारण चर्चा रोकना उचित नहीं है।

माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों की आपत्ति पर विचार कर उसे औचित्यपूर्ण माना और सामान्य प्रशासन मंत्री श्री कृष्णकुमार गुप्ता को निर्देशित किया कि कार्यपालन प्रतिवेदन लिखित में विधान सभा को देने के पश्चात् ही प्रतिवेदन पर चर्चा होगी ।

श्री नन्दकुमार पटेल, गृहमंत्री तथा रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने माननीय अध्यक्ष से व्यवस्था पर पुनर्विचार का निवेदन करते हुए कहा कि समिति के प्रतिवेदन पर बिन्दुवार क्या-क्या कार्यवाही की गई है, वह सदन को मौखिक रूप से बताने के लिये सामान्य प्रशासन मंत्री जी तैयार हैं ।

माननीय अध्यक्ष की अनुमति से सामान्य प्रशासन मंत्री श्री कृष्ण कुमार गुप्ता ने कार्यपालन प्रतिवेदन की बिन्दुवार सदन में मौखिक जानकारी प्रस्तुत की ।

इस पर मान.अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

अभी जो सामान्य प्रशासन मंत्री ने सदन में पालन प्रतिवेदन की बिन्दुवार जानकारी दी है, उसकी प्रतियां माननीय सदस्यों को खानेदार आलमारी से वितरित करा दी जाएगी और उस पर सदन विचार करेगा तथा मत रखेगा, तब तक के लिए आगे की कार्यवाही भी स्थगित की जाती है ।

(दिनांक 29 नवम्बर, 2001)

प्रश्न/प्रश्नकाल का स्थगन

1. प्रश्नों के उत्तर शासन को समय सीमा में देना चाहिए।

दिनांक 1 मार्च, 2001, को ता.प्र.सं.2 (क्रमांक 149) खैरागढ़ विकासखण्ड की ग्राम पंचायतों के सरपंचों से शासकीय राशि की वसूली संबंधी प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी द्वारा उत्तर दिया गया था कि जानकारी एकत्रित की जा रही है । इस पर सर्वश्री बनवारीलाल अग्रवाल एवं महेश तिवारी ने यह आपत्ति उठाई कि 21 दिन पहले प्रश्न पूछने के बाद भी जानकारी अप्राप्त है, यह उचित नहीं है । इस पर मान.अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

वस्तुत: इसमें दो मत नहीं है कि 21 दिनों पहले या पर्याप्त समय पहले प्रश्न पूछे जाते हैं । 21 दिन का समय पर्याप्त है यदि कोई दिक्कत है तो समय के पहले आवेदन करना चाहिए । इसलिए भविष्य में संसदीय कार्यमंत्री जी इस चीज को देखें कि उत्तर समय पर मिले । मैं इस प्रश्न का समय आगे बढ़ा देता हूं इस विभाग के उत्तर देने की आगामी, जो तारीख है उस तारीख को यह प्रश्न पहले नम्बर पर आएगा । भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए ।

(दिनांक 01 मार्च, 2001)

2. प्रश्नकाल में न तो व्यवस्था का प्रश्न उठता है और न ही प्रश्नकाल को स्थगित किया जाना चाहिये ।

दिनांक 21 मार्च, 2001 को प्रश्नकाल शुरू होते ही श्री नन्दकुमार पटेल, गृहमंत्री ने केन्द्र सरकार के विरूद्ध निन्दा प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति की मांग करते हुये कहा कि उनका प्रस्ताव तीन दिन से विचाराधीन है । श्री नन्दकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि

प्रश्नकाल बड़ा महत्वपूर्ण होता है इसलिये व्यवधान करके प्रश्नकाल को रोकना उचित नहीं है, जो बातें कहनी हैं नियमों के तहत प्रश्नकाल के बाद कही जानी चाहिये और प्रश्नकाल विधिवत संचालित होना चाहिये । कई माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति की मांग किये जाने पर मान. अध्यक्ष ने इस संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

प्रश्नकाल के बीच में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है । लोक सभा अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल के कार्यकाल में राष्ट्रीय स्तर पर समस्त पार्टियों के नेताओं और मुख्य सचेतक की बैठक में यह सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था कि चाहे जैसी भी विषम से विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हों, प्रश्नकाल को स्थगित नहीं किया जाना चाहिये । अगर माननीय सदस्य कोई बात कहना चाहते है तो उनको रोक नहीं है, लेकिन उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, जैसा कि गृहमंत्री जी द्वारा कहा गया कि तीन दिन से उनके द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा करने की मांग की जा रही है तो वे कौन से प्रस्ताव पर, किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं उनके द्वारा अब तक लिखकर नहीं दिया गया है ।

(दिनांक 21 मार्च, 2001)

3. यदि एक ही प्रश्न दो विभागों से संबंधित हो तो जिस विभाग से प्रश्न पूछा गया है, वह उसका उत्तर दें ।

वृंदावन फार्म हाऊस के मालिक द्वारा की जा रही अवैध शराब बिक्री सबंधी ता.प्र.संख्या 05 (क्रमांक 1316) दिनांक 7.12.2001 पर चर्चा के दौरान सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा औषधि लायसेंस प्राप्त व्यक्ति द्वारा अवैध शराब बिक्री करने के कारण उसका लायसेंस निरस्त करने संबंधी प्रश्न किए जाने पर वित्त मंत्री श्री रामचन्द्र सिंहदेव द्वारा उत्तर दिया गया कि दवाई लायसेंस निरस्त करना स्वास्थ्य विभाग का

काम है । इस पर माननीय अध्यक्ष ने प्रश्न को आगामी दिवस के लिए स्थगित करते हुए निम्नानुसार व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

कई बार विधान सभा में ऐसे प्रश्न आते हैं जो दो विभागों से जुड़े रहते हैं या जिस विभाग से प्रश्न किया जा रहा है उसके साथ-साथ दूसरे विभाग की भी जानकारी आटोमेटिकली उसमें जुड़ी रहती है । ऐसी स्थिति में जिस विभाग से प्रश्न किया गया है वह विभाग विधान सभा सचिवालय से या विधान सभा अध्यक्ष से इसका निराकरण करा लें कि इसका उत्तर कौन देगा ? अन्यथा जिस विभाग से प्रश्न किया गया है वह विभाग दूसरे विभाग से पूरी जानकारी लेकर के संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार जानकारी एकत्रित करके उसका उत्तर दें ।

(दिनांक 07 दिसम्बर, 2001)

4. यदि किसी विशिष्ट परिस्थिति में प्रश्नकाल को स्थगित किया गया है तो उसे नजीर (उदाहरण) नहीं बनाया जाना चाहिये ।

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही सर्वश्री भूपेश बघेल एवं रविन्द्र चौबे, सदस्य ने आसंदी से अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के विधायकों पर प्रकरण दर्ज कर उन्हें प्रताड़ित किए जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर प्रश्नकाल को स्थगित कर, चर्चा कराई जाए ।

मुख्यमंत्री डॉ० रमन सिंह ने प्रश्नकाल के महत्व को प्रतिपादित करते हुए प्रश्नकाल के बाद स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने का आग्रह किया । सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, धर्मजीत सिंह, नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने नियमों को शिथिल कर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने का निवेदन किया ।

माननीय अध्यक्ष ने प्रश्नकाल स्थगित कर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने हेतु सदन का मत लिया।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान नहीं की गई)

श्री गणेश शंकर बाजपेयी, सदस्य ने आसंदी से अनुरोध किया कि इस विषय पर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाना उचित नहीं होगा । प्रतिपक्ष के मान.सदस्यों द्वारा बार-बार प्रश्नकाल स्थगित कर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग पर मान.अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

संसदीय इतिहास में सदन चर्चाओं के माध्यम से ही आने वाले समय के लिए ऐसे उदाहरण और दृष्टांत छोड़ जाते हैं जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वह अनुकरणीय हो और उसी रास्ते पर सारे लोग चलते हैं । प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए विपक्ष के सारे माननीय सदस्य लगातार तीन दिनों से आग्रह कर रहे हैं । सूचना पर चर्चा के लिए उनका आग्रह बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे परम्परा के रूप में न देखा जाए और आने वाले समय में नजीर न बने कि प्रत्येक मामले में प्रश्नकाल को स्थगित किया जाए । इसलिए आज विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए मैं प्रश्नकाल को स्थगित कर, स्थगन की सूचना लेता हूं।

(दिनांक 24 फरवरी, 2005)

5. प्रश्न का कोई हिस्सा सब-ज्यूडिश हो तो उसकी जानकारी विधान सभा को देनी चाहिये किंतु स्वीकृत प्रश्न का जवाब तो देना ही होगा।

लोकमान्य गृह निर्माण सहकारी संस्था रोहणीपुरम, रायपुर में व्यावसायिक परिसर का निर्माण संबंधी प्रश्न संख्या- 2 पर चर्चा के दौरान श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में संसदीय सचिव, कृषि से संबद्धने कहा कि इस प्रकरण पर मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तथा सदन की समिति भी जांच कर रही है अत: प्रश्न करना उचित नहीं है । इस पर मान.अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

जो प्रश्न स्वीकृत हुआ है, उसका उत्तर तो माननीय मंत्री को देना ही है। जांच समिति किन बिन्दुओं पर बनी है वह पृथक विषय है । जब प्रश्न का कोई हिस्सा सब-

ज्यूडिश है तो इस संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में ही पत्र लिखकर इस बात की सूचना विधान सभा को देनी चाहिए और इसकी अनुमति लेनी चाहिए। इसलिए कृपया इस प्रश्न का उत्तर दें।

(दिनांक 21 मार्च, 2005)

6. मंत्रियों को विषय से संबंधित पूरक प्रश्नों की तैयारी करनी चाहिए एवं सभा में अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने पर मंत्रियों की ओर से उनका उत्तर आना चाहिए ।

गृह विभाग से संबंधित तारांकित प्रश्न संख्या 04 पर शासन की ओर से समाधानकारक उत्तर प्राप्त नहीं होने की ओर प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा आसंदी का ध्यान आकृष्ट कराया गया। इस पर मान.अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

प्रश्नों के उत्तर मंत्रिगण देते हैं तथा उत्तर से उद्भूत विषय पर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, अत: मंत्रियों को पूरक प्रश्नों की तैयारी करनी चाहिए और उनके पास जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए ।

यह एक परम्परा बनती जा रही है कि मंत्रिगण द्वारा अलग से जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी, कथन किया जाता है, वस्तुत: ऐसा, कुछ विरले अवसरों पर होना चाहिए । सभा में जब अनुपूरक प्रश्न पूछे जाएं तो मंत्रियों की ओर से उनका उत्तर आना चाहिए ।

(दिनांक 18 जुलाई, 2007)

7. दलों के सचेतकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रश्नकर्ता सदस्य प्रश्नकाल में उपस्थित रहे

प्रश्नकाल के दौरान पुकारे गए 19 प्रश्नों में से 6 प्रश्नकर्ता सदस्यों के अनुपस्थित रहने पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि :-

व्यवस्था

आज इस बजट सत्र की 10वीं बैठक है । आज की बैठक आरंभ होने पर सभा में उपस्थिति क्षीण थी । प्रश्नकाल में भी माननीय सदस्यों का नाम पुकारे जाने पर 19 में से 6 सदस्य अनुपस्थित रहे ।

माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण काल है । माननीय सदस्यों के प्रश्न आने के पश्चात् शासन से जानकारी संकलित करने व सभा में प्रस्तुत होने तक बहुत समय व राज्य कोष की बड़ी राशि खर्च होती है । इस परिप्रेक्ष्य में सदस्यों की अनुपस्थिति से समस्त व्यय निष्फल होता है ।

मेरा दलों के सचेतकों से अनुरोध है कि बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति हेतु समुचित कार्यवाही करें ।

(दिनांक 01 मार्च, 2011)

8. प्रश्न की ग्राह्यता के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है

प्रश्नकाल समाप्त होते ही, डॉ.शिवकुमार डहरिया, सदस्य द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की पदोन्नति व आरक्षण से संबंधित प्रश्न नहीं लगने के विरोध में दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया गया ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) ने माननीय सदस्य के इस आचरण की निंदा करते हुए इस पर आपत्ति व्यक्ति की ।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि :-

व्यवस्था

आज दिनांक 14 मार्च 2011 को प्रश्नकाल समाप्त होने के पश्चात् शून्यकाल में, मैंने माननीय सदस्य डॉ. शिवकुमार डहरिया, सदस्य को उनकी बात कहने के लिए अवसर दिया था । माननीय सदस्य डॉ. शिवकुमार डहरिया ने उनके द्वारा दिये गये प्रश्नों को अग्राह्य करने के संबंध में आपत्ति करते हुए दिन भर के लिए सदन का बहिष्कार किया।

सदन को यह विदित है कि अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार के विषय सदन में नहीं उठाये जाते हैं और माननीय सदस्य द्वारा इस प्रकार सदन में प्रश्नों को अग्राह्य करने के संबंध में आपत्ति करने और पश्चात् बहिष्कार करने पर मैंने तत्समय यह व्यवस्था दी थी कि अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार के विषय सदन में नहीं उठाये जाते हैं और जिन प्रश्नों को नियमों के अंतर्गत अग्राह्य किया गया है, उनके ऊपर सदन में चर्चा नहीं की जाती है।

विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 38 में प्रश्नों की ग्राह्यता के संबंध में प्रावधान है कि अध्यक्ष विनिश्चित करेगा कि कोई प्रश्न या उसका कोई भाग इन नियमों के अधीन ग्राह्य है अथवा नहीं और वह प्रश्न या उसके किसी भाग

को अस्वीकृत कर सकेगा जिससे उसकी राय में प्रश्न पूछने के अधिकार का दुरूपयोग या इन नियमों का उल्लंघन होता हो।

प्रश्नों की ग्राहयता के संबंध में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 36(1) से (21) एवं अध्यक्ष के स्थायी आदेश 19-क में प्रश्नों की गाहयता संबंधी शर्तों का उल्लेख किया गया है।

अध्यक्ष द्वारा नियमों के अंतर्गत जिन प्रश्नों को अग्राहय किया गया है, उनके संबंध में इस प्रकार सदन में आपत्ति करना और अध्यक्ष के निर्णय के विरूद्ध सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करना संसदीय परम्परा के विपरीत है । माननीय अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार के संबंध में कोई बात सदन में नहीं उठायी जाती है । यदि उन्हें किसी प्रश्न अथवा अन्य कामकाज के बारे में किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो इस संबंध में अध्यक्ष से उनके कक्ष में चर्चा की जानी चाहिये । तदनुसार माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि वे इस प्रकार की घटनाओं की सदन में पुनरावृत्ति न करें। आज इस प्रकरण से संबंधित माननीय सदस्य डॉ. शिवकुमार डहरिया द्वारा की गई समस्त बातों को सदन की कार्यवाही से विलोपित किया जाता है तथा स्वस्थ संसदीय परम्परा एवं व्यवहार के अनुरूप प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए यह माननीय सदस्य के विवेक पर छोड़ता हूं कि उन्हें अपने आचरण के लिए खेद प्रकट करना चाहिये अथवा नहीं ?

मैं यह भी चाहूंगा कि भविष्य में इस प्रकार नियमों के अंतर्गत अग्राहय किये गये प्रश्नों, विभिन्न सूचनाओं एवं सचिवालय के संबंध में सदन में उल्लेख नहीं किया जाय और आसंदी द्वारा दिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में सदस्यगण अपना आचरण संयमित और शालीन रखें ।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि प्रश्नों की ग्राहयता के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और उनके निर्णय के विरूद्ध अपील नहीं होती और अध्यक्ष का निर्णय मंत्रिगण और सदस्यों के ऊपर समान रूप से बंधनकारी होता है ।

(दिनांक 14 मार्च, 2011)

9. स्थगन की सूचना विचाराधीन होने पर प्रश्नकाल स्थगित नहीं किया जाता ।

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा बेमेतरा जिले के थान खम्हरिया में डोंटू नदी में निर्माणाधीन एनीकट में नरबलि देने संबंधी घटना पर प्रतिपक्ष द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर प्रश्नकाल को स्थगित कर चर्चा कराये जाने की मांग की गई ।

संसदीय कार्यमंत्री ने आग्रह किया कि प्रश्नकाल चलने दिया जाए ।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल भी महत्वपूर्ण है इस विषय पर प्रश्नकाल के बाद चर्चा कर लेंगे ।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा पुन: प्रश्नकाल स्थगित कर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।)

व्यवस्था

आप सभी नियम प्रक्रियाओं से अवगत हैं । प्रश्नकाल भी सबसे महत्वपूर्ण काल होता है । स्थगन की सूचना विचाराधीन होने पर प्रश्नकाल स्थगित नहीं किया जाता । प्रश्नकाल के पश्चात् निश्चित ही आपकी बात सुनी जाएगी और इस पर विचार किया जाएगा ।

(दिनांक 11 फरवरी, 2014)

2. प्रश्न की ग्राहयता/अग्राहयता के विषय में सदन में उल्लेख करना उचित नहीं.

श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य द्वारा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से सचिवालय के प्रति आरोपात्मक लहजे में कहा गया कि नियम 231(1) के अंतर्गत मेरा प्रश्न अग्राहय कर दिया गया, लेकिन उन्हीं शब्दों वाला आदरणीय धनेन्द्र साहू, सदस्य का प्रश्न आया, उसे एलाऊ कर दिया गया । जिस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी-

व्यवस्था

माननीय सदस्य श्री अमित जोगी जी ने उनके द्वारा दिए गए प्रश्न को अग्राहय किये जाने का उल्लेख करते हुए विधान सभा सचिवालय के प्रति आरोपात्मक कथन किया है । प्रश्न को अग्राहय किये जाने के संबंध में यदि माननीय सदस्य को कोई आपत्ति है तो मेरे कक्ष में आकर चर्चा कर सकते हैं । इस प्रकार सदन में उल्लेख करना उचित नहीं है । माननीय सदस्य द्वारा विधान सभा सचिवालय के संबंध में प्रयुक्त कथन को मैं विलोपित करता हूं ।

(दिनांक 19 दिसम्बर, 2017)

1. विभागों की मांगों पर चर्चा प्रारम्भ होने के पूर्व सदस्यों को प्रशासकीय प्रतिवेदन आवश्यक रूप से उपलब्ध कराए जायें।

खाद्य विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा प्रारम्भ करने की माननीय सभापति द्वारा जैसे ही घोषणा की गई । श्री बृजमोहन अग्रवाल तथा श्री महेश तिवारी, सदस्यों ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि विभाग का प्रशासकीय प्रतिवेदन कुछ ही देर पूर्व माननीय सदस्यों को प्राप्त हुआ है तथा विभाग के कैबिनेट मंत्री भी सदन में उपस्थित नहीं है। अत: खाद्य विभाग की मांगों पर चर्चा आज स्थगित की जाकर कल ली जाये । इस पर सभापति महोदय द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था दी गई :-

व्यवस्था

परम्परानुसार माननीय सदस्यों को विभागों की ओर से संबंधित विभागों की मांगों पर चर्चा प्रारम्भ होने के पूर्व प्रशासकीय प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाते हैं ताकि माननीय सदस्य उसका अध्ययन कर चर्चा में भाग ले सकें । इस संबंध में विधान सभा सचिवालय द्वारा संसदीय कार्य विभाग को पत्र भेजे गये हैं और समय-समय पर दूरभाष पर अवगत कराया जाता रहा है । इसके बावजूद भी समय पर प्रशासकीय प्रतिवेदन आवश्यक रूप से उपलब्ध न कराना चिन्ता का विषय है ।

अत: पुन: माननीय मंत्रियों से अनुरोध है कि उनके विभागों की मांगों पर चर्चा प्रारम्भ होने से पूर्व माननीय सदस्यों को प्रशासकीय प्रतिवेदन आवश्यक रूप से उपलब्ध करायें, भविष्य में इसका ध्यान रखा जाये तथा वरिष्ठ मंत्री भी चर्चा में रहें । प्रतिवेदन से सदस्यों को आंकड़ों की मदद मिलती है इसलिये यह परम्परा बनी है ।

चूंकि प्रतिवेदन के मिलने में विलम्ब हुआ है, अत: चर्चा कल ली जायेगी।

(दिनांक 07 मार्च, 2002)

प्रेस

1. शासन के किसी परिपत्र से भ्रम की स्थिति निर्मित हो तो उसे वापस लेने में संकोच नहीं करना चाहिए।

दक्षिण बस्तर में नक्सली गतिविधियों में वृद्धि तथा शासन द्वारा नक्सली घटनाओं की खबरों से संबंधित परिपत्र संबंधी ध्यानाकर्षण पर उत्पन्न विवाद के दौरान माननीय अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था दी गई है :-

व्यवस्था

मैंने नक्सली घटनाओं में शहीद/घायल पुलिस कर्मियों के भयावह दर्दनाक फोटो समाचार प्रकाशित नहीं करने से संबंधित परिपत्र एवं माननीय गृहमंत्री जी का उत्तर व सभा में सदस्यों द्वारा परिपत्र के कारण उत्पन्न स्थिति पर उनके विचारों को गंभीरतापूर्वक सुना।

मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा व्यक्त भावनाओं का सम्मान करता हूं जिसमें उन्होंने यह व्यक्त किया कि शासन की मंशा प्रेस की आजादी को किसी भी प्रकार से किंचित भी प्रभावित करने अथवा नक्सली घटनाओं के समाचारों को छपने से प्रतिबंधित करने की नहीं है, वरन् पुलिस एवं जनता का मनोबल बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्यवाही की जाना बताया है और मूल उद्देश्य नक्सलियों को महिमा मंडित करने से रोकना व विकास कार्यों को गति देना है। यह भी ठीक है कि परिपत्र प्रेस काऊंसिलिंग के दिशा निर्देशों के अनुकूल है।

शासन की पूर्ण सद्भावना के बावजूद इस परिपत्र से भ्रम की स्थिति निर्मित होने की संभावना से पूर्णतया इन्कार नहीं किया जा सकता है इसलिए शासन यह सुनिश्चित करे कि इस परिपत्र का दुरूपयोग न किया जाए, आवश्यक हो तो संशोधित परिपत्र जारी करें और यदि आवश्यक एहतियात के बाद भी भ्रम की स्थिति बनती है तो शासन परिपत्र को वापस लेने में भी संकोच न करे।

(दिनांक 11 जून, 2004)

2. सभा से संबंधित समाचार का प्रकाशन विधान सभा की गरिमा के विपरीत न हो

सांध्य दैनिक छत्तीसगढ़ में प्रकाशित समाचार विधान सभा की गरिमा के विपरीत होने पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी -

व्यवस्था

विधान सभा के वर्तमान शीतकालीन सत्र हेतु सांध्य दैनिक छत्तीसगढ़ के संवाददाता श्री शशांक तिवारी को पत्रकार दीर्घा का पास, पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति की अनुशंसा पर दिया गया था।

सांध्य दैनिक छत्तीसगढ़ ने दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 के अंक में गुरू घासीदास जयंती और विधानसभा शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया है, जो विधान सभा की गरिमा के विपरीत है एवं विधान सभा की छवि को जनता के समक्ष धूमिल करने तथा गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है, इसलिए अध्यक्ष के स्थायी आदेश 140 (9) के अंतर्गत मैं सांध्य दैनिक छत्तीसगढ़ के संवाददाता को जारी पत्रकार दीर्घा का प्रवेश पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

(दिनांक 22 दिसम्बर, 2018)

प्वाइंट ऑफ इंफर्मेशन

1. प्वाइंट ऑफ इंफर्मेशन की अनुमति पहले से ली जानी चाहिए ।

श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य द्वारा मोबाइल पर न्यूज देख कर सूचना दिए जाने पर श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, माननीय राजस्व मंत्री द्वारा आसंदी का ध्यान आकर्षित किया गया एवं व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया।

व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - माननीय अमित जी के द्वारा जो बात रखी गई यह शून्यकाल का विषय नहीं है। यह प्वाइंट आफ इंफारमेशन है। जिसकी अनुमति पहले से ली जानी चाहिए।

यहां पर मोबाईल लेकर नहीं आएं । पुन: मेरा अनुरोध है कि आप लोग इसका पालन करें।

(दिनांक 18 नवम्बर, 2016)

बहिष्कार

1. सदस्यों को अपने विधायी और राजनैतिक कार्यों में फर्क करना होगा।

रायगढ़ जिले के बरमकेला विकासखण्ड के ग्राम खिचरी में शासकीय कार्यक्रम के दौरान हुई घटना के संदर्भ में माननीय सदस्य डॉ.शक्राजीत नायक के विरूद्ध दर्ज मुकदमे को, भा.रा.कां. के सदस्यों द्वारा वापस लिए जाने की मांग करने पर ।

व्यवस्था

दिनाँक 01 जून, 2004 को शून्यकाल के दौरान प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने रायगढ़ जिले के बरमकेला विकासखण्ड के ग्राम खिचरी में एक शासकीय कार्यक्रम के दौरान हुई घटना के संदर्भ में माननीय विधायक डॉ॰ शक्राजीत नायक के विरूद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा मुकदमा कायम किए जाने संबंधी मामला उठाया गया । मैंने सदन को आश्वस्त किया था कि मैं इस मामले में शासन से जानकारी लूंगा और मामले में समुचित कार्यवाही भी करूंगा।

मैंने इस संबंध में काँग्रेस पक्ष के सदस्यों के साथ-साथ शासन पक्ष के सदस्यों, माननीय मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से भी चर्चा की। शासन पक्ष ने काँग्रेस पक्ष को मामले की वस्तुस्थिति भी बताई । सभी बिन्दुओं पर चर्चा के बाद अपने कक्ष में और सदन में मैंने स्वयं और शासन पक्ष ने भी काँग्रेस पक्ष के सदस्यों से कार्यवाही में भाग लेने की अपील की लेकिन कल प्रतिपक्षी सदस्य सदन की बैठक में नहीं आए और बजट पर सामान्य चर्चा में भाग नहीं लिया, न ही ध्यानाकर्षण प्रस्तुत किए ।

आज पुन: शून्यकाल में श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने यह मामला उठाया और माननीय सदस्य डॉ॰ शक्राजीत नायक के विरूद्ध फर्जी मामले वापस लेने की मांग करते हुए काँग्रेस पक्ष के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए । बहिर्गमन के कारण न तो उन्होंने बजट की सामान्य चर्चा में भाग लिया, न ही आज की कार्यसूची में दर्ज वृष्टिछाया योजनान्तर्गत नलकूप हेतु विद्युत कनेक्शन देने और विद्युत कटौती जैसी महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा में भाग लिया।

जैसा कि मैंने कल आश्वस्त किया था, मैंने मामले पर शासन से प्रतिवेदन लिया। इस मामले को देखने पर मैंने पाया कि पुलिस अधिकारी श्री हीरालाल मरावी, उप निरीक्षक व सी.एस.ई.बी. के अधिकारी श्री रणधीर दियासी, सहायक यंत्री की रिपोर्ट पर माननीय विधायक व अन्य के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया है, न कि किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट पर । दोनों अधिकारियों के साथ हुई मारपीट और उन्हें आई चोटों के कारण यह स्थिति बनी है।

इस मामले में दिनांक 31.05.2004 को सदन में हुई चर्चा की ओर भी मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करूंगा जिसमें स्वयं माननीय सदस्य डॉ.शक्राजीत नायक ने यह कथन किया है कि उन्होंने वहां पर कार्यक्रम का प्रतीकात्मक विरोध किया, कार्यकर्ताओं ने भी विरोध किया और शिलान्यास पत्थर में माननीय विधायक का नाम न होने से काँग्रेस कार्यकर्ता उत्तेजित हुए । उन्होंने यह भी कहा कि काँग्रेस कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से नारेबाजी कर रहे थे।

इससे यह तो स्पष्ट होता है कि माननीय विधायक के नेतृत्व में ही यह कार्यवाही हो रही थी । ऐसे में यह कहना कि पुलिस व सी.एस.ई.बी. के अधिकारियों की रिपोर्ट पर फर्जी मामला दर्ज हुआ है, प्रथम दृष्टया सही प्रतीत नहीं होता । फिर भी मामले की विवेचना के बाद ही वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

मामले के तथ्यों को देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि माननीय विधायक ने राजनैतिक नेता की हैसियत से यह कार्य किया न कि विधायी कार्य । एक वरिष्ठ विधायक एवं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते निश्चित ही वे इसके परिणामों से भी अवगत थे।

इस मामले को जहां तक मैं समझ पाया हूं मूल विषय शिलान्यास पत्थर में माननीय विधायक का नाम न होना ही था । मैंने इस संबंध में शासन के परिपत्र देखे। राज्य शासन की ओर से अभी तक ऐसा कोई परिपत्र जारी नहीं हुआ है, जिसमें माननीय विधायकों का नाम शिलान्यास पत्थर में लिखा जाना अनिवार्य किया हो । मामले पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य डॉ.नायक ने ऐसा परिपत्र होने की बात की थी। मैंने उनसे वह परिपत्र मांगा भी था, लेकिन उन्होंने न तो मुझे परिपत्र दिया, न पटल पर ही रखा । ऐसी स्थिति में जब शासन का कोई निर्देश न हो और माननीय विधायक को जब अतिथि के रूप में बुलाया गया हो और आमंत्रण पत्र में उनका नाम नहीं हो । माननीय विधायक का शिलान्यास पत्थर में नाम न लिखने का, आग्रह स्वरूप विरोध व्यक्त करना व कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाज़ी करना कहां तक उचित था । यह मैं उन्हीं के विवेक पर छोड़ता हूं ।

राजनैतिक आंदोलनों में माननीय विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं पर मुकदमें कायम होना कोई नई या असाधारण बात नहीं है । ऐसे मुकदमे अधिकांश विधायकों एवं राजनेताओं पर कायम होते हैं, इसलिए राजनैतिक आंदोलनों के संदर्भ में दर्ज मुकदमें वापस लेने की बात कहकर दो दिन तक लगातार सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कहां

तक जनहित में है, यह भी मैं काँग्रेस पक्ष के विचार के लिए और आम जनता के विवेक पर छोड़ता हूं ।

जहां तक सभा का संबंध है मैंने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थापित परम्पराओं के विरूद्ध बजट पर सामान्य चर्चा प्रारंभ होने के दिन स्थगन प्रस्ताव की सूचना को चर्चा हेतु ग्राह्य कर चर्चा कराई और सदन में सारी स्थिति स्पष्ट भी हो गई।

संसदीय लोकतंत्र में प्रतीकात्मक विरोध के तरीके हैं । ऐसे में सदन से बहिर्गमन भी एक स्वस्थ तरीका है । लेकिन ऐसा बहिर्गमन किस सीमा तक हो और क्या यह जनहित के मामलों पर सदन में चर्चा न करने की सीमा तक हो ? यह विचारणीय है।

मेरा ऐसा मानना है कि बजट सत्र में बजट पर सामान्य चर्चा जनहित के मामलों के उठाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवसर होता है, इसका लाभ जनहित में उठाना चाहिए था । यही नहीं, आज की ध्यानाकर्षण सूचनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर थीं, उसमें भी सदस्यों को भाग लेना चाहिए था ।

मैं पुन: काँग्रेस पक्ष से अनुरोध करता हूं कि वे बजट पर चर्चा में शामिल हों और एक स्वस्थ परम्परा का निर्वाह करें, जो अतीत में छत्तीसगढ़ की विधान सभा ने स्थापित की है ।

अंत में एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय विधायकों के मान सम्मान की पूरी रक्षा होगी और वे अपने विधायी कार्य निर्भीक ढंग से बिना किसी व्यवधान के करें, यह सुनिश्चित किया जाएगा । लेकिन माननीय सदस्यों को अपने विधायी एवं राजनैतिक कर्तव्यों में फर्क करना होगा और ऐसी स्थितियों से बचना होगा, जिससे ऐसी अप्रिय स्थितियां बनें।

(दिनांक 02 जून, 2004)

2. अध्यक्षीय व्यवस्था पर सभा का बहिष्कार करना, संसदीय परम्पराओं के विपरीत है ।

प्रश्न संख्या 11 (क्र. 1174) श्री रविन्द्र चौबे के प्रश्न पर सदस्य श्री नंदकुमार पटेल द्वारा पूरक प्रश्न पूछे जाने पर, वित्त मंत्री द्वारा उत्तर के दौरान कतिपय असंसदीय/आरोपात्मक शब्दों का उपयोग किया, जिसे माननीय अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही से विलोपित कर दिया गया। उसके बावजूद भी श्री नंदकुमार पटेल द्वारा वित्तमंत्री से उन शब्दों को वापस लिए जाने हेतु माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया गया । तत्पश्चात्

सभा की कार्यवाही का बहिष्कार किए जाने पर मान.अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

मैंने माननीय मंत्री श्री अमर अग्रवाल के शब्दों को उसी समय विलोपित कर दिया था अत: माननीय श्री नंद कुमार पटेल द्वारा, पश्चात् मुझसे यह अनुरोध करना कि श्री अमर अग्रवाल को यह शब्द वापस लेने के लिए कहूं, संभव नहीं था क्योंकि वे शब्द कार्यवाही में थे ही नहीं । सभा की कार्यवाही में आसंदी पर सभा की कार्यवाही चलाने का दायित्व होता है । ऐसे अवसर आ सकते हैं जब कोई सदस्य आसंदी की व्यवस्था या निर्देश से सहमत नहीं हो, उसके बावजूद सदस्य को इस सदन की, आसंदी की एवं अपनी स्वयं की गरिमा बनाए रखने के लिए अपना आचरण, उनसे अपेक्षित आचरण के अनुरूप रखना चाहिए । अध्यक्षीय व्यवस्था पर सभा का बहिष्कार करना, संसदीय परम्पराओं के विपरीत है । मैं प्रतिपक्ष के समस्त सदस्यों से अपील करता हूं कि वे सभा की कार्यवाही में हिस्सा लें ।

(दिनांक 25 जून, 2004)

3. सदन की कार्यवाही का बहिष्कार सदस्यों का अधिकार है किंतु इसका प्रयोग केवल जनहित में होना चाहिए।

जनप्रतिनिधियों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने संबंधी प्रतिपक्ष के सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर अपराहन 3.30 बजे चर्चा प्रारंभ हुई, चर्चा हेतु सदन में प्रतिपक्ष के सदस्यों के उपस्थित न होने पर मान.अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

मैंने मान.सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि विधान सभा इस प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था है और सदस्यों का यह दायित्व है कि जनहित के समस्त मामले यहां उठाएं और उन पर वाद-विवाद हो और समस्याओं के हल के लिए कुछ प्रभावी निर्णय लिए जाएं । इसके साथ ही मैंने सभा की कार्यवाही स्थगन प्रस्ताव हेतु निर्धारित समय 3.30 बजे तक के लिए स्थगित की थी । मुझे अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्थगन प्रस्ताव जिसके संबंध में प्रतिपक्ष के सदस्यों ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं हैं और इससे ज्यादा गंभीर विषय कुछ नहीं हो सकता और चर्चा तत्काल उसी समय कराने हेतु आग्रह किया था तथा पश्चात् सभा से बहिर्गमन किया था । स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए प्रतिपक्ष का कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं है ।

मैं इस बात को समझने में असमर्थ हूं कि चर्चा यदि 3.30 बजे से ही होती, जैसा कि मैंने समय निर्धारित किया था और उसके पूर्व कार्यसूची के सभी कार्यों को सम्पादित कर लिया जाता, जैसा कि मैंने आज व्यवस्था में कहा है कि समस्त कार्य जनहित के और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य थे तो स्थगन के विषय पर क्या तथ्यात्मक प्रभाव पड़ता ?

वैसे तो लोकतांत्रिक प्रणाली में विरोध दर्ज कराने के लिए कार्यवाही का बहिष्कार सदस्यों का अधिकार है किंतु सदस्यों के लिए यह विचारणीय है कि ऐसे अधिकार का प्रयोग कब और किन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए । मैं यह बिन्दु माननीय सदस्यों के विचार एवं विवेक के लिए छोड़ता हूं कि वे सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था के मंच का प्रयोग जनहित एवं लोकहित के कार्यों में किस प्रकार करना चाहते हैं ।

(दिनांक 22 फरवरी, 2005)

4. माननीय सदस्यों का दायित्व है कि उनके द्वारा प्रस्तुत जनहित के मुद्दों पर चर्चा में भाग लें।

जनप्रतिनिधियों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा न कराए जाने से असंतुष्ट होकर काँग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार किए जाने पर मान. अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

सदन को स्मरण होगा कि आज प्रश्नकाल के पश्चात् माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव को मैंने तात्कालिकता एवं महत्व को देखते हुए सभा में पढ़कर सुनाया था और शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 57 के अंतर्गत दोपहर 3.30 बजे का समय चर्चा के लिए नियत किया था। किसी स्थगन प्रस्ताव पर जब चर्चा प्रारंभ हो उस संबंध में नियमावली में यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि चर्चा होने के दो घंटे बीत जाने पर यदि चर्चा पूर्व में ही समाप्त न हो गई हो तो चर्चा आप ही समाप्त हो जाएगी। मेरे द्वारा नियत किए जाने के पश्चात् मैंने आज की कार्यसूची में निर्धारित कार्यों को क्रम से लेना आरंभ किया था और ध्यानाकर्षण सूचना के क्रम में मैंने सर्वप्रथम माननीय नेता प्रतिपक्ष का नाम भी पुकारा था और उन्होंने ध्यानाकर्षण सूचना को पढ़ना प्रारंभ किया था किंतु मान॰नेता प्रतिपक्ष को मेरे द्वारा अनुमति दिए जाने और उनके द्वारा उनकी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ना प्रारंभ करते ही एकाधिक प्रतिपक्ष के सदस्यों ने पुन: इस बात को दोहराना प्रारंभ किया कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा तत्काल प्रारंभ की जाए। सदस्यों द्वारा उनके विचार व्यक्त किए जाने के पश्चात् मैंने तत्समय व्यवस्था दी थी कि नियमों के अंतर्गत चर्चा के लिए ग्राह्य किए जाने पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा दोपहर 3.30 बजे ही प्रारंभ हो सकती है। मैंने सदन का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया था कि जनहित से संबंधित अनेक मामले माननीय सदस्यों के द्वारा दिए गए हैं, जो मेरे समक्ष विचाराधीन हैं और कार्यसूची में पूर्व निर्धारित कार्य को लेना भी आवश्यक है और जो भी विषय लिए गए हैं, वे सब लोकहित के हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण हैं किंतु प्रतिपक्ष के सदस्यों ने कार्यसूची में पूर्व से ही सम्मिलित महत्वपूर्ण विषयों को अनदेखा करते हुए स्थानीय निकायों के चुनावों के पश्चात् चुनाव की प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था से संबंधित विषय पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने हेतु ही अधिक जोर दिया और सदन से बहिर्गमन कर गए।

विधान सभा इस प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था है। सदस्यों का यह दायित्व है कि वे जनहित से संबंधित समस्त मामले यहां उठाएं, उन पर वाद-विवाद हो और समस्याओं के हल के लिए कुछ प्रभावी निर्णय लिए जाएं। मेरी यह अपेक्षा है कि माननीय सदस्य अपने इस मूल दायित्व को स्मरण रखें। अभी प्रतिपक्ष का कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए मैंने 3.30 बजे का समय निर्धारित किया था अत: मैं सभा की कार्यवाही 3.30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(दिनांक 22 फरवरी, 2005)

5. संसदीय प्रजातंत्र का मूलाधार संवाद के द्वारा समस्याओं का हल निकालना है, विरोध करने के उद्देश्य से प्रदेश के विकास पर विचार-विमर्श नहीं करना, उचित नहीं है।

प्रदेश में जनप्रतिनिधियों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा उपरांत उसे प्रस्तुत किए जाने की अनुमति नहीं मिलने पर, भा.रा.कां. के सदस्यों द्वारा प्रश्नकाल के बाद की कार्यवाही का निरंतर बहिष्कार किए जाने पर मान. अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी:-

व्यवस्था

पंचायत चुनाव के दौरान विधि की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत हुई कार्यवाही को आधार बनाकर प्रतिपक्ष द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण के बाद प्रथम दिन से ही सभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया जा रहा है। मैंने इस संबंध में पूर्व में भी सभा को अवगत

कराया था कि आसंदी के द्‌वारा प्रतिपक्ष को सभा में उनके मामले, उनके चाहे अनुसार तथा परम्पराओं एवं नियमों से अलग हटकर अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उठाने का अवसर दिया। पश्चात् शासन से संवाद कायम करने और शासन एवं प्रतिपक्ष के बीच कुछ सर्वमान्य हल निकालने हेतु भी मैंने दोनों ही दलों के सदस्यों से चर्चा की, किंतु मुझे खेद है कि स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ पाया है और प्रतिपक्ष के सदस्यों द्‌वारा सभा की कार्यवाही का बहिष्कार निरंतर जारी है।

संसदीय प्रजातंत्र का मूलाधार संवाद के द्‌वारा समस्याओं का हल निकालना है, संवादहीनता अथवा संवाद से हल नहीं निकले, इस स्थिति को मैं सुखद नहीं मानता। यह बजट सत्र है, जिसमें प्रदेश का वर्ष 2005-2006 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा और सदस्य इस पर चर्चा करेंगे तथा प्रदेश के विकास की राह क्या और कैसी हो, पर अपने विचार व्यक्त करेंगे।

मेरा मत है कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर प्रतिपक्ष को सभा में उपस्थित रहना चाहिए और प्रदेश के विकास में अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। सभा के बाहर हुई किसी घटना को आधार बनाकर विरोध दर्ज करना उपयुक्त है किंतु विरोध करने के उद्देश्य से प्रदेश के विकास पर विचार-विमर्श नहीं करना, मैं मानता हूं कि उचित नहीं है और प्रतिपक्ष के सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे।

मैं प्रतिपक्ष के सदस्यों से पुन: आग्रह करता हूं कि वे सभा में बजट भाषण एवं उसके पश्चात् बजट पर सामान्य चर्चा एवं मांगों पर चर्चा में हिस्सा लें, सभा में उपस्थित हों और सभा की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करें।

(दिनांक 01 मार्च, 2005)

6. सदन में उपस्थिति के बावजूद चर्चा में भाग नहीं लेना लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है ।

श्री भूपेश बघेल, डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले के रानीबोदली में नक्सलियों द्वारा पुलिस जवानों की हत्या किए जाने की ओर गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामविचार नेताम, गृहमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भी सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पर प्रकाश डाला।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने व्यक्त किया कि घटना से हम सब दुखी हैं और उनका दल कोई प्रत्यक्ष विरोध न कर शांति से सदन में मौन बैठगा तथा कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेगा।

इस पर मान.अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

सदन में विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से चर्चा होती है । आप सबने ध्यानाकर्षित किया, सभी सदस्यों को प्रश्न करने का अवसर प्राप्त हुआ और यदि सदन में सरकार के किसी वक्तव्य से अगर असहमति है तो उसकी भी प्रक्रिया है, किंतु सदन में उपस्थिति के बावजूद चर्चा में भाग नहीं लेना यह कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ?

(दिनांक 16 मार्च, 2007)

7. प्रश्नोत्तर सूची में तारांकित प्रश्न के रूप में प्रश्न मुद्रित होने के पश्चात् सदन में उपस्थित रहकर भी प्रश्न न पूछना, उचित संसदीय परिपाटी नहीं है।

ता.प्र.सं. 01 और 03 के प्रश्नकर्ता सदस्य डॉ.शक्राजीत नायक एवं श्री चैतराम साहू ने सदन में उपस्थित रहकर भी यह व्यक्त करते हुए प्रश्न नहीं पूछा कि उनके दल द्वारा संस्कृति मंत्री के कार्य का बहिष्कार करने के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में वे प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं। इस पर मान. अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

किसी माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पूछकर सभा में उपस्थित रहते हुए किसी मंत्री विशेष से आसंदी द्वारा नाम पुकारे जाने के बाद प्रश्न नहीं पूछना उचित संसदीय परिपाटी नहीं है। प्रश्न एक महत्वपूर्ण संसदीय प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से माननीय सदस्य, शासन से जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रश्नों की जानकारी के संकलन में शासन को काफी व्यय भी करना होता है। यही कारण है कि सभा में सदस्यों के आचरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त के क्रमांक 12 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि- जब किसी सदस्य का प्रश्न प्रश्नोत्तरी सूची में तारांकित प्रश्न के रूप में मुद्रित होता है, तब उस सदस्य को बिना अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के अनुपस्थित नहीं होना चाहिए। इसका यह स्पष्ट आशय है कि प्रश्न करने के उपरांत अनुपस्थित रहना, नहीं करने योग्य कार्यों की श्रेणी में आता है। अनुपस्थित रहने का आशय ही प्रश्न पूछना बंधनकारी है, से है। संसदीय प्रक्रियाओं में उपस्थित रहकर प्रश्न नहीं पूछने की बात कोई सोच सकता है, कल्पना से परे है।

मैं समझता हूं कि यदि माननीय सदस्य उपस्थित रहते हुए भी प्रश्न नहीं पूछता है तो भी इसे नहीं करने योग्य कार्यों से किसी भिन्न श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यदि कोई माननीय सदस्य किसी मंत्री के बहिष्कार के रूप में प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं तो उचित यही होगा कि वे सभा से बाहर चले जायें।

संसदीय व्यवस्था में सभा के अंदर विरोध की प्रक्रियाओं में यह तरीका मान्य नहीं किया जा सकता। सभा से बहिर्गमन अथवा बहिष्कार एक स्थापित तीखे विरोध की प्रक्रिया है।

(दिनांक 13 मार्च, 2008)

बजट

1. परंपरा रही है कि बजट पर चर्चा पक्ष एवं प्रतिपक्ष की उपस्थिति में ही कराई जाती है।

नान (नागरिक आपूर्ति निगम) घोटाले पर चर्चा नहीं कराए जाने के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सदन से दिन भर के लिए बहिर्गमन किए जाने पर माननीय अध्यक्ष ने निम्न लिखित व्यवस्था दी -

व्यवस्था

सदन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार दिनांक 16 एवं 17 मार्च, 2015 को बजट पर सामान्य चर्चा हेतु निर्धारित है।

तद्नुसार आज दिनांक 16 मार्च, 2015 को बजट पर सामान्य चर्चा आरंभ हुई।

लेकिन आज प्रतिपक्ष ने पूरे दिन के लिए कार्यवाही से बहिर्गमन किया है।

इस सदन की यह परंपरा रही है कि बजट पर चर्चा पक्ष एवं प्रतिपक्ष की उपस्थिति में ही कराई जाती है। अत: उच्च संसदीय परंपरा को पुष्ट करने हेतु मैं आज सभा की कार्यवाही स्थगित करता हूं। ताकि कल प्रतिपक्ष भी इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा ले सके।

(दिनांक 16 मार्च, 2015)

2. सदस्य जिन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, उन माननीय सदस्यों को उनके दल के सचेतक द्वारा दी गई सूची अनुसार बोलने की अनुमति प्रदान की जाती है व समय उपलब्धता अनुसार अन्य सदस्यों को ।

आदिम जाति विकास विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान, श्री कवासी लखमा के भाषण के मध्य आसंदी द्वारा अगले वक्ता के रूप में नेता प्रतिपक्ष का नाम पुकारे जाने पर, नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) ने आसंदी से आग्रह किया कि श्री कवासी लखमा को अपनी बात पूरी करने का अवसर दिया जाए, इसके लिए वे अपने भाषण का समय कम करने के लिए तैयार हैं ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) ने आसंदी से व्यवस्था के प्रश्न के अंतर्गत जानना चाहा कि आसंदी द्वारा नेता प्रतिपक्ष का नाम पुकारे जाने के बाद, नेता प्रतिपक्ष ने दूसरी व्यवस्था दी कि वे सदस्य बोलेंगे, मैं कम बोलूंगा । यह कौन सी व्यवस्था से सदन चल रहा है ? बताने का कष्ट करें ।

व्यवस्था

आज आदिम जाति विकास विभाग पर चर्चा के दौरान माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से सदस्यों द्वारा बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेने की प्रक्रिया के संबंध में उठाया गया।

इस संबंध में परिपाटी यह है कि जो माननीय सदस्य जिन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, उन माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों के संदर्भ में दल के सचेतक द्वारा दी गई सूची अनुसार बोलने की अनुमति प्रदान की जाती है व समय उपलब्धता अनुसार अन्य सदस्यों को।

आसंदी ने समस्त माननीय सदस्यों को उनकी भावनाओं को विचार में लेते हुए सदन द्वारा निर्धारित समय-सीमा से बाहर जाकर बोलने का अवसर दिया। सदन में समस्त सदस्यों को समान अवसर प्रदान किया जाता है तथापि नियमों, परंपराओं एवं सदन द्वारा निर्धारित समय-सीमा का आसंदी को भी पालन करना होता है।

एकाधिक अवसरों पर आसंदी को सदन की भावना के अनुरूप भी निर्णय लेने होते हैं। तद्नुसार ही मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष के अनुरोध पर उनके पूर्व अन्य सदस्य को संक्षेप में अपनी बात रखने का अवसर दिया।

(दिनांक 20 मार्च, 2015)

भाषण

1. मुख्यमंत्री/मंत्री को सदन का सदस्य न होने पर भी उन्हें सदन में भाषण देने का अधिकार है।

श्री ननकीराम कंवर, सदस्य ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान औचित्य का प्रश्न उठाया कि मुख्यमंत्री विधान सभा के सदस्य नहीं हैं इसलिए उन्हें बोलने नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि एक सदस्य (श्री बृजमोहन अग्रवाल) को बोलने नहीं दिया गया है ।

इस पर मान.अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

श्री ननकीराम कंवर ने जो मुद्दा उठाया है, उसमें यह कहना चाहता हूं कि संवैधानिक प्रावधान है कि 6 महीने के लिए बिना सदन का सदस्य निर्वाचित हुए कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री हो सकता है, मध्यप्रदेश विधान सभा में श्री इब्राहिम कुरैशी, एम.एल.ए. नहीं थे । उनको मत देने का अधिकार नहीं था, लेकिन कोई विधान सभा सदस्य चाहे किसी भी पार्टी के हों, जब निर्वाचित होते हैं हमारे यहां पुराने मध्यप्रदेश में यह हो चुका है । चन्द्रमोहन जी जबलपुर से चुनकर आए थे, बहुत लम्बे अर्से तक कुछ कारणों से शपथ ग्रहण नहीं की थी, लेकिन यदि शपथ ग्रहण नहीं करने की वजह से सदन में बोलते नहीं थे तो विधान सभा सदस्यों के लिए यह नियम जरूर है कि शपथ ग्रहण के बाद वह बोल सकते हैं, लेकिन यदि शपथ ग्रहण नहीं की है तो विधान सभा सदस्य की सारी सुविधाएं उन्हें प्राप्त होती रहेंगी । वेतन भत्ता, आने-जाने का भत्ता या अन्य जो विधायक के प्रिविलेज होंगे वह सब प्राप्त होंगे केवल सदन में बोल नहीं पाएंगे । माननीय बृजमोहन जी की जब बात आयी उस समय मैंने बात कही। माननीय मुख्यमंत्री हों, कोई मंत्री हो वह विधान सभा के सदस्य तो नहीं रहेंगे, किंतु मंत्री होने के नाते एक्जीक्यूटिव के प्रमुख होने के नाते उन्हें सदन को सम्बोधित करने का, बोलने का अधिकार है ।

(दिनांक 19 दिसम्बर, 2000)

मत विभाजन

1. नामांकित सदस्य को मत देने का अधिकार है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने छत्तीसगढ़ चिकित्सा मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2001 पर मत विभाजन के पश्चात् व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि क्या नामजद सदस्य को मत देने का अधिकार है ।

इस पर मान. अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

संविधान के अनुसार विधान सभा की नियमावली में नामजद सदस्य को मतदान करने से कोई रोक नहीं है । मध्यप्रदेश विधान सभा में ही नामजद सदस्य श्रीमती जून चौधरी को यह अधिकार था । देश की अन्य विधान सभाओं में भी यह स्थिति है । पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष के चुनाव में भी नामजद सदस्य ने मत दिया था और उसे सही माना गया था ।

(दिनांक 01 अगस्त, 2001)

राज्यपाल का अभिभाषण

1. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव को स्थगन प्रस्ताव से भी ऊपर वरीयता दी गई है ।

प्रश्नकाल की समाप्ति पर माननीय अध्यक्ष ने ध्यानाकर्षण सूचनाएं लेने की घोषणा की । इस पर नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय तथा श्री बनवारी लाल अग्रवाल, सदस्य ने

कोरबा स्थित बाल्को प्लांट बंद होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना को सदन में पढ़ने तथा उस पर शासन का उत्तर लेने का अनुरोध किया। इस पर संसदीय कार्यमंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि सदस्य महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा में अपनी बात कह सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी ने भी चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सामान्यत: यह परम्परा रही है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा के दिन अन्य विषयों पर चर्चा नहीं करते हैं ।

इस पर श्री बृजमोहन अग्रवाल तथा श्री महेश तिवारी, सदस्य ने आपत्ति करते हुए कहा कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 16(1)(ग) में दिया हुआ है कि नियम 57 के अधीन स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने के प्रयोजन के लिये वाद-विवाद रोका जा सकेगा । अत: स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए राज्यपाल के भाषण पर वाद-विवाद को रोका जा सकता है ।

इस पर मान.अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

इस मामले में नियम 57 के अधीन स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने के प्रयोजन के लिये वाद-विवाद का प्रश्न इसलिए उपस्थित नहीं होता क्योंकि स्थगन प्रस्ताव चर्चा के लिए ग्राह्य ही नहीं हुआ है । ग्राह्य होने के बाद ही चर्चा को रोका जा सकेगा । अभी तो स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य ही नहीं हुआ है, प्रस्तुत ही नहीं हुआ है, केवल उसको प्रस्तुत करने का अनुक्रम था, परम्परा अनुसार यदि प्रस्ताव चर्चा के लिए ग्राह्य हो चुका हो तो ही उस पर वाद-विवाद को रोका जा सकेगा । इसका मतलब यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। स्थगन प्रस्ताव सर्वोच्च प्राथमिकता का होता है लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण को उससे भी ज्यादा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है । क्योंकि राज्यपाल महोदय का एक संवैधानिक सर्वोच्च पद है और वह पक्ष-विपक्ष दोनों के ऊपर है, इसलिए स्थगन प्रस्ताव के ऊपर उनके अभिभाषण को ज्यादा वरीयता दी गई है । दूसरी बात, मैं अभी स्थगन प्रस्ताव रख ही नहीं रहा हूं और इस नियम 16(1)(ग) और जारी परम्परा के अंतर्गत प्रस्ताव रखे जाने के बाद वाद-विवाद को रोका जा सकता है चूंकि प्रस्ताव रखा ही नहीं गया है इसलिए उसको रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता है । इसलिए अब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी ।

(दिनांक 13 मार्च, 2001)

2. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में चर्चा हो, यह परंपरा के लिए उचित नहीं

नारायणपुर में हुए नक्सली हमले के संबंध में दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कराए जाने के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा कार्यवाही का बहिष्कार किए जाने पर, श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने आसंदी से अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष की उपस्थिति तक राज्यपाल महोदय के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित रखी जाय।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी -

व्यवस्था

माननीय मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने मेरा ध्यान प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति की ओर आकर्षित किया है।

मैंने सभा की कार्यवाही का अवलोकन किया प्रतिपक्ष ने भोजन अवकाश के पूर्व walk out किया था। बहिष्कार जैसी कोई बात रिकार्ड में नहीं है। अत: मैंने नेता प्रतिपक्ष से स्थिति ज्ञात की। उन्होंने बताया कि आज की कार्यवाही से प्रतिपक्ष ने बहिष्कार किया है।

इस सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में चर्चा हो मैं इसे संसदीय परंपरा के लिए उचित नहीं समझता और प्रतिपक्ष से अनुरोध करता हूं कि बजट सत्र में निर्धारित कार्य को संपादित करने में सहयोग करें।

मैं आज धन्यवाद ज्ञापन चर्चा को इस अपेक्षा के साथ स्थगित करता हूं कि प्रतिपक्ष अब सभा की कार्यवाही के संपादन में पूर्ण सहयोग करेगा।

(दिनांक 4 मार्च, 2016)

राजनीतिक दल की बैठक

1. किसी सदस्य को पार्टी की बैठक में बुलाना या न बुलाना, पार्टी का आंतरिक मामला है.

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने तीन सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने के लिये पत्र लिखा है और यह समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है एवं माननीय सदस्य श्रीमती रेणु जोगी को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया है। माननीय सदस्य ने व्यवस्था चाही कि तीनों सदस्यों की और माननीय सदस्य श्रीमती रेणु जोगी की सदन में क्या स्थिति है?

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने कथन किया कि समाचार पत्रों के आधार पर सदन में चर्चा नहीं होती है।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने भी व्यवस्था दिये जाने का आग्रह किया।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी -

व्यवस्था

माननीय विधायक श्रीमती रेणु जोगी को कांग्रेस विधायक दल ने सूचना दी, नहीं दी ये कांग्रेस विधायक दल का आन्तरिक मामला है। इसलिए इसे व्यवस्था का प्रश्न न मानते हुए रद्द करता हूं।

माननीय अध्यक्ष ने यह भी व्यवस्था दी कि - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री टी.एस.सिंहदेव द्वारा मेरे समक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम 1986 के नियम 6 के अधीन श्री अमित अजीत जोगी, श्री राजेन्द्र कुमार राय एवं श्री सियाराम कौशिक, सदस्य को संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता ग्रस्त किये जाने के संबंध में अर्जी दी गई है, जो विचाराधीन है। मैं उस पर परीक्षण उपरांत अपना विनिश्चय दूंगा।

माननीय अध्यक्ष ने यह भी व्यवस्था दी कि - श्रीमती रेणु जोगी को विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाने संबंधी उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर मैंने पूर्व में अपनी व्यवस्था दे दी है। इसके पश्चात् जिन भी सदस्यों ने असंसदीय शब्दावली का प्रयोग किया है, उसको मैं कायवाही में देखकर विलोपित कर दूंगा। इसके पश्चात् इस मामले का यहीं पटाक्षेप करता हूं।

(दिनांक 3 जुलाई, 2018)

वक्तव्य

1. मंत्रिगण अपने विभाग से संबंधित विषय पर वक्तव्य दे सकते हैं ।

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सदस्यों ने राजिम कुंभ में श्री वेदांती द्वारा की गई टिप्पणी एवं कबीरपंथी संत के साथ दुर्व्यवहार पर सदन में चले आ रहे गतिरोध को दूर करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वक्तव्य दिए जाने की मांग की ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को अवगत कराया कि संस्कृति मंत्री की ओर से इस संबंध में वक्तव्य आने की उन्हें सूचना प्राप्त हुई है ।

प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए व्यक्त किया कि वे संस्कृति मंत्री के विभागों की मांगों अथवा उनके वक्तव्य का बहिष्कार करने का सैद्धांतिक निर्णय ले चुके हैं।

इस पर मान.अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

जो सदन की माननीय परम्परा है, अगर कोई मंत्री वक्तव्य देना चाहता है और चूंकि यह संस्कृति विभाग का ही मामला है और संस्कृति मंत्री ने वक्तव्य के लिए अनुमति मांगी है । उनको अनुमति दी गई है ।

(दिनांक 10 मार्च, 2008)

2. किसी मंत्री द्वारा दिये गए गलत वक्तव्यों के आधार पर कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

गृहमंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) द्वारा दी गई जानकारी को गलत बताते हुए, उसे आधार बनाकर, उनके विरूद्ध श्री भूपेश बघेल, सदस्य एवं अन्य सदस्यों द्वारा दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना पर माननीय अध्यक्ष ने निम्न लिखित व्यवस्था दी -

व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - माननीय सदस्य सर्वश्री भूपेश बघेल, दीपक बैज एवं मोहन मरकाम ने माननीय गृह मंत्री जी द्वारा सदन में गलत जानकारी देने को आधार बनाकर विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है। इस प्रकार के मामलों में लोक सभा एवं विधान सभाओं में यह अनेक अवसरों पर ठहराया जा चुका है कि चूंकि माननीय मंत्री अथवा माननीय सदस्य दिन-प्रति-दिन उन्हें प्राप्त जानकारी के आधार पर सभा में जानकारी देते हैं और दोनों के द्वारा दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण या भ्रामक हो सकती है। अत: सदन में गलत अथवा भ्रामक जानकारी विशेषाधिकार भंग की परिधि में नहीं आता। मैं यहां लोक सभा अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था को भी उद्दत करना चाहूंगा-

"किसी मंत्री द्वारा दिये गए गलत वक्तव्यों के आधार पर कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। यदि जान-बूझकर झूठ बोला जाय और यह प्रमाणित हो

जाय, तभी विशेषाधिकार भंग होता है। अन्य भूलें तथा त्रुटियां उक्त श्रेणी में नहीं आती क्योंकि प्रति दिन मंत्री वक्तव्य देते हैं, जिसमें त्रुटियां होती हैं और वे उन भूलों का सुधार करते हैं।"

मैंने विशेषाधिकार भंग की सूचना को प्रथम दृष्टया अग्राह्य कर दिया है।

(दिनांक 21 नवम्बर, 2016)

वित्तीय कार्य

1. शासन पर यदि वित्तीय भार न हो तो विधेयक में वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है।

दिनांक 22 मार्च, 2002 को छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2002 के विचार के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य श्री महेश तिवारी द्वारा आपत्ति प्रकट करते हुए यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि संशोधन विधेयक की धारा 18 (क) के संदर्भ में इस विधेयक में वित्तीय ज्ञापन न लगाये जाने के फलस्वरूप यह विधेयक अपूर्ण है । अत: प्रस्तुत संशोधन विधेयक पर विचार स्थगित किया जाये । विचारोपरान्त आसंदी द्वारा संशोधन विधेयक पर विचार स्थगित कर व्यवस्था सुरक्षित रखी गयी थी ।

संशोधन विधेयक में वित्तीय ज्ञापन के संबंध में विधि विभाग से मत प्राप्त हुआ है जो इस प्रकार है -

(1) ब्रेवरेजेस कार्पोरेशन पूर्व में ही कम्पनी एक्ट के प्रावधानों में स्थापित किया जा चुका है ।

(2) यह कार्पोरेशन जो कि एक कम्पनी की प्रकृति का है शासन उसके केवल शेयर होल्डर के रूप में है। ट्रेडिंग का सारा कार्य उस कार्पोरेशन के द्वारा ही किया जाएगा ।

(3) 1. इस कार्पोरेशन को शासन द्वारा शेयर के रूप में जो राशि दी गई है उसके संबंध में 2001-2002 के द्वितीय अनुपूरक बजट तथा 2002-2003 के बजट में मनी

बिल की पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए प्रावधान किया जा चुका है । अत: इस बिल द्वारा शासन पर कोई वित्तीय भार नहीं आना है ।

2. क्योंकि उपरोक्तानुसार इस वित्तीय प्रावधान के संबंध में एक बार महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति ली जा चुकी है । अत: उसी वित्तीय प्रावधान के लिए दोबारा अनुमति लिया जाना अनावश्यक है।

(4) इस कार्पोरेशन के किसी भी खर्चे का भार शासन पर नहीं आना है क्योंकि कार्पोरेशन कम्पनी के रूप में होकर स्वयं ही अपने संसाधन अर्जित करेगा तथा यह कार्पोरेशन एक ज्यूरिस्टिक पर्सन के रूप में है अत: किसी भी प्रकार की हानि होने की दशा में कार्पोरेशन/कम्पनी ही उत्तरदायी होगी, न कि शासन ।

तत्पश्चात् मान.अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

उद्देश्यों और कारणों को देखने से स्पष्ट है कि शासन द्वारा दिनांक 7.11.2001 को छत्तीसगढ़ ब्रेवरेजेस कार्पोरेशन का गठन किया जा चुका है । अधिनियम की धारा 18 के पश्चात् 18-क के अंत:स्थापन का प्रश्न है, इसमें राज्य शासन द्वारा एकाधिकार, राज्य शासन के पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रित निगम छत्तीसगढ़ ब्रेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में भारत निर्मित विदेशी मदिरा के फुटकर या थोक विक्रय के सौंपे जाने का प्रस्ताव है। उपधारा (2) में इस संबंध में बनाए नियमों के अधीन अभी छत्तीसगढ़ राज्य ब्रेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड को आवश्यक लायसेंस स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है । इसी प्रकार अधिनियम की धारा 34 में कारावास तथा आर्थिक दण्ड का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है । उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक से शासन पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा । अत: विधेयक में वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

(दिनांक 26 मार्च, 2002)

2. यदि विधेयक में व्यय प्रावधानित नहीं है तो उसका विवरण देने की भी आवश्यकता नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003 के विचार पर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि इस विधेयक के द्वारा इसमें पैसे की वसूली होगी । पब्लिक एक्सचेकर का नुकसान होगा इसलिए इसमें वित्तीय ज्ञापन का होना आवश्यक है ।

श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि यह पूर्व में प्रस्तुत मूल विधेयक का ही संशोधन विधेयक है और इसमें कोई व्यय प्रावधानित नहीं है इसलिए इसमें वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है ।

इस पर मान.अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

चूंकि इस संशोधन विधेयक में कोई व्यय प्रावधानित नहीं है और इसी वजह से उसका विवरण देने की भी आवश्यकता नहीं है । इसलिए वे इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं।

(दिनांक 30 जुलाई, 2003)

3. यदि लोक निधि में से व्यय अंतर्ग्रस्त नहीं हो, तो विधेयक में वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रामविचार नेताम, राजस्व मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) विधेयक 2004 पर विचार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य एवं अन्य सदस्यों ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि विधेयक में सरकार के मद से खर्च होना है इसलिए इसमें वित्तीय ज्ञापन का लगाना आवश्यक है । चूंकि विधेयक में वित्तीय ज्ञापन नहीं लगा है इसलिए इस विधेयक पर विचार की अनुमति नहीं दी जानी चहिए।

इस पर मान.अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

मैंने माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह, श्री नंदकुमार पटेल, श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री भूपेश बघेल, श्री देवव्रत सिंह की आपत्ति सुन ली । सारी आपत्तियाँ संभावनाओं पर आधारित हैं । यह विधेयक भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जित करने के लिए है। इन शक्तियों का प्रयोग करने में किसी व्यक्ति द्वारा कोई क्षति, हानि या नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाना प्रावधानित है । वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है इसलिए संचित निधि से कोई व्यय संभावित नहीं है । क्षति या नुकसान की स्थिति सरकार या निगम से बनेगी तो भुगतान संबंधित निगम या विभाग द्वारा करने की स्थिति बनेगी । विभाग या निगम इस हेतु बजट प्रावधान करा सकेगा ।

वर्तमान में संचित निधि से कोई व्यय अंतर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता । विधि विभाग की भी यही राय है, अत: मैं आपत्ति अमान्य करता हूं ।

(दिनांक 25 फरवरी, 2004)

4. प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में वित्तीय कार्य सम्पादित करना उचित नहीं ।

शनिवार, दिनांक 14 फरवरी, 2009 को सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही, नेता प्रतिपक्ष (श्री रविन्द्र चौबे) ने पत्रकारों के साथ पुलिस द्वारा किये गये अपमानजनक व्यवहार का मामला उठाते हुए, संबंधित पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों पर कार्रवाई करने तथा गृहमंत्री से इस विषय में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की, उन्होंने आसंदी से भी इसके लिए निवेदन किया ।

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य द्वारा भी संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए, माननीय अध्यक्ष से इस पर व्यवस्था चाही गई ।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि आज शनिवार के दिन हम सब सदन चला रहे हैं और यह सब आप सबके सहयोग से ही संभव हो रहा है, इसलिए अभी सदन की कार्यवाही चलने दें और वे इस विषय में जानकारी लेंगे ।

आदिम जाति कल्याण मंत्री से संबंधित अनुदान मांगों के प्रस्ताव स्वीकृति के पश्चात् श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने पुन: इस विषय को उठाते हुए अध्यक्ष महोदय से कहा कि आपके निर्देश के बाद भी यह सरकार कहीं कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है । इसलिए आप सरकार को सीधे-सीधे निर्देशित करें । प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ सदन में उपस्थित नहीं है इसलिए सदन की चर्चा बहुत प्रासंगिक भी नहीं हो पाएगी। सरकार के इस कृत्य के खिलाफ विपक्ष सदन से बहिर्गमन कर रहा है ।

(श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य के नेतृत्व में भा.रा.कां. के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) ने सदन को जानकारी दी कि वे पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं । गृहमंत्री जी ने चर्चा की, पंचायत मंत्री जी ने चर्चा की, मैंने भी चर्चा की है । शासन इस विषय पर गंभीर है एवं जो भी कार्रवाई उचित होगी, हम करेंगे । उन्होंने विपक्षी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे बजट पर चल रही महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लें।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि :-

व्यवस्था

प्रतिपक्ष के द्‌वारा बहिर्गमन करने के कारण सदन में आज प्रतिपक्ष पूर्व निर्धारित कार्य को सम्पादित करने के लिए उपस्थित नहीं हैं । मैं समझता हूं कि वित्तीय कार्य महत्वपूर्ण कार्य है । जिसमें प्रतिपक्ष रहे तो शासन को सुझाव प्राप्त होते हैं । प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में वित्तीय कार्य सम्पादित करना उचित नहीं समझता और सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(दिनांक 14 फरवरी, 2009)

5. संसदीय सचिव भी अनुदान मांग प्रस्तुत कर सकते हैं ।

संसदीय सचिव, (मुख्यमंत्री से सम्बद्ध) श्री कोमल जंघेल द्वारा वर्ष 2009-2010 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों का प्रस्ताव करने पर, नेता प्रतिपक्ष (श्री रविन्द्र चौबे) द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि - चूंकि यह फायनेन्शियल मेटर है और इस प्रकार की मांग महामहिम के द्वारा शपथ दिलाये गये कोई व्यक्ति जो मंत्री परिषद् का सदस्य होगा, उसके द्वारा ही मांग प्रस्तुत की जानी चाहिए । यदि माननीय मुख्यमंत्री के कोई राज्य मंत्री या उप मंत्री होते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। संसदीय सचिव को यह अधिकार है कि वे सदन में उत्तर दे सकते हैं लेकिन मांग प्रस्तुत नहीं कर सकते। ऐसी कहीं नज़ीर भी नहीं है । मैं चाहूंगा कि या तो माननीय मुख्यमंत्री जी यहां उपस्थित हों या यदि उनके पास समय नहीं है तो कोई राज्यमंत्री वगैरह नियुक्त किया जाना चाहिए । संसदीय सचिव को राज्यमंत्री का दर्जा है लेकिन संसदीय सचिव राज्यमंत्री नहीं हो सकता । ऐसी कभी परम्परा नहीं रही कि संसदीय सचिव हमारे अनुपूरक बजट के रूप में कोई मांग प्रस्तुत करें । प्रश्नों और ध्यानाकर्षणों के उत्तर भले ही संसदीय सचिवों द्वारा पढ़ लिये जाते हैं लेकिन यह फायनेंशियल मेटर है इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आसंदी से व्यवस्था हो और माननीय मुख्यमंत्री जी को सदन में उपस्थित होना चाहिए ।

इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि :-

व्यवस्था

विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली में संसदीय सचिव भी मंत्री हैं, अत: वे अनुदान मांगें प्रस्तुत कर सकते हैं । आप चाहें तो छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम अध्याय 1 की प्रारंभिक परिभाषा 2 (1)(छ) देख सकते हैं और अपनी प्रक्रिया में है इसलिए इसको मान्य किया जाता है।

(दिनांक 12 जनवरी, 2010)

6. बजट भाषण के दौरान बीच-बीच में प्रश्न कर, उनका उत्तर देने के लिए माननीय मंत्रियों को बाध्य किया जाना उचित नहीं है।

श्रम विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य द्वारा नारायणा अस्पताल रायपुर में संतोष उर्फ दिनेश यादव के एक्सीडेंट में घायल हो जाने के बाद नारायणा अस्पताल में चिकित्सा उपरांत 2 लाख का बिल नहीं पटा पाने के कारण उसे कैद में रखे जाने के मामले का उल्लेख करते हुए, श्रम मंत्री द्वारा से उसे आज शाम पांच बजे तक उस अस्पताल से मुक्त कराने की मांग की एवं मुक्त न करने की स्थिति में अस्पताल पर कार्रवाई करने की मांग की।

जिस पर माननीय मंत्री ने कहा कि यह अनुदान मांगों पर चर्चा है, प्रश्नकाल नहीं है ।

माननीय सदस्य एवं माननीय मंत्री महोदय के मध्य वाद-विवाद बढ़ने पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि -

व्यवस्था

सामान्यत: मंत्री के जवाब के दौरान माननीय सदस्य खड़े होकर अपनी भावना व्यक्त करते हैं। यही परंपरा है। अपनी बात कहने का सदस्य को अधिकार है और जवाब देने का मंत्री को अधिकार है। मंत्री विभाग के बजट पर हुई चर्चा का उत्तर दे रहे हैं, यह प्रश्नकाल नहीं है। आप सभी सदस्य एवं मंत्री सम्माननीय सदस्य हैं। संसदीय मर्यादा का पालन करते हुए शालीनता के साथ बात रखी जानी चाहिए।

मैं अभी इस सम्पूर्ण कार्यवाही को सुरक्षित रखता हूं। विलोपन संबंधी निर्णय आज ही बता दूंगा । जब तक आसंदी से निर्देश नहीं आये तब तक इस कार्यवाही को प्रकाशित किया जाना निषिद्ध है।

4.32 बजे माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि -

व्यवस्था

बजट पर चर्चा के लिए पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों को आसंदी के द्वारा पर्याप्त अवसर दिया जाता है। माननीय सदस्य अपनी बातें सभा में रखते हैं । माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों, सुझावों पर माननीय मंत्री अपने भाषण में उनका जवाब देकर सभा को संतुष्ट करने का प्रयास भी करते हैं लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बात का स्पष्टीकरण या जवाब मंत्रिगण दें । माननीय मंत्री जी के उत्तर के समय, माननीय सदस्यों द्वारा उनका भाषण पूर्ण होने तक बीच-बीच में टोकाटाकी अथवा प्रश्न करके उनका उत्तर देने हेतु बाध्य करना उचित संसदीय प्रक्रिया नहीं है। माननीय सदस्यों की

भावना, उनकी वरिष्ठता आदि को विचार में लेकर मंत्रिगणों के उत्तर के बीच में अपनी बातें रखने का अवसर देता हूं । लेकिन यह माननीय सदस्यों के विचार का प्रश्न है कि वे मेरी अनुमति के पश्चात् किस सीमा तक अपनी बातें रखें। माननीय मंत्री जी को उत्तर के लिए बाध्य किया जाना तो मैं कदापि उचित नहीं समझता ।

इस सदन की उत्कृष्ट परम्पराएं रही हैं और पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों में मत वैभिन्नता होते हुए भी सौहार्दता एवं शालीनता को मैं इस सदन की धरोहर मानता हूं जिसे संरक्षित रखे जाने की जिम्मेदारी हम सबकी है । आज की कार्यवाही का मैंने अवलोकन किया है । मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि क्यों और कैसे तथा किन परिस्थितियों में अचानक अवांछित शब्दावली का प्रयोग आरंभ हो गया। यदि माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह ने किसी विषय की ओर ध्यान दिलाकर माननीय मंत्री जी से उसके निश्चित उत्तर की अपेक्षा की भी थी, जो कि नहीं किया जाना चाहिए, तब भी माननीय मंत्री जी, जो काफी वरिष्ठ हैं तथा जिनसे इस सदन को अधिक अपेक्षा है, से संयम अपेक्षित था । माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह की भूमिका तो उनके हास परिहास से इस सदन के बोझिल होते हुए क्षणों अथवा तनावपूर्ण वातावरण को हल्का-फुल्का बनाने में हमेशा महत्वपूर्ण होती है । उनसे भी यह सदन ऐसी बातों की अपेक्षा नहीं करता, जो आज हुई । माननीय मंत्री जी ने तत्समय यह व्यक्त किया था कि श्री धर्मजीत सिंह जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। बहुत अच्छे पार्लियामेन्टेरियन हैं, उनके गुस्से में भी पार्लियामेन्टेरियन का जज्बा छिपा रहता है और मेरी बात से उनको कोई बहुत उत्तेजना आई होगी और मेरी बात को कहीं वह अदरवाइज लिए होंगे तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। माननीय मंत्री जी ने खेद व्यक्त कर इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है । माननीय सदस्य से भी ऐसी ही अपेक्षा है।

मैंने कार्यवाही का अवलोकन किया तथा मैंने सभा की गरिमा के विपरीत कहे गए सभी असंसदीय कथनों, अंशों को विलोपित कर दिया है । विलोपित कथन, अंश सभा की कार्यवाही का हिस्सा नहीं है, तदनुसार उनका प्रकाशन निषिद्ध है । मैं समस्त सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि तनाव के अथवा मत वैभिन्नता के समय भी स्वयं को संयमित रखकर इस सदन की गरिमा को बनाए रखकर, स्वयं अपनी गरिमा में वृद्धि करें, क्योंकि इस पवित्र सदन की गरिमा में ही समस्त सदस्यों की गरिमा सन्निहित है । इस सम्पूर्ण घटनाक्रम का मैं पटाक्षेप करता हूं ।

(दिनांक 23 मार्च, 2012)

विधान सभा/विधानसभा का परिसर

1. विधान सभा का तात्पर्य ही सभा है।

माननीय सभापति महोदय ने जैसे ही उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प प्रस्तुत करने के लिए श्री देवव्रत सिंह, सदस्य का नाम पुकारा, श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने आपत्ति प्रकट करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि संकल्प में प्रयुक्त वाक्य छत्तीसगढ़ विधान सभा का यह मत है, के स्थान पर सदन का यह मत है, वाक्य का प्रयोग होना चाहिये । अत: इस वाक्य को सुधार करने के पश्चात् ही संकल्प प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इस पर निम्नलिखित व्यवस्था दी गई :-

व्यवस्था

छत्तीसगढ़ विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के पृष्ठ 2 के (त्र) और (ढ़) में दिया है कि :-

(त्र) विधान सभा का तात्पर्य छत्तीसगढ़ विधान सभा से है, तथा

(ढ़) सभा का तात्पर्य विधान सभा से है ।

अत: विधान सभा का तात्पर्य ही सभा है, अत: प्रस्तुत आपत्ति अमान्य की जाती है ।

(दिनांक 05 मार्च, 2003)

2. विधान सभा परिसर में माननीय सदस्यों द्वारा बाहरी व्यक्तियों को धरने में सम्मिलित किया जाना नितांत अनुचित है।

श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य द्वारा दिनांक 16.11.2016 को विधान सभा परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष दिए गए धरने में बाहरी व्यक्तियों को शामिल किए जाने पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी:-

व्यवस्था

मुझे सदन को यह सूचित करना है कि कल दिनांक 16.11.2016 को दिन के लगभग 12.45 बजे से 1.20 बजे तक इस सभा के माननीय सदस्य श्री अमित अजीत जोगी, श्री सियाराम कौशिक एवं श्री राजेन्द्र कुमार राय विधान सभा परिसर स्थित गांधी जी प्रतिमा के समक्ष धरने पर बैठे और तीन अन्य व्यक्तियों के भी प्रवेश पत्र कार्यालय से प्रवेश पत्र बनवाकर अपने साथ धरने में सम्मिलित किया। तत्संबंधी समाचार भी आज समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं।

माननीय सदस्यों को यह ज्ञात है कि इस सभा भवन एवं परिसर का उपयोग धरना, प्रदर्शन आदि के लिए किया जाना प्रतिबंधित है, इसके बावजूद माननीय सदस्यों के

द्वारा बाहरी व्यक्तियों को धरने में सम्मिलित किया जाना नितांत अनुचित है।

मैं इस सभा के माध्यम से माननीय सदस्यों के आचरण एवं कृत्य के प्रति क्षोभ व्यक्त करते हुए यह निर्देशित करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार का कृत्य न करें।

(दिनांक 17 नवम्बर, 2016)

विधेयक

1. जब भी कोई नई विधि परिष्कृत रूप से नये प्रावधानों के साथ लाई जाती है तब प्रक्रिया के अनुरूप निरसन का प्रावधान नये विधेयक में रहता है ।

छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी विधेयक, 2006 पर चर्चा के दौरान सदस्य श्री भूपेश बघेल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि यह विधेयक पूर्व में अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा में पारित हुआ था, जो अभी भी लागू है । अत: अब नया विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं है । यदि कोई संशोधन करना था तो शासन संशोधन विधेयक ला सकता था । श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने भी इसका समर्थन किया ।

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद यादव) ने स्पष्ट किया कि पूर्व के प्रावधानों का इस विधेयक के आने पर निरसन हो जाएगा तथा उसमें कुछ त्रुटियां थीं जिनके कारण यह विधेयक लाया गया है ।

मान० उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि विधेयक के पुर:स्थापन के समय आपत्ति आनी चाहिए थी। तत्पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए एवं उन्होंने व्यवस्था दी कि -

व्यवस्था

जब भी कोई नई विधि परिष्कृत रूप से नये प्रावधानों के साथ लाई जाती है तब प्रक्रिया के अनुरूप निरसन का प्रावधान नये विधेयक में रहता है, जो विद्यमान है । अत: इसमें कोई त्रुटि नहीं है, प्रक्रिया के अनुरूप ही है ।

(दिनांक 29 मार्च, 2006)

2. अनुपूरक मांग एवं विनियोग विधेयक अलग-अलग विषय हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से घोषणा की कि अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परम्परानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उस पर एक साथ चर्चा होती है । अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें ।

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि अनुपूरक विनियोग उपस्थापन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था । इसलिए नियमानुसार वे ही भारसाधक सदस्य के रूप में उसे प्रस्तुत करेंगे व जवाब देंगे।

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने भी प्रक्रिया संबंधी उल्लेख के साथ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करने पर माननीय अध्यक्ष की समुचित अनुमति न लेने संबंधी आपत्ति उठाई ।

जिस पर उपाध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

केवल अनुपूरक अनुमान उपस्थापित किया गया है, अभी विधेयक पुर:स्थापित नहीं हुआ है । विधेयक तो आज सभा में चर्चा के पश्चात् पुर:स्थापित करेंगे और विचार का

प्रस्ताव करेंगे । माननीय सदस्य अनुपूरक अनुमान को विधेयक की श्रेणी में रख रहे हैं, यह पृथक है, इसलिए आपत्ति अस्वीकृत हुई ।

(दिनांक 12 जुलाई, 2007)

3. विधेयक को पटल पर रखते समय नहीं, अपितु पुनर्विचार के समय सदस्य अपनी बात कह सकते हैं ।

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 23, सन् 2017) विधान सभा द्वारा यथापारित रूप में, माननीय राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए विधान सभा को लौटाए जाने की सूचना, विधान सभा के पटल पर रखे जाने के समय श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने लौटाये गए विधेयक को पटल पर रखे जाने के संबंध में कथन किया कि सरकार ने, इस विधेयक को केबिनेट के माध्यम से वापस लेकर विधान सभा की अवमानना की है। माननीय सदस्य ने इस पर व्यवस्था दिये जाने का आग्रह किया ।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने कहा कि चूंकि यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया था और माननीय राज्यपाल ने इसे पुनर्विचार के लिए विधान सभा को भेजा है, इस बीच केबिनेट ने किस आधार पर इस विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया ?

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने कहा कि जिस समय यह संशोधन विधेयक विधान सभा में लाया गया गया, उसी समय हमने इसका विरोध करते हुए कहा था कि इस बिल को मत लाओ, यह गलत है ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने कहा कि सरकार ने जनभावनाओं को देखते हुए यह काम किया है, अपने केबिनेट में कोई निर्णय कर सकती है । विधान सभा में भी सरकार प्रक्रियागत तरीके से आएगी और विधान सभा में बिल लाने के पहले सरकार को केबिनेट में ही पास करना पड़ता है । माननीय राज्यपाल को पूरा अधिकार है कि वह बिल को स्वीकृत करे, अस्वीकृत करे या पुनर्विचार के लिये विधान सभा को भेजे।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने कहा कि माननीय राज्यपाल ने इस विधेयक को विधानसभा को भेजा है, केबिनेट को नहीं, तो फिर केबिनेट ने सो-मोटो कैसे दखलदांजी दी ? इस पर विधान सभा में बहस होनी चाहिए ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) ने कहा कि क्या विधान सभा की प्रभुता केबिनेट ने समाप्त कर दी ? यह एक्ट विधान सभा ने पारित किया है तो यह विधान सभा की सम्पत्ति हो गई । विधान सभा ने प्रक्रिया के तहत माननीय राज्यपाल को भेजा और राज्यपाल निर्णय लेकर कहां भेजेंगे ? क्या कोई भी सरकार इस प्रक्रिया को पूरी होने के पहले केबिनेट में वापस लेगी ? इस अत्यंत संवेदनशील प्रकरण में सरकार को विधान सभा से माफी मांगनी चाहिए ।

(भा.रा.कां. के अन्य सदस्यों द्वारा भी विधेयक को केबिनेट में वापस लिए जाने की प्रक्रिया पर रोष जताया ।)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि राज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयक को सदन के पटल पर रखा गया है। अभी इसमें कोई चर्चा नहीं होगी । जब पुनर्विचार का प्रस्ताव आयेगा, तब अपनी बात कह सकते हैं।

(दिनांक 7 फरवरी, 2018)

विशेषाधिकार

संसदीय विशेषाधिकार संसदीय कर्तव्यों के निर्वहन तक ही सीमित है ।

दिनांक 24 फरवरी, 2003 को माननीय सदस्य सर्वश्री लीलाराम भोजवानी, ननकीराम कंवर, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, मेघाराम साहू, संजीव शाह, गणेशराम भगत, रामविचार नेताम, नारायण प्रसाद चंदेल, रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, महेश तिवारी, नंदकुमार साय तथा माननीय सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा कांग्रेस विधायक दल की बैठक में माननीय उपाध्यक्ष श्री बनवारीलाल अग्रवाल के विरूद्ध पारित निंदा प्रस्ताव को आधार बनाकर माननीय मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी एवं कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों के विरूद्ध प्राप्त विशेषाधिकार भंग की सूचना को सभा में पढ़कर सुनाया गया था और सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये थे । सदस्यों के विचार सुनने के उपरांत माननीय अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखी थी ।

विशेषाधिकार भंग की सूचना निम्नानुसार थी :-

1. दिनांक 17 फरवरी, 2003 को मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं सदन के नेता श्री अजीत जोगी, संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे की उपस्थिति में सम्पन्न हुई।

2. उक्त बैठक में विधान सभा उपाध्यक्ष श्री बनवारीलाल अग्रवाल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया।

3. उक्त क्रम में निंदा प्रस्ताव का बैठक में उपस्थित किसी भी विधायक ने विरोध नहीं किया।

4. सदन की बैठक बजट सत्र के लिए आहूत हो चुकी है, ऐसी परिस्थितियों में उक्त निंदा प्रस्ताव विधानसभा उपाध्यक्ष श्री बनवारी लाल अग्रवाल (आसंदी) को अपने कर्तव्य के निर्वहन में निष्पक्षता बरतने के विरूद्ध सीधे-सीधे प्रभावित करता है ।

5. सदन के नेता श्री अजीत जोगी तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे जैसे विद्वान सदस्यों के द्वारा योजनाबद्ध ढंग से विधान सभा की कार्यवाही को अपने दल के पक्ष में प्रभावित करने के लिए उक्त प्रस्ताव लाया गया है, जो कि अत्यधिक आपत्तिजनक है।

6. कांग्रेस विधायक दल का उक्त कृत्य स्पष्ट रूप से विधान सभा की अवमानना है तथा विधान सभा के संचालन को विधान सभा उपाध्यक्ष के माध्यम से प्रभावित करने का उपक्रम है ।

7. उक्त प्रस्ताव के कारण सदन के नेता श्री अजीत जोगी सहित बैठक में उपस्थित सभी विधायक सदन की अवमानना के दोषी हो गए हैं तथा विधान सभा के विशेषाधिकार उल्लंघन के भी दोषी हो गए हैं ।

8. कांग्रेस विधायक दल का उक्त कृत्य स्पष्ट रूप से विधान सभा के विशेषाधिकार का खुला उल्लंघन है।

अत: हमारी मांग है कि सदन के नेता श्री अजीत जोगी तथा बैठक में उपस्थित सभी विधायकों के विरूद्ध विधान सभा के विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए ।

व्यवस्था

विशेषाधिकार भंग की सूचना का मुख्य आधार यह है कि दिनांक 17 फरवरी, 2003 को कांग्रेस दल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं संसदीय कार्य मंत्री जी की उपस्थिति में विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री बनवारी लाल अग्रवाल के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रकार जबकि इस सभा का सत्र आरंभ हो चुका है । उन्हें अपने कर्तव्य के निर्वहन में निष्पक्षता बरतने के विरूद्ध प्रभावित किया । सूचना में यह उल्लेख भी किया गया है कि उक्त प्रस्ताव योजनाबद्ध ढंग से विधान सभा की कार्यवाही को अपने दल के पक्ष में प्रभावित करने के उद्देश्य से लाया गया है और

माननीय उपाध्यक्ष को सभा के संचालन से प्रभावित करने का उपक्रम है और इस प्रकार सदन के नेता श्री अजीत जोगी सहित सभी सदस्य अवमानना के दोषी हो गए हैं ।

मैंने विशेषाधिकर भंग की सूचना, विशेषाधिकर भंग की सूचना पर माननीय मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी माननीय सदस्यों द्वारा सभा में अभिव्यक्त विचारों, नियमों एवं परिपाटियों का एवं सभा में चर्चा के उपरांत माननीय उपाध्यक्ष श्री बनवारीलाल अग्रवाल द्वारा लिखित कथन का गंभीरतापूर्वक मनन किया । विशेषाधिकार भंग की सूचना पर विचार करने से पूर्व सर्वप्रथम यह विचार करना आवश्यक है कि इस सदन के और इसके सदस्यों के विशेषाधिकार क्या हैं ? तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद धारित व्यक्तियों से सभा के अंदर सदस्य के रूप में एवं सभा के बाहर के आचरण से क्या उनके विशेषाधिकारों का कोई सीधा संबंध बनता है । सभा एवं इसके सदस्यों को संसदीय विशेषाधिकार संविधान प्रदत्त है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 194 में किया गया है । संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सभा, इसकी समितियों एवं इसके सदस्यों को मुख्यत: जो विशेषाधिकार उपलब्ध हैं, वे केवल सभा की कार्यवाहियों तक, सभा की कार्यवाहियों में भाग लेने तक ही सीमित है । ताकि न केवल सभा अपना कार्य निर्विघ्न रूप से कर सके अपितु इसके सदस्य भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें ।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि सदस्यों को विशेषाधिकारों का कवच केवल संसदीय कर्तव्यों के निर्वहन तक ही सीमित है । जब वे सदस्य की हैसियत से नहीं, अपितु किसी अन्य हैसियत से कार्य कर रहे होते हैं तब उनके द्वारा विशेषाधिकारों की मांग करना संविधान सम्मत नहीं है ।

विगत् 50 वर्षों की संसदीय परम्पराओं एवं परिपाटियों से यह सुस्थापित है कि अन्यथा स्थिति में अर्थात् जब सभा से संबंधित कार्य सम्पादित नहीं कर रहे होते हैं और एक राजनीतिज्ञ की हैसियत से राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति में संलग्न रहते हैं। उन्हें संसदीय विशेषाधिकार का कवच प्राप्त नहीं होता है। इससे यह स्पष्ट है कि संसदीय विशेषाधिकारों का प्रमुख एवं एक मात्र उद्देश्य यह है कि जनप्रतिनिधि बिना किसी भय, बाधा, अड़चन एवं पक्षपात के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सदस्य के रूप में कर सकें।

मेरे समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या माननीय श्री बनवारीलाल अग्रवाल जो सभा के उपाध्यक्ष हैं और जिन्होंने कोई टिप्पणी सभा के नेता अथवा न्यायपालिका के संबंध में की है, चाहे वह उपाध्यक्ष के रूप में हो, जैसा कि उन्होंने चर्चा के दौरान व्यक्त

किया है अथवा किसी अन्य हैसियत से और जिसको आधार बनाकर कांग्रेस विधायक दल द्वारा उनके विरूद्ध निन्दा प्रस्ताव पारित किया गया, से उनके उपाध्यक्ष के रूप में विशेषाधिकार भंग हुआ है अथवा अवमानना हुई है ? यह भी विचारणीय है कि क्या सभा के बाहर की राजनीतिक घटनाओं का सभा के विशेषाधिकारों से कोई परोक्ष अथवा अपरोक्ष संबंध है।

मैं माननीय उपाध्यक्ष श्री बनवारीलाल अग्रवाल के सभा में किए गए इस कथन से सहमत नहीं हो पा रहा हूं कि उन्होंने उपाध्यक्ष के रूप में वह कथन किया था जिसको आधार बनाकर कांग्रेस विधायक दल द्वारा उनके विरूद्ध निन्दा प्रस्ताव पारित किया गया । उपाध्यक्ष के नाते उन्हें संविधान एवं विधि के अंतर्गत कोई भी ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है जिसके अंतर्गत वे सदन के नेता अथवा मुख्यमंत्री से उनके कार्यकलापों के संबंध में पत्रकार वार्ता के माध्यम से कथित आलोचना करें अथवा कोई जानकारी प्राप्त कर सकें अथवा इसी प्रकार की टीका टिप्पणी कर सकें । संविधान में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और ऐसा कोई कर्तव्यों, अधिकार, उपाध्यक्ष को नहीं सौंपा गया है जिसका उल्लेख माननीय उपाध्यक्ष ने चर्चा के दौरान किया है ।

मैं सदन का ध्यान संसदीय दल की बैठकों की कार्यवाहियों को आधार बनाकर विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 1 अगस्त, 1973, 8 अगस्त 1974, 15 दिसम्बर, 1978 को दी गई व्यवस्थाओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । जिसमें यह प्रतिपादित किया गया कि यदि कोई घटना, कार्यवाही, चर्चा, संसदीय दल की बैठकों में हुई हो तो उसके आधार पर विशेषाधिकार भंग का मामला गठित नहीं होता है, जिसका उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा के दौरान भी किया है।

माननीय उपाध्यक्ष श्री बनवारीलाल अग्रवाल ने सभा में चर्चा के दौरान आसंदी की अवमानना का प्रश्न भी उठाया है । आसंदी पर अवमानना के संबंध में विचार करने के लिए महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि क्या माननीय उपाध्यक्ष श्री बनवारी लाल अग्रवाल द्वारा सभा के बाहर दिया गया तथाकथित वक्तव्य उनके द्वारा पीठासीन अधिकारी के रूप में दिया गया वक्तव्य था ? इस संबंध में मेरा यह स्पष्ट मत है कि उन्होंने जो वक्तव्य दिया अथवा जो टिप्पणी सदन के नेता अथवा न्यायपालिका के संबंध में पत्रकार वार्ता में की उसका सीधा संबंध उनके सभा के कार्यों से नहीं है अपितु एक राजनीतिक दल के नेता की हैसियत से है और यदि राजनीति दल के नेता की हैसियत से कोई टिप्पणी की जाती है तब किसी अन्य राजनीतिक दल द्वारा उसका राजनीतिक उत्तर भी दिया जा सकता है

और मेरे मत में उपरोक्त कार्यवाही का राजनैतिक टिप्पणियों का उत्तर राजनीतिक ढंग से आना स्वाभाविक है और इसमें कुछ भी नया नहीं है ।

माननीय उपाध्यक्ष श्री बनवारीलाल अग्रवाल ने बाद में दिए अपने लिखित अभिकथन में यह भी उल्लेख किया है कि किसी भी राजनीतिक दल को अपनी बैठकों में अपराध करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यदि किसी साधारण व्यक्ति के खिलाफ भी निन्दा प्रस्ताव पारित किया जाता है तो भी वह अपराध बनता है। मेरे विरूद्ध पारित निन्दा प्रस्ताव में न्यायालयीन दृष्टि में भी अपराध बनता है । तो अवमानना होने के कारण सदन में भी विशेषाधिकार भंग की परिधि में आता है। माननीय उपाध्यक्ष श्री बनवारीलाल अग्रवाल के इस कथन से यह स्पष्ट है कि उनका आशय यह है कि उनके विरूद्ध पारित निन्दा प्रस्ताव न्यायालयीन दृष्टि से अपराध की परिधि में है और अपराध की परिघि में आने के कारण तथा अवमानना होने के कारण वह विशेषाधिकार भंग की परिधि में आता है । मैं उनके इस कथन से अपने आप को सहमत नहीं पाता क्योंकि एक तो साधारण व्यक्ति को संसदीय विशेषाधिकार का कवच प्राप्त नहीं है और दूसरा न्यायालयीन दृष्टि में यदि कोई कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। तब उससे संसदीय विशेषाधिकार प्रभावित नहीं होते और विधि की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत ही कार्यवाही योग्य होते हैं और तद्नुसार ही अनुतोष भी प्राप्त किया जा सकता है।

चर्चा के दौरान संसदीय पद्धति तथा प्रक्रिया पुस्तक के पृष्ठ 129 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय मंत्री श्री गंगूराम बघेल ने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में उठाए गए मामले पर तत्कालीन अध्यक्ष श्री मावलंकर के निम्न विचारों को भी उद्धृत किया ।

उपाध्यक्ष संबंधी प्रश्न ऐसा प्रश्न है जिस पर प्रत्येक उपाध्यक्ष को विचार करना है और निर्णय लेना है नि:संदेह वह सदस्य है परन्तु मैं समझता हूं कि उसे यह भी याद रखना है कि उसे सभा की अध्यक्षता करनी है और इसलिए उसका यह उत्तरदायित्व है कि वाद-विवाद में इस ढंग से आचरण करें कि दलों के सदस्य उसे किसी दल से सम्बद्ध न समझें और यह बंधन केवल उसके द्वारा सभा से बाहर राजनीति में भाग लेने पर ही लागू नहीं होता बल्कि उस भाषा पर भी लागू होता है जिसका प्रयोग वह अपने विचार व्यक्त करने के लिए करता है। यह ऐसा प्रश्न है जिस पर उसे अपने विवेक का प्रयोग करना है ।

संविधान के अंतर्गत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को विधान मण्डल के पूर्णकालिक अधिकारी के रूप में परिभाषित किया गया है और यही नहीं, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 178, 179, 180 एवं 181 में एक समान प्रावधान किए गए हैं । यही

नहीं, महामहिम राज्यपाल के समान अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों को भी इस दृष्टि से कि सभा में यह विचार के बिन्दु न बनें भारित मद में रखा गया है और विगत 20 वर्षों में यह सुस्थापित और स्वस्थ्य परम्परा भी विकसित हो गई है कि उपाध्यक्ष हेतु सर्वसम्मति से विपक्ष के सदस्य को निर्वाचित किया जाता है ।

संसदीय लोकतंत्र तभी सफलतापूर्वक संचालित हो सकता है । जब हम न केवल उत्कृष्ट संसदीय परम्पराओं का पालन करें अपितु उत्कृष्ट परम्पराओं को भी स्थापित करने का निरन्तर प्रयास करें । मेरा यह भी मानना है कि संसदीय लोकतंत्र परस्पर मान सम्मान से ही सफलतापूर्वक संचालित हो सकता है । संविधान एवं विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पूर्णकालिक अधिकारी हैं । सभा के अंदर एवं सभा के बाहर इनके कृत्यों एवं आचरण के संबंध में भले ही कोई संहिता नहीं बन पाई हो लेकिन स्थापित मान्यता एवं अपेक्षा इन अधिकारियों से एक मर्यादा के पालन की है और यही कारण है कि सभा के अंदर यह परम्परा अब विकसित हो गई है कि उपाध्यक्ष प्रश्न, ध्यानाकर्षण, स्थगन जैसे प्रक्रियागत मामलों में सक्रिय हिस्सा नहीं लेते हैं। सभा के बाहर भी यथा संभव राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से भी उन्हें विवादास्पद मुद्दों से दूर रहना चाहिए। मेरा यह भी मानना है कि तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष श्री मावलंकर ने जो उपरोक्त कथन किया है वह कहने का शालीन तरीका था लेकिन उनकी अपेक्षा में निर्देश का भाव निहित है और यदि पीठासीन अधिकारी अपनी सीमाएं या लक्ष्मण रेखा स्वयं तय कर लें तो इस प्रकार की स्थिति टाली जा सकती है ।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि इन संवैधानिक पदों पर कार्यरत् व्यक्ति जब आसंदी पर रहते हैं तब व्यवस्थाओं को बनाए रखने की दृष्टि से उन्हें ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो कई बार उनके राजनीतिक दलों को नहीं भाते और कई बार उन्हें अपरोक्ष रूप से आलोचना भी सहनी पड़ती है । अध्यक्ष पद के व्यक्ति को तो विशेषत: इन स्थितियों का सामना अधिक करना होता है। मैं इस सच्चाई से भी इन्कार नहीं करता कि जहां इन दोनों अधिकारियों से पूर्णत: निष्पक्ष रहने की अपेक्षा की जाती है वहीं उन्हें अपने राजनीतिक कैरियर या भविष्य की रक्षा के लिए अपने दल के पास ही जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वे कैसे और किस सीमा तक निष्पक्ष रह पाएंगे, कैसे अपनी दोहरी भूमिकाओं को निभा पाएंगे यह एक गंभीर विषय का मुद्दा है और मैं इसे विद्वान् दलीय नेताओं के विवेक पर छोड़ता हूं कि वे इन स्थितियों के निराकरण की दृष्टि से इंग्लैण्ड जैसी स्वस्थ परम्परा बनाना चाहेंगे या नहीं ? किंतु मैं यहां यह अवश्य कहना चाहूंगा कि इन समस्त स्थितियों और वर्तमान व्यवस्थाओं के बावजूद जो आज हमारे सामने है उन

स्थितियों को स्वीकार कर पीठासीन अधिकारियों को अपने कार्य व्यवहार एवं आचरण से न केवल निष्पक्ष रहना होगा अपितु निष्पक्ष दिखना भी होगा ।

मैं विशेषाधिकार भंग की सूचना को सम्मति नहीं देता ।

(दिनांक 28 फरवरी, 2003)

विलोपन

1. कार्यवाही से विलोपित अंशों को उद्धृत करना या उस पर अपना मत व्यक्त करना अनुचित एवं सदन की गरिमा के विपरीत है।

दिनांक 19 फरवरी, 2002 को सभा में छत्तीसगढ़ में धान की अपार फसल होने के बावजूद शासन द्वारा धान खरीदी पर अचानक रोक लगाए जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों द्वारा एक-दूसरे पर अशोभनीय एवं अनुचित आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाने पर आसंदी द्वारा संबंधित कार्यवाही को विलोपित कर दिया गया था। सभा की कार्यवाही के पश्चात गृहमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष द्वारा विलोपित अंशों को पत्रकारों के समक्ष उद्धृत किए जाने पर दिनांक 21 फरवरी, 2002 को निम्नानुसार व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

सभा को स्मरण होगा कि 19 फरवरी, 2002 को सभा में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य डॉ. हरिदास भारद्वाज का नाम पुकारे जाने पर अशोभनीय एवं अनुचित आरोप-प्रत्यारोप पक्ष एवं विपक्ष दोनों के द्वारा लगाए गए।

विधान सभा के अंदर यद्यपि सदस्यों को पूर्ण वाक स्वातंत्र्य प्राप्त होता है, किन्तु वाक स्वातंत्र्य के संबंध में प्रक्रिया एवं नियमावली के अन्तर्गत लगाई गई पाबंदियों का जब उल्लंघन किया जाता है तब वह ब्रिच ऑफ आर्डर होता है और नियमावली के नियम

270 के अधीन अध्यक्ष उस पर कार्यवाही कर सकते हैं। तदनुसार मैंने सदन की कार्यवाही की गरिमा एवं परंपरा पर विचार करते हुए उस संपूर्ण कार्यवाही को विलोपित कर दिया था।

मेरे ध्यान में यह तथ्य आया है कि सभा की कार्यवाही के पश्चात् गृहमंत्री श्री नंदकुमार पटेल और नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए सभा की कार्यवाही के विलोपित अंशों को पुन: उद्धृत किया है और विलोपित अंशों के अर्थावयन को भी अपने शब्दों में व्यक्त किया है।

छत्तीसगढ़ विधान सभा का गठन अभी हाल ही में हुआ है और सदन में अभी स्वस्थ परम्पराएँ निर्मित हो रही है सभा के अंदर एवं सभा के बाहर भी सदस्यों से यह अपेक्षित है कि सदस्य आचरण एवं मर्यादाओं का नियमों एवं परम्पराओं का दायित्व की भावना से पालन करें।

जो अंश विलोपित कर दिए गए हैं उन्हीं अंशों को उद्धृत करते हुए माननीय गृहमंत्री एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा पत्रकारों से चर्चा करना, विलोपित अंशों को उद्धृत करना और उस पर अपना मत व्यक्त करना मैं नितांत अनुचित और इस सभा की गरिमा के विपरीत ही मानता हूँ।

माननीय गृहमंत्री एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं इसलिए मैं इस मामले को इस अपेक्षा के साथ कि सभा की मर्यादा बनाए रखने में माननीय गृहमंत्री जी एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष विशेष सतर्कता बरतेंगे आगे और कुछ नहीं कहना चाहूँगा । एक बात और कहूँगा कि ऐसी स्थिति की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो।

(दिनांक 21 फरवरी, 2002)

2. किसी भी माननीय सदस्य के द्‌वारा अभिव्यक्त विचारों को, किसी अन्य माननीय सदस्य के आग्रह, निवेदन अथवा मांग पर विलोपित करना, माननीय सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों के सर्वथा प्रतिकूल है, जब तक कि वह असंसदीय, सर्वथा वर्जनीय न हो ।

दिनांक 30.03.2006 को श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने आसंदी से निवेदन किया कि 25 मार्च को श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य के हवाले से एक समाचार प्रकाशित हुआ है, उस समाचार की भावना यह है कि स्वर्गीय लखन लाल मिश्रा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं रहे । मैं आपके ध्यान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि स्व. लखन लाल मिश्रा, मूरा के निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और राज्य शासन ने दिनांक 8 अगस्त, 2002 को आदेश जारी कर, उन्हें मरणोपरान्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया था । उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की हैसियत से जीवित अवस्था में कोई लाभ नहीं लिया ।

श्री सत्यनारायण शर्मा ने तत्संबंधी टिप्पणी को विलोपित किए जाने का अनुरोध किया ।

श्री धर्मजीत सिंह, ने उनके कथन को विलोपित नहीं किए जाने का अनुरोध किया।

इस पर मान.अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

आज सदन में, माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा द्‌वारा दिनांक 24 मार्च को माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह द्‌वारा व्यक्त विचारों को संदर्भित कर कुछ अंशों को विलोपित करने का आग्रह किया था । तत्समय श्री धर्मजीत सिंह ने अपनी बातें रखते हुए यह आग्रह किया कि विलोपित नहीं किया जाए। मैंने उक्त दिवस की कार्यवाही देखी, मेरा यह मत है कि किसी माननीय सदस्य द्‌वारा सदन में विचारों की अभिव्यक्ति उसका

संवैधानिक अधिकार है, यही लोकतंत्र का सबसे उज्जवल पक्ष भी है कि सदस्य बिना किसी दबाव के, अपनी अभिव्यक्ति सदन में, सदन की स्थापित परम्पराओं के अनुरूप आसंदी की अनुमति से करते हैं। किसी भी माननीय सदस्य के द्वारा अभिव्यक्त विचारों को, किसी अन्य माननीय सदस्य के आग्रह, निवेदन अथवा मांग पर विलोपित करना, माननीय सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों के सर्वथा प्रतिकूल है, जब तक कि वह असंसदीय, सर्वथा वर्जनीय न हो यह आसंदी का विवेक व अधिकार है। इसलिए माननीय सदस्यों को भी, इस प्रकार की कोई मांग करने के पूर्व अवश्य इस पर विचार करना चाहिए कि उनकी मांग क्या सही तथ्यों पर आधारित है।

मैंने कार्यवाही देखी है और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसे विलोपित किया जाए ।

(दिनांक 30 मार्च, 2006)

3. सभी सदस्यों को सदन में चर्चा करते समय शालीन भाषा का प्रयोग करना चाहिए एवं ऐसी किसी भी प्रकार की टिप्पणियों से बचना चाहिए जो कि एक-दूसरे की भावनाओं को आहत करे।

धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री नंदकुमार पटेल द्वारा प्रयुक्त आपत्तिजनक शब्दों को एवं तदोपरांत गृह मंत्री श्री रामविचार नेताम द्वारा, माननीय सदस्य श्री नंदकुमार पटेल के लिए प्रयुक्त शब्दों को माननीय अध्यक्ष ने कार्यवाही से विलोपित करते हुए निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वह अनुचित है । किसी भी माननीय सदस्य और मंत्री को विशेष तौर पर किसी भी माननीय सदस्य के प्रति शब्दों का प्रयोग करते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और एक-दूसरे के प्रति बात करते समय और सम्बोधन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

ऐसी किसी भी प्रकार की टिप्पणियों से बचना चाहिए जो कि एक दूसरे की भावनाओं को आहत करें।

(दिनांक 03 अगस्त, 2006)

शून्यकाल

1. शून्यकाल में चर्चा की परम्परा नहीं है।

प्रश्नकाल की समाप्ति पर अध्यक्ष महोदय द्वारा जैसे ही ध्यानाकर्षण सूचनाएँ लेने की घोषणा की गई श्री बनवारी लाल अग्रवाल, सदस्य ने मुख्यमंत्री द्वारा बालको संयंत्र के सम्बन्ध में भड़काऊ भाषण देने से कानून व्यवस्था की स्थिति तहस-नहस होने संबंधी

स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की तथा कई प्रतिपक्षी सदस्य खड़े होकर स्थगन एवं ध्यानाकर्षण की दी गई सूचनाओं पर चर्चा कराने की मांग करने लगे।

इस पर मान.अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

इस सदन में शून्यकाल में इस प्रकार की चर्चा की कोई परम्परा स्थापित नहीं की गई है जो भी स्थगन या ध्यानाकर्षण ग्राह्य किए गए हैं वे अपने समयानुसार आयेंगे। जिन माननीय सदस्यों के स्थगन या ध्यानाकर्षण नहीं आए हैं उसके बावजूद भी उन्हें कुछ कहना है, रिप्रिजेंटेशन करना है तो अध्यक्ष को अलग से आकर बता दें। निश्चित रूप से उसको सहानुभूतिपूर्वक सुना जाएगा और देखने की कोशिश की जाएगी, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की कोई परम्परा या व्यवस्था स्थापित नहीं की गई है।

(दिनांक 07 मार्च, 2001)

2. प्रश्नकाल के बाद महत्वपूर्ण विषय को उठाने के लिए बिना नियम प्रक्रिया के अनुमति देना उचित नहीं है।

प्रश्नकाल की समाप्ति पर श्री महेश तिवारी, सदस्य ने मांग की कि विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 164, 165, 166 के अन्तर्गत उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के विरूद्ध दी गई विशेषाधिकार की सूचना को ग्राह्य कर उस पर चर्चा कराई जाए। सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी इस मामले को शून्यकाल में उठाने की अनुमति देने के उद्देश्य से व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि लोक सभा, राज्य सभा, मध्यप्रदेश विधान सभा में यह परंपरा रही है कि अगर सदस्य किसी महत्वपूर्ण विषय का उल्लेख करना चाहते हैं तो वे उसका उल्लेख प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में कर

सकते हैं कार्य सूची में छपने के बाद ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर चर्चा नहीं होना सदस्यों के अधिकारों का हनन है। सत्तापक्ष के द्वारा सदन चलाने में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। यह नई परम्परा जो सत्ता पक्ष के द्वारा अपनाई गई है वह उचित नहीं है। शून्यकाल की व्यवस्था नहीं होने से बहुत सारे सदस्यों को महत्वपूर्ण मुद्दों को सदन में उठाने का मौका नहीं मिल रहा है।

इस पर निम्नलिखित व्यवस्था दी गई :-

व्यवस्था

व्यवस्था के प्रश्न की मूल अवधारणा यह है कि जब कोई कार्यवाही चल रही है और उस कार्यवाही में कोई प्रक्रियाजन्य अव्यवस्था होती है तो व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से उसके संबंध में ध्यानाकर्षित किया जाता है, किन्तु व्यवस्था के प्रश्नों के माध्यम से माननीय सदस्यों के मनचाही बाते आती हैं वास्तव में यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। पहली बात यह कही गई कि प्रश्नकाल के बाद ऐसी परम्परा रही है कि माननीय सदस्य अगर कोई बात कहना चाहते हैं तो उस बात को कह सकते है। मध्यप्रदेश विधान सभा में जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव रखा था और वह किन्हीं कारणों से नहीं आ रहा था या अग्राह्य हो गया तो उस पर पुनर्विचार करने के लिए एक-एक मिनट का समय देने की परम्परा थी जैसा कि विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि मध्यप्रदेश विधान सभा में शून्यकाल की परंपरा को समाप्त कर दिया गया है। हमारे यहाँ नियम समिति की बैठक में सभी पक्षों के सदस्यों के विचार जानने के बाद यदि इस प्रकार का निर्णय किया जाता है तो यहाँ पर भी एक-एक, दो-दो मिनट बोलने का अवसर दिया जा सकता है। उस पर विचार कर लेंगे, लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात कही गई कि लगातार सदन में अवरोध होता रहा तो उसमें सबसे ज्यादा दु:ख मुझे है, लेकिन वास्तव में सदन शालीनतापूर्वक चले, छत्तीसगढ़ से एक नया संदेश पूरे देश में जाए इससे संसदीय संस्कृति का न केवल अनुरक्षण होगा बल्कि उन्नयन भी होगा। तीसरी बात विशेषाधिकार की जो सूचना प्राप्त हुई है, उस सूचना पर संबंधित से पूछा जाएगा, विचार भी किया जाएगा और अगर उसकी आवश्यकता हुई तो सदन में भी लाया जाएगा । बेवक्त और बिना अनुमति के प्रक्रिया पर चर्चा न तो हुई है और न ही होगी अब जैसा कि आपने कहा कि ध्यानाकर्षण पर चर्चा नहीं हो पा रही है तो अब सीधे-सीधे ध्यानाकर्षण पर आएं।

(दिनांक 15 मार्च, 2001)

3. शून्यकाल के दौरान किसी भी विषय की संक्षिप्त जानकारी दी जाती है ।

प्रश्नकाल समाप्त होते ही (शून्यकाल के दौरान) श्री धर्मजीत सिंह ने उनके द्वारा दी गई ध्यानाकर्षण सूचना के विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा प्रारंभ की एवं सूचना को ग्राहय किया जाकर उस पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि :-

व्यवस्था

शून्यकाल में माननीय सदस्यों के द्वारा किसी भी विषय में सूचना दिये जाने पर ध्यानाकर्षित किए जाने के लिए विषय उठाते हैं, उस पर विस्तार से भाषण नहीं होता है। उसे ग्राह्य किया जाना या अग्राह्य किया जाना, वह बाद की बात है। लेकिन आसंदी के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। इसलिए बाकी जो बातें आयीं हैं उन सबको विलोपित किया जाता है।

(दिनांक 27 मार्च, 2012)

स्थगन प्रस्ताव

1. यदि किसी विषय पर ध्यानाकर्षण या नियम 139 के तहत चर्चा कराना स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर उस विषय पर स्थगन नहीं आता।

दिनांक 1 मार्च, 2001 को प्रश्नकाल की समाप्ति पर जैसे ही माननीय अध्यक्ष ने प्रदेश के अनेक भागों में मलेरिया से हुई मौतों संबंधी स्थगन प्रस्ताव को लेने की घोषणा की, नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय एवं सदस्य श्री महेश तिवारी ने मांग की कि सर्वप्रथम अकाल, पलायन एवं सूखा राहत संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर सदन में चर्चा कराई जाए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि सूखा, अकाल, रोजगार, पेयजल और निस्तार संबंधी विषय पर चर्चा के संबंध में नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में समय मुकर्रर किया जा चुका है और सूखा

राहत पर दो दिन, नियम 139 के अन्तर्गत चर्चा होगी। इसलिए स्थगन प्रस्ताव के रूप में इस पर अभी चर्चा नहीं हो सकती है। इस पर निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

इस सदन के समक्ष कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । उस प्रतिवेदन में अकाल, पलायन, पेयजल की समस्या, बेरोजगारी की समस्या इन सारे विषयों पर पूरे दो दिन नियमों को शिथिल करते हुए 139 में समय सीमा को शिथिल करते हुए चर्चा कराना स्वीकार कर लिया है। साथ ही यह तय किया गया कि इसके लिए 6 घंटे का समय रखा जाए और इस निर्णय को सदन ने माना। इस निर्णय के विपरीत न आप जा सकते हैं और न मैं जा सकता हूँ सदन ने, जो सर्वोपरि है निर्णय ले लिया है कृपा करके उसको मान्य करें।

माननीय सदस्य श्री बनवारी लाल अग्रवाल ने सूखा राहत आदि विषयों पर नियम 139 के अन्तर्गत आवेदन किया है । आप कितनी भी पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस की किताबें, नियमों, व्यवस्था को देख लीजिए, जिस विषय पर ध्यानाकर्षण, 139 से चर्चा आ जाती है फिर स्थगन नहीं आता । स्थगन तो तब आता है जब कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाता । मैं इस विषय पर दो दिन लगातार चर्चा करवाऊँगा और आपको पूरा-पूरा समय दूँगा।

(दिनांक 01 मार्च, 2001)

2. स्थगन प्रस्ताव तब आता है जब अन्य अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं।

नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय तथा सदस्य श्री महेश तिवारी द्वारा कोरबा बालको प्लाण्ट बंद होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करने पर माननीय अध्यक्ष ने ध्यानाकर्षण सूचनाएँ लिए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि स्थगन प्रस्ताव आज नहीं लिया जाएगा तथा यह स्थगन अभी अग्राह्य नहीं किया गया है, वह अभी लंबित है ।

भाजपा सदस्यों के गर्भगृह में आने तथा नारे लगाने एवं व्यवधान होने से सभा की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित हुई । कार्यवाही पुन: प्रारंभ होते ही सदस्य श्री महेश तिवारी ने विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 56(1) एवं 56 (2) का उल्लेख करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि अध्यक्ष महोदय ने उस दिन स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और वे उसको पढ़ने के लिए आसंदी पर खड़े भी हो गए थे, किन्तु उसको पढ़ने से रोका गया था तो क्या उस स्थगन प्ररस्ताव को बिना कारण बताए, बिना नियमों का हवाला दिए अमान्य किया जा सकता है।

इस पर मान.अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

आज सदन के सामने विचारणीय विषय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव द्वारा संशोधनों पर चर्चा का है इसके लिए संकल्प में इन नियमों के साथ-साथ अन्य नियमों को सहपठित रूप करके उसका अनुशीलन किया जाएगा और देखा जाएगा । इसमें नियम 16 को कई बार पढ़ा जा चुका है और यहाँ पर बार-बार पुनरावृत्ति हो रही है । स्थगन प्रस्ताव यदि ग्राह्य होता है तो उसको चर्चा के लिए तीन

बजे का समय रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ तो स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य ही नहीं हुआ है और स्थगन प्रस्ताव आया भी नहीं है । एक स्थगन जो रखा जाने वाला है उसकी ग्राह्यता पर चर्चा कराने के लिए आप कह रहे हैं । कई माननीय सदस्यों ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बालको सम्बन्धी मुद्दे पर भी बोला है, स्थगन प्रस्ताव तो इसलिए आता है जब अन्य अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं । इसलिए अभी मैं सारी कार्यवाही को रोककर राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा कराऊँगा।

(दिनांक 15 मार्च, 2001)

3. जो विषय कार्यसूची में नहीं है उनमें पहले स्थगन प्रस्ताव और उसके बाद विशेषाधिकार प्रस्ताव लिया जाता है।

दिनांक 20 फरवरी, 2003 को माननीय अध्यक्ष ने जैसे ही धान खरीदी में अनियमितता संबंधी स्थगन प्रस्ताव लेने की घोषणा की, सदस्य श्री महेश तिवारी ने उनके द्वारा मुख्यमंत्री के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना पर पहले चर्चा करने की मांग करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि संसदीय प्रक्रिया एवं व्यवहार पुस्तक (कौल एण्ड शकधर) में दिया है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव स्थगन से वरीयता क्रम में आगे हैं ।

संसदीय कार्यमंत्री, श्री रविन्द्र चौबे ने अध्यक्ष के स्थाई आदेश अध्याय-1, सभा के समक्ष कार्य का क्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि अध्यक्ष के स्थाई आदेश में स्पष्ट दिया है कि-

यदि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दे तो सभा के समक्ष कार्य की निर्दिष्ट वर्गों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता निम्नलिखित क्रम में होगी, अर्थात:-

(6) सभा का कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति,

(7) विशेषाधिकार भंग संबंधी प्रश्न

श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि जो क्रम पूर्व से निर्धारित है उसी क्रम में चर्चा कराई जानी चाहिए इसलिए पहले स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो, माननीय अध्यक्ष ने संसदीय पद्धति और प्रक्रिया (कौल एण्ड शकधर) के पृष्ठ 298 का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

विशेषाधिकार प्रश्न को कार्यसूची की अन्य मदों की अपेक्षा पूर्ववर्तिता दी जाती है। तद्नुसार विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की अनुमति प्रश्नों के बाद और सूची की अन्य मदों को लिए जाने से पहले मांगी जाती है।

स्थगन प्रस्ताव का उल्लेख कार्यसूची में नहीं रहता । इसमें लिखा हुआ है कि कार्यसूची की अन्य मदों के पूर्व अर्थात् कार्यसूची जब प्रारंभ होती है तो उसके पहले और इसके प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो कार्यसूची में नहीं है।

सभा का कार्य स्थगन करने की अनुमति छठवे नंबर पर है और विशेषाधिकार भंग संबंधी प्रश्न सातवें नम्बर पर है इसलिए यह तय हो गया कि जो चीजें कार्यसूची में नहीं है उनमें पहले नंबर पर स्थगन प्रस्ताव आएगा और उसके बाद विशेषाधिकार प्रस्ताव जहाँ

तक विशेषाधिकार भंग की सूचना पर कार्यवाही करने का सवाल है जैसे ही सूचना मिली तत्काल संबंधित को उत्तर के लिए प्रेषित कर दिया गया है। दोनों पक्षों की बातें आने के बाद वे उसके गुण-दोष पर विचार करेंगे और आवश्यकता हुई है तो वे शीघ्र निर्णय देंगे तथा सदन में उसकी चर्चा भी करायेंगे। लेकिन आज पहले स्थगन प्रस्ताव लिया जाएगा।

(दिनांक 20 फरवरी, 2003)

4. स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में मंत्रिगण भाग ले सकते हैं।

पुलिस हिरासत में मौत के संबंध में प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राज्य मंत्री (स्वास्थ्य) डॉ० कृष्णमूर्ति बांधी के भाग लेने पर, श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि मान.मंत्रिगण स्थगन प्रस्ताव में भाषण नहीं कर सकते । इस पर मान. अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

स्थगन प्रस्ताव की चर्चा में माननीय मंत्रिगण भाग ले सकते हैं ।

(दिनांक 24 नवम्बर, 2004)

5. स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अन्य किसी विषय पर चर्चा नहीं होती।

जनप्रतिनिधियों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर गृहमंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) द्वारा वक्तव्य दिए जाने के पश्चात्, माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हेतु अपराहन साढ़े तीन बजे का समय नियत किया ।

किंतु सर्वश्री रविन्द्र चौबे, उदय मुदलियार, डॉ.शिवकुमार डहरिया, सत्यनारायण शर्मा, महेन्द्र कर्मा, सदस्य ने विषय को संवेदनशील बताते हुए स्थगन प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा की मांग की ।

इस पर मान. अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

नियमों में इस बात का उल्लेख है कि स्थगन प्रस्ताव के बाद अन्य कोई विषय नहीं लिया जाएगा और आज के अन्य विषय भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं । मैं एक बार फिर, तमाम माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था का पालन करें और अन्य विषयों पर भी चर्चा करें । सारे विषय प्रदेश के और जनहित में ही हैं और स्वीकृत विषय हैं। आपको यह लाभ होगा कि इन विषयों पर अधिकतम चर्चा हो जाएगी और आपके स्थगन पर भी चर्चा हो जाएगी ।

(दिनांक 22 फरवरी, 2005)

6. दोहरे लाभ के पद पर कार्यरत् होने से किसी सदस्य का सदस्यता से निर्हर होना, स्थगन का विषय नहीं।

नेता प्रतिपक्ष(श्री महेन्द्र कर्मा) ने दोहरे लाभ के पदों पर कार्यरत जनप्रतिनिधियों की निरर्हता संबंधी उनके स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करने का आसंदी से अनुरोध किया ।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने इसका समर्थन किया ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) एवं राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) ने विषय विधान सभा से संबंधित न होने के कारण स्थगन को लेने की आवश्यकता न होने संबंधी तर्क दिया ।

इस पर मान. अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

कोई सदस्य किसी कारण से सदस्यता के लिए निर्हर हो गया है या नहीं, इसके लिए कोई भी नागरिक संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग या न्यायालय

में जा सकता है । यह विषय सभा द्वारा चर्चा करने अथवा अध्यक्ष द्वारा निर्णित करने का नहीं है । यह विषय राज्य शासन के विचार का नहीं है । संविधान एवं इसके अंतर्गत निर्मित विधियों में प्रावधान उपलब्ध हैं ।

स्थगन की सूचना में बहुत सारे विषय हैं जबकि स्थगन किसी एक विषय वस्तु की सूचना पर होता है। उस विषय में सदस्य की निर्हरता से लेकर बाकी चीजों का भी उल्लेख है, यह बात सही है । चूंकि सदन या अध्यक्ष, किसी सदस्य की निर्हरता संबंधी कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। आज मुख्यमंत्री जी की अनुदान मांगों पर चर्चा प्रारंभ हो रही है, सदस्य अपनी बात और अपने विचार उसमें रख सकते हैं । यह विषय स्थगन का नहीं है, मैंने इस प्रस्ताव का अग्राहय कर दिया है ।

(दिनांक 24 मार्च, 2006)

7. जिस विषय पर चर्चा हो चुकी हो उसी विषय पर पुन: चर्चा नहीं की जा सकती।

नेता प्रतिपक्ष (श्री महेन्द्र कर्मा) ने एर्राबोर में नक्सली हमले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही तथा जांच की मांग की। श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने भी शासन की ओर से अलग से कार्यवाही तथा जांच कराने की मांग की । श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य के साथ कांग्रेस के अन्य सदस्यों द्वारा एर्राबोर हमले की घटना पर जांच की मांग की गई । माननीय अध्यक्ष ने कांग्रेस के सदस्यों से नियम एवं प्रक्रिया अंतर्गत कार्यवाही चलाने का अनुरोध किया। प्रतिपक्ष द्वारा निरन्तर नारेबाज़ी की जाती रही।

राजस्व मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) ने अनुरोध किया कि स्थगन पर चर्चा हो चुकी है और अब उस विषय पर चर्चा करना उपयुक्त नहीं है ।

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने कहा कि स्थगन पर चर्चा हो चुकने के पश्चात उसे पुन: नहीं उठाया जा सकता ।

इस पर निम्नानुसार व्यवस्था दी गई :-

व्यवस्था

नियम 58 में प्रावधानित है कि किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से दो घण्टे बीत जाने के पश्चात चर्चा समाप्त हो जाएगी और कोई प्रश्न नहीं रखा जायेगा। लेकिन मैंने नियमों को शिथिल कर 6 घण्टे चर्चा कराई और माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिया। विषय कल ही समाप्त हो गया और अब उसी विषय पर वे किसी चर्चा की अनुमति नहीं देते।

(दिनांक 26 जुलाई, 2006)

8. स्थगन प्रस्ताव प्रथम अवसर पर देना चाहिए।

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सदस्यों द्वारा, दुर्ग जिले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कस्टम मिलिंग किए जाने संबंधी मामले में प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर चर्चा कराने हेतु आग्रह किया ।

इस पर मान. अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

स्थगन प्रस्ताव प्रथम अवसर पर देना चाहिए । सदस्यों को यह जानकारी है कि स्थगन सूचना देने की पहली तिथि 04 जुलाई थी। उक्त तिथि को अन्य घटनाओं पर सूचनाएं प्राप्त हुई हैं लेकिन आज जिस विषय को कहा जा रहा है उसकी सूचना मुझे प्रात: 8.20 बजे प्राप्त हुई है । इस पर मैं विचार कर रहा हूं और शासन के उत्तर पर विचार कर निर्णय दूंगा ।

(दिनांक 10 जुलाई, 2007)

9. स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा पश्चात् उस विषय में जो भी निर्णय करना है, सरकार करती है ।

प्रश्नकाल की समाप्ति के पश्चात् प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी करते हुए दुर्ग जिले के धान खरीदी के संबंध में सदन की जांच समिति बनाने का आसंदी से अनुरोध किया । इस पर मान. अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

सदन नियम-प्रकियाओं से चलता है और सामान्य परम्परा यह रही है कि जब भी कोई सदस्य कोई सूचना देता है उस सूचना के अंतर्गत सदन में चर्चा होती है । चर्चा में सारे संबंधित पक्ष यहां पर अपने विचार रखते हैं । उन विचारों के पश्चात् सरकार को जो भी निर्णय करना है, वह करती है । इसमें सरकार भी अपना पक्ष रखती है और आप भी अपना पक्ष रखते हैं । मैं समझता हूं स्थगन प्रस्ताव, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है, उस पर पहले दिन ही सदन में काफी लम्बी चर्चा हो गई है । उससे उत्पन्न और भी जो प्रश्न थे, इस संबंध में आप लोगों के जो प्रश्न थे, उस संबंध में भी आप लोगों को सूचनाएं दी हैं । उस पर जो नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा, उस पर भी विचारण चल रहा है और जैसे ही वह सारी चीज आएगी तो उन प्रक्रियाओं के तहत होगा ।

(दिनांक 13 जुलाई, 2007)

10. स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर, विभाग को यथासमय उत्तर प्रेषित करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष द्वारा दक्षिण बस्तर में नक्सली मुठभेड़ में पुलिस जवानों की मौत संबंधी स्थगन प्रस्ताव पढ़ने के बाद, उत्तर हेतु माननीय गृहमंत्री का नाम पुकारा गया।

श्री रामविचार नेताम, गृहमंत्री द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के विषय में भिन्न वक्तव्य पढ़ने पर प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई तथा आसंदी का ध्यान आकर्षित किया गया ।

इस पर मान. अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

स्थगन प्रस्ताव की सूचना विभाग को 10 जुलाई को प्रेषित की गई थी लेकिन उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, यह स्थिति खेदजनक है । शासन का उत्तर अभी तक नहीं आया, अत: मैं सभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(दिनांक 13 जुलाई, 2007)

11. स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराना तथा स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता/अग्राह्यता के संबंध में शासन तथा सदस्यों के विचार जानना दोनों अलग-अलग स्थिति है।

दिनांक 23 जुलाई, 2009 को प्रश्नकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सदस्यों द्वारा मदनवाड़ा में हुई नक्सली मुठभेड़ की घटना पर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी की गई ।

माननीय अध्यक्ष ने भा.रा.कां. के सदस्यों से सदन चलाने में सहयोग तथा अन्य सदस्यों के प्रश्न पूछने में सहयोग देने का आग्रह किया परन्तु भा.रा.कां. के सदस्यों द्वारा निरन्तर नारेबाजी की जाती रही । व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 11.37 बजे से 11.52 बजे तक एवं 11.55 बजे से 12.00 बजे तक स्थगित रही ।

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही भा.रा.कां. के सदस्यों द्वारा नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया गया । विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन भा.रा.कां. के सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये ।

माननीय अध्यक्ष ने भा.रा.कां. के सदस्यों द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव की सूचना सदन में पढ़कर सुनाई एवं गृहमंत्री (श्री ननकीराम कंवर) द्वारा इस पर वक्तव्य दिया गया ।

तत्पश्चात् माननीय अध्यक्ष ने भा.रा.कां. के सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा करते हुए आग्रह किया कि भा. रा. कां. के सदस्य सदन में उपस्थित होकर स्थगन प्रस्ताव की चर्चा में भाग लें । संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) ने भी भा.रा.कां. के सदस्यों से सदन में उपस्थित होने का आग्रह किया ।

(भा.रा.कां. के सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हुए)

स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा में सदस्य डॉ.सुभाऊ कश्यप(भा.ज.पा.)एवं श्री सौरभ सिंह (ब.स.पा.) ने भाग लिया ।

सदस्यों का विचार सुनने तथा शासन का उत्तर सुनने के बाद माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

दिनांक 24 जुलाई, 2009 को प्रश्नकाल की समाप्ति के पश्चात् नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे ने औचित्य का प्रश्न उठाते हुए कहा कि हमें अखबारों से पता चला कि हमारे द्वारा दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचना, हमारी अनुपस्थिति में न केवल पेश हो गई बल्कि शासन की ओर से उस पर उत्तर भी आ गया । हिन्दुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में यह पहली बार हुआ कि सत्ता पक्ष का कोई सदस्य स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर अपनी बात कह गया । आज पर्यन्त ऐसा कुछ हुआ नहीं ।

श्री रविन्द्र चौबे ने स्थगन प्रस्ताव के बारे में संसदीय पद्धति और प्रक्रिया की कौल एण्ड शकधर पुस्तक का उल्लेख किया । उन्होंने कहा कि हम सब नियम प्रक्रियाओं से बंधे हैं यहां तक आसंदी भी नियम प्रक्रियाओं से बंधी है, हम इससे बाहर जाकर अपनी कोई बात नहीं कह सकते । कौल एण्ड शकधर की किताब के पृष्ठ क्रमांक 518 का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें लिखा है - जब अध्यक्ष किसी स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दे देता है, उसके बाद वह उचित समय पर, जब प्रश्नों का निपटान किया गया हो तो संबंधित सदस्य को पुकारता है । आपने भी कल नाम लिया, आपने 27 सदस्यों के नाम का उल्लेख किया। हम लोग उस समय सदन में उपस्थित नहीं थे । संबंधित सदस्य को पुकारता है और उसे अपने स्थान पर खड़े होकर सभा से स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति के संबंध में कहता है । आपने जिन 27 सदस्यों का नाम लिया उनमें से एक भी सदस्य इस सदन में उपस्थित नहीं था। मैं नहीं समझता कि हम सबको उस कार्यवाही को आगे बढ़ाना चाहिए था।

छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम के पृष्ठ क्रमांक 17, नियम 53 में लिखा है कि यदि अध्यक्ष नियम 53 के अधीन सम्मति दे दे तो चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय अगर नियमानुकूल है तो वह संबंधित सदस्य को पुकारेगा । सदस्य का नाम इसमें भी आवश्यक है और वह सदस्य का नाम पुकारने पर खड़ा होगा, इसका मतलब ही है कि उसकी उपस्थिति होगी तभी स्थगन प्रस्ताव की चर्चा आगे बढ़ सकती है । श्री रविन्द्र चौबे ने उद्धरण दिया कि इस विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ॰राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल की पुस्तक प्रश्नकाल से शून्यकाल तक, के पृष्ठ 239 में स्थगन प्रस्ताव पर अध्यक्ष की सम्मति प्राप्त हो जाती है तो स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने वाले सदस्य को स्थगन प्रस्ताव पर सदन में चर्चा किये जाने के समय उपस्थित होना ही चाहिए ।

श्री रविन्द्र चौबे ने पुन: आसंदी से आग्रह किया कि हिन्दुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ है कि स्थगन प्रस्ताव प्रतिपक्ष प्रस्तुत करे और ग्राह्यता पर सत्ता पक्ष चर्चा करे, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब ऐसा न हो और हमको आप फिर से चर्चा करने के लिए अवसर प्रदान करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह, श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, सदस्य ने भी विपक्ष की अनुपस्थिति में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा को औचित्यहीन बताते हुए, इस पर पुन: चर्चा कराने का आग्रह किया ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) ने कहा कि आपने जिन किताबों का उल्लेख किया है उसमें कहां लिखा है कि अध्यक्ष जी कहें कि हम चर्चा करवाने के लिए तैयार हैं ? विपक्ष के द्वारा लगातार तीन दिनों तक हंगामा किये जाने का अर्थ यह है कि विपक्ष उस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता है, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। जबकि स्थगन पर चर्चा के पूर्व निलम्बन समाप्त किया जा चुका था ।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

स्थगन प्रस्ताव की सूचना 20 जुलाई, 2009 को प्राप्त हो गई थी । स्थगन प्रस्ताव के महत्व को देखते हुए उसे, उसी दिन नियमों के अंतर्गत लिया जाना था किंतु प्रतिपक्ष के द्वारा सूचना दिये जाने के बावजूद सभा में उसे लेने के संबंध में नकारात्मक रूख अपनाया गया । निरन्तर व्यवधान के कारण प्रस्ताव को सभा में नहीं लिया जा सका, यही स्थिति दूसरे दिन भी रही ।

23 जुलाई, 2009 को भी प्रतिपक्ष के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । स्थगन प्रस्ताव मेरे पास विचाराधीन था । प्रश्नकाल के बाद जब उसे मैं सभा में ले रहा था तभी प्रतिपक्ष के सदस्य यह जानते हुए कि वे सभा के गर्भगृह में आयेंगे तो स्वयं निलंबित हो जाएंगे, लेकिन वे जानबूझकर गर्भगृह में आये और निलंबित हुए । स्थगन प्रस्ताव पर मुझे निर्णय लेना था, अत: स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सम्पूर्ण तथ्य शासन के वक्तव्य के माध्यम से मेरे समक्ष आये और मैं उस पर निर्णय ले सकूं, इसी उद्देश्य से मैंने प्रक्रिया कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर सम्मति देने या इंकार करने के पूर्व प्रस्ताव की सूचना को सभा में पढ़ा और माननीय मंत्री जी का वक्तव्य सुना । प्रतिपक्ष के उपस्थित सदस्यों के द्वारा इस अनुरोध पर कि वे भी इस पर कुछ तथ्य रखना चाहते हैं, मैं स्थगन प्रस्ताव पर सम्मति दूं या इंकार कर दूं, मेरी अनुमति से उन्होंने भी तथ्य रखे और पश्चात् तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मैंने स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया ।

स्थगन प्रस्ताव को सभा में लेने की अनुमति दी ही नहीं थी, जब सभा में चर्चा हुई ही नहीं तो फिर यह कहना कि प्रतिपक्ष के सदस्यों की अनुपस्थिति में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करायी गयी, तथ्यों से अलग स्थिति है । मैंने शासन के वक्तव्य के तत्काल पश्चात् प्रतिपक्ष दल के माननीय सदस्यों का निलम्बन समाप्त कर उनसे सभा में आकर इस

स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया था, ताकि मैं निर्णय कर सकूं, किंतु वे सभा में नहीं आये ।

(दिनांक 24 जुलाई, 2009)

12. स्थगन प्रस्ताव अंत: सत्रकाल की अवधि में सरकार की कोई चूक, नीतिगत् विफलता आदि के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं ।

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही श्री कुलदीप सिंह जुनेजा, डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था, किसानों को बोनस, दवाई खरीदी, धान खरीदी में भ्रष्टाचार के संबंध में उल्लेख किया गया । माननीय अध्यक्ष ने नियम प्रक्रिया के तहत् ही कार्यवाही चलाने में सहयोग का अनुरोध किया।

श्री भोलाराम साहू एवं श्री हृदयराम राठिया ने उपस्थित रहकर भी प्रश्न नहीं किया।

भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाते हुए पर्चे लहराए गए । निरन्तर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित की गई ।

पुन: कार्यवाही प्रारंभ होने पर श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य द्वारा किसानों के साथ शोषण एवं किसानों के साथ किये गये वायदे का उल्लेख किया गया । माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया । प्रश्नकर्ता सदस्य सर्वश्री अमरजीत भगत, रामदेव राम, ताम्रध्वज साहू ने उपस्थित रहकर भी प्रश्न नहीं किये । अत्यधिक नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण कार्यवाही स्थगित की गई।

कार्यवाही पुन: प्रारंभ होते ही श्री अमितेश शुक्ल, सदस्य द्वारा देवभोग क्षेत्र में एक किसान की मौत संबंधी उल्लेख किया गया । श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य द्वारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव पूर्व जारी घोषणा पत्र में किसानों को धान पर 270 रूपए बोनस दिये जाने संबंधी वायदे का उल्लेख किया गया।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि :-

व्यवस्था

माननीय सदस्य श्री रविन्द्र चौबे एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव की लगभग 30 सूचनाएं मुझे आज प्राप्त हुई हैं, जिसमें चुनावी घोषणा-पत्र विधान सभा चुनाव-2008 में धान खरीदी पर 270 रूपये बोनस समर्थन मूल्य अतिरिक्त देने की घोषणा के साथ घोषणा-पत्र के अन्य बिन्दुओं की पूर्ति नहीं करने को आधार बनाया है। इसके साथ ही बारदाना खरीदी, नमी मापक यंत्र, हाईब्रीड बीज, सड़क, पुल-पुलिया, गोदाम निर्माण नहीं करने जैसे मण्डी, बीज निगम आदि से संबंधित मामलों का भी उल्लेख है। स्थगन प्रस्ताव में तथाकथित रूप से किसी किसान द्वारा आत्महत्या का भी उल्लेख किया है।

मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसे स्थगन प्रस्ताव को मैं कैसे विचार में लूं ? स्थगन प्रस्ताव देने वाले सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं केवल उनका ध्यान छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अध्याय-9 स्थगन प्रस्ताव में उल्लेखित निम्नलिखित नियमों की ओर ही आकर्षित कर सकता हूं।

नियम 53 - उन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी निश्चित विषय की चर्चा के प्रयोजन से सभा के कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की सम्मति से किया जा सकेगा।

नियम 55(2) - एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी,

नियम 55(3) - प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा।

नियम 55(8) - प्रस्ताव में कोई प्रश्न नहीं उठाया जायेगा, जो संविधान या इन नियमों के अन्तर्गत सचिव को लिखित सूचना देकर अलग आम प्रस्ताव द्वारा ही उठाया जा सकता है।

मैं यह प्रश्न इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि क्या वर्ष 2008 के विधान सभा चुनाव घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं की पूर्ति नहीं होने के साथ अनेकों विषय, घटनाओं के आधार पर क्या स्थगन प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है? या मैं तो यह भी कहूंगा कि क्या ऐसे विषय पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत भी किया जा सकता है?

वस्तुत: स्थगन प्रस्ताव अंत: सत्रकाल की अवधि में ऐसी घटना या सरकार की कोई ऐसी चूक, किसी प्रकार की नीतिगत असफलता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार की चूक, नीतिगत विफलता आदि के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं।

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के उद्देश्यों की महत्ता एवं इस सभा की प्रतिष्ठा एवं गरिमा को बनाये रखने में सहयोग प्रदान करें और सभा की कार्यवाही चलाने में मुझे सहयोग करें।

यदि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने यह निर्णय ले ही लिया है कि वे सभा की कार्यवाही चलाना नहीं चाहते तो उनके इस राजनीतिक निर्णय के संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहता। किन्तु यह अवश्य उल्लेख करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को यह ध्यान रखना चाहिये कि सभा में संसदीय कार्यों के संपादन पर राजनीतिक कार्य हावी न हो पाये। मैंने इस स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया है।

(दिनांक 8 दिसम्बर, 2010)

13. स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के लिए शर्तों का पूरा होना आवश्यक है ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री रविन्द्र चौबे) एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा प्रदेश में खाद की कालाबाजारी एवं खाद की कमी होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि खाद की अनुपलब्धता विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर विचार कर मैंने इस सूचना को अग्राह्य कर दिया है एवं नियम 139 के अंतर्गत रासायनिक खाद एवं प्रमाणिक बीजों की कमी के संबंध में प्राप्त सूचना पर चर्चा की अनुमति प्रदान की है ।

श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव के रूप में ही चर्चा कराये जाने पर ज़ोर दिया ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) ने कहा कि आसंदी द्वारा स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया गया है । आसंदी के निर्णय के बाद उस पर कोई चर्चा नहीं होती है । आसंदी ने नियम 139 पर चर्चा की अनुमति दी है एवं शासन ने उस पर सहमति भी दी है, उन्होंने प्रतिपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि वे नियम 139 पर चर्चा प्रारंभ करें ।

श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि नियम 139 के अधीन चर्चा हो सकती है लेकिन उसके लिए सदन की कार्यसूची का पुनर्निर्धारण करना आवश्यक है । अभी कार्यसूची जारी नहीं हुई है तो उस पर चर्चा कैसे होगी ?

इस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि -

व्यवस्था

वस्तुत: यह विषय स्थगन सूचना का नहीं है, क्योंकि यह कोई घटना विशेष नहीं अपितु सम्पूर्ण प्रदेश में निरन्तरता में प्रचलित कार्यवाही का है । स्थगन की ग्राह्यता की शर्त पूरी नहीं होती। सदस्यों की भावनाओं को देखकर, मैंने नियम 139 की चर्चा स्वीकार की है । अनुपूरक कार्यसूची जारी की जा रही है, नियम 139 के अधीन आज ही चर्चा होगी।

(दिनांक 29 अगस्त, 2011)

14. स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता की चर्चा पर सत्ता पक्ष के सदस्य भी विचार रख सकते हैं ।

नक्सली क्षेत्रों में पदस्थ जवानों को पर्याप्त संसाधन एवं रसद उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा के दौरान श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता की चर्चा में स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने वाले सदस्य ही चर्चा करते हैं, सत्ता पक्ष के सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) ने कहा कि सत्ता पक्ष के सदस्य भी स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता की चर्चा में सम्मिलित हो सकते हैं ।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि :-

व्यवस्था

सदन की यह परम्परा रही है कि ग्राह्यता के ऊपर जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है, वे अपने विचार रखेंगे, लेकिन सता पक्ष के सदस्य अनुमति प्राप्त कर अपने विचार रख सकते हैं और यह बता सकते हैं कि स्थगन प्रस्ताव को क्यों अग्राह्य किया जावे।

(दिनांक 7 सितम्बर, 2011)

15. स्थगन प्रस्ताव की सूचना किसी विषय विशेष से संबंधित होना चाहिए ।

प्रश्नकाल समाप्त होते ही श्री धर्मजीत सिंह एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा अनुसूचित जाति के एक युवक की पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत एवं अनुसूचित जाति की बालिका के साथ घटित बलात्कार की घटना का उल्लेख करते हुए शासन की ओर से वक्तव्य देने एवं इससे संबंधित स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

आपने स्थगन की जो सूचना दी है, स्थगन की सूचना में जो विषय आना चाहिये, सूचना एकाधिक विषयों के आधार पर है। पूर्व में भी प्राप्त सूचना अग्राह्य हो चुकी है। माननीय सदस्यों को यह ज्ञात है कि स्थगन सूचना में छोटी-छोटी एकाधिक घटनाओं का उल्लेख कर दिया जाना, प्रक्रिया एवं ग्राह्यता के योग्य नहीं होता। स्थगन पर्टिकूलर विषय पर आना चाहिए। इस प्रकार स्थगन की सूचना नहीं दी जानी चाहिये। जब बजट पर चर्चा जारी है तब इस प्रकार सूचना देना एवं सदन की कार्यवाही में व्यवधान करना क्या उचित है ? मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अग्राह्य कर दिया है।

(दिनांक 26 मार्च, 2012)

16. स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य हो जाने के बाद पुन: दूसरी सूचना प्राप्त हुए बिना उस पर पुनर्विचार करना संभव नहीं है ।

प्रश्नकाल समाप्त होते ही श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने प्रदेश में चल रही शिक्षा कर्मियों की हड़ताल के संबंध में आसंदी का ध्यान आकर्षित किया । श्री ताम्रध्वज साहू, सदस्य ने एक दिन पूर्व दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की ।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि आपके द्वारा दिया गया स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य हो गया है ।

श्री ताम्रध्वज साहू, सदस्य ने वर्तमान में उत्पन्न नई परिस्थितियों की ओर आसंदी का ध्यान आकृष्ट करते हुए स्थगन प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर, चर्चा कराए जाने की मांग की।

नेता प्रतिपक्ष (श्री रविन्द्र चौबे) एवं डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने भी आसंदी से संरक्षण मांगते हुए स्थगन प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि :-

व्यवस्था

सभी सम्माननीय सदस्यों को आसंदी का पूरा संरक्षण है। आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, आपको बात रखने का अवसर दिया जाता है। लेकिन कल जो आपने स्थगन प्रस्ताव दिया वह कल अग्राह्य हो गया, उसके बाद मेरे पास कोई दूसरी सूचना नहीं है, जिस पर मैं पुनर्विचार करूं और चर्चा कराऊं।

(दिनांक 13 दिसम्बर, 2012)

17. महालेखाकार के प्रतिवेदन पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा नहीं होती।

प्रश्नकाल समाप्त होते हुए भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सदस्यों द्वारा कोल ब्लॉक आवंटन के संबंध में दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने उल्लेख किया कि यह विषय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और जिस विषय पर महालेखाकार ने रिपोर्ट दी है तथा विषय सार्वजनिक उपक्रम समिति के पास है, उस विषय पर चर्चा का कोई औचित्य नहीं है।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा नहीं हो सकती। अन्य कोई सूचना देंगे तो उस पर चर्चा हो सकती है। आपके द्वारा दिनांक 13.12.12 को दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचना को कक्ष में अग्राह्य कर दिया गया है। उन्हीं तथ्यों को आधार बनाकर पुन: जो सूचना दी है, वह ग्राह्य योग्य नहीं है।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की पुन: मांग की गई। श्री बृजमोहन अग्रवाल, ससंदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि किसी अन्य सूचना के माध्यम से इस विषय पर चर्चा मांग सकते हैं।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी से आग्रह किया कि स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर चर्चा की अनुमति दें। इस पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

यह मामला महालेखाकार के प्रतिवेदन में भी उल्लेखित है और इस सभा की समिति उसका परीक्षण करेगी।

कोल ब्लाक का आबंटन राज्य सरकार का विषय नहीं है। यह एक सार्वजनिक उपक्रम की कार्यवाही से संबंधित मामला है, जिसमें शासन सीधे जिम्मेदार नहीं होता। यह अवश्य है कि इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है क्योंकि सरकारी उपक्रम शासन की निधि से चलते हैं और बाह्य रूप से शासन का उन पर नियंत्रण रहता है।मैंने इस स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया है।

(दिनांक 20 दिसम्बर, 2012)

18. स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान न्यायिक आयोग की कार्यवाही प्रभावित न हो ।

बिलासपुर में आयोजित नसबंदी शिविर में ऑपरेशन के बाद अनेक महिलाओं की मौत की घटना पर प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग एवं उनके द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की।

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) ने कहा कि किसी भी स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के लिए आवश्यक है कि घटना तात्कालिक हो, प्रशासनिक चूक हो या शासन द्वारा उसे छिपाने का प्रयास किया जा रहा हो एवं प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के संबंध में न हो जो न्यायालय में किसी न्याय निर्णयन के अंतर्गत हो । चूंकि इस मामले को घटित हुए काफी दिन हो चुके हैं, शासन इसमें कुछ भी छिपा नहीं रहा है एवं इस मामले में जांच हेतु न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई है, न्यायाधीश ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है एवं न्यायिक मामला होने के कारण स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी यहां नहीं पढ़ी जा सकती । अत: इस स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य किया जावे, यह आपसे निवेदन है ।

व्यवस्था

मैंने सदस्यों की बातें सुनीं हैं । मैं आपकी आपत्ति को अस्वीकृत करता हूं । मैंने स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता की चर्चा हेतु स्वीकार कर लिया है । माननीय सदस्य चर्चा में इस बात का ध्यान रखें कि न्यायिक आयोग की कार्यवाही किसी तरह प्रभावित न हो।

(दिनांक 15 दिसम्बर, 2014)

19. नया तथ्य नहीं होने के कारण स्थगन प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं ।

दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को प्रतिपक्ष द्वारा बिलासपुर में आयोजित नसबंदी शिविर में ऑपरेशन के बाद अनेक महिलाओं की मृत्यु के संबंध में दिये गए स्थगन प्रस्ताव की सूचना, माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में पढ़ी गई । जिस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया गया ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा सूचना देने वाले सदस्यों का नाम पुकारे जाने पर भी संबंधित सदस्यों द्वारा चर्चा में भाग नहीं लिया गया । दिनांक 16 दिसम्बर 2014 को पुन: उसी विषय पर प्रतिपक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव देकर चर्चा की मांग किये जाने पर माननीय अध्यक्ष ने निम्न लिखित व्यवस्था दी -

व्यवस्था

मैंने परिवार नियोजन कैम्प में नसबंदी ऑपरेशन के पश्चात् हुई महिलाओं की मृत्यु से संबंधित प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को कल सदन में लिया था, किंतु सदन में उपस्थित रहते हुए भी सूचना देने वाले सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया । माननीय सदस्यों ने आज पुन: स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । जिसमें मुख्यत: कल लिये गये स्थगन प्रस्ताव के ही तथ्य दिये गये हैं । इसमें स्थगन के योग्य कोई नया तथ्य नहीं है । मैंने स्थगन प्रस्ताव को कक्ष में ही अग्राह्य कर दिया है । अब इस विषय पर सभा में किसी प्रकार की चर्चा की अनुमति मैं नहीं देता ।

(दिनांक 16 दिसम्बर, 2014)

20. सरकार की नीति एवं घोषणा पत्र को आधार बनाकर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की सूचना ग्राह्य योग्य नहीं।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा धान खरीदी नीति सहित प्रदेश में घटित अनेक घटनाओं का उल्लेख करते हुए दी गई एक ही स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग करने पर माननीय अध्यक्ष ने निम्न लिखित व्यवस्था दी -

व्यवस्था

आज धान खरीदी नीति सहित एक से अधिक विषयों को सम्मिलित करते हुए प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मुझे प्राप्त हुई है । सूचना में मुख्यत: सरकार की धान खरीदी नीति को गलत निरूपित करते हुए चुनावी घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं को आधार बनाया गया है और इसके साथ ही अन्य विषयों का उल्लेख है ।

जहां तक स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न है सरकार की नीति को आधार बनाकर अथवा घोषणा पत्र के आधार पर स्थगन प्रस्ताव ग्राहय नहीं होते । यह सरकार का अधिकार क्षेत्र है कि वह नीति बनाए और उसको लागू करे । प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को मैंने अपने कक्ष में ही अग्राहय कर दिया है ।

(दिनांक 17 दिसम्बर, 2014)

21. दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों को आधार बनाकर स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं है।

श्री भूपेश बघेल एवं अन्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने धान खरीदी में अनियमितता एवं किसानों को हो रही परेशानियों के संबंध में दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की ।

श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अध्याय 6 का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के पहले भी अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय आते हैं । इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि स्थगन प्रस्ताव लिया जा सकता है ।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी -

व्यवस्था

सामान्यत: स्थगन प्रस्ताव में अविलंबनीय लोक महत्व के ऐसे विषय को उठाने की अनुमति दी जाती है जिसमें शासन की नीतिगत असफलता परिलक्षित होती है। दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों को आधार बनाकर स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं है।

सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण, बजट पर सामान्य चर्चा, अनुदान मांगों पर चर्चा, विनियोग विधेयक पर चर्चा जैसे अनेक अवसर हैं जब स्थगन के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

विचाराधीन स्थगन प्रस्ताव में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाए।

अत: उन्होंने स्थगन प्रस्ताव को कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

(दिनांक 9 मार्च, 2015)

22. न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण पर स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं ।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम (नान) घोटाले पर ए.सी.बी. द्वारा की जा रही जांच संबंधी दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की गई ।

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में इस बात का उल्लेख है कि न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने पर उस विषय में विधान सभा में चर्चा नहीं हो सकती । इस विषय पर पिछले सत्र में पूरी चर्चा हो चुकी है और आज चर्चा का कोई औचित्य नहीं है । राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) ने इसका समर्थन किया ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) ने न्यायालयीन मामलों के संबंध में विधान सभा की कार्यवाही दिनांक 15 जनवरी, 2010 एवं 15 मार्च, 2011 में आसंदी से दी गई व्यवस्था का उल्लेख कर चर्चा की मांग की ।

व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- माननीय सदस्य सर्वश्री भूपेश बघेल, श्री सत्यनारायण शर्मा जी, श्री धनेन्द्र साहू जी एवं अन्य सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना दिनांक 17 जुलाई, 2015 को अपरान्ह 3.45 बजे प्राप्त हुई थी। माननीय सदस्यों ने सूचना इस आधार पर प्रस्तुत की है कि एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा दिनांक 06 जून, 2015 को नागरिक आपूर्ति निगम के कथित घपले के सम्बन्ध में जो चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, उसमें गंभीर व्यापक गड़बड़ियां हैं।

प्रस्ताव में यह उल्लेख किया गया है कि चालान में से अनेक बड़े अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के नाम हटा लिए गए हैं, जिन आरोपियों से छापों के दौरान अवैध धनराशि प्राप्त की गई थी, उन्हें गवाह बनाकर प्रस्तुत कर दिया गया है और सम्पूर्ण कार्यवाही में उदासीनता बरतते हुए नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यालयों और आवासों में मारे गए छापों से मिली डायरी और पृष्ठों को भी जांच का हिस्सा नहीं बनाया गया है तथा दोहरे मापदण्ड अपनाकर एक से आरोपों के बावजूद कुछ ही लोगों को आरोपी बनाया गया है। एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा साक्ष्य के रूप में जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, उसमें भी आधे-

अधूरे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। एन्टी करप्शन ब्यूरो की निष्पक्षता और विश्वास पर प्रश्नचिन्ह लग गया है।

प्रस्ताव में यह भी उल्लेख है कि सम्पूर्ण मामले में प्रदेशवासी आंदोलनरत हैं, जगह-जगह आंदोलन-प्रदर्शन किए जा रहे हैं।

मैंने स्थगन प्रस्ताव की विषय वस्तु के संबंध में शासन का वक्तव्य भी प्राप्त किया। शासन ने अपने वक्तव्य में प्रगट किया है कि नागरिक आपूर्ति निगम में की गई आर्थिक अनियमितता के सम्बन्ध में एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा अपराध क्रमांक 9/2015, भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 109, 120 बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) (डी), 13(2) दर्ज कर विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत नागरिक आपूर्ति निगम के 14 अधिकारियों, कर्मचारियों और राज्य भण्डार गृह निगम के 1-1 अशासकीय व्यक्ति के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। साथ ही उपर्युक्त विषय में प्रत्यक्षत: संबंधित प्रकरण क्रमांक 794/2015 दिनांक 15/6/2015 विशेष न्यायाधीश न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, विशेष न्यायालय रायपुर के समक्ष विचाराधीन है।

मैंने स्थगन प्रस्ताव एवं शासन से प्राप्त वक्तव्य तथा स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता, अग्राह्यता के सम्बन्ध में सभा में सूचना देने वाले सदस्यों एवं अन्य सदस्यों के विचारों, पूर्व में लोकसभा एवं छत्तीसगढ़ विधान सभा में आसंदी से दी गई व्यवस्थाओं पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।

स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता का मूल तत्व यह है कि सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में असफल होती है या सरकार की असफलता या कर्तव्य के प्रति उपेक्षा का तत्व प्रकट होता हो।

सूचना अचानक कोई स्थिति उत्पन्न होने को आधार बनाकर प्रस्तुत नहीं की है अपितु विगत लगभग 3 माह से एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा निरंतर चल रही कार्यवाही को आधार बनाया है। विचाराधीन प्रस्ताव में एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा की गई कार्यवाही में आरोपात्मक कथन किए गए हैं। आरोपों का आधार स्पष्ट नहीं किया है।

एन्टी करप्शन ब्यूरो विधि के अन्तर्गत गठित पृथक कार्य करने वाला एक स्वतन्त्र निकाय है, जिसकी कार्य विधि में सरकार का कोई दखल नहीं है। सूचना में सरकार की किसी चूक का उल्लेख भी नहीं किया है।

एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा चालान विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। सम्पूर्ण मामला अब न्याय निर्णयाधीन है। एन्टी करप्शन ब्यूरो की कार्यविधि में गड़बड़ी की ओर विशेष न्यायालय में विधि के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

सूचना में सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारियों में असफलता का उल्लेख नहीं है। आंदोलन-प्रदर्शन भी स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता की विषय वस्तु नहीं है।

अत: मैं स्थगन प्रस्ताव के आधार, तथ्यों एवं सदन में दी गई पूर्व व्यवस्थाओं व स्थापित प्रक्रिया एवं परम्पराओं के परिप्रेक्ष्य में स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य करता हूँ।

(दिनांक 20 जुलाई, 2015)

23. जिस विषय पर ध्यानाकर्षण स्वीकृत हो चुका हो, उस पर स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं किया जा सकता।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य एवं भा.रा.कां. के सदस्यों द्वारा सुस्त पुलिस व्यवस्था के कारण निरंकुश अपराधियों द्वारा खुलेआम वारदात करने के संबंध में दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करने पर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सभा में विस्तार से चर्चा हो, मैं सहमत हूं। लेकिन नियमों और पूर्व उदाहरण के अंतर्गत यह स्थगन के माध्यम से ग्राह्य योग्य नहीं है। माननीय सदस्य वरिष्ठ हैं, वे भी सहमत होंगे।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने कथन किया कि काम रोको प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किसी एक विषय पर लाया जाता है। यदि पूरे प्रदेश की विभिन्न स्थानों की घटनाओं को सम्मिलित किया है तो आसंदी से जैसी व्यवस्था दी, चर्चा करने से सरकार नहीं भागती, लेकिन सदन नियम कानून एवं उसकी अपनी परंपरा से ही चलेगा।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि इस विषय पर विस्तार से चर्चा कराऊंगा लेकिन अन्य माध्यम से चर्चा हो सकेगी।

माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि सदन में प्रस्ताव/ध्यानाकर्षण सूचना प्रस्तुत करने के लिए 04 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई थी किंतु 04 जुलाई को यह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया, उस पर व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। किसी सूचना को ग्राह्य करने या नहीं करने का क्षेत्राधिकार आसंदी का है। नियम, परंपरायें आप सबको ज्ञात है, मैं इस पर अभी कुछ कहना उचित नहीं समझता।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल एवं सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारेबाजी की गई।)

मानननीय अध्यक्ष ने आग्रह किया कि यदि सदन सहमत हो तो प्रतिपक्ष के सदस्यों से सूचना प्राप्त होने पर नियम 139 के अधीन इस विषय पर चर्चा आज ही निर्धारित की जा सकती है।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर सहमति व्यक्त की।

(दिनांक 11 जुलाई, 2016)

24. स्थगन प्रस्ताव की विषय वस्तु पर नियम 139 के अंतर्गत चर्चा कराये जाने के संबंध में।

श्री भूपेश बघेल एवं श्री उमेश पटेल, सदस्य द्वारा प्रदेश में खाद एवं बीज की कमी से उत्पन्न स्थिति संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग करने पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी-

व्यवस्था

खाद एवं बीज को आधार बना कर स्थगन प्रस्ताव की सूचना आज ही प्राप्त हुई है, जिसे शासन को उत्तर भेजने हेतु निर्देशित किया गया है। उत्तर पर विचार कर मैं यह निर्णय करूंगा कि इसे सभा में क्या किसी अन्य माध्यम से चर्चा में लिया जा सकता है ? अब इस पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होगी।

माननीय अध्यक्ष ने यह भी व्यवस्था दी कि सदन को स्मरण होगा कि प्रश्नकाल के पश्चात् प्रदेश में खाद एवं बीज वितरण की उपलब्धता को आधार बना कर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल एवं अन्य सदस्यों द्वारा आसंदी का ध्यान आकर्षित करने पर मैंने सदन में व्यवस्था दी थी कि मैंने शासन को उत्तर देने हेतु निर्देशित किया है तथा उत्तर पर विचार कर मैं इसे किस रूप में लूंगा, सदन को अवगत कराऊंगा। मैंने सूचना और उत्तर पर विचार कर इस विषय को नियम 139 के अंतर्गत अनुमति देने का निर्णय लिया है।

(दिनांक 12 जुलाई, 2016)

25. स्थगन प्रस्ताव प्रथम अवसर पर दिया जाना चाहिए।

श्री भूपेश बघेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय हेतु खोदे गए गड्ढों में गिरकर हो रही बच्चों की मौत के संबंध में दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग किए जाने पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी -

व्यवस्था

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत खुले में शौच मुक्त योजना को आधार बनाकर जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, वह मुझे आज ही प्राप्त हुआ है । स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के लिये सबसे प्रमुख शर्त यह है कि वह प्रथम अवसर पर दिया जाना चाहिये, यदि स्थगन प्रस्ताव विलम्ब से दिया जाता है तो वह ग्राह्यता की कसौटी पर ठहरता नहीं ।

मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि जब शासन के दिन-प्रति-दिन के कार्यों में शिथिलता अथवा अनियमितता की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाना हो, तब सभा में उसके उठाने के अन्य अनेक माध्यम उपलब्ध हैं, माननीय सदस्यों को उनका प्रयोग करना चाहिये । स्थगन प्रस्ताव तो ऐसा ब्रम्हास्त्र है, जिसका प्रयोग संसदीय प्रक्रियाओं में यदा-कदा ही किया जाता है । स्थगन जब शासन की कोई नीतिगत असफलता का मामला हो, के संबंध में उठाया जाना चाहिए, जो पूर्व में सभा का विषय न रहा हो तथा जिसके लिये सभा की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को स्थगित कर चर्चा किया जाना आवश्यक हो।

प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खुले में शौच मुक्त योजना में बनाये जा रहे शौचालय निर्माण में हुई अनियमितता है, यह विषय सभा में पूर्व में अनके अवसरों पर प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्तुत किया जा चुका है। यह ऐसा विषय नहीं है जो सत्र आरंभ होने के पश्चात् घटित हुआ हो। किसी निरंतर चलने वाली योजना में अनियमिततायें जैसे विषय स्थगन के रूप में ग्राह्य योग्य नहीं है।

मैंने इस स्थगन प्रस्ताव को कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

(दिनांक 18 जुलाई, 2016)

26. स्थगन प्रस्ताव हाल के विषय पर दिया जाना चाहिए ।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा अगस्ता हेलीकॉप्टर खरीदी संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग किए जाने पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी -

व्यवस्था

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि - मैंने कल भी मेरी व्यवस्था में उल्लेख किया था कि स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के लिये सबसे प्रमुख शर्त यह है कि वह प्रथम अवसर पर दिया जाना चाहिये, यदि स्थगन प्रस्ताव विलंब से दिया जाता है तो वह ग्राह्यता की कसौटी पर नहीं ठहर पाता।

स्थगन प्रस्ताव की सूचना का विषय हाल का नहीं है, विषय स्थगन के रूप में ग्राह्य योग्य नहीं है।

मैंने इस स्थगन प्रस्ताव को कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

(दिनांक 19 जुलाई, 2016)

27. केन्द्र सरकार के निर्णय के विरूद्ध स्थगन प्रस्ताव लाना नियमानुकूल नहीं है, किंतु केन्द्र सरकार के नीतिगत निर्णय के समर्थन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है ।

केन्द्र सरकार द्वारा की गई नोटबंदी के पश्चात् राज्य में उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री भूपेश बघेल, सदस्य सहित भा.रा.कां. के सदस्यों द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की गई ।

राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) ने कहा कि केन्द्र सरकार की किसी भी नीति के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लाने का कोई उदाहरण नहीं है । जबकि केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के समर्थन में विधान सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है । उक्त प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रदेश में उत्पन्न स्थिति की चर्चा की जा सकती है । अत: विपक्ष द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य न कर, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाए ।

व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - आज प्रात: शासन की ओर से केन्द्र सरकार के द्वारा लागू विमुद्रीकरण निर्णय के प्रति राज्य शासन द्वारा सहयोग में तत्परता से संबंधित एक प्रस्ताव तथा प्रतिपक्ष की ओर से दिनांक 9 नवम्बर से जनता को होने वाली परेशानी को आधार बना कर एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है।

चूंकि यह विषय केन्द्र सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय से उत्पन्न स्थिति एवं कार्यान्वयन से संबंधित है, इस विषय का परोक्ष रूप में राज्य शासन से कोई सम्बन्ध नहीं है, अत: विषय राज्य शासन से संबंधित नहीं होने के कारण नियमानुकूल नहीं है।

राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में, केन्द्र शासन द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय का समर्थन करते हुए सहयोग हेतु तत्परता की भावना व्यक्त की गई है ताकि आम जनता को होने वाली परेशानी को दूर किया जा सके। समग्र रूप से विचार कर तथा विषय के महत्व पर प्रस्ताव को आज की ही कार्यसूची में सम्मिलित किया है।

प्रस्ताव पर समस्त सदस्यों को अपनी बातें रखने का अवसर प्राप्त होगा और

माननीय सदस्य समस्त बातों की ओर शासन का ध्यान भी आकृष्ट कर सकेंगे। अत: अब स्थगन प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं होगी।

चूंकि विषय स्थगन प्रस्ताव के नियमानुकूल नहीं है, अत: स्थगन प्रस्ताव अग्राहय कर दिया है।

(दिनांक 15 नवम्बर, 2016)

28. शासन के किसी निर्णय के विरूद्ध स्थगन प्रस्ताव केवल इसलिए नहीं लाया जा सकता क्योंकि वह विधान सभा सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद लिया गया है.

विधान सभा सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की कंपनियों के निजीकरण का आदेश जारी होने को, श्री भूपेश बघेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा विधान सभा की अवमानना बताते हुए, विद्युत कंपनी का निजीकरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई। माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि -

व्यवस्था

1. जिस विषय पर माननीय सदस्यों ने आज स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वह बहुत विलंबित है। इसी विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना मुझे पूर्व में दिनांक 11 नवम्बर, 2016 को प्राप्त हुई है, जो मेरे विचाराधीन है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना को कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

2. जहां तक सत्र की अधिसूचना जारी होने के पश्चात शासन द्वारा निर्णय लेने का प्रश्न है, यह स्थगन का विषय नहीं है। इस हेतु नियम, प्रक्रियाओं में अन्य तरीके हैं।

3. स्थगन प्रस्ताव प्रथम उपलब्ध अवसर पर देना चाहिये।

(दिनांक 18 नवम्बर, 2016)

29. पूर्व के मुद्दों पर आधारित होने एवं बजट सत्र में अन्य अवसर उपलब्ध होने के कारण स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं ।

श्री भूपेश बघेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने सूखे से प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं दिये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि माननीय विपक्ष के सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचना आज प्रात: 8.00 बजे प्राप्त हुई है। स्थगन प्रस्ताव, जिन मुद्दों पर आधारित है, उनके संबंध में पूर्व सत्र में भी विस्तार से चर्चा हो चुकी है तथा वर्तमान सत्र में भी अनुपूरक अनुमान, अभिभाषण, बजट एवं विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान इस विषय पर विस्तार से चर्चा हेतु अवसर उपलब्ध रहेगा, तथापि आप सबकी भावनाओं पर विचार करते हुए मैं इस विषय पर किसी अन्य माध्यम से चर्चा कराऊंगा।

(दिनांक 7 फरवरी, 2018)

30. अन्य माध्यमों से भी सूचना प्राप्त होने एवं बजट सत्र में अन्य अवसर उपलब्ध होने के कारण स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं ।

श्री धनेन्द्र साहू एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा 14वें वित्त आयोग द्वारा पंचायतों के कार्यों हेतु जारी की गई राशि का मोबाईल टॉवर स्थापित करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग किये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

व्यवस्था

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि आज इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्रात: 8.00 बजे प्राप्त हुई है । इस संबंध में पूर्व में भी माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य सदस्यों की ओर से ध्यानाकर्षण की सूचना 31 जनवरी को प्राप्त हो चुकी है, जो विचाराधीन है। इस विषय पर, बजट पर सामान्य चर्चा एवं विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के समय पर्याप्त अवसर रहेगा। अत: स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अग्राह्य कर दिया गया है।

(दिनांक 9 फरवरी, 2018)

31. बजट सत्र में अन्य अवसर उपलब्ध होने के कारण स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं।

श्री धनेन्द्र साहू एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा प्रदेश में बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की मुआवजा राशि न मिलने संबंधी स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य कर चर्चा कराये जाने की मांग की गई। माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि -

व्यवस्था

स्थगन की सूचना आज प्रात: 8.00 बजे प्राप्त हुई है। इसी संबंध में कल माननीय सदस्य केशव चंद्रा जी की स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई थी तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मंत्री द्वारा वक्तव्य भी दिया गया है। राजस्व एवं कृषि विभाग की मांगों पर चर्चा के समय पर्याप्त अवसर उपलब्ध रहेगा, अत: स्थगन प्रस्ताव की सूचना कक्ष में ही अग्राह्य कर दी गई है।

(दिनांक 16 फरवरी, 2018)

32. सी.बी.आई. केन्द्र सरकार की एजेंसी है, इसकी कार्यप्रणाली के संबंध में स्थगन ग्राहय नहीं.

श्री भूपेश बघेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने रायपुर शहर के एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि स्थगन प्रस्ताव राज्य सरकार की नीतियों, प्रशासनिक चूकों, राज्य शासन के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई गलतियों के संबंध में ध्यानाकृष्ट करने के लिए आता है। यह विषय राज्य शासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव की सूचना का मैंने अवलोकन किया। सूचना में उल्लेखित तथ्य एक प्रकरण में सी.बी.आई. जांच की कार्य प्रणाली के संबंध में उठाये गये हैं, जो केन्द्र शासन की एजेंसी है और इसमें राज्य शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं है तथा न ही ऐसा कोई विषय है, जो राज्य शासन की नीति में चूक की ओर उल्लेख करता हो।

उक्त परिप्रेक्ष्य में मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना को कक्ष में अग्राहय कर दिया है।

(दिनांक 2 जुलाई, 2018)

33. किसी विषय पर विरोध स्वरूप गर्भगृह में आकर निलंबित हो जाने पर, स्थगन का विषय स्वमेव समाप्त हो जाता है.

शासकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किए जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर बार-बार चर्चा की मांग किए जाने पर, राजस्व मंत्री (श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय) ने कहा कि चूंकि विपक्ष इस मुद्दे पर गर्भगृह में आकर निलंबित हो चुका है और उनके निलंबन की समाप्ति हो गयी, अर्थात् यह विषय बिल्कुल समाप्त हो गया ।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने कहा कि विरोध करते हुए निलंबित हो गए इसका यह मतलब नहीं कि विषय समाप्त हो गया, यह कहां लिखा है ?

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) ने कहा कि सदस्य निलंबित हुए थे, बात समाप्त नहीं हुई थी । माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार हम बाहर गए और सस्पेंशन का अर्थ ही है कि मामला प्रक्रियाधीन है ।

व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि मान. सदस्यों से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव पर सदन में प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अपनी बातें विस्तार से रखीं और विरोधस्वरूप सभा के गर्भगृह में आकर निलंबित हुये फलस्वरूप विषय स्वमेव समाप्त हो गया है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, मैं स्थगन प्रस्ताव को सभा में रखने की अनुमति नहीं देता। इस स्थगन प्रस्ताव पर अब कोई चर्चा नहीं होगी। जब कोई विषय जब सदन में विचार के लिये आता है तभी उस पर चर्चा होती है चूंकि व्यवस्था दी जा चुकी है कि स्थगन प्रस्ताव अग्राहय कर दिया गया है इसलिए अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

(दिनांक 2 अगस्त, 2017)

संकल्प

1. राज्य शासन संकल्प के माध्यम से अपनी मंशा से केन्द्र सरकार को अवगत करा सकता है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने भिलाई इस्पात संयंत्र को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रशासकीय नियंत्रण और भागीदारी से अलग किया जाकर संयंत्र को स्वायत्त निकाय का दर्जा दिये जाने संबंधी प्रस्तुत शासकीय संकल्प पर आपत्ति प्रकट करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि इस संकल्प को इस प्रकार लाने से संघीय ढांचे को ठेस पहुंचेगी तथा केन्द्र-राज्य संबंधों में दरार पड़ेगी इसलिए इस संकल्प पर चर्चा करना औचित्यपूर्ण नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने कहा कि किसी विषय को अच्छे तरीके से समझाने के लिए कई बार विधान सभा में इस प्रकार संकल्प लाये गये हैं ।

व्यवस्था

राज्य शासन कोई भी संकल्प ला सकता है, केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जा सकता है । उस संकल्प के कंटेट्स के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, अत: इसमें किसी प्रकार की आपत्ति की बात नहीं है ।

(दिनांक 21 मार्च, 2002)

2. स्वीकृत संकल्प की विषय वस्तु पर आपत्ति करना उचित नहीं है ।

भिलाई इस्पात संयंत्र को स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया के प्रशासकीय नियंत्रण और भागीदारी से अलग किया जाकर संयंत्र को स्वायत्त निकाय का दर्जा दिये जाने संबंधी शासकीय संकल्प के संबंध में श्री महेश तिवारी, सदस्य ने विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 120 तथा 121 का उल्लेख करते हुये व्यवस्था का

प्रश्न उठाया कि इस संकल्प के पौराग्राफ 6 में जो भूमिका बांधी गई है वह अनावश्यक तथा तथ्यों से परे है । संकल्प तथ्यपरक तथा संक्षिप्त होना चाहिये, उसमें कल्पना से काम नहीं लिया जाना चाहिये ।

इस पर निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

संकल्प पर संशोधन देने के लिये माननीय सदस्यों के पास पर्याप्त समय था । रहा सवाल इस संकल्प के स्वरूप पर जो माननीय सदस्य ने नियमों का हवाला देते हुये अपनी बात रखी है तो नियम 121(1) में स्पष्ट दिया है अध्यक्ष यह विनिश्चित करेगा कि संकल्प नियमों के अधीन ग्राह्य है अथवा नहीं और वह ऐसे किसी संकल्प को अस्वीकृत कर सकेगा, जो उसकी राय में इन नियमों का पालन न करता हो ।

परंतु वह उसके रूप में संशोधन कर सकेगा या संबंधित सदस्य को उसे संशोधित करने का अवसर दे सकेगा ।

जब माननीय अध्यक्ष ने इस संकल्प को ग्राह्य कर लिया तथा उसके स्वरूप पर अपनी संतुष्टि प्राप्त कर ली या समाधान कर लिया तो अब इस पर किसी प्रकार की आपत्ति करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

(दिनांक 21 मार्च, 2002)

3. संकल्प में प्रस्तुत शब्दावली मानहानिकारक न होने से आपत्ति अमान्य ।

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम एवं अध्यक्ष के स्थायी आदेश का हवाला देते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि प्रस्तुत केन्द्रीय सेक्टर से छत्तीसगढ़ को आवंटित 498 मेगावाट बिजली की आपूर्ति तत्काल बहाल किये जाने के साथ ही पश्चिम क्षेत्र के अनावंटित कोटे एवं पूर्व क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के संयंत्रों से छत्तीसगढ़ को भी अतिरिक्त

बिजली का आवंटन प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किए जाने संबंधी शासकीय संकल्प में प्रयुक्त शब्द अव्यावहारिक एवं अन्यायपूर्ण मानहानिकारक एवं व्यंग्यात्मक स्वरूप का है इसलिए इन शब्दों को पृथक किया जाए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) ने कहा कि अन्यायपूर्ण एवं अव्यावहारिक, मानहानिकारक नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में उल्लेख किया गया है कि पारित आदेश छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अव्यावहारिक एवं अन्यायपूर्ण है ।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

अव्यावहारिक एवं अन्यायपूर्ण ऐसा कहना व्यंग्यात्मक या मानहानिकारक नहीं है, इसलिए आपत्ति अमान्य की जाती है ।

(दिनांक 29 नवम्बर, 2004)

4. संकल्प नियमों के अतर्गत ग्राह्य किये जाते हैं, कार्यमंत्रणा समिति केवल समय निर्धारण करती है ।

दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 की कार्यसूची में शामिल शासकीय संकल्प (छोटे-छोटे किसानों, खुदरा व्यवसाइयों एवं दुकानदारों के हित संरक्षण को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार मल्टी-ब्राण्ड खुदरा व्यापार में 51% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने संबंधी अपने निर्णय पर देशहित में पुनर्विचार करे) की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, नेता प्रतिपक्ष (श्री रविन्द्र चौबे) ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि विधेयकों की भांति केवल वही संकल्प सरकारी कार्य के लिये निर्धारित समय में लिये जाते हैं । जिस प्रकार विधेयकों की चर्चा के लिये कार्यमंत्रणा समिति में जब तक प्रस्ताव नहीं आयेगा तब तक चर्चा नहीं हो सकती । इसलिये जो शासकीय संकल्प कार्यसूची में जारी किया गया है उसे निरस्त किया जाये ।

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने भी संकल्प को कार्यसूची में शामिल किये जाने के पूर्व, कार्यमंत्रणा समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आपत्ति की ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) ने कहा कि सामान्यत: सदन में कार्यसूची पर चर्चा नहीं होती। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के अध्याय 13 के नियम 119 में स्पष्ट उल्लेख है कि कोई सदस्य या मंत्री सामान्य लोकहित के किसी विषय के संबंध में संकल्प प्रस्तुत कर सकेगा । ये नियम शासकीय सदस्यों के लिए है कि शासन इस संकल्प को प्रस्तुत कर सकता है ।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि :-

व्यवस्था

कार्य मंत्रणा समिति में विधेयकों के लिए केवल समय निर्धारित होता है। संकल्प तो नियमों के अंतर्गत ग्राह्य किये जाते हैं। शासकीय संकल्प को नियमों के अंतर्गत ही स्वीकार किया गया है और इसकी सूचना भी दिनांक 11.12.2012 को पत्रक द्वारा समस्त सदस्यों को परिवहित कर दी गई है। शासकीय समय में संकल्प को नियमों के अंतर्गत लिया गया है।

(दिनांक 12 दिसम्बर, 2012)

5. केन्द्र शासन के विषयों पर इस सदन को सिफारिश, अनुरोध करने का अधिकार है।

माननीय उपाध्यक्ष द्वारा श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री का नाम संकल्प को प्रस्तुत किए जाने हेतु पुकारने पर श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि जिस विषय पर संसद में चर्चा हो चुकी हो, उस विषय पर इस सदन में चर्चा आवश्यक नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि शासन संकल्प के माध्यम से केन्द्र सरकार को अपनी भावनाओं से अवगत करा सकता है। इसलिए इस पर चर्चा की जा सकती है।

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने कार्यसूची के अनुरूप इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति चाही।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

केन्द्र शासन के विषयों पर इस सदन को सिफारिश, अनुरोध करने का अधिकार है, पहले भी किया गया है। पूर्व में इसी सदन में अनेक संकल्प जो केन्द्र से अनुरोधात्मक होते हैं, पारित कर प्रेषित किये गये हैं।

(दिनांक 19 दिसम्बर, 2012)

संशोधन

1. नियमानुसार संशोधन की सूचना विधेयक पर विचार के एक दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने छत्तीसगढ़ सह चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2001 के विचार पर आपत्ति प्रकट करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि नियम 65 में इस बात का उल्लेख है कि विधेयक जब पुर:स्थापित किया जाये तब या उसके बाद किसी अवसर पर भारसाधक सदस्य अपने विधेयक के बारे में निम्नलिखित प्रस्तावों में से कोई प्रस्ताव कर सकेगा, अर्थात -

(क) कि उस पर विचार किया जाये,

(ख) कि उसे सभा की प्रवर समिति को सौंपा जाये, या

(ग) उस पर राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाए ।

उन्होंने कहा कि प्रवर समिति को सौंपे जाने या इसको परिचालित करने के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया है इसलिए इस विधेयक को विचार करने के पूर्व प्रवर समिति को सौंपा जाए।

सर्व श्री महेश तिवारी, गंगूराम बघेल, सदस्य तथा नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय ने भी जनता की राय जानने के लिए विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने की मांग की ।

इस पर निम्नलिखित व्यवस्था दी गई :-

व्यवस्था

विधेयक की प्रतियाँ माननीय सदस्यों को दिनांक 29.11.2001 को वितरित की जा चुकी हैं । माननीय सदस्य समय पूर्व संशोधन प्रस्तुत कर सकते थे । माननीय सदस्यों ने संशोधन में प्रवर समिति के सदस्यों का नाम भी नहीं सुझाया है । उन्होंने आगे कहा कि माननीय सदस्यों ने प्रवर समिति को सौंपे जाने की बात सही समय पर कही है, लेकिन नियम 78 के तहत् संशोधन की सूचना एक दिन पूर्व आनी चाहिए थी इसलिए प्राप्त संशोधन नियमानुकूल नहीं होने के कारण वे इसे अमान्य करते हैं ।

(दिनांक 05 दिसम्बर, 2001)

2. प्रश्नों के उत्तर में संशोधन एक दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

प्रश्न संख्या 8 (क्रमांक 1637) पर निर्धारित चर्चा के दिनांक को ही विभाग द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप माननीय सदस्यों को जानकारी उपलब्ध न हो सकने के कारण माननीय अध्यक्ष ने प्रश्न को आगामी दिनांक के लिए आगे बढ़ाते हुए निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

इस प्रश्न में संशोधन दिया गया है । संशोधन एक दिन पूर्व दिया जाना चाहिए । वह संशोधन अभी प्रश्नकाल प्रारंभ होने के बाद दिया गया है । यह उचित नहीं है । इसकी कॉपियों का वितरण सम्माननीय सदस्यों को किया जाता है, प्रश्न पूछने वाले सदस्यों को किया जाता है । अभी वे पढ़ने की स्थिति में नहीं है और संभव नहीं है कि वे प्रश्न करें । इसलिए इस प्रश्न को आगे बढ़ाया जाएगा । लेकिन सभी विभाग के अधिकारी इस बात को ध्यान रखें और माननीय मंत्री भी कृपया ध्यान रखें कि जब भी संशोधन हो तो एक दिन पूर्व आपका संशोधन प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

(दिनांक 10 मार्च, 2010)

3. प्रश्नों के उत्तर में संशोधन एक दिन पूर्व दिया जाना चाहिए ।

तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्रमांक 726) पर चर्चा प्रारंभ होते ही प्रश्नकर्ता सदस्य श्री धर्मजीत सिंह ने माननीय अध्यक्ष से आग्रह किया कि एकाध सत्र में हो तो कोई बात नहीं है लेकिन हम लोग पिछले कई सत्रों से देख रहे हैं कि जिस दिन सदन में प्रश्न पर चर्चा निर्धारित रहती है उसी दिन सदन के अंदर, सदन शुरू होने के दो मिनट पहले माननीय मंत्रियों द्वारा संशोधन दिया जाता है । जिसके कारण प्रश्नों में कई तरह की परेशानी होती है । कृपया आप आसंदी से निर्देश जारी करें कि जो भी संशोधन हो एक दिन पहले दिया जाना चाहिए ताकि उसके विषय को पढ़ लिखकर बात की जा सके ।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि :-

व्यवस्था

माननीय सदस्य ने संशोधन से संबंधित जिस बात का उल्लेख किया है, इसके पहले भी आसंदी के द्वारा व्यवस्था दी गई है कि यदि प्रश्नों के उत्तर में मंत्रिगण संशोधन देना चाहते हैं तो उसको एक दिन पूर्व दें और वह भी कोई लिपिकीय त्रुटि या कोई छोटे-मोटे संशोधन हो तो दें । माननीय मंत्रिगण कृपया इस बात को ध्यान में रखें कि संशोधन एक दिन पूर्व आ जाए ।

(दिनांक 21 फरवरी, 2011)

4. संकल्प में संशोधन नियमों के अंतर्गत पूर्व में ही दिया जाना चाहिए ।

डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य द्वारा प्रस्तुत नेशनल हाईवे 63 पर सरायपाली शहर के बाहरी क्षेत्र के होते हुए बायपास रोड का निर्माण कराये जाने संबंधी अशासकीय संकल्प पर चर्चा के दौरान सदस्य श्री फूलचंद सिंह द्वारा भाषण के दौरान संशोधन प्रस्तुत करते हुए संशोधनों के साथ अशासकीय संकल्प को पारित करने की मांग की गई ।

व्यवस्था

संकल्प में संशोधन की सूचना नियमों के अंतर्गत पूर्व में देनी चाहिए, आगे और भी संकल्प प्रस्तुत होंगे, किसी माननीय सदस्य को संकल्प में संशोधन देना है तो वे लिखित में अपना संशोधन सचिवालय को नियमों के अंतर्गत पूर्व में ही दें । संशोधन अस्वीकृत ।

(दिनांक 25 फरवरी, 2011)

सदन

1. सदन में जब मुख्यमंत्री अथवा मंत्री उत्तर देते हैं तो सदस्यों को उसे संयमित होकर सुनना चाहिए।

तारांकित प्रश्न संख्या 03 पर चर्चा के दौरान प्रश्न उद्भूत नहीं होने संबंधी आसंदी के कथन से असहमति व्यक्त करते हुए असंयमित कथन के साथ श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया। इस पर निम्नलिखित व्यवस्था दी गई :-

व्यवस्था

माननीय सदस्यगणों का, सभा में आसंदी की बात नहीं सुनना, बहुत ही अनुचित है । जब माननीय सदस्यगण प्रश्न करते हैं और जब माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री एवं सदन के नेता उसका उत्तर देते हैं, तो उत्तरों को नहीं सुनना और असंयमित होकर प्रतिप्रश्न करने का तरीका उचित नहीं है । माननीय सदस्यों का सभा में ऐसा व्यवहार करने का तरीका उचित नहीं है ।

(दिनांक 19 जुलाई, 2007)

2. सदन की गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी सदस्यों की ही है।

सर्वशिक्षा अभियान एवं राजीव शिक्षा मिशन के अंतर्गत संचालित स्कूल में विषाक्त भोजन से तीन बच्चों की मौत होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग करते हुए प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा व्यवधान एवं गर्भगृह में आकर नारेबाजी की गई । इस पर निम्नलिखित व्यवस्था दी गई :-

व्यवस्था

मुझे यह कहते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जानबूझकर सभा भवन के गर्भगृह में आकर सभा के नियमों का उल्लंघन किया है । स्वमेव निलंबित होने और आसंदी के सभागृह से बाहर जाने के निर्देश दिए जाने और बार-बार आसंदी के अनुरोध को अनसुना कर, सभा के गर्भगृह में आकर लगातार नारेबाजी कर सभा की गरिमा के विपरीत कार्य कर रहे हैं । सभा की गरिमा बनाए रखने के लिए सर्वप्रथम जिम्मेदारी सदस्यों की है, जिसके वे अविभाज्य अंग हैं । यदि सदन स्वयं अपनी गरिमा के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आसंदी दुख ही व्यक्त कर सकती है । मैं सभा की गरिमा, जिस प्रकार से आमजन में न केवल बनी रहे, अपितु और मजबूत हो, यह प्रश्न सदस्यों के विवेक पर छोड़ता हूं, किंतु यह अवश्य कहना चाहता हूं कि सदस्यों के व्यवहार से सभा की गरिमा अवश्य कम हुई है और आसंदी को इस व्यवहार पर अत्यंत खेद है ।

(दिनांक 19 जुलाई, 2007)

3. सभा में सदस्यों को अपना आचरण संयमित रखना चाहिए।

ता.प्र.सं.7(क्र.1661) पर चर्चा के दौरान श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य द्वारा बार-बार प्रश्न करने के आग्रह एवं माननीय अध्यक्ष द्वारा उन्हें अनुमति दिए जाने पर श्री राजकमल सिंघानिया ने तीखे शब्दों में आसंदी द्वारा अनुमति न दिए जाने का विरोध किया । माननीय अध्यक्ष ने कहा कि विधान सभा में अन्य सदस्य भी हैं ।

इस पर निम्नलिखित व्यवस्था दी गई :-

व्यवस्था

आज प्रश्नकाल के दौरान माननीय सदस्य श्री राजकमल सिंघानिया द्वारा आसंदी के निर्देश की अवहेलना करते हुए अनुचित शैली में वार्तालाप किया गया । यह सभा एवं

आसंदी माननीय सदस्यों की है और यह दायित्व माननीय सदस्यों का है कि वे इस सभा में अपने आचरण एवं व्यवहार से सभा को गरिमा प्रदान कर अपनी स्वयं की गरिमा में अभिवृद्धि करें।

मैंने माननीय सदस्य द्वारा सभा एवं सदस्य की गरिमा के विपरीत किये गये व्यवहार से संबंधित कार्यवाही को विलोपित कर दिया है । भविष्य में माननीय सदस्य अपने आचरण को सभा में संयमित रखें।

(दिनांक 11 मार्च, 2008)

4. सदन में पर्चे लहराना सदन की गरिमा के प्रतिकूल है ।

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सदस्यों द्वारा राजनांदगांव के मदनवाड़ा के जंगलों में नक्सलियों द्वारा पुलिस पर किये गये हमले का उल्लेख किया गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों से आग्रह किया कि वे प्रश्नकाल चलने दें एवं प्रश्नकाल के बाद वे जो भी कहेंगे उसे सदन सुनने को तैयार है ।

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सदस्यों द्वारा सदन में नारे लगाते हुए,नारे लिखे पोस्टर सदन में लहराये गये।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि सदस्यों को सदन में पर्चे दिखाना नियम विरूद्ध है । यह सदन की प्रक्रिया में नहीं है इसलिए ये बैनर नहीं दिखा सकते ।

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सदस्यों द्वारा सदन में नारे लगाते हुए नारे लिखे पोस्टर सदन में लहराये गये।)

इस पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

आप लोग पर्चे लहराना बंद करें, ये सदन की गरिमा के प्रतिकूल है । इस सदन की गरिमा को बनाये रखें ।

(दिनांक 20 जुलाई 2009)

5. सदस्यों को अपनी बात कहते समय सम्मानजनक शब्दों का चयन करते हुए अपनी भाव भंगिमा भी शालीन रखनी चाहिए।

जांजगीर जिले के रोगदा बांध की सिंचाई क्षमता संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक 1291) पर चर्चा के दौरान भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सदस्य श्री मोहम्मद अकबर एवं श्री धर्मजीत सिंह ने शासन पर रोगदा बांध को बेचने का आरोप लगाते हुए इसमें भ्रष्टाचार की आशंका व्यक्त की ।

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने माननीय मुख्यमंत्री को सदन में बुलाए जाने की मांग की। जिस पर आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेश मूणत) ने कहा कि विभागीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, हम लोग भी हैं।

व्यवधान के दौरान श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने माननीय मंत्री श्री राजेश मूणत द्वारा कहे गए शब्दों एवं उनकी बॉडी लैंग्वेज पर आपत्ति करते हुए कहा कि इस मामले से श्री मूणत का कोई लेना देना नहीं है एवं उनका इस तरह का व्यवहार अच्छी बात नहीं है। श्री ताम्रध्वज साहू, सदस्य ने माननीय मंत्री द्वारा माफी मांगने के बाद ही सदन चलने की बात कही ।

श्री अजीत जोगी, सदस्य ने भी मंत्री श्री राजेश मूणत की व्यवहार पर आपत्ति की।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि वे रिकार्ड दिखवा लेंगे और यदि इस प्रकार की कोई बात होगी तो वे माननीय मंत्री को निर्देशित भी करेंगे ।

व्यवस्था

सदन को स्मरण होगा कि आज सभा में तारांकित प्रश्न क्रमांक 03 पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी ने मेरा ध्यान माननीय मंत्री श्री राजेश मूणत द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करने के संबंध में आकर्षित किया था।

तत्समय मैंने यह व्यवस्था दी थी कि इस प्रकार की कोई बात आयी है तो मैं दिखवा लूंगा और संबंधित मंत्री एवं सदस्यों को निर्देशित भी करुंगा।

मैंने प्रश्न पर संपूर्ण कार्यवाही का अवलोकन किया। कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि माननीय सदस्य श्री नंदकुमार पटेल ने प्रश्नोत्तर के दौरान यह कथन किया कि कहां है रमन सिंह, बुलवाईये उनको, उनको जवाब देना पड़ेगा। इसके प्रत्युतर में माननीय मंत्री श्री राजेश मूणत ने कथन किया कि अरे बौठिये ना, मंत्री जी उत्तर दे रहें हैं, हम लोग हैं ना। इसके अलावा उनके द्वारा कुछ कहा हो ऐसा कार्यवाही से विदित नहीं होता। कार्यवाही में सदन में बॉडी लैंग्वेज पर ही मुख्यत: आपत्ति की है और बॉडी लैंग्वेज किस सदस्य की कैसी रही इसका उल्लेख सभा की कार्यवाही में नहीं होता।

मेरा समस्त माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी बात कहते समय असंसदीय एवं असम्मानजनक भाषा का प्रयोग न करें और यह भी प्रयास करें कि शब्दों का चयन, अपनी बात कहते समय अपनी भाव-भंगिमा भी शालीन रखें ताकि किसी अन्य सदस्य को किसी सदस्य की भाव-भंगिमा चुभे नहीं।

चर्चा के दौरान प्रयुक्त आपत्तिजनक वाक्याशों को मैंने कार्यवाही से विलोपित कर दिया है।

(दिनांक 3 मार्च, 2011)

6. सदन में जानकारी देने के पूर्व उसकी पुष्टि आवश्यक है ।

नक्सली क्षेत्रों में पदस्थ जवानों को पर्याप्त संसाधन एवं रसद उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा के दौरान डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का उल्लेख करने पर, श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य सहित सत्ता पक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा आपत्ति लिए जाने पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

समाचार पत्रों एवं अन्य स्त्रोतों से जो जानकारी प्राप्त होती है, उन्हें सदन में कहने के पूर्व माननीय सदस्यों को उसकी सत्यता की पुष्टि अवश्य कर लेनी चाहिए। सदन को असत्य जानकारी से अवगत कराना न केवल सभा की अवमानना होगी, अपितु अनेक अवसरों पर तथ्यों से अलग जानकारी के कारण सदन का समय भी व्यर्थ होता है ।

ऐसी सावधानी की तब अधिक आवश्यकता है जबकि कोई सदस्य नियम प्रक्रियाओं से अलग सदन को कोई जानकारी या तथ्य देना चाहता है और उस तथ्य की पुष्टि नहीं होती। माननीय सदस्य कृपया इसका ध्यान रखें और कार्यवाही संचालन में सहयोग दें ।

(दिनांक 7 सितम्बर, 2011)

7. सदन में चर्चा के दौरान सदस्यों को पालनीय नियमों का ध्यान रखना चाहिए.

(सदस्य द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री के संबंध में टिप्पणी करने पर)

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी के संबंध में की गई टिप्पणी का श्री राजेश मूणत, मंत्री, श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, मंत्री एवं डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री द्वारा विरोध किये जाने पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी -

व्यवस्था

मैंने कार्यवाही का अवलोकन किया माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी के संबंध में की गई टिप्पणी व पश्चात् मंत्रिगणों द्वारा की गई टिप्पणी को मैंने कार्यवाही से विलोपित कर दिया है । ये अब कार्यवाही का हिस्सा नहीं हैं । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि चर्चा में पालनीय नियमों का कृपया ध्यान रखें ।

(दिनांक 8 जनवरी, 2014)

8. सभा का कोई सदस्य यदि संवैधानिक प्रावधानों, नियम, प्रक्रियाओं एवं परम्पराओं के विपरीत आसंदी पर अपमानजनक टिप्पणी करता है तो वह केवल आसंदी नहीं अपितु पूरे सदन का अपमान करता है।

(श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा मान. अध्यक्ष पर अविश्वास संबंधी टिप्पणी पर)

प्रतिपक्ष द्वारा नियम 145(1) की सूचना पर माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 22 जुलाई 2014 को दी गई व्यवस्था के पश्चात श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा अध्यक्ष पर अविश्वास संबंधी की गई टिप्पणी के संदर्भ में माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी -

व्यवस्था

सदन को यह स्मरण होगा कि दिनांक 22 जुलाई, 2014 को प्रश्नकाल के पश्चात माननीय कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं भारतीय जनता पार्टी के एकाधिक सदस्यों ने मेरा ध्यान माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल द्वारा सभा में दिनांक 21 जुलाई, 2014 को आसंदी के सम्बन्ध में की गई टिप्पणी की ओर आकर्षित करते हुए यह अनुरोध किया था कि माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, यदि इसे वे वापस लेते हैं तो वह सदन के गरिमा के अनुरूप होगा और इस सदन के सम्मान को बढ़ाने के लिए उनको अपने शब्द वापस लेना चाहिए।

माननीय संसदीय कार्यमंत्री श्री अजय चन्द्राकर जी ने भी माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल के कथन ''हम विधानसभा के अध्यक्ष पर अविश्वास करते हैं तथा कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते।'' की ओर आकर्षित कर इस विषय पर व्यवस्था देने का आग्रह किया। मैंने तत्समय यह कहा था कि मैं कार्यवाही को देखकर व्यवस्था दूँगा।

मैंने दिनांक 21 जुलाई, 2014 की कार्यवाही को गम्भीरता से देखा। दिनांक 21 जुलाई, 2014 को प्रश्नकाल के तत्काल पश्चात माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने आसंदी का ध्यान छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 145(1) के तहत विधान सभा सचिवालय में सूचना दिए जाने की ओर आकर्षित करते हुए सूचना पर व्यवस्था देने का अनुरोध किया था तथा इस पर माननीय राजस्व मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय सहित एकाधिक सदस्यों ने अपनी बातें रखी थीं। चर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने आसंदी के सम्बन्ध में नियम, प्रक्रियाओं के विपरीत असम्मानजक टिप्पणी की थी जिसे मैंने तत्समय कार्यवाही से विलोपित कर दिया था।

माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल द्वारा नियम 145 (1) के तहत दी गई सूचना पर व्यवस्था की मांग करते रहे और मैंने यह व्यवस्था दी थी कि संकल्प की सूचना प्रात: 9.45 बजे सचिवालय में प्राप्त हुई है और संकल्प संवैधानिक प्रावधानों एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अग्रिम कार्यवाही के लिए परीक्षणाधीन है।

मेरी इस व्यवस्था के पश्चात माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने पुन: यह दोहराया कि माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक आप इसमें स्पष्ट रूप से व्यवस्था नहीं देंगे, तब तक हमें आप पर विश्वास नहीं है। उनकी इस आपत्ति पर माननीय कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राजेश मूणत द्वारा आपत्ति करते हुए यह कहा कि ऐसा कहना आसंदी का अपमान है। इस पर माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने पुन: दोहराया कि हमको अध्यक्ष पर विश्वास नहीं है।

मैं निश्चित तौर पर यह मानता हूँ कि सभा का कोई सदस्य यदि संवैधानिक प्रावधानों, नियम, प्रक्रियाओं एवं परम्पराओं के विपरीत आसंदी पर अपमानजनक टिप्पणी करता है तो वह केवल आसंदी नहीं अपितु पूरे सदन का अपमान करता है। क्योंकि अध्यक्ष पूरे सदन का होता है और अध्यक्ष एवं सदन को एक-दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता । यह किसी व्यक्ति विशेष के सम्मान की रक्षा का प्रश्न नहीं है अपितु ऐसी संस्था के अध्यक्ष के पद की गरिमा का प्रश्न है, जो प्रजातन्त्र की मूल आत्मा पर आधारित एक संवैधानिक इकाई है।

माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल, सदन के वरिष्ठ सदस्य एवं राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रमुख पदाधिकारी हैं। उनके द्वारा आसंदी के सम्बन्ध में जो आक्षेपजनक टिप्पणी की गई, वह अनजाने में हुई त्रुटि की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती क्योंकि आसंदी के द्वारा ऐसी टिप्पणी को एक बार विलोपित किए जाने के पश्चात यह जानते

हुए भी कि उनके द्वारा दी गई संकल्प की सूचना अभी सभा की विषय-वस्तु नहीं है, उन्होंने पुन: जोर देकर उसी टिप्पणी को दुहराया।

सदन की मर्यादा बनाए रखना इस सदन के प्रत्येक सदस्य का दायित्व है और प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संविधान एवं सदन का सम्मान करें तथा नियमानुकूल आचरण करें। नियमों का एवं परम्पराओं का उल्लंघन करते हुए आसंदी एवं सदन की अवमानना और वह भी इस सदन के वरिष्ठ एवं विपक्षी दल के महत्वपूर्ण पदाधिकारी द्वारा की जाती है तो स्थिति और अधिक गम्भीर परिलक्षित होती है।

पूर्व परम्पराओं एवं संसद तथा अन्य विधान मण्डलों में आसंदी पर आक्षेपजनक टिप्पणियों के मामले में हुई व्यवस्थाओं के अध्ययन उपरान्त मेरा यह निश्चित मत है कि माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल द्वारा की गई आक्षेपजनक टिप्पणी से आसंदी एवं सभा की घोर अवमानना हुई है, जिसके वे दोषी हैं।

मैं इस पवित्र सदन के माध्यम से माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल से यह अपेक्षा करूंगा कि भविष्य में सभा में वे अपना आचरण सभा की मर्यादा के अनुरूप रखें। विचाराधीन विषय पर खेद व्यक्त करने अथवा उनके द्वारा कहे गये असंसदीय एवं अमर्यादित वाक्यों को वापस लेने का प्रश्न मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूं और उनसे इस पर गंभीरता से विचार एवं मनन करने की अपेक्षा करता हूं।

इन शब्दों को उनके द्वारा वापस नहीं लिये जाने एवं खेद व्यक्त नहीं करने की स्थिति में उनके द्वारा कहे गये वाक्यांश सभा की कार्यवाही का हिस्सा बने रहेंगे ताकि आने वाले समय में यह सदन एवं इस प्रदेश की जनता उनके अमर्यादित असंसदीय आचरण से भिज्ञ हो सके। किसी जनप्रतिनिधि के लिये इससे अधिक और कोई दण्ड नहीं हो सकता।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा खेद व्यक्त न किये जाने एवं अन्य चर्चा किए जाने पर श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि आसंदी की व्यवस्था के बाद चाहें तो माननीय सदस्य खेद व्यक्त कर सकते हैं, व्यवस्था पर भाषण नहीं दे सकते।

माननीय अध्यक्ष ने व्यक्त किया कि अध्यक्ष की व्यवस्था के बाद उस पर बहस नहीं होती है और न ही किसी प्रकार की टिप्पणी होती है। श्री भूपेश बघेल जी को ऐसा लगता है कि वे अध्यक्ष की व्यवस्था से सहमत हैं तो वे खेद प्रकट कर सकते हैं अन्यथा

व्यवस्था दे दी गई है कि वह सदन की प्रापर्टी हो जाएगी और यह हमेशा रिकार्ड में रहेगा।

(दिनांक 23 जुलाई, 2014)

9. माननीय सदस्य भावनाओं को नियंत्रित रखने का प्रयास करते हुये सभा में विरोध के मान्य तरीकों का ही प्रयोग करें

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा बार-बार सदन के गर्भगृह में आकर नियम 250 (क) का उल्लंघन किये जाने पर माननीय अध्यक्ष ने निम्न लिखित व्यवस्था दी -

व्यवस्था

सदन को स्मरण होगा कि मैंने छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (क) का उल्लंघन करते हुए जान-बूझकर सभा के गर्भगृह में प्रतिपक्ष के सदस्यों के आचरण पर यह टिप्पणी की थी कि जान-बूझकर नियमों का उल्लंघन करना उचित नहीं है । माननीय मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया था ।

सदन की गरिमा एवं अनुशासन बनाने में सभी सदस्यों का सहयोग अपेक्षित होता है । सभा में विरोध प्रकट करने अथवा किसी विषय पर असहमति के संसदीय तरीके उपलब्ध हैं ।

छत्तीसगढ़ की सभा ने अपनी स्थापना की तिथि से ही जो अनेक कीर्तिमान स्थापित किये हैं, उनमें विरोध स्वरूप सभा के गर्भगृह में आने पर स्वमेव निलंबन का नियम नियमावली में सम्मिलित करना एक महत्वपूर्ण निर्णय है।

माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा रहती है कि सदन की गरिमा एवं अनुशासन बनाने में वे अपने स्वयं के द्वारा बनाये गये नियमों का पालन दृढ़ता के साथ करें । यदा-कदा किसी नियम का उल्लंघन तो मान्य किया जा सकता है किंतु निरंतर जान-बूझकर सउद्देश्य नियम तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती । सभा में विगत् दो दिनों में रोज ऐसा हो रहा है, परम्परायें टूट रही हैं । सभा के गर्भगृह में आकर अशोभनीय आचरण किया जा रहा है ।

इस सदन की गरिमा एवं प्रतिष्ठा से आप सभी सदस्य भलिभांति अवगत हैं । यदि हम स्वयं इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो सभा के बाहर इस प्रदेश की ढ़ाई करोड़ जनता के बीच क्या संदेश जायेगा ? यह विचारणीय प्रश्न है ।

मैं इस अवसर पर केवल यही कहना चाहूंगा कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने का प्रयास करते हुये सभा में विरोध के मान्य तरीकों का ही प्रयोग माननीय सदस्य करें और इस सदन की प्रतिष्ठा एव गरिमा को संरक्षित रखते हुए जनता के बीच इसकी मर्यादा को बनाये रखें ।

(दिनांक 23 जुलाई, 2014)

10. संसदीय प्रजातंत्र में संसदीय संस्कृति, सभा एवं स्वयं की गरिमा को बनाए रखना सभी सदस्यों का दायित्व है.

बिलासपुर में नसबंदी के दौरान हुई महिलाओं की मौत के विरोध में प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी पोस्टर लहराते हुए स्वास्थ्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग करते हुए सदन के गर्भगृह में आकर निलंबित होने के चलते प्रश्नकाल नहीं हो सकने पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी -

व्यवस्था

आज प्रश्नकाल में प्रतिपक्ष के 30 माननीय सदस्य एक पोस्टरनुमा कागज लहराते हुए नारेबाजी करते रहे । आसंदी द्वारा सभा की कार्यवाही दस मिनट के लिए स्थगित करने के पश्चात् भी जब पुन: कार्यवाही प्रारंभ हुई, तब भी उन्होंने अपनी नारेबाजी निरंतर जारी रखी और नारेबाजी करते हुए और पोस्टरनुमा कागज लहराते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया ।

छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 250 (1) के अंतर्गत जो सदस्य गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, वे स्वमेव निलंबित हो जाते हैं और निलंबित सदस्यों को सभा कक्ष से बाहर चले जाना चाहिए, किंतु सदस्यगण सभा कक्ष के बाहर नहीं गये । अपितु गर्भगृह में ही बैठ गये और इस प्रकार इन्होंने इस सभा द्वारा बनाये गये नियमों का उल्लंघन किया ।

मैं, इस अवसर पर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि सदन के कार्य संचालन की नियमावली इस सदन ने ही बनायी है, जिसके वे अविभाज्य अंग हैं । यदि वे अपने द्वारा बनाये गये नियमों का पालन नहीं करते हैं तो वे स्वयं अपनी ही अवमानना करते हैं ।

संसदीय प्रजातंत्र में संसदीय संस्कृति की रक्षा करना, इस सभा एवं स्वयं की गरिमा को बनाये रखना सभी माननीय सदस्यों का ही दायित्व है । मैं यह उनके विवेक पर छोड़ता हूं कि अपनी स्वयं की गरिमा को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए उन्हें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए ।

(दिनांक 16 दिसम्बर, 2014)

11. सभा में माननीय सदस्यों का आचरण एवं व्यवहार संसदीय संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए ।

(विधान सभा परिसर में स्थित गांधीजी की प्रतिमा को भा.रा.कां. के सदस्यों द्वारा काली शॉल पहनाने पर)

दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 को भा.रा.कां. के सदस्य अपने शरीर पर सरकार विरोधी इश्तेहार लगाकर सदन में आए एवं कार्यवाही प्रारंभ होते ही नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) ने धान खरीदी के संबंध में उल्लेख किया ।

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य द्वारा एक दिन पूर्व भा.रा.कां. के सदस्यों द्वारा विधान सभा परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के ऊपर काली शॉल पहनाने के संबंध में दिये गये निंदा प्रस्ताव पर चर्चा एवं भा.रा.कां. के सदस्यों से माफी की मांग की ।

श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश 94(2)(3), संसदीय पद्धति तथा प्रक्रिया के पृष्ठ 311 व 312 तथा विधान सभा की आसंदी की पूर्व व्यवस्था का उल्लेख करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि सदन में आग्नेय अस्त्र, झण्डा, इश्तेहार, का प्रदर्शन नहीं हो सकता । आज पूरा प्रतिपक्ष इश्तेहार लगाकर आया है । प्रदेश के संसदीय इतिहास में अभी तक इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है ।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि आज प्रश्नकाल के पश्चात् माननीय मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सभा में

पोस्टरनुमा विज्ञापन पहनकर आने व माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा ने उनके द्वारा परिसर में गांधी प्रतिमा के समक्ष किये गये प्रदर्शन की ओर ध्यान आकृष्ट किया था । तत्समय मैंने व्यवस्था पश्चात् देने की सूचना सदन को दी थी, मेरी व्यवस्था निम्नानुसार-

व्यवस्था

आज सभा की कार्यवाही प्रारंभ होते ही प्रतिपक्ष के सदस्य सभा भवन में एक पोस्टरनुमा विज्ञापन अपने वस्त्रों पर आगे और पीछे दोनों ओर प्रदर्शित हो रहा था, के साथ सदन में प्रवेश किया और सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालते हुए निरंतर नारेबाजी करते रहे, फलस्वरूप मुझे सभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी । प्रश्नकाल समाप्त होने के पश्चात जैसे ही सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई, माननीय मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने मेरा ध्यान अध्यक्ष के स्थायी आदेश 94(2), (3) एवं संसदीय पद्धति और प्रक्रिया पुस्तक के पृष्ठों 311 एवं 312 की ओर आकर्षित किया और साथ ही इस सदन में आसंदी से हुई व्यवस्था की ओर भी ध्यान दिलाया ।

मैंने माननीय मंत्री श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय द्वारा उल्लेखित किये गये संदर्भों का अवलोकन किया । अध्यक्ष के स्थायी आदेश में यह प्रावधानित है कि - झण्डा, इश्तेहार आदि लेकर विधान सभा भवन/परिसर में चलना निषिद्ध है । इसी प्रकार संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया के लेखक कौल एवं शकधर के पृष्ठ 312 में उल्लेख है कि सभा में अपने स्थान पर झण्डा या कोई प्रतीक लगाने की मनाही है तथा इसी सदन में दिनांक 23 नवम्बर, 2004 को आसंदी से यह व्यवस्था दी गई है कि - सभा की कार्यवाही के दौरान झण्डे और पोस्टर का प्रदर्शन संसदीय नियम एवं परम्परा के विपरीत है । सदन में माननीय सदस्यों का आचरण कैसा हो, इस संबंध में पूर्व में अनेक अवसरों पर विचार-विमर्श के दौरान न केवल आसंदी द्वारा सभा में व्यवस्था दी गई है, अपितु विधान मण्डलों के विभिन्न फोरम में भी इस संबंध में विचार-विमर्श हुआ है और आचरण के संबंध में मुख्य बात जो स्थापित हुई है, वह यह है कि सभा में माननीय सदस्यों का आचरण एवं व्यवहार संसदीय संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए । वह ऐसा होना चाहिए जिससे इस सभा एवं सदस्यों का सम्मान आम जनता के मन में धूमिल न हो । इस सदन में माननीय सदस्यों को नियमों एवं परम्पराओं के अंतर्गत अपने ढंग से, उपलब्ध अवसरों और प्रक्रियाओं का लाभ उठाते हुए अपनी बातों को रखना चाहिए ।

कई प्रकार के प्रस्ताव, संकल्प, मोशन्स, डिमाण्ड्स बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, जिसके तहत माननीय सदस्य अपनी बातों को कह सकते हैं । मेरा दायित्व तो केवल यह है कि मैं इस सदन की कार्यवाही को उत्कृष्ट परम्पराओं के आधार पर संचालित करूं ।

अत: मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सभा के बाहर जैसा भी प्रदर्शन करें, लेकिन सभा भवन के अंदर जो चर्चा एवं वाद-विवाद का, इस प्रदेश का सर्वोच्च मंच है, में अपना प्रदर्शन, चर्चा एवं वाद-विवाद तक ही सीमित रखें ।

माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा ने विधान सभा परिसर में गांधी जी की प्रतिमा पर काली शॉल डालने और गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन करने का उल्लेख किया है । मेरा यह स्पष्ट मत है कि विधान सभा परिसर के अंदर माननीय सदस्यों के द्वारा कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करना, नारेबाजी करना, संसदीय प्रक्रियाओं एवं नियमों का घोर उल्लंघन है, यदि यह विधान सभा भवन एवं इसका परिसर राजनैतिक क्रियाकलापों के लिए खुला छोड़ दिया जावेगा, तो फिर मैं नहीं समझता कि संसदीय प्रजातंत्र के इस सर्वोच्च मंदिर की गरिमा को हम किस प्रकार से स्थापित कर पाएंगे, क्योंकि यह महती जिम्मेदारी तो माननीय सदस्यों की है कि इस सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था की गरिमा और पवित्रता को अक्षुण्ण रखें । आज प्रतिपक्ष के समस्त सदस्य यह जानते हुए, कि वे निलंबित हो जाएंगे, गर्भगृह में आए और स्वत: निलंबित हो गये । निरंतर नियमों एवं प्रक्रियाओं के उल्लंघन को भी मैं उचित नहीं मानता । आज सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगी, किंतु मेरी प्रतिपक्ष के सदस्यों से अपेक्षा यह है कि वे इस सत्र के इन तीन दिवसों में सभा के अंदर उनके द्वारा किये गये कार्य, व्यवहार एवं आचरण पर गंभीर विचार विमर्श करें तथा इस सभा की और सदस्यों की आमजन के बीच गरिमा एवं प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि हो, संसदीय संस्कृति का क्षरण न हो, हम ऐसी परम्परा न डालें जो वांछनीय, उत्कृष्ट और शालीन न हो, मैं समझता हूं जो तीन दिवस में हुआ वह उचित नहीं है । इस संबंध में माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य स्वविवेक से निर्णय लें ।

(दिनांक 17 दिसम्बर, 2014)

12. निलंबित होने व आसन्दी के सभा से बाहर जाने के निर्देश के बावजूद सभा के गर्भगृह में बैठ कर नारेबाजी करना उचित नहीं है.

धान खरीदी में अनियमितता एवं किसानों को हो रही परेशानियों के संबंध में दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाते हुए गर्भगृह में प्रवेश करने एवं नियम 250 (1) के अंतर्गत स्वमेव निलम्बित होने के बाद भी सदन से बाहर नहीं जाने पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी -

व्यवस्था

आज प्रतिपक्ष के सदस्य उनके द्वारा बनाये गये नियमों का पालन नहीं करते हुए स्वत: निलंबित होने व आसन्दी के सभा से बाहर जाने के निर्देश के बावजूद सभा के गर्भगृह में बैठ कर नारेबाजी करते रहे।

क्या यह संसदीय परंपराओं एवं परिपाटियों तथा इस सदन व स्वयं की गरिमा के अनुरूप है यह प्रश्न मैं उनके विचार एवं विवेक पर छोड़ता हूं कि वे आने वाली पीढ़ी के लिये इस सभा का कैसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

(दिनांक 9 मार्च, 2015)

13. सउद्देश्य, योजनाबद्ध तरीके से जानबूझकर नियमों का उल्लंघन नितांत अनुचित है.

श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य एवं दो अन्य माननीय सदस्यों द्वारा प्रतिदिन विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए गर्भगृह में जाने पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी -

व्यवस्था

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि - माननीय सदस्य श्री अमित जोगी, श्री राजेन्द्र कुमार राय एवं श्री सियाराम कौशिक विगत तीन दिनों से सउद्देश्य, योजनाबद्ध तरीके से व जानबूझकर नियमों का उल्लंघन कर, गर्भगृह में आकर स्वमेव निलंबित हो रहे हैं। सदस्यों द्वारा बार-बार नियमों के उल्लंघन का उनका कृत्य क्षम्य योग्य नहीं है। आसंदी का यह प्रयास रहा है कि माननीय सदस्य जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार करें। इसी उद्देश्य से पूर्व में मैंने उनके निलंबन को तत्काल समाप्त किया ताकि वे सभा की कार्यवाही में हिस्सा लेकर अपने क्षेत्र की जनता की सेवा कर सकें। मैं तीनों सदस्यों के निलंबन की अवधि आज की बैठक समाप्त होने तक के लिए निर्धारित करता हूं।

(दिनांक 18 नवम्बर, 2016)

14. सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष के सहयोग से ही सदन चलता है.

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही भा.रा.कां. के सदस्यों द्वारा शासकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किए जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की ।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, अत: प्रश्नकाल के बाद इस विषय को उठाया जा सकता है ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अजय चन्द्राकर) ने कहा कि माननीय अध्यक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष से पूछ लें कि वे प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं या नहीं ?

नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) ने कहा कि यदि इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा नहीं कराई जाती है तो प्रश्नकाल चलने देना उनके बस की बात नहीं है ।

व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि जैसा नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि प्रश्नकाल चलाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है ये अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, इसको मैं स्वीकार करता हूं कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की है, लेकिन हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो नेता हैं, उनके सहयोग से ही सदन चलता है। इसलिए पुन: कह रहा हूं कि आप

सब इस सदन को चलाने में और आसंदी का सम्मान करते हुए और उनके आग्रह को मानते हुए प्रश्नकाल बाधित न करें।

(दिनांक 2 अगस्त, 2017)

15. आसंदी से निलंबन की घोषणा के बाद सदस्यों को सदन से बाहर चले जाना चाहिए.

शासकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किए जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा कराए जाने की मांग करते हुए भा.रा.कां. के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में प्रवेश करने एवं विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 250 (1) के अंतर्गत स्वमेव निलम्बित होने पर माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से सदन के बाहर चले जाने का आग्रह किया ।

माननीय अध्यक्ष के आग्रह पर भी निलंबित सदस्यों द्वारा सदन से बाहर न जाकर गर्भगृह में ही नारेबाजी करने पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी-

व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि इस सदन ने अपने स्वयं के द्वारा एक ऐसा नियम बनाया है जो हमारी लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी विधानसभाओं में उल्लेख किया जाता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य यदि वेल में आ जाते हैं और अध्यक्ष के द्वारा अगर इस प्रकार का निर्देश दे दिया जाता है कि चूंकि आप वेल में आ गये हैं और स्वयंमेव निलंबित हो गये हैं, उसके बाद सदस्य बाहर चले जाते हैं। हमारे द्वारा बनाई गई ये जो रूलिंग है उसका पालन हम सब करें इसलिए मैं पुन: कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों से जिनको कि मैंने कहा है कि वे वेल में आ गये हैं इसलिए निलंबित हो गये हैं

मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस सदन की उच्च परंपराओं के पालन के लिए बाहर चले जाएं।

(दिनांक 2 अगस्त, 2017)

सभा की अधिकारिता

1. सभा की कार्यवाही के प्रकाशन पर नियंत्रण एवं प्रकाशन को निषिद्ध करने का अधिकार सभा के पास है.

दिनांक 23 मार्च, 2012 को माननीय कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) एवं माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह के मध्य हुए वाद-विवाद पर व्यवस्था देते हुए माननीय अध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिये थे कि संबंधित कार्यवाही के अंश का प्रकाश निषिद्ध है । इसके बावजूद दैनिक समाचार पत्र पत्रिका ने उक्त अंश का प्रकाशन मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से किया । इस पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

कल सभा में कृषि विभाग की मांगों पर चर्चा के समय हुए वाद-विवाद से संबंधित कार्यवाही के अंशों को मैंने विलोपित करते हुए, उनके प्रकाशन को निषिद्ध किया था तथा सदन में इसका स्पष्ट उल्लेख भी मेरी व्यवस्था में किया था।

सभा की कार्यवाही के प्रकाशन पर नियंत्रण और यदि आवश्यक हो तो उसके प्रकाशन को निषिद्ध करने की शक्ति सभा को प्राप्त है । सभा की कार्यवाही से विलोपित अंश सभा की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होते हैं और ऐसे अंशों को प्रकाशित करना सभा की अवमानना की श्रेणी में आता है ।

पत्रकार दीर्घा के पत्रकारों जिनके ऊपर इस सभा की कार्यवाही को प्रसारित करने का उत्तरदायित्व है, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे सभा की कार्यवाही को उसी स्वरूप में प्रकाशित करें जिस स्वरूप में आसंदी के द्वारा अनुमत की गई हो ।

किंतु मुझे अत्यंत दु:ख के साथ यह उल्लेख करना पड़ रहा है कि रायपुर से प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिका ने आज दिनांक 24 मार्च, 2012 के अंक में आसंदी के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद निर्देशों की अवहेलना करते हुए विलोपित अंशों को प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है और इस प्रकार प्रथम दृष्टया सभा की अवमानना की है।

अत: मैं पत्रिका समाचार पत्र के पत्रकारों को जारी किये गये पत्रकार दीर्घा के प्रवेश पत्रों को निरस्त करता हूं और सभा की अवमानना का यह प्रकरण विशेषाधिकार समिति को संदर्भित करता हूं ।

(दिनांक 24 मार्च, 2012)

2. विधान मण्डल में कार्य संचालन, व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां आसंदी/सभा में निहित है, यह न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं है ।

उच्च न्यायालय के डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से प्राप्त सूचना पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

दिनांक 30 मार्च, 2012 को रात्रि 8.00 बजे विधान सभा सचिव के माध्यम से मुझे उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि रिट पिटीशन क्रमांक 590/12 को ग्राह्य करने अथवा इंटरिम रिलीफ पर अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवाद प्रस्तुत किया जाये अन्यथा याचिका एक तरफा निर्णित की जायेगी।

याचिका राजस्थान पत्रिका प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा रायपुर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र पत्रिका के पत्रकारों को छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय द्वारा सभा की पत्रकार दीर्घा के लिए जारी किये गये प्रवेश पत्रों को निरस्त करने संबंधी मेरी व्यवस्था दिनांक 24 मार्च, 2012 को आधार बनाकर प्रस्तुत की गई है।

इस सभा एवं आसंदी में विधान-मंडल में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की या व्यवस्था बनाये रखने की शक्तियां निहित हैं तथा यह न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं है।

मैं यहां पर संविधान के अनुच्छेद 212 को उल्लेखित करना चाहूंगा -

212. न्यायालयों द्वारा विधान-मंडल की कार्यवाहियों की जॉच न किया जाना -

(1) राज्य के विधान-मंडल की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(2) राज्य के विधान मंडल का कोई अधिकारी या सदस्य, जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन उस विधान-मंडल में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में याचिका का प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं करते हुए, मैं विधि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय उच्च न्यायालय को संवैधानिक स्थिति और सभा की प्रक्रिया से अवगत करायें।

मैं समझता हूं कि सभा इससे सहमत है और हम उपरोक्तानुसार कार्यवाही करें।

(सभा द्‌वारा सहमति प्रदान की गई)

(दिनांक 2 अप्रैल, 2012)

सभा की कार्यवाही का उल्लेख

1. सभा में बहस के दौरान वे जो कुछ भी तथ्य सभा में उद्धृत करें वे पुष्ट जानकारी के आधार पर अभिलेखों को संदर्भित करके रखें ।

दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को नेता प्रतिपक्ष (श्री टी.एस.सिंहदेव) द्वारा सरगुजा जिले के वाड्रफनगर ब्लॉक के बीजापुरा गांव में रिबई पंडो की भूख से मृत्यु का उल्लेख किया गया । जिसके विरोध में श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने स्पष्ट किया कि रिबई पंडो की मृत्यु भूख से नहीं हुई थी, क्योंकि जिस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव स्थानीय दौरे पर आए तो वह व्यक्ति अपने गले में तख्ती लगाकर बैठा था कि मैं जिंदा हूं ।

जिस पर नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि यदि यह सिद्ध हो जाता है तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे एवं उन्होंने स:शर्त इस्तीफा लिखकर माननीय अध्यक्ष को सौंप दिया।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय-राजस्व मंत्री, श्री अजय चंद्राकर-संसदीय कार्य मंत्री, श्री बृजमोहन अग्रवाल-कृषि मंत्री एवं श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिये गये सशर्त इस्तीफे के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए सदन से माफी मांगने का आग्रह किया एवं आसंदी से इस संबंध में व्यवस्था की मांग की गई।

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने घटना से संबंधित दस्तावेज पटल पर रखने की अनुमति चाही।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की।

माननीय अध्यक्ष ने दोनों पक्षों के विचार सुनने एवं 9 मार्च, 1992 की कार्यवाही का अवलोकन कर निम्नलिखित व्यवस्था दी -

व्यवस्था

सदन को स्मरण होगा कि आज प्रश्नकाल प्रारंभ होने पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री अजय चन्द्राकर, माननीय मंत्री श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय व माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा ने मेरा ध्यान माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा विधानसभा की सदस्यता से सशर्त इस्तीफा दिये जाने की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह पृच्छा की कि त्यागपत्र के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है और मैंने तत्समय सभा को यह सूचित किया था कि मैं इस संबंध में अपनी व्यवस्था पश्चात दूंगा। मैंने प्रश्नकाल के पश्चात नेता प्रतिपक्ष

सहित माननीय मंत्रिगण व अन्य सदस्यों के विचार भी सुने। मैं सभा का ध्यान 17 दिसंबर, 2015 को स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा के निम्नांकित कथन की ओर आकर्षित करता हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा:- और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी को गांव बुला लिया गया और गांव में जब नरसिम्हा राव जी आए तो जिस व्यक्ति का जिक्र किया गया था कि फलाने व्यक्ति की भूख से मौत हो गई, वह व्यक्ति नरसिम्हा राव जी के सामने अपने गले पर एक पट्टा लगाकर बैठा था कि मैं फलाना व्यक्ति हूं और मैं जिंदा हूं ।(शेम-शेम की आवाज) रिबई पंडो स्वयं गले में पट्टा लगाकर बैठे थे । आप लोग ऐसी राजनीति करना बंद करो ।

तब एकाधिक सदस्यों ने, माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा जी के कथन को गलत बयानी की संज्ञा देते हुए, सदन को गुमराह करने वाला निरूपित किया था । पश्चात माननीय नेता प्रतिपक्ष ने स्वयं रिबई पंडो की बात आई, कहते हुए यह उल्लेख किया था कि यदि उस समय रिबई पंडो की मृत्यु नहीं हुई थी तो मैं आज आपको इस्तीफा लिखकर देता हूं, मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लीजिएगा, जो रिबई पंडो था उनकी मृत्यु हुई थी तो माननीय सदस्य से इस्तीफे की बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि आप तथ्यों की जानकारी ले लीजिए कि रिबई पंडो की मृत्यु हुई थी या नहीं । अगर सही रिबई पंडो की मृत्यु हुई थी तो कुछ नहीं तो कम से अपने इस कथन को वापस ले लीजिएगा । अध्यक्ष महोदय, मैं अभी सदन से निकलूंगा और कंडीशनल इस्तीफा लिखकर आपको दे रहा हूं ।

मैंने रिबई पंडो के संबंध में दिनांक 9 मार्च 1992 को सभा में हुई चर्चा की कार्यवाही का संदर्भ भी लिया । कार्यवाही के मुख्य अंशों को मैं यहां उद्धृत करना समीचीन समझता हूं -

श्री श्यामाचरण शुक्ल - अध्यक्ष महोदय, शासन की ओर से इसमें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आया और अभी फिर से हम लोगों को खबर मिली है कि दो मौतें और हो गई हैं और वहां हमने हमारे जिन प्रतिनिधियों को जांच पड़ताल करने के लिए भेजा था, उनसे हमें जो खबर मिली है उसके अनुसार रघुनाथनगर में कई लोगों ने कहा कि लोग बहुत दिनों से भूखे हैं और पूजाटोरा ग्राम में रिबई पंडो परिवार के 2 सदस्य भूख से मर चुके हैं । अध्यक्ष महोदय, रिबई पंडो जो 80 वर्ष का है, उसकी बहू बकली तथा बाबूलाल दोनों भूख से मर चुके हैं । अध्यक्ष महोदय, शासन की ओर से गलत बयानी की जा रही है, कलेक्टर झूठी रिपोर्ट भेज रहा है । भूख से वहां लोग मर रहे हैं ।

जिस परिवार के लोग भूख से मरे हैं । उनका नाम दे रहा हूं । उनका विस्तृत विवरण दे रहा हूं । शासन की ओर से रिबई पंडो की जो 80 वर्ष का बूढ़ा है उसको निराश्रित पेंशन देने के लिए एक आदमी को समाज कल्याण विभाग की ओर से भेजा गया था उसमें लिखा गया कि भूख से 2 व्यक्ति मर चुके है इसलिए उसको निराश्रित पेंशन दी जा रही है ।

उपरोक्त कार्यवाही के अवलोकन से यह संदेहरहित रीति से कहा जा सकता है कि रिबई पंडो की मृत्यु नहीं हुई थी अपितु उसके परिवार के 2 सदस्यों की मृत्यु हुई थी । जैसा कि तत्समय के नेता प्रतिपक्ष श्री श्यामाचरण शुक्ल ने सभा की कार्यवाही में उद्धृत किया । मेरा समस्त माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सभा में बहस के दौरान वे जो कुछ भी तथ्य सभा में उद्धृत करें वे पुष्ट जानकारी के आधार पर अभिलेखों को संदर्भित करके रखें, ताकि सभा में जो भी जानकारी आए वह तथ्यात्मक और सही हो । यदि पश्चात् भी यह संज्ञान में आए कि कुछ त्रुटिपूर्ण तथ्य सभा में रख दिये गये हैं तो माननीय सदस्य उनमें संशोधन का आग्रह भी सभा में कर सकते हैं आशय यह है कि सभा को सही तथ्य प्राप्त हों ।

आज माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उनके द्वारा पूर्व में कही गई बातों को चूक स्वीकार करते हुए विस्तार से अपनी बात रखी । इस परिप्रेक्ष्य में यह मामला समाप्त हो गया है । जहां तक माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा स:शर्त इस्तीफा दिये जाने का प्रश्न है, मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़, विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 276(1) की पूर्ति करते हुए प्राप्त त्यागपत्र ही विचार में लिया जा सकता है । मुझे माननीय नेता प्रतिपक्ष से प्राप्त त्यागपत्र उक्त नियम की पूर्ति नहीं करता ।

इस व्यवस्था के साथ ही मैं इस सम्पूर्ण प्रकरण को समाप्त करता हूं और अब इस पर सभा में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होगी ।

(दिनांक 21 दिसम्बर, 2015)

समिति

सत्ता पक्ष की सहमति के बिना सदन की समिति नहीं बनाई जा सकती है ।

प्रश्नकाल की समाप्ति पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा भा.ज.यु.मो. के प्रदर्शन के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ पुलिस द्वारा मारपीट किये जाने संबंधी मुद्दे पर आसंदी से सदन की समिति गठित करने की मांग की गई तथा श्री महेश तिवारी, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि परसों माननीय अध्यक्ष ने सदने में कहा था कि ऐसी कोई नजीर उन्हें बतायी जाये जिसमें अध्यक्ष ने स्वयं अपनी ओर से विधायकों की समिति गठित करने का निर्देश दिया हो । श्री महेश तिवारी ने छुआड़लिया, प्रीति श्रीवास्तव और खण्डवा के प्रकरणों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी एक ही अनेक नजीरें मध्यप्रदेश विधान सभा की हैं जिनमें विधायकों की समिति गठित करने के निर्देश आसंदी की ओर से दिये गये थे अत: उनके द्वारा गिनाये गये प्रकरणों का परीक्षण कर इस मुद्दे पर भी परम्परा का निवर्हन करते हुए समिति के गठन हेतु आसंदी की ओर से निर्देशित किया जाये । इस पर संसदीय कार्यमंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि श्री महेश तिवारी, सदस्य ने जिन प्रकरणों का उल्लेख किया है उनमें माननीय अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष की सहमति से बनाई थी ।

श्री महेश तिवारी, सदस्य ने श्री सुभाष काश्यप द्वारा लिखित पुस्तक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर वाल्यूम-2 के पृष्ठ 1684 के नियम 228 - Power of speaker to give direction- The speaker may issue such direction as may be necessary for regulating the procedure in connection with all matters connected with the consideration as the question of privilege either in the committee of privileges or in the House.

का उल्लेख करते हुए कहा कि माननीय अध्यक्ष को सदन में निर्देश देने की शक्ति है।

इस पर मान. अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी :-

व्यवस्था

आसंदी सत्ता पक्ष को बाध्य नहीं कर सकती है । श्री महेश तिवारी, सदस्य ने जो दृष्टांत गिनाये हैं तो उन मामलों में सत्ता पक्ष ने मामला अध्यक्ष के विवेक पर सौंपा था और फिर इस व्यवस्था के अंतर्गत समिति की घोषणा हुई थी । आज की स्थिति में सत्ता पक्ष की ओर से सहमति नहीं है जिसमें आसंदी को यह अधिकार मिले कि वह समिति की घोषणा करे ।

श्री महेश तिवारी, सदस्य ने जो सुभाष कश्यप जी की पुस्तक का हवाला देते हुए अपनी बात रखी तो वह विशेषाधिकार का मामला है । अगर विशेषाधिकार का कोई मामला है तो आसंदी निर्देशित कर सकती है।

(दिनांक 25 जुलाई, 2001)

सूचना

1. किसी भी सूचना का, जब तक कि वह अध्यक्ष को प्रस्तुत न कर दी जाय और उसके ऊपर कोई निर्णय न हो जाये, तब तक उसका प्रचार-प्रसार नहीं करना चाहिये।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2015 को नागरिक आपूर्ति निगम में घोटाले संबंधी दिए गए स्थगन प्रस्ताव में कुछ अतिरिक्त बिंदु जोड़कर पुन: दिए जाने एवं इस संबंध में एक दिन पूर्व समाचार पत्रों में इसके संबंध में जानकारी प्रकाशित होने पर माननीय अध्यक्ष ने निम्न लिखित व्यवस्था दी -

व्यवस्था

मुझे श्री भूपेश बघेल एवं अन्य सदस्यों से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। जिसके संबंध में सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर समाचार पत्रों में भी यह प्रकाशित हुआ है कि माननीय सदस्य ऐसी सूचना देंगे।

सर्वप्रथम तो मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि नियमों में यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि किसी भी सूचना का जब तक कि वह अध्यक्ष को प्रस्तुत न कर दिया जाय और उसके ऊपर कोई निर्णय न हो जाये, तब तक उसका प्रचार-प्रसार नहीं करना चाहिये। किंतु मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि सदन में भविष्य में संपादित किये जाने वाले कार्यों का प्रचार-प्रसार माननीय सदस्य नियमों के विपरीत करते हैं। सभी माननीय सदस्य वरिष्ठ हैं, मैं इस संबंध में यही कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों को इससे बचना चाहिए।

जहां तक सूचना में उल्लिखित किए गए तथ्यों का प्रश्न है, समस्त तथ्य पूर्व में दी गई सूचना जिस पर यह सभा भी चर्चा कर चुकी है, से मिलते जुलते ही हैं। केवल सूचना में स्टिंग आपरेशन का उल्लेख अतिरिक्त रूप से किया गया है और इसके साथ ही शासन-प्रशासन के अधिकारियों पर स्टिंग आपरेशन का संदर्भ देते हुए, आरोपात्मक कथन किये गये हैं।

स्थगन प्रस्ताव ऐसे अविलंबनीय स्वरूप का होना चाहिये, जिससे प्रथम दृष्टया यह समाधान हो कि सदन की संपूर्ण कार्यवाही का त्याग करते हुए किसी विषय पर चर्चा तत्काल प्रारंभ की जाये। छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के

नियम 55 (5) में यह प्रावधानित है कि "प्रस्ताव में उस विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी, जिस पर उस सत्र में चर्चा की जा चुकी है।" इसी तरह संसदीय पद्धति तथा प्रक्रिया पांचवा संस्करण के पृष्ठ क्रमांक 506 में उल्लेख है कि "जिस विषय पर सभा में चर्चा हो चुकी हो, उसे उसी सत्र में पुन: स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से नहीं उठाया जा सकता। इसी प्रकार यदि एक ही विषय के संबंध में दिन-प्रतिदिन नई-नई परिस्थितियॉ उत्पन्न हो रही हों तो उस संबंध में दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचना को दिन-प्रतिदिन संशोधित नहीं किया जा सकता।"

पूर्व में लोकसभा एवं विधानसभाओं में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार सामान्य तौर पर बजट सत्र में स्थगन प्रस्ताव सभा में नहीं लिए जाते। इसके बावजूद मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रतिपक्ष के दो स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा करा चुका हूं और अब पुन: उन्हीं विषयों को आधार बनाकर स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सभा में किसी भी प्रकार की पृच्छा की जाए अथवा चर्चा की जाए, मैं उसकी अनुमति नहीं देता।

माननीय सदस्य कृपया आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा जैसी महत्वपूर्ण कार्यवाही में हिस्सा लें और कार्यवाही के संचालन में सहयोग करें।

श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी से दिशा-निर्देश दिये जाने का आग्रह किया।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश के पृष्ठ क्रमांक 100 पर सूचनाओं का प्रचार 236 (क) में इस बात का उल्लेख है कि किसी सूचना का प्रचार किसी सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत न कर ली गई हो और सदस्यों में परिचालित न कर दी गई हो। इसमें यह स्पष्ट है।

(दिनांक 19 मार्च, 2015)

2. सभा में मोबाईल फोन नहीं ले जाने और सूचना को प्रचारित/प्रकाशित किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना।

श्री अमित जोगी ने उनके द्वारा नियम 255 के अंतर्गत दी गई सूचना, जो ग्राह्य नहीं हुई थी, को एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रसारित करने एवं सभा भवन के भीतर मोबाइल फोन के उपयोग को आधार बनाकर श्री भूपेश बघेल एवं अन्य सदस्यों द्वारा दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना पर माननीय अध्यक्ष ने निम्न लिखित व्यवस्था दी -

व्यवस्था

माननीय सदस्य श्री मोतीलाल देवांगन, श्री लखेश्वर बघेल एवं श्री भूपेश बघेल ने दिनांक 18 मार्च, 2016 को एक पत्र तथा माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने दिनांक 21 मार्च, 2016 को एक पृथक विशेषाधिकार भंग की सूचना सुसंगत दस्तावेजों के साथ संलग्न करते हुए यह उल्लेख किया है कि सभा में माननीय सदस्यों से अपेक्षित आचरण के अंतर्गत पत्रक द्वारा सभा में मोबाईल फोन नहीं ले जाने और सूचना का प्रकाशन किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं किये जाने, जब तक कि वह अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत न कर ली गई हो और सदस्यों में परिचालित न कर दी गई हो, प्रचारित-प्रसारित नहीं करने का, पालन करने की अपेक्षा की जाती है ।

उपरोक्त तत्संबंधी प्रावधान छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के अध्याय-23, प्रक्रिया के सामान्य नियम 237 (क) के अंतर्गत भी विद्यमान हैं । इसके बावजूद माननीय सदस्य श्री अमित जोगी ने नियमों एवं निर्देशों का उल्लंघन करते हुए न केवल सभा में मोबाईल फोन लेकर आये, अपितु अपने भाषण के दौरान मोबाईल फोन का उपयोग भी करते रहे । इसके संबंध में आसंदी से यह व्यवस्था भी दी गई थी कि इलेक्ट्रानिक गेजेट्स का उपयोग सभा भवन में प्रतिबंधित है। माननीय सदस्य श्री अमित जोगी ने उसकी रिकार्डिंग की और सभा के बाहर इलेक्ट्रानिक माध्यम से उसको वायरल किया।

पत्र एवं सूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि यही नहीं माननीय सदस्य श्री अमित जोगी ने उनके द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 255 के अंतर्गत दी गई सूचना को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रेस में वितरित करके माननीय सदस्यों से अपेक्षित आचरण के विपरीत आचरण किया है ।

माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल ने विशेषाधिकार भंग की सूचना के साथ एक सीडी संलग्न करते हुए यह आरोपित किया है कि माननीय सदस्य श्री अमित जोगी ने

सभा में दिए गए उनके भाषण को भिन्न स्वरूप में इलेक्ट्रानिक माध्यम से वायरल किया।

सदन को स्मरण होगा, जैसा कि माननीय सदस्यों ने अपनी सूचना में उल्लेख किया है, मैंने सभा में माननीय सदस्य श्री अमित जोगी के भाषण के दौरान उनके द्वारा मोबाईल फोन का उपयोग किये जाने पर यह व्यवस्था दी थी कि सभा में इलेक्ट्रानिक गेजेट्स की अनुमति नहीं है ।

माननीय सदस्यों को नियमों के अंतर्गत जानकारी होने एवं समय-समय पर पत्रक द्वारा पालनीय नियम की ओर ध्यान दिलाये जाने के बावजूद माननीय सदस्य श्री अमित जोगी न केवल मोबाइल फोन लेकर सभा भवन में आये, अपितु मोबाइल फोन का प्रयोग भी किया । माननीय सदस्य श्री अमित जोगी ने उनके द्वारा नियम 255 के अंतर्गत दी गई सूचना, जो ग्राह्य नहीं हुई थी, को एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रसारित किया और इस प्रकार सभा की कार्यवाही के संबंध में आमजन के मन में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की, साथ ही बिना अनुमति के सभा की कार्यवाही में इलेक्ट्रानिक गेजेट्स का उपयोग किया ।

चूंकि माननीय सदस्य श्री अमित जोगी प्रथम बार निर्वाचित सदस्य हैं, उनकी यह पहली चूक है, अत: मैं उनसे यह अपेक्षा रखता हूं कि वे भविष्य में इस सभा की गरिमा को बनाए रखेंगे और ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, जो माननीय सदस्यों से अपेक्षित आचरण के प्रतिकूल हो।

(दिनांक 31 मार्च, 2016)

सूचनाओं में सदस्य के नाम का क्रम

1. ध्यानाकर्षण सूचना, स्थगन प्रस्ताव सूचना से पहले प्रस्तुत की गई है ऐसे सदस्यों के नाम पहले क्रम में दिये जायेंगे।

छत्तीसगढ़ प्रदेश में पैरामेडिकल चिकित्सकों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही के संबंध में ध्यानाकर्षण सूचना हेतु श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य का नाम पुकारे जाने पर श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि हमारे स्थगन पर व्यवस्था दी गई थी कि इस विषय को किसी न किसी रूप में लेंगे तद्नुसार ध्यानाकर्षण में पहला अधिकार विपक्ष के सदस्यों का है।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने कथन किया कि हमारे स्थगन और माननीय सदस्य द्वारा दिये गये ध्यानाकर्षण का विषय अलग-अलग है अत: अलग-अलग चर्चा का अवसर दिया जाये।

व्यवस्था

माननीय सभापति ने अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22 (10) का उल्लेख किया - यदि ध्यानाकर्षण के रूप में परिवर्तित स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण की सूचना के तथ्य लगभग एक ही प्रकार के हों तो जिन माननीय सदस्यों की ध्यानाकर्षण सूचना, स्थगन प्रस्ताव सूचना से पहले प्रस्तुत की गई है ऐसे सदस्यों के नाम पहले क्रम में दिये जायेंगे। प्रथम तीन के क्रम में यदि स्थगन प्रस्ताव के प्रेषणकर्ता के नाम आयेंगे तो ही उनके नाम कार्यसूची में शामिल किये जायेंगे अन्यथा नहीं किये जायेंगे।

चूंकि आपका स्थगन 21 तारीख को आया था और मैंने ही उस पर व्यवस्था दी थी कि किसी न किसी रूप में चर्चा कराएंगे । चूंकि आज ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो चर्चा हो रही है, 20 तारीख को ही इसका ध्यानाकर्षण माननीय शिवरतन शर्मा जी का जमा हुआ था, इसलिए उनका नाम है । इसमें सब सदस्य चर्चा कर सकते हैं ।

(दिनांक 28 मार्च, 2017)

श्रद्धांजलि

1. श्रद्धांजलि के अवसर पर आरोप-प्रत्यारोप न लगाकर, केवल दिवंगतों के व्यक्तित्व एवं कृतित्वों का उल्लेख होना चाहिए.

झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में दिवंगतों को श्रद्धांजलि देते समय नेता प्रतिपक्ष, श्री रविन्द्र चौबे द्वारा घटना की विस्तृत जानकारी दिये जाने एवं श्री अजीत जोगी, सदस्य द्वारा शोकोद्गार के दौरान घटना से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाने एवं शासन पर आरोप लगाए जाने पर माननीय अध्यक्ष ने आग्रह किया कि इस समय सदन द्वारा दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, यह घटना पर विस्तार से चर्चा का समय नहीं है, इसलिए दिवंगतों के जीवन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अपनी बात रखें । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा इसका विरोध किये जाने पर माननीय अध्यक्ष ने निम्न व्यवस्था दी -

व्यवस्था

आज की कार्यवाही में भावनाओं में बहकर बहुत कुछ ऐसी बातें, शब्दावली का प्रयोग किया गया, जो नहीं किया जाना था । सदस्य भावुक थे । किंतु श्रद्धांजलि का अवसर था, अत: मैंने तत्समय ऐसी बातें विलोपित नहीं की है । मैं सम्पूर्ण कार्यवाही देखकर कार्यवाही को अंतिम रूप दूंगा । मैं आज की कार्यवाही को सुरक्षित रखता हूं । अधिकृत कार्यवाही, पश्चात् जारी की जावेगी । आज की कार्यवाही अधिकृत रूप से जारी होने के पश्चात् प्रकाशित की जाए ।

(दिनांक 15 जुलाई, 2013)

सदन की कार्यवाही के दौरान मान. अध्यक्ष/आसंदी द्वारा दी गई अन्य व्यवस्थाएं

1. **झण्डे/पोस्टर्स का प्रदर्शन**

सभा की कार्यवाही के दौरान झंडे/पोस्टर्स का प्रदर्शन संसदीय नियमों एवं परम्पराओं के विपरीत है।

(दिनांक 23 नवंबर 2004)

2. **प्रश्न पूछते समय माननीय सदस्य अपना आचरण संयमित रखें।**

मान. सदस्य अपना प्रश्न पूछते समय और उत्तर देते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमारे आचरण और कार्यों को पूरे प्रदेश की जनता देख रही है और किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ न हो ।

(दिनांक 24 नवंबर 2004)

3. **आसंदी के प्रति किये गये अशोभनीय आचरण को बार-बार दोहराना आपत्तिजनक है।**

माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा के द्वारा आसंदी के प्रति किया गया आचरण उचित नहीं है और बार-बार वही आचरण दोहराना अत्यंत आपत्तिजनक है। मैं माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा के असंसदीय आचरण एवं व्यवहार पर अप्रसन्नता व्यक्त करता हूं।

(दिनांक 17 मार्च 2016)

4. **सदन में प्रदर्शन हेतु परिधान का प्रयोग उचित नहीं ।**

सभा में किसी विषय को प्रदर्शन स्वरूप प्रगट करने हेतु परिधान का प्रयोग उचित नहीं है। मैं माननीय सदस्य को निर्देशित करता हूं कि ऐसा कृत्य नहीं करें और अब उसकी पुनरावृत्ति न हो।

(दिनांक 01 मार्च 2017)

5. **अनेक सूचनाओं का विषय समान होने पर उन्हें एक ही प्रस्ताव में शामिल किया जा सकता है।**

पुलिस हिरासत में मौत के संबंध में आप सभी ने अलग-अलग सूचनाएं दी हैं, चूंकि सभी सूचनाएं पुलिस हिरासत में मौत के संबंध में हैं, इसलिए विषय एक ही है।

(दिनांक 24 नवंबर 2004)

6. मंत्रीगण ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब देते समय इस बात को न पढ़े कि यह अग्राह्य होने योग्य है ।

माननीय मंत्रिगण इस बात का ध्यान रखें कि ध्यानाकर्षण सूचना ग्राह्य होने के पश्चात् जवाब देते समय इस बात को न पढ़ें कि यह अग्राह्य होने योग्य है। क्योंकि यह ग्राह्य होने के बाद ही यहां चर्चा में आया है । भविष्य में इस बात का ध्यान रखें।

(दिनांक 25 नवंबर 2004)

7. अधिकारी दीर्घा के संबंध में सदन में चर्चा नहीं की जाती ।

अधिकारी दीर्घा के संबंध में सदन में चर्चा नहीं की जाती।

(दिनांक 25 नवंबर 2004)

8. राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन, बजट अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। अत: सभी सदस्य, मंत्रीगण उपस्थित रहें ।

अधिकारी दीर्घा में वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर भा.रा.कां के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन किये जाने पर मान. अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन, बजट अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं । अत: सभी सदस्य मंत्रीगण कृपया उपस्थित रहें ।

(दिनांक 21 फरवरी 2013)

9. प्रश्नकाल के दौरान प्रश्नकर्ता सदस्यों को अनुपस्थित नहीं होना चाहिए ।

प्रश्नकाल के दौरान प्रश्नकर्ता सदस्यों की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए माननीय अध्यक्ष ने अपेक्षा की कि बिना अत्यावश्यक कारण के माननीय सदस्यों को प्रश्नकाल में अनुपस्थित नहीं होना चाहिए ।

(दिनांक 12 मार्च 2010)

10. सदन में उपस्थित रहते हुए आसंदी से नाम पुकारे जाने पर अपनी सूचना नहीं पढ़ना संसदीय परिपाटी के अनुरूप नहीं है ।

सदन में उपस्थित रहते हुए आसंदी से नाम पुकारे जाने पर अपनी सूचना नहीं पढ़ना संसदीय परिपाटी के अनुरूप नहीं है। यदि कोई सदस्य उनकी सूचना सदन में आने पर नहीं पढ़ना चाहता है तो उचित यह होगा कि वह तत्समय सभा से अनुपस्थित हो जाये।

(दिनांक 17 मार्च 2016)

11. जिस दिन संकल्प सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत हो, उससे 3 दिन पूर्व संशोधन आना चाहिए ।

जिस दिन संकल्प सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत हो, उससे तीन दिन पूर्व संशोधन आना चाहिए ।

(दिनांक 29 नवंबर 2004)

12. जिस विषय पर पूर्व में प्रश्न/ध्यानाकर्षण/ अन्य माध्यमों से चर्चा हो चुकी है, उसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं किया जा सकता।

(1) कुनकुरी स्थित राज्य भण्डार गृह से चावल की हेराफेरी के संबंध में स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य किए जाने की मांग करने पर मान. अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि चूंकि पूर्व में इस विषय को ध्यानाकर्षण के रूप में ग्राह्य किया जा चुका है इसलिए इसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में ग्राह्य नहीं किया जा सकता ।

(दिनांक 16 दिसंबर 2006)

(2) कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के संबंध में प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य करते माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि स्थगन प्रस्ताव में जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया है, उन पर चर्चा हो चुकी है तथा ध्यानाकर्षण के रूप में भी ग्राह्य है, जो सदन में आएंगे । स्थगन प्रस्ताव में सन् 2004 और 2008 की घटनाओं का भी उल्लेख करते हुए प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव विलम्बित है और प्रथम अवसर पर प्रस्तुत नहीं है ।

(दिनांक 14 जनवरी 2010)

(3) प्रदेश में महिलाओं के गर्भाशय निकाले जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव की चर्चा की मांग पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि इस विषय पर प्रश्न के माध्यम से विस्तार से चर्चा हो चुकी है । इस विषय पर शासन ने विधि के अंतर्गत की गई कार्यवाही की जानकारी दे दी है इसलिए इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य योग्य नहीं है ।

(दिनांक 16 जुलाई 2012)

13. सभा में प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट आने चाहिए।

(1) प्रश्न संख्या - 2 से संबंधित उत्तर स्पष्ट एवं पूर्ण नहीं आने पर मान. अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि मंत्रिगण इस बात को सुनिश्चित करें कि जो प्रश्न रहता है, उसके अनुसार स्पष्ट उत्तर अवश्य आना चाहिए।

(दिनांक 20 दिसंबर 2005)

(2) तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र.352) के संबंध में चर्चा के दौरान उत्तर में प्राप्त संलग्न परिशिष्ट में जानकारी अंग्रेज़ी में उपलब्ध कराये जाने पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि शासन हिन्दी में परिशिष्ट मुद्रित कराकर उपलब्ध कराये ।

(दिनांक 12 फरवरी 2009)

(3) माननीय मंत्री जी यह सुनिश्चित करें कि उत्तर हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर उत्तर विधान सभा को प्राप्त हो।

(दिनांक 04 मार्च 2015)

(4) ता.प्र.सं. 06 पर चर्चा के दौरान शासन की ओर से समाधानकारक उत्तर नहीं आने पर मान. अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि समस्त माननीय मंत्रिगणों को सदन को गंभीरता से लेना चाहिए ।

(दिनांक 26 जुलाई 2006)

14. प्रश्न का उत्तर विरोधाभासी होने पर आसंदी जांच हेतु समिति को संदर्भित कर सकती है।

प्रश्न के उत्तर एवं अनुपूरक प्रश्नों के दौरान दिए गए उत्तर में विरोधाभासी जानकारी नहीं होना चाहिए, ऐसा होने पर आसंदी स्वविवेक से उस प्रश्न को जांच हेतु प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप सकती है ।

(दिनांक 08 मार्च 2006)

15. कोई सदस्य अन्य सदस्यों को किसी सदस्य पर आरोप लगाने के पूर्व उसकी लिखित सूचना देनी चाहिए।

(1) कोई भी सदस्य किसी मंत्री या किसी मान. सदस्य पर यदि कोई आरोप लगाता है तो आरोप लगाने के पहले उसे लिखित रूप से सूचना देनी चाहिए। यह नियम है और स्थायी आदेश है । मान. सदस्यगण बिल्कुल चलते फिरते आरोप लगाने की आदत से अपने को बचाएं क्योंकि यह संसदीय परम्परा और मर्यादा के विपरीत है।

(दिनांक 23 दिसंबर 2005)

(2) सदस्य, सदन में अपनी बात रखते समय संसदीय नियमों, प्रक्रियाओं का कृपया ध्यान रख करके अपनी बात कहें, तो ज्यादा अच्छा होगा ।

(दिनांक 26 फरवरी 2007)

16. स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता हेतु आवश्यक है कि वे ग्राह्यता की शर्तों को पूर्ण करते हों ।

(1) नियमों में यह है कि स्थगन प्रस्ताव पर केवल 2 घंटे चर्चा होगी एवं 2 घंटे पश्चात चर्चा अपने आप समाप्त हो जाएगी । यह भी नियमों में है कि कोई सदस्य बिना अध्यक्ष की अनुमति के 15 मिनट से अधिक नहीं बोलेगा। किंतु विषय की गंभीरता को देखते हुए अध्यक्ष अधिक समय भी दे सकता है ।

(दिनांक 24 जुलाई 2006)

(2) माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के आरंभ होने से पूर्व उन्होंने कुछ वाक्य सूचना से विलोपित कर दिए हैं ।

(दिनांक 03 मार्च 2015)

(3) स्थगन प्रस्ताव पर विभाग की टीप 11.30 बजे तक विधान सभा सचिवालय में प्राप्त हो जानी चाहिए।

(दिनांक 13 जुलाई 2005)

17. वित्तमंत्री की अनुपस्थिति में संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत संसदीय कार्यमंत्री अनुपूरक अनुदान मांग प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर कि अनुदान मांग प्रस्तुत करने के संबंध में नियमों स्पष्ट उल्लेख है कि केवल वित्त मंत्री या मुख्यमंत्री ही प्रस्तुत कर सकते हैं न कि संसदीय कार्य मंत्री । इस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - मैंने अनुमति दी है। संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत संसदीय कार्य मंत्री अनुपूरक अनुदान मांग प्रस्तुत कर रहे हैं।

(दिनांक 28 नवंबर 2007)

18. अध्यक्षीय व्यवस्था के पश्चात सदस्य द्वारा पुन: उन्हीं शब्दों को दोहराना नितांत अनुचित है।

अध्यक्षीय व्यवस्था के पश्चात् सदस्य द्वारा पुन: उन्हीं शब्दों को दोहराना नितान्त अनुचित है ।

(दिनांक 17 मार्च 2008)

19. आसंदी द्वारा विलोपित किये गये अंशों/वाक्यांशों को प्रकाशित करना निषिद्ध है।

(1) कार्यवाही से कुछ वाक्य विलोपित करने के संबंध में व्यवस्था देते हुए माननीय अध्यक्ष ने कहा कि मेरी इस व्यवस्था को संदर्भित करते हुए विलोपित नामों के प्रकाशन की भी अनुमति नहीं है।

(दिनांक 03 मार्च 2015)

(2) माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि कल सभा में प्रदेश में बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को फसल बीमा की राशि वितरण में अनियमितता किये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण की चर्चा के दौरान वाद-विवाद में पक्ष एवं प्रतिपक्ष के बीच अवांछित वार्तालाप और टीका-टिप्पणियां हुईं तथा आसंदी द्वारा इन्हें विलोपित कर दिया गया था। तत्समय आसंदी ने यह भी कहा था कि पूरी कार्यवाही को देखकर सदन में व्यवस्था देंगे। मैंने सम्पूर्ण कार्यवाही को देखा व कार्यवाही में से शेष विलोपन योग्य अंशों को दिनांक 18 जुलाई को ही विलोपित कर दिया है।

(दिनांक 19 जुलाई 2016)

20. सदन में लिखित भाषण की अनुमति नहीं है। सामान्यत: माननीय सदस्य, मंत्री तैयारी करके आयें और पाइण्ट देखकर भाषण कर सकते हैं।

खाद्य मंत्री (श्री पुन्नूलाल मोहले) द्वारा लिखित भाषण पढ़ने के दौरान श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य द्वारा आपत्ति किये जाने पर मान. अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- सामान्यत: आप लोग प्वाइन्ट देख कर भाषण करते हैं लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण में लगभग बातें आ गई थी इसलिए मैंने उन्हें अनुमति दी है। यह परंपरा नहीं है, लेकिन सामान्यत: तैयारी करके आयें और प्वाइन्ट देख कर भाषण दें।

(दिनांक 21 दिसंबर 2012)